पंचम माला, खंड 47, अंक 27 — शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1974/29 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVII, No. 27 — Friday, December 20, 1974/Agrahayana 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 27—शुक्रवार, दिसम्बर 20, 1974/29 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 27—Friday, December 20, 1974/Agrahayana 29, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
555.	स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषण रखने की अधिकतम सीमा	Ceiling on Gold and Gold Ornaments	1–3
556.	वर्ष 1973-74 में वसूल किया गया सम्पदाशुल्क	Estate Duty realised in 1973-74	4–5
557.	संकट-ग्रस्त चाय बागान	Sick Tea Gardens . . .	5–8
558.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए सांविधिक नियम	Statutory Rules for Supervisory Staff of SBI . . .	8–12
559.	प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States to meet Natural Calamities . .	12–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
560.	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	14–15
561.	चावल और चीनी का निर्यात	Export of Rice and Sugar .	15–16
562.	गांवों में लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये निदेश	Directive issued to Nationalised Banks in regard to Credit Facilities by Nationalised Banks to people in Villages .	16
563.	निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन	Additional incentives to Exporters . .	17
564.	धावन समिति का प्रतिवेदन	Dhawan Committee Report	17
565.	पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Punjab .	17–18
566.	गुजरात में छापे	Raids in Gujarat . . .	18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था ।

The Sign + matked above the name of a Member indicated that the Question wa actually asked on the floor of the House by him.

1—46 L.S.S. N.D./74

*तारा० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
567.	केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के अनिर्णीत मामले	Pending Pension Cases in AGCR	18–19
568.	कर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Tax procedures	19–20
568-A	श्री यूसफ पटेल को कानूनी संरक्षण प्रदान करने संबंधी कथित वक्तव्य	Alleged statement for providing Legal Protection to Shri Yusuf Patel	20–21
569.	शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजा	Ex-Gratia Compensation for Enemy Properties	21
570.	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Industry	21–22
571.	संगठनों को राजसहायता	Subsidies to Organisations	22
572.	लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि	Increase in Iron Ore Export	22
573.	दिल्ली को शुष्क बंदरगाह बनाने के लिए दिल्ली निवासियों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Delhi Citizens for making it a Dry Port	23
574.	आयात लाइसेंस देने और माल छोड़ने के आदेश जारी करने में विलंब	Delay in issue of Import Licences and Release Orders	23
अतारा० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
5298.	वर्ष 1974 में जाली मुद्रा बनाने संबंधी मामले	Cases of making Fake Currency detected in 1974	23–24
5299.	मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Madhya Pradesh	24
5300.	बुनकरों को प्रोत्साहन	Incentives to Weavers	24–25
5301.	इंजीनियरी वस्तुयें के निर्यात को बढ़ाना	Boosting of Engineering Export	25
5302.	प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट	Fall in Prices of Natural Rubber	25–26
5303.	शाहजहांपुर में छापे	Raids in Shahjahanpur	26
5304.	मध्य प्रदेश में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कलैक्टरों द्वारा छापे	Raids by Collectors of Customs and Excise in Madhya Pradesh	26
5305.	मध्य प्रदेश में विमान सेवायें	Air Services in Madhya Pradesh	26–27
5306.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Technical Cadre of Officers by Nationalised Banks	27
5307.	गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड	Golcha Properties Limited	27–28
5308.	न्यू सतग्राम कोयला खान द्वारा पुंजी लिया जाना	Capital raised by New Satgram Colliery	28
5309.	भारत की सप्लाई किस गए उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of fertilizers supplied to India	28–29

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5310.	गोआ जाने वाले पर्यटक	Tourists visiting Goa . .	29
5311.	नारियल जटा और नारियल जटा के सामान का निर्यात	Export of coir and coir goods	29-30
5312.	विदेशी कम्पनियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि	Remittances by Individuals working in Foreign Companies	30-31
5313.	भारतीय रुई निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा शक्ति तथा धन का दुरुपयोग	Misuse of Power and Funds by Certain Officials of CCI .	31
5314.	कापर क्लैड वायर का आयात	Import of Copper Clad Wire	31
5315.	राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्य में भारी कमी	Slashing prices of cloth by nationlised Textile Mills .	32
5316.	यूनिवर्सल स्टील एण्ड अलाय लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त जमा राशि/जमानत रहित अग्रिम राशि	Deposits/unsecured loan received by Universal Steel and Alloys Ltd. from Nationalised Banks . . .	32-33
5317.	विदेशों से अखबारी कागज का आयात	Import of newsprint from foreign countries . . .	33
5318.	आयकर न देने वाले व्यक्तियों के विचाराधीन मामले	Pending cases of Income Tax Defaulters	33-35
5319.	कम्पनियों द्वारा पूंजी को बढ़ाना	Raising of capital by Companies	35
5320.	स्व-नियोजन योजना	Self-employment Scheme .	36-37
5321.	जाली-करेंसी नोट बनाया जाना	Manufacture of fake currency notes	37
5322.	सिने अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के विरुद्ध आयकर की बकाया	Arrears of Income Tax against Film Actors and Actresses .	37-38
5323.	ध्वनि तथा प्रकाश संबंधी कार्यक्रम	Sound and Light Programmes	38
5324.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश तथा गुजरात को सहायता	Assistance by IDBI to U.P. and Gujarat . . .	38-39
5325.	मैसर्स ग्लोब मोटर्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की गयी किश्त	Instalments paid to depositors by M/s Globe Motor Co. Limited	39
5326.	पूर्व यूरोपीय देशों को चीनी का निर्यात	Sugar exports to E.E.C. .	40
5327.	आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम में संशोधन	Amendment of Import/Export Trade Control Act .	40
5328.	केरल में पुलिस हिरासत में एक तस्कर के साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा व्यवहार	VIP treatment to a smugglers in Kerala in Police Custody .	40
5329.	सरकारी उपक्रमों द्वारा दिये गये रोजगार	Employment provided by Public Sector Undertakings . .	40-41

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5330.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक कारखानों में कार्य	Working of Industrial Units Financed by Industrial Reconstruction Corporation of India	41-42
5331.	तस्करों द्वारा तस्कर व्यापार के लिये हेलीकोप्टरों का उपयोग	Use of Helicopters by smugglers for smuggling purposes	
5332.	दादरा तथा नागरहवेली में तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of smugglers in Dadra and Nagar Haveli . .	42-43
5333.	बर्मा के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल का दौरा	Visit by Burmese Trade Delegation	43
5334.	भारतीय लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि	Price increase for Indian Iron Ore	43
5335.	पटसन उद्योग के श्रमिकों द्वारा बोनस की मांग	Bonus demand by Jute workers	43-44
5336.	सम्पदा शुल्क का निर्धारण	Assessment of Estate Duty .	44
5337.	जालान ग्रुप के कार्यों की जांच करने के लिए विशेष 'सैल'	Special cell to look into the Affairs of Jalan Group .	44
5338.	गुजरात और महाराष्ट्र में रुई के मूल्यों में कमी	Fall in Prices of Cotton in Gujarat and Maharashtra .	44-45
5339.	कपड़ा मिलों में स्टाक का जमा हो जाना	Accumulation of Stocks in Textile Mills	45
5340.	"आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर	Smugglers arrested under MISA	45
5341.	आल इंडिया डिफेंस एकाउंट्स एम्प्लाईज एसोसियेशन को मान्यता	Recognition to All India Defence Accounts' Employees Association	46
5342.	कोयम्बटूर में फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme in Coimbatore	46-47
5343.	कम्पनी की जमा राशि के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण मारुति लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against Maruti Ltd. for violation of R.B.I. Directions in respect of Company Deposits . . .	47-48
5344.	जूतों का अन्य देशों को निर्यात	Export of Shoes to other countries	48
5345.	सरकारी उपक्रमों के कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लाभ	Benefits to Government Servants working in Public Sector Undertakings . .	48-49
5346.	दोहरे कर आरोपण को रोकने के लिए समझौते	Agreements for Avoidance of Double Taxation . .	49-50
5347.	वाणिज्य मंत्रालय में अनुवाद कार्य के लिये हिन्दी इन्वेस्टीगेटरों के पद	Posts of Hindi Investigators for translation work in Commerce Ministry	50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5348.	बंगला देश को रेलवे वैगनों का निर्यात	Export of Railway Wagons to Bangladesh	51
5349.	सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु राज्यों को जाने वाले केन्द्रीय दल	Central team to States to assess drought situation . .	51
5350.	निर्यात निगमों की स्थापना	Setting up of Export Corporation	51
5351.	पटना स्थित रक्षा लेखों के नियंत्रक के कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०) की परीक्षाएं	SAS examinations in the Office of CDA, Patna . . .	51–52
5352.	दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के दौरान पकड़ी गई नगदी तथा मूल्यवान वस्तुएं	Seizure of cash and valuables during raids by income tax authorities in Delhi . .	52–53
5353.	फोकर वी० एफ० डब्ल्यू० इन्टर-नेशनल द्वारा भारत में अपने निर्माण एकक स्थापित करने की पेशकश	Offer from Fokker V.F.W. international for setting up manufacturing units in India	53
5354.	खजुराहो पर्यटक केन्द्र	Khajuraho Tourist Centre . .	53
5355.	भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का आपत-कार्य	U.N. Emergency Operation of relief in India . .	53–54
5356.	विमान अपहरण की घटनाओं की रोक-थाम के लिए उपाय	Steps to check incidents of Hijacking	54–55
5357.	पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में स्थानान्तरण	Transfers in the Office of CDA, Patna	55
5358.	उड़ीसा में पटसन की खरीद	Purchase of Jute in Orissa .	55–56
5359.	पांचवीं योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Fifth Plan	56
5360.	आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाईज फेडरेशन, बम्बई के महासचिव का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of General Secretary of All India Bank of Baroda Employees, Federation, Bombay	56–57
5361.	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by Public Financial Institutions and Nationalised Banks to Industrial Units . . .	57–58
5362.	राज्य व्यापार निगम द्वारा मेवों का आयात	Import of Dry Fruits by STC.	58–59
5363.	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भरती किए गए तकनीकी अधिकारियों का निम्न दर्जा	Lower Status of Technical Officers Recruited by Punjab National Bank . . .	59–60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5364.	राज्य व्यापार निगम के पास अनिर्णीत पड़े निकासी आदेश	Release Orders Pending with S.T.O.	60
5365.	कलकत्ता स्थित मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के कार्यालय पर छापे	Raids on Bird and Co. of Calcutta	60–61
5366.	भारत में चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं के बदले, अन्य वस्तुएं भेजना	Commodities Exchanged for Goods smuggled in India .	61
5367.	पांडिचेरी की पार्टियों को तदर्थ लाइसेंस जारी किया जाना	Ad-hoc Licences issued to Pondicherry Parties . .	61
5368.	कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग	Art Silk Weaving Industry .	61
5369.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि	Deposits in Nationalised Banks	61–62
5370.	भारत और अन्य देशों के बीच वस्तु विनिमय	Barter deals between India and other countries	63
5371.	पूर्वी क्षेत्र में जीवन बीमा द्वारा एकत्रित की गई धनराशि	Amount collected by L.I.C. ni eastern region . . .	63–64
5372.	उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश को अग्रिम धन की मंजूरी दिया जाना	Release of Funds in Advance to Orissa, Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh .	64–65
5373.	विभिन्न राज्यों के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए धनराशि का नियतन करने के बारे में मानदंड	Criteria Regarding Allocation of Amounts for Market Borrowing for different States	65
5374.	शेख अब्दुल्ला और हाजी मस्तान क बीच संबंध	Links between Sheikh Abdullah and Hazi Mastan . .	65
5375.	नायलान फिलामेंट यार्न की कताई करने वाले व्यक्तियों द्वारा क्रिम्प्ड यार्न का उत्पादन	Production of crimped yarn by nylon filament yarn spinners	66
5376.	ग्लोब मोटर्स कम्पनी की प्रबंध समिति के सदस्यों की आय के स्रोतों के बारे में जांच	Enquiry into sources of income of members of managing Committee of Globe Motors Co.	66
5377.	ट्रेड मार्क का नवीकरण कराने के लिए विदेशी कम्पनियों से आवेदन-पत्र	Applications from foreign companies for renewal of trade marks	67
5378.	तालाबंदी के दौरान एयर इंडिया के पाइलटों के वेतन और भत्तों से की गई कटौतियां	Deductions made from salaries and allowances of Air India Pilots during lockout . .	67
5379.	लद्दाख में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास	Efforts to attract tourists to Ladakh	67–68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5380.	भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति का गठन	Setting up of Indo-British Economic Committee	68
5381.	ऋण प्रतिबंधों में छूट	Relaxation of credit curbs	68–69
5382.	स्टार पेपर मिल्स पर छापे	Raids on Star Paper Mills	69
5383.	ग्राम्य बैंक व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए कार्यक्रम	Programme to restructure rural banking	69–70
5384.	विभिन्न मिलों को आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences to various Mills	70
5385.	उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई का तुलनापत्र	Balance sheet of Uma Investments Private Limited, Bombay	70–71
5386.	लीड बैंकों के विशेषाधिकार तथा दायित्व	Privileges and responsibilities of lead banks	71–72
5387.	राज्यों की राजधानियों का दिल्ली से विमान सम्पर्क	State Capitals Air linked with Delhi	72–73
5388.	राज्यों की अपूर्ण परियोजनाएं	Incomplete projects of States	73–74
5389.	विदेशों को अफीम की तस्करी	Smuggling of opium to Foreign Countries	74
5390.	निर्यात ऋण विषयक उच्चस्तरीय समिति	High level committee on Export Credit	74
5391.	भारत और बंगलादेश के बीच वार्षिक व्यापार विनिमय का विस्तार	Extension of annual trade exchanged between India and Bangladesh	74–75
5392.	कर्नाटक एक्सपोर्टस लिमिटेड द्वारा आयात नियंत्रण विनिमयों का उल्लंघन	Violation of Import Control Regulation by Karnataka Exports Ltd.	75
5393.	काजू की खेती के लिए निगम	Corporation for Cashew cultivation	75
5394.	अयस्क उत्पादन देशों की बैठक	Meeting of Ore producing countries	76
5395.	सरकारी उपक्रमों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्ष	Revision of age Structure in Public Undertakings	76
5396.	मध्य प्रदेश में आरंभ किए गए राहत कार्य	Relief works undertaken in Madhya Pradesh	76
5397.	जापान के प्रतिलौह-अयस्क नीति के लिए भारत की कथित आलोचना	Alleged criticism of India for Iron Ore Policy towards Japan	77
5398.	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं	Branches of S.B.I. in rural areas of Orissa	77
5399.	उड़ीसा की यात्रा करने वाले पर्यटक	Tourists visiting Orissa	77–78

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5400.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा उड़ीसा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों को दी गई धनराशि	Amount advanced by IDBI to Industries and Orissa State Industrial Development Corporation	78–80
5401.	मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया की नई शाखायें खोलना	Opening of new Branches of SBI in Madhya Pradesh	80
5402.	मध्य प्रदेश में उत्पादित तथा वहां की निर्यात की जाने वाले वस्तुएं	Commodities produced and exported from Madhya Pradesh	80
5403.	मिल में बने कपड़े की मध्य प्रदेश को सप्लाई	Supply of Mill-made cloth to Madhya Pradesh . .	80–81
5404.	मध्य प्रदेश में बरामद काला धन	Black Money unearthed in Madhya Pradesh . . .	81
5405.	पांच स्टार होटल	Five Star Hotels . . .	82–83
5406.	जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने के लिए पालिसीधारियों को दिए गए ऋण	Amount of loan advanced by LIC to Policy holders for House Building Purposes .	83–84
5407.	पटसन तथा रुई के लिये समर्थन मूल्य	Support prices for Jute and Cotton	84
5408.	लातीनी अमरीका के काफी उत्पादक देशों द्वारा बहु-राष्ट्रीय संगठन	Multinational Organisation by Latin American Coffee Producing Countries . .	84
5409.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा लिये गये वेतनों में असमानताएं	Anomalies in salaries drawn by officers of R.B.I. . .	85
5410.	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की विस्तार योजनायें	Expansion scheme of Air India and Indian Airlines . .	85–86
5411.	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products .	86–87
5412.	चाय बागानों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Central Excise duty by Tea Estates . . .	87
5413.	चाय कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Tea Companies . . .	88
5414.	खंडसारी के निर्यात का प्रतिबंध हटाना	Lifting of ban on Export of Khandsari Sugar . .	88
5415.	फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की दिल्ली शाखा के अधिकारियों द्वारा किया गया गबन	Embezzlement by Officers of Delhi branch of Fire and General Insurance Company	88–89
5416.	मानव केशों का निर्यात	Export of Human Hair . .	89
5417.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गयी राशि	Amount advanced by IDBI to Industries and Rajasthan State Industrial Development Corporation . .	89–91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5418.	राजस्थान की यात्रा करने वाले पर्यटक	Tourists visiting Rajasthan	91-92
5419.	गैर-सरकारी कम्पनियों में कार्य कर रहे विदेशियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि	Remittances by foreigners working in private companies .	92
5420.	विश्व इस्पात संघ का गठन	Formation of World Steel Forum	93
5421.	इलेक्ट्रोड का आयात	Import of Electrode Wire . . .	93
5422.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को अग्रिम आयात अधिकार देना	Advance import entitlements given to M/s Hindustan Lever Limited . .	93-94
5423.	केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अनुदान	Grant by Central Government to Madhya Pradesh . .	94
5424.	भारत के रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने पर मारुति लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Maruti Ltd, for violating the R.B.I. Directions	94-95
5425.	गुजरात में यार्न परियोजना	Yarn Project in Gujarat . .	95
5426.	अधिशेष तेल निधियों के निवेश के बारे में अमरीकी योजना	U.S. Scheme to channelise surplus oil funds . . .	95-96
5427.	व्यक्तियों/कम्पनियों/संस्थानों के अधिकार तथा प्रयोग में हेलीकाप्टर	Possession and use of Helicopters by individuals/Companies/Institutions	96-97
5428.	लीबनाना में भारतीय सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Lebanon with Indian Collaboration	97
5429.	होशियारपुर में नाइलोन धागे के कारखाने की स्थापना करना	Setting up of Nylon Yarn Industry in Hoshiarpur . .	97
5430.	जेलों में तस्करों को दिया गया अति विशिष्ट व्यवहार	V.I.P. treatment given to smugglers in Jails . . .	98
5431.	तस्करों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय	Special courts to try smugglers	98
5432.	महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Maharashtra . .	98-99
5433.	चम्बल कमांड क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक सहायता	World Bank Assistance for Agricultural extension programme in Chambal Command Area . . .	99-100
5434.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Iorn ore exports by MMTC	100
5435.	नेपाल को सीमेंट और लोहे की छड़ों की सप्लाई	Supply of cement and iron rods to Nepal	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5436.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पटसन श्रमिकों को दिए गए आश्वासन	Assurances given by West Bengal Government to Jute workers	101
5437.	श्रमिकों के प्रति पटसन के बड़े-बड़े व्यापारियों का रवैया	Attitude of jute barons towards workers	101
5438.	प्रयोगशाला लिपिकों एवं एटेन्डेन्ट्स के वेतनमान	Pay scales of Laboratory clerks and Attendants . . .	101–102
5439.	स्वर्णकारों की मांगें	Demands of Goldsmiths	102
5440.	अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ बैठक	Meeting of Representatives of Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh with Minister of State in the Ministry of Finance	103
5441.	अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ	Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh	103–104
5442.	अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की सेन्ट्रल कमेटी द्वारा पारित किए गए संकल्प	Resolution passed by Central Committee of Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh . .	104
5443.	पटसन के लिये लाभकर मूल्य	Remunerative Price for jute	105
5444.	सस्त होटल बनाना	Setting up of cheap hotels .	105–106
5445.	1974-75 में उद्योगों में विदेशों द्वारा पूंजी लगाया जाना	Investment of foreign capital in Industries in 1974-75 . .	106
5446.	हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में कमी	Set back in handloom export	106–107
5447.	पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम निधि का निवेश	LIC funds in backward areas	107
5448.	राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति लि० को दिया गया ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks and Financial Institutions to Maruti Ltd. . .	108
5449.	गोआ, दमन और दीव के व्यापार गृहों को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to business houses in Goa, Daman and Dieu .	108–109
5450.	चाय व्यापार निगम द्वारा किया गया कुल व्यापार	Total business undertaken by Tea Trading Corporation .	109
5451.	आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के साथ निपटने के लिये शक्तियां सीमित करना	Limiting of powers to deal with the offenders of Import/Export Trade Control Act . .	109–110
5452.	गुजरात की सपुता पहाड़ियों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Saputara Hills in Gujarat as a Tourist Centre	110

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5453.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रचार तथा सूचना सामग्रियों का प्रकाशन	Publicity and information material produced by ITDC .	110
5454.	ट्राईस्टार वायु बसें	Tri Star Air buses . . .	111
5455.	गुजरात में कपास उत्पादकों को होनेवाली कठिनाइयां	Difficulties faced by Cotton Growers in Gujarat . . .	111
5456.	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना के अंतर्गत खोले गये नये खाते	New Accounts opened under the additional emoluments (Compulsory Deposit) Scheme .	111–13
5457.	भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे देश के उपर से विमानों की उड़ान तथा विमान सेवा आरंभ करने के बारे में समझौता	Accord on overflights and Air links with Pakistan . .	113
5458.	सूती कपड़ा उद्योग की शोचनीय स्थिति	Gloomy outlook of Cotton Textile Industry	113
5459.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के प्रति उदासीन व्यवहार	Indifferent treatment by Public Sector Banks to Agricultural Sector	114
5460.	मिलों की पटसन की आवश्यकता	Requirements of Jute by Mills	114–15
5461.	इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं को सुधारने के लिए कार्यवाही	Steps to improve Services of Indian Airlines . .	116
5462.	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग मूल्य सूचकांक और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	All India working class price Index and payment of D.A. to Central Government employees . . .	117–18
5463.	इलैक्ट्रोलिटिक कापर का आबंटन	Allotment of Electrolytic Copper	118
5464.	बैंकों में जमा राशियां	Bank Deposits	119
5465.	शिकार खेलने की सुविधाओं वाले पर्यटन केन्द्र	Tourist spots with hunting facilities	119
5466.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध करवाये गये सान्ध्यकालीन मनोरंजन	Night entertainment provided for Tourists by ITDC . .	12
5467	आई० सी० आई० आई० के अध्यक्ष द्वारा 'जालान' के समर्थन में प्रचार करना	Canvassing for JALANS by Chairman of ICICI	110
5468.	बिहार में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं में दिया गया रोजगार	Employment given to Branches of Nationalised Banks in Bihar	120–2

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5469.	राज्यों के केन्द्रीय सहायता के बारे में नई नीति	New Policy in regard to Central Assistance to States . .	121
5470.	तस्करों की सम्पत्ति जब्त किया जाना	Attachment of Properties of Smugglers	121–22
5471.	अशोक होटल कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Ashoka Hotel Employees Union .	122
5472.	भारतीय रुई निगम द्वारा कुछ चुनींदा मिलों को भारतीय रुई का आबंटन	Allotment of Indian Cotton to Few Selected Mills by CCI	122–23
5473.	समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in export of Marine Products	124
5474.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधीनस्थ बैंक	Subsidiary Banks of State Bank of India	124
5475.	इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकारी मार्ग	Uneconomic Routes of Indian Airlines	124–25
5476.	रुपए का मूल्य	Value of Rupee .	125
5477.	रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय में भर्ती	Recruitment in CDA, Patna .	126–27
5478.	पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना	Introduction of Central Government Health Scheme in CDA, Patna	127
5479.	कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Concerns .	127–28
5480.	आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं	Branches of Public Sector Banks in Andhra Pradesh . .	128
5481.	भारत झेकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की बैठक	Indo-Czechoslovak Joint Committee Meeting . . .	128
5482.	बजाज ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज पर बकाया कर राशि	Arrears of Taxes against Bajaj Group of Industries . .	129
5483.	अहमदाबाद और राजस्थान के विभिन्न नगरों के बीच विमान संपर्क	Air link between Ahmedabad and various cities of Rajasthan	129
5484.	राजस्थान में फर्मों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Firms in Rajasthan . .	129–30
5485.	रेयान धागे का निर्यात	Export of Rayon Yarn . .	130
5486.	कपास और ऊन के आयात के कारण पोलिस्टर एककों को कठिनाइयां	Difficulties faced by Polyester units due to import of cotton and wool	130
5487.	जीवन बीमा निगम के एजेंटों को प्रोत्साहन	Incentives to Agents at EEC .	131

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5488.	इन्स्टेंट टी का उत्पादन करने के लिए चाय बोर्ड को पेटेंट का अधिकार	Right of patent by Tea Board for producing Instant Tea	131-32
5489.	मध्य प्रदेश को पर्यटन सुविधायें देने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for providing Tourist facilities . . .	132
5490.	हथकरघा बोर्ड को सांविधिक बोर्ड में बदलना	Conversion of Handloom Board into a Statutory Board . .	132-33
5491	जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशि का उचंत खाते में डाला जाना	Amount put into suspense account by LIC . . .	133
5492.	श्री राम रेयान्स, कोटा के भागीदारों पर आयकर की बकाया राशि	Income tax outstanding against Partners of Shree Ram Rayons, Kota	133-34
5493.	हिन्दी दैनिक 'अवन्तिका' के विरुद्ध आरोप	Charges against Hindi Daily 'Avantika'	134
5494.	मैसर्स छगनलाल पांचूलाल, इंदौर द्वारा करों की चोरी	Evasion of Taxes by M/s. Chhaganlal Panchulal, Indore	134
5495.	रबड़ के उत्पादन में कमी	Fall in production of Rubber	134-35
5496.	कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of Raw Jute . .	135
5497.	आंसुका के अधीन गिरफ्तार किए गए तस्कर	Release of smugglers detained under MISA . . .	135
	दिनांक 1-12-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ No. 2603 dated 1-12-1972	136
	श्री आर० एन० गोएन्का, संसद सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of privilege against Shri R. N. Goenka, M.P. .	137-38
	आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against A.I.R.	138-40
	कलकत्ता के जुगान्तर के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the Jugantar of Calcutta	140-41
	आयात लाइसेंस के मामले के बारे में	Re. Import Licence case	141-52, 158
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	152-58
	राज्य सभा से प्राप्त संदेश	Messages from Rajya Sabha .	158
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members Bill and Resolution—	
	कार्यवाही सारांश	Minutes	159
	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Offices of Profit—	
	11वां प्रतिवेदन	Eleventh Report . . .	159
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	69वां प्रतिवेदन	Sixty-ninth Report .	159

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	
14 वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	159
रेल अभिसमय समिति—	Railway Convention Committee—	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	Fourth and Fifth Reports .	159
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति—अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Reports of Study Tours	160
कारवाड़ में कास्टिक सोडा प्लांट से प्रदूषण द्वारा समुद्री प्राणियों को खतरे के बारे में याचिका	Petition *Re:* danger to marine life by pollution from Caustic Soda Plant at Karwar. .	160
श्री भोगेन्द्र झा, संसद सदस्य के निवास पर कथित बम दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re:* Alleged bomb incident at the Residence of Shri Bhogendra Jha, M.P.—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta . . .	160
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने संबंधी वक्तव्य	Statement *Re:* Grant of Additional Dearness Allowance to Central Government Employees—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	161–62
दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में कथित संशोधन के बारें में वक्तव्य—	Statement *Re:* Reported Amendment of Delhi University Act—	
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	162
दिल्ली नाट्य प्रदर्शन विधेयक के बारे में वक्तव्य	Statement *Re:* Delhi Dramatic performances Bill —	
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . .	163
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश, के एंटीबायोटिक्स प्लांट के कर्मचारियों की बहाली के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re:* reinstatement of Employees of Antibiotics Plant of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Rishikesh—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	163–64
दिल्ली नगर निगम को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा देय राशि के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re:* NDMC Dues to Delhi Municipal Corporation—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta . . .	164–65
बाल दत्तक ग्रहण विधेयक	Adoption of Children Bill . .	165
संयुक्त समिति के लिये एक सदस्य की नियुक्ति संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to appoint a Member to Joint Committee	
केन्द्रीय तथा अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक—	Central and other Societies (Regulation) Bill—	
संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य की नियुक्ति संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to appoint a Member to Joint Committee . . .	166

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
रोमन लिपि के लिये बोरो आदिम जातियों की मांग के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re*: Demands of Bodos for Roman Script—	
श्री० के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	166–67
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Tariff (Amendment) Bill—Introduced . . .	167
विभिन्न मामलों के बारे में कई सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये जाना	Submission by Members on various Matters . . .	167–76
दो शीघ्रगामी नौकाओं की कथित तोड़फोड़ के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re*: Reported sabotage of two speed Boats—	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75—	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1974-75—	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	177
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai . .	178–79
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	179
श्री इराज्मुद सेक़ैरा	Shri Erasme de Sequeira .	179–80
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D. P. Jadeja . .	180
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	181
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	181–82
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	182
श्री एच० एम० पटेल	Shri M. H. Patel . . .	182
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	
49 वां प्रतिवेदन	Forty-ninth report . .	180
गुजरात विनियोजन (संख्या 5) विधेयक, 1974—	Gujarat Appropriation (No. 5) Bill, 1974—	
पुरःस्थापित तथा संशोधित रूप में पास हुआ	Introduced and Passed, as amended	185–86
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी) 1974-75—	Supplementary demands for Grants (Pondicherry) 1974-75—	
श्री नूरुल हुडा	Shri Nurul Huda . .	186–87
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan .	187–88
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin . .	188
श्री इराज्मुद सैकेरा	Shri Erasme de Sequeira . .	189
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	189–90
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukhejree	190–92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पांडिचेरी विनियोजन (संख्या 3) विधेयक 1974—पुरःस्थापित तथा संशोधित रूप में पारित हुआ	Pondicherry Appropriation (No. 3) Bill 1974—Introduced and passed, as amended . . .	192–93
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	194
श्री इराज्मुद सैकेरा	Shri Erasme de Sequeira .	194
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	194–95
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	195
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhandra Joshi .	195
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	195
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha .	196
सरदार स्वर्णसिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	196
श्री चपलेंदु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	196
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal .	197
डा० कैलाश	Dr. Kailas	197
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . .	197
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . . .	198
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	198
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	198
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	198
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1. . .	199–201
पास करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	200
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	201
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	201
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	200
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion *Re*: Report of the Commission of Inquiry into the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	202–204

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1974/29 अग्रहायण, 1896 (शक)
Friday, December 20, 1974 / Agrahayana 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषण रखने की अधिकतम सीमा

***555. श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के लिए, स्वर्ण अथवा स्वर्ण-आभूषण रखने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना कब और किस प्रकार प्रभावी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को इसी आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि निजी रूप से स्वर्ण आभूषणों तथा वस्तुओं को रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाय। परन्तु ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित करने में संवैधानिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Shrimati Savitri Shyam : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has given a very simple answer to my question. He has, no doubt, admitted that proposal is under consideration of the Government but he has not replied to the (b) part of my question in which I wanted to know the salient features of the eeling.

Mr. Speaker : What is your question ?

2—46LSS(ND)/74

Shrimati Savitri Shyam : I am coming to that. I would like to know the quantity of the total gold or money kept in the lockers without any productive action and dividend. How much all of it is purchased on the black money. How much is smuggled gold and how much is purchased by fair means. What is the per capita possession of gold in the country

Mr. Speaker : How does it arise out of the question? Originally you have asked whether ceiling will be imposed or not.

Shrimati Savitri Shyam : It is well known to all of us that the black marketeers are spending their money on the construction of huge buildings, and they are not diclosing the amount of their money to the Government. May I know from the hon. Minister the amount of such money ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि स्वर्ण तथा स्वर्णआभूषण रखने पर कोई अधिकतम सीमा लगाई जाये। मैंने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि ऐसी सीमा निर्धारित करने में प्रशासनिक तथा संवैधानिक कठिनाइयां हैं। इन सभी मामलों का सरकार विचार कर रही है। जहाँ तक उस प्रश्न का संबंध है कि कितना स्वर्ण कालेधन से खरीदा गया, आदि, मैं नहीं जानता कि इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध है, या नहीं।

Shrimati Savitri Shyam : When the Gold control was made effective in this country a ceiling was imposed under the said measure. nder the provisions of the Act an individual was entitled to possess 2,000 grams of gold and a family to possess 4,000 grams of gold. More than this quantity of gold was to be declared by the individuals or the families. I would like to know as to how many persons, after the enforcement of Gold Control Act, made declarations and how many persons did not make such declaration. May I know the action taken by the Government against the person who did not make such declaration ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : 1966 में अधिकतम सीमा प्रतिव्यक्ति 2,000 ग्राम तथा प्रति परिवार 4,000 ग्राम थी। यह स्वर्ण के बारे में नहीं अपितु स्वर्ण आभूषणों के बारे में थी किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कि कितने व्यक्तियों ने विवरण दिये, मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Hukumchand Kachwai : Sir, the statements given by the Governement from time to time and the waving policy of the Government regarding gold have created a sence of uncertainty amongest the people. May I know the time by which the Government will take a final decision on the proposal under their consideration ? Are they thinking to have a stable policy in the matter ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : किसी प्रकार का आतंक फैलाने का प्रश्न नहीं है। यह साफ साफ कहा गया है कि सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव आया था किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। इस बारे में मैंने अपने मूल उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : By what time it would be finalised? Will you take one year of two years ?

Mr. Speaker : The hon. Minister should satisfy him.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कोई निश्चित समय बताना कठिन है।

श्री राम सहाय पांडे : स्वर्ण की अधिकतम सीमा के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री मोहन धारिया ने कभी यह विचार व्यक्त किया था कि प्रति परिवार के लिये स्वर्ण की अधिकतम सीमा 10 तोला निर्धारित की जाये तथा क्या उक्त अधिकतम सीमा को लागू करने के लिये तथा सभा में इस आशय का विधेयक लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने श्री मोहन धारिआ के सुझाव का उल्लेख किया है, मैंने कहा है कि इस प्रश्न पर तथा उनके अन्य प्रस्तावों पर भी सरकार विचार कर रही है। उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करन में कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिये इस पर विस्तृत रूप में विचार किया जा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं इतना और कहना चाहता हूं कि स्वर्ण आभूषणों के बारे में महिलाओं को विशेष रुचि होती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में माननीय सदस्य न तथाकथित प्रगतिशील विचार व्यक्त किया है किन्तु इस बारे में विशेषकर महिला वर्ग की ओर से बहुत आपत्ति उठाई गई है । **(व्यवधान)** अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय करन से पूर्व हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जब देश में पहली बार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था तो क्या उस समय व्यक्तियों द्वारा केवल 5–5 तोला स्वर्ण अपने पास रखा जा सकता था तथा शेष सरकार को सौंपा जाता था? क्या उस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : आज भी कोई व्यक्ति अपने पास 5 तोला शुद्ध स्वर्ण नहीं रख सकता 5 तोला स्वर्ण रखने पर भी प्रतिबन्ध है। स्वर्ण आभूषणों के बारे में तथा उसकी घोषणा के बारे में मेरे माननीय सहयोगी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यद्यपि स्वर्ण आभूषणों के बारे में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है तथापि कुछ मात्रा के बाद इसकी घोषणा करनी अनिवार्य है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में यह कहा है कि सरकार के समक्ष स्वर्ण की अधिकतम सीमा के बारे में एक प्रस्ताव था किन्तु कुछ व्यावहारीक कठिनाइयों के कारण सरकार उस प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं कर सकी। क्या यह सच नहीं है कि जिनके पास काला-धन है वे उससे स्वर्ण खरीद रहे हैं तथा इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने में एक कठिनाई यह है कि सरकार उन व्यक्तियों को जिनके पास काला धन है असंतुष्ट नहीं करना चाहती ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक स्वर्ण आभूषण रखने का संबंध है यदि इस बात का पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना स्वर्ण है तथा कितने स्वर्ण आभूषण है तब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि यह उन्होंने कहां से खरीदे। अतः तस्करों के बारे में हम कोई रियायत नहीं बरतते। सरकार ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई पक्षपात नहीं करती किन्तु ज्ञात नहीं कि उनकी सहायता कौन तथा किस प्रकार करता है। हम उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे जो स्वर्ण की तस्करी करते हैं या किसी अन्य सम्पत्ति की तस्करी करते हैं।

Shimati Sahadiabai Ram : The hon. Minister bas said that there is a good deal of opposition from the women section with regard to the ceiling. I think only urban ladies and not rural ladies would have opposed this matter. The women living in rural areas require more gold because they sell it at the time of need and meet their requirements. In view of this rural women should be allowed to keep with them more gold or ornaments. What does the hon. Minister think in this matter ?

Mr. Speaker : What a good suggestion ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हम इसको ध्यान में रखेंगे।

श्री मुरासोली मारू : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव था। क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार द्वारा हीरा, प्लटिनम तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है?

Mr. Speaker : This question relates to gold. He may ask about Diamond and platinum seperately.

Estate Duty Realised in 1973-74

***556. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Estate Duty assessed for 1973-74 and the amount actually realised ;

(b) whether in the matter of assessment of Estate Duty, various parties go to courts as a result of which delay is caused in realising the amount ; and

(c) if so, the measures being taken to simplify the procedure ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1973-74 में जारी की गई सम्पदा शुल्क की मांग 11.42 करोड़ रु० की थी। चालू मांग में से वर्ष के दौरान हुई वसूली 2.06 करोड़ रुपये की थी।

(ख) और (ग) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में, विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों, जैसे सम्पदा शुल्क का अपीलीय नियंत्रक, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की व्यवस्था है। ये उपबंध अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के उपबन्धों जैसे ही हैं और इन उपबन्धों का उद्देश्य विवाद ग्रस्त पार्टियों को अपना मामला सिद्ध करने का अवसर प्रदान करना है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, out of Rs. 11.42 crores the Government have realised only Rs. 2.06 crores that is only 17 or 18 per cent. May I know whether the Government have tried to find out the reasons for less recovery of demand ? If the reasons are found out are they prepared to take any steps to remove those defects, and if so, do they propose to amend the Act of 1953 ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सम्पदा शुल्क निर्धारित किये जाने के पश्चात भी इसे वसूल किये जाने में कुछ कानूनी बाधाएं हैं तथा माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि 11.42करोड़ रुपये के सम्पदा शुल्क में से केवल 2.06 करोड़ रुपया ही वसूल किया गया है। यदि माननीय सदस्य ने आंकड़ों को ध्यान से देखा हो तो ज्ञात होगा कि 11.42 करोड़ रुपयों की मांग में से लगभग 6.44 करोड़ रुपयों की मांग के बारे में विवाद है। इस प्रकार निर्विवाद वसूल की जाने वाली राशि 4.98 करोड़ रुपया रह जाती है, जिसमें से 2.06 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। जहां तक सम्पदा शुल्क के निर्धारण और उसकी वसूली का संबंध है इस बारे में प्रक्रिया में कई जटिलताएं हैं। प्रक्रिया को सुचारु बनाने के बारे में मैंने कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा हम इसे अन्य प्रत्यक्ष करों संबंधी प्रक्रियाओं के समकक्ष लान के लिये इसमें कुछ संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, You are also a farmer. Even after the death of grandfather and great grandfather and even after the partition of joint property the holding is being shown in the name of one member of the family. When officers go to assess the estate duty they demand certain amount from the farmers. But why should they give any amount to them when the land is shown in the name of other person. Farmers are also facing difficulties on account of the facts that it is not taken into account whether the land is it a submerged area or in dry area and that how many persons live in a house. May I know in this context, the steps proposed to be taken by the Government to amend this Act so that the farmers are saved from the undue harassment ? Do they propose to find outthrough the B. D. Os whether the assessment notices ate given to the farmers correctly ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : निर्धारण में, एवं निर्धारण के पश्चात वास्तविक उगाही में भी कुछ कठिनाइयां हैं। माननीय सदस्य ने सुझाव देते समय स्वयं स्वीकार किया है कि प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण वास्तविक मांग की अपेक्षा उगाही कम है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Panna Lal Bampal : When Shri Murarrji Bhai was Finance Minister he announced that a person who gives clues of such persons who side estate duty tax or Death Duty would be rewarded. In his regard we cited a case of Rajmani Palu of Bikaner in which one crore of rupees was in volve. The case is going on form the last 18 years. The Prime Minister then immediately called the Chairman Shri Maoo. The State Government worked out the duty at R.s. 25 lakhs which they could not realized and told that only the centre can do it. What is the difficulty in realising it ?

Mr. Speaker : You have said about a specific case. The question was of a general nature.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यदि विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री श्रीकृष्ण हालदर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सम्पदा कर के लिए 11.42 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। बेशक करदाताओं पर 4 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, केवल 2 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है। शेष दो करोड़ रुपये की क्या स्थिति है। उसकी उगाही के लिए क्या कार्यवाही की गई है? ऐसे करदाताओं के नाम क्या है और उनकी ओर से कितनी राशियां केन्द्रीय सरकार को देय है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक शेष सम्पदा शुल्क की उगाही की व्यवस्थाका प्रश्न है उसके लिए कानून के सभी उपबंधो का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 1972–73 के लिए कर निर्धाताओं की संख्या में बता सकता हूं। यह संख्या 28225 है। इस 28225 में से कितनों ने अदायगी कर दी है तथा कितनों ने नहीं की है इस के आंकड़े मेरे पास नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी : वंशगत सम्पत्ति अनर्जित आय है। अनर्जित आय पर अर्जित आय की तुलना में अधिक आय कर देना पड़ता है। वंशगत सम्पत्ति, एक प्रकार से अनर्जित आय है। क्या सरकार इसे अनर्जित आय मानते हुए इस पर नियमानुसार आयकर लगायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : आयकर सम्पदा शुल्क से भिन्न है। यह सम्पत्ति न कि आय।सम्पत्ति से होने वाली आय पर आयकर लगता है। जब सम्पत्ति के एक हाथों से दूसरे हाथों में जाती है तब उसपर सम्पदा शुल्क लगता है जिसमें कि बढ़ती हुई सम्पत्ति के मूल्यों-नुसार निरन्तर वृद्धि की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि वंशगत सम्पत्ति पर लगने वाली आयकर के सभी सिद्धान्तों में समग्र रूप से परिवर्तन किया जाये।

संकट ग्रस्त चाय बागान

*557. **श्री टूना उरांव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुर्वोत्तर प्रदेश में बन्द पड़े चाय बागानों को खोलने और संकटग्रस्त चाय बागानों के कार्यों को नियमित करने के लिये सरकार द्वारा क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें पुनः सामान्य स्थिति में लाने के उद्देश्य से उनका समचित अभी-करणों के माध्यम से प्रबन्ध करने के संबंध में चाय अधिनियम में संशोधन करने की प्रस्थापनाओं पर सरकार विचार कर रही है।

Shri Tuna Oraon : By when the Government would take over the sick tea estate as it has done in the case of sick textiles mills by taking over them and running them. Would the Government take immediate steps in that regard ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है। संक्षेप में हम इस समय यही सोच रहे हैं।

Shri Tuna Oraon : The Scheduled castes and scheduled tribes labourers working in tea estates have no other means of livilihood. At present these tea gardens are closed May I know how many laborurers of these classes are idle and whether the Government would arrange for their livilihood ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब चाय बागान के अधिकार में लिए जाने के मामले पर विचार किया गया तब बागान अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में श्रमिकों को उपलब्धि का एक मामला भी विचाराधीन था। अन्य बातों क साथ यह भी सिफारिश की गई है कि जब इन बागाओं को चालू किया जाता है तब इन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये। निश्चय ही बागान में पुनः कार्य आरम्भ होने पर उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

Shri Tune Oraon : I had enquired whether the Government would arrange for the livelihood of these persons who have become jobless ? All these labouiers belong to scheduled castes and scheduled tribes. It is the resposibility of the Government to provide them with jobs.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार उनकी समस्या से भली प्रकार से परिचित है। सरकार का रवैया सहानुभूति पूर्ण है। इसलिए बागान के दुबारा चालू किये जाने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। परन्तु बहुत से बागान 10 से 15 वर्ष तक बन्द पड़े रहे हैं। जांच करने पर उनमें से अधिकांश दोबारा चालू करने के लिए अनुपयुक्त पाय गये हैं। इस प्रकार ऐसे बगानके श्रमिकों को जो 10–15 वर्ष से बन्द पड़े है, उसी प्रकार बेरोजगार नहीं माना जा सकता जैसे अभी अभी बन्द होने वाले बागान अथवा औद्योगिक कारखानों के बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को समझा जाता है। उनमें से अधिकांश ने अन्यत्र रोजगार ले लिया होगा। मैं पिछले एक दशक में बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या नहीं बता सकता। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि एक बार चाय बागान चालू हो जाते हैं तब उनके बेरोजगार श्रमिकों को पहले वापस ले लिया जायेगा ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है अथवा नहीं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बार बार प्रार्थना की है तथा उन्होंने चाय बागान के अधिकार में लिये जाने उसका राष्ट्रीयकरण के लिए एक प्रकार का निगम भी बना लिया है और यह प्रक्रिया पिछले लगभग 1 1/2 वर्ष से चल रही है। क्या यह भी सच नहीं है कि चाय बोर्ड का दृढ़ मत है कि संकटग्रस्त चाय बागान को अधिकार में लिया जाये और क्या यह भी सच नहीं है कि कलकत्ता के एक वाणिज्य फर्म डन्कन ब्रदर्स जिसके प्रमुख श्री आर० पी० गोयन्का, श्री के० पी० गोयन्का आदि है के हस्तक्षप के कारण राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को विलम्बित अथवा समाप्त कर दिया ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : किसी समय पश्चिम बंगाल सरकार ने एक दो चाय बागान को भारत रक्षा नियम के अधीन अधिकार में लेने की बात सोची थी। परन्तु यह भली प्रकार विदित है कि जब तक चाय बागान के अखिल भारतीय स्तर पर अधिकार में लिए जाने की नीति निर्धारित नहीं की जाती तब तक किसी भी राज्य के लिए उन्हें अधिकार में लेना बहुत कठिन होगा। जहां जब प्रबन्ध का प्रश्न है, आसाम सरकार ने कुछ चाय बागान का प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया है। यदि कोई राज्य सरकार, भले ही वह पश्चिम बंगाल हो अथवा कोई और कोई अपना ही निगम बना कर संचालन और प्रबंध की जिम्मेदारी ले लेती है, तो हमें कोई आपत्ति नही है। परन्तु इन सभी पहलुओं पर हमें अखिल भारतीय दृष्टि से विचार करना है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या चाय बोर्ड अधिकार में लिए जाने के पक्ष में है चाय बोर्ड को पता है माननीय सदस्य को भी पता है क्योंकि उनका बोर्ड से निकट का संबंध है कि चाय अधिनियम तथा अन्य कानूनों में संशोधन किये बिना, अधिकार में लेना सम्भव नहीं है। अतः माननीय सदस्य द्वारा उल्लीखित इस सभा द्वारा अथवा अन्य सदन द्वारा विलम्बित तथा समाप्त किए जाने की बात करना बहुत दुःखद तथा अनुचित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने आप को चाय बोर्ड में पूरी तरह विवश पाता है क्योंकि चाय बोर्ड के पास कोई शक्ति नहीं है। इसे स्वतंत्र, सांविधिक निकाय समझा जाता है। और बोर्ड में एकमत है कि संकटग्रस्त चाय बागान का राष्ट्रीयकरण किया जाये। पश्चिम बंगाल सरकार भी ऐसा करना चाहती है, परन्तु प्रो० चटटोपाध्याय तथा अन्य लोग इसमें बाधा डाल रहे है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय सहमत होंगे कि संकटग्रस्त चाय-बागान के अधिकार में लिए जाने से समस्या का वास्तविक समाधान नहीं होगा क्योंकि जब उक्त बागान सुचारु रूप से कार्य करने लगेंगे तो उन्हें मालिकों को वापस करना होगा। मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि वह चाय अधिनियम में उचित संशोधन करने की चेष्टा करेंगे ताकि राज्य सरकारों को चाय बागान को अधिकार में लिये जाने की शक्ति मिले।

क्या मैं जान सकता हूं कि चाय अधिनियम में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि राज्य सरकारों को यह शक्ति मिल जाय कि यदि वे आवश्यक समझते हैं तो चाय बागानों को अधिकार में लिए जाने की कार्यवाही कर सकें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अधिनियम में संशोधन करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। जैसा मैंने कहा हम इसी बातपर विचार कर रहे है जिससे केन्द्रीय सरकार को बागान के राष्ट्रीयकरण की तथा संकटग्रस्त बागान के दायित्व तथा अस्तियों की जांच की शक्ति मिल सकें। समाचार यह है कि इससे पूर्व कि हम कोई निश्चित विधान लायें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बहुत आवश्यक है अर्थात् हाथ में लिये जाने वाले बागान के दायित्व तथा उनकी अस्तियों के बारे में। अब यह जांच पडताल समाप्त हो चुकी है। विधान लानेके प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम निकट भविष्य में आवश्यक विधान ला सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि प्रारम्भिक जांच पड़ताल समाप्त हो चुकी है क्या वह हमें बतायेंगे कि क्या सरकार के विचार में संकटग्रस्त चाय बागान केवल वही बागान है जो बन्द हो चुके हैं अथवा वह इस में उन बागान को भी शामिल करते हैं जिनके आधे आधार पर, अर्थात वित्तीय अस्थिरता, पर्याप्त रूप से पुन: पौदे लगाने में असफल रहने अथवा दूसरे शब्दों में प्रबन्धकों की गलतियां आदि के कारण भी बन्द होने की शंका है। यह प्रश्न का पहला भाग है कि क्या संकटग्रस्त बागान का अर्थ केवल उन्हें बागानों से है जो बन्द हो चुके हैं अथवा क्या इन में वे भी शामिल है जिनके प्रबन्धकों की गलतियां के कारण बन्द होने की शंका है?

दूसरे क्या वह हमें बता सकते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर चाय में ऐसे कितने बागान है जोकि पहले ही बन्द हो चुके है अथवा जिनकी स्थिती खराब है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : संकटग्रस्त की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसा कि पटसन उत्पादकों के बारे में आपका रवैया है।

प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय : यदि कोई बागान गत पांच में से तीन वर्ष तक घाटा उठाता है, इसके अतिरिक्त दूसरी कसौटी यह है कि यदि किसी बागानों का उत्पादन उसी जिले के अन्य चाय बागान के औसतन उत्पादन का 25 प्रतिशत से भी कम है और तीसरे यदि कोई बागान संविधिक दायित्व पूरा नहीं करता है, तो उसे संकटग्रस्त समझा जाता है।

इन कसौटियों के आधार पर 43 बागान को संकटग्रस्थ पाया गया और जांच पड़ताल करने पर इनमें से 13 को ऐसी स्थिति में पाया गया जोकि ठीक नहीं हो सकती और शेष 30 को हम अपने हाथों में लेने पर विचार कर रहे हैं। सरकार को इसके लिए 8 से 10 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे और हम कुछ बागान को शीघ्र तथा कुछ को बाद में अपने हाथों में लेने पर विचार कर रहे हैं। आरम्भ में हमें 2 से 3 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय सदस्य द्वारा किया गया प्रश्न तथा माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कूल स्पष्ट है। माननीय मंत्री ने संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े कुछ बागानों के आंकड़े दिये जो कि लगभग 43 है और इनमें से कुछ अनेक वर्षों से बन्द पड़े हैं। क्या यह सच नहीं है कि यदि समूचे भारत को ध्यान में रखते हुए चाय बागान की स्थिति को देखें तो हमें पता लगेगा कि अलाभप्रद बागान अनेक है जिन पर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जोर दिया था मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने अलाभप्रद चाय बागान की क्या परिभाषा रखी है? देश में अलाभप्रद चाय बागान की संख्या लगभग 10 प्रतिशत है। यदि यह ठीक है तो क्या सरकार पूरा बागान के साथ साथ इन अलाभप्रद बागानमें सुधार के लिये कुछ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

दूसरे लगभग 9 महीने पूर्व कार्मिक दल (टास्कफोर्स) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अधिनियम के संशोधन में असाधारण रूप से इतना अधिक समय क्यों ले रही है?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बताया कि कार्मिक दल (टास्कफोर्स) द्वारा संकटग्रस्त बागान के लिए क्या कसौटी स्वीकार की गई है। श्री चौधरी ने अलाभप्रद बागान का उल्लेख किया है। चाय बोर्ड पर एक परिपत्र अथवा प्रश्नावली जारी की जिसमें चाय बागान से उनकी आर्थिक स्थितिके बारे में जानकारी मांगी गयी थी अनेक चाय बागान ने जिनका कुल क्षेत्रफल 23,033 हैक्टर अर्थात् कुल बागान का 8 प्रतिशत है। अलाभप्रद होने का दावा किया था। उन्होंने कुछ वित्तीय लाभ उठाने के लिए स्वयं को अलाभ-प्रद बताया और इन्होंने अपने दावे भेजे परन्तु हम उन्हें अलाभप्रद नहीं समझते और हम मामले की जांच कर रहे हैं।

यह ठीक है कि कार्मिक दल ने अपना प्रतिवेदन 8 अथवा 9 महीने पूर्व प्रस्तुत कर दिया था। इस मामले की जांच कर रहे है और एक तीन सदस्यीय समिति मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। हम आई० आर० सी० आई० में भी कुछ धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन बागान को कुछ सहायता का संकेत ऐसा नहीं है कि हम मामले पर सो रहे है। हम मामले पर सक्रिय रूपसे विचार कर रहे हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए सांविधिक नियम

***558. श्री वसन्त साठे :**
श्री धामणकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधीनस्थ बैंक अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद स्टेट बक आफ इंडिया के अधीनस्थ बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें को विनियमित करने के लिये कोई सांविधिक नियम नहीं बनाये गये है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यवेक्षी कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा से वंचित करने के लिए निदेशक बोर्ड ने अधिनियम की उपबन्ध की थी; और

(घ) उत्पीडन के विरुद्ध पर्यवेक्षी कमचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अनुषंगी बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 50(1) के साथ पठित 11(1) द्वारा विनियमित होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि चूंकि ये शर्तें सभी अनुषंगी बैंकों में एक समान नहीं है इसलिए वह अनुषंगी बैंकों के 'अखिल भारतीय अधिकारी संघ" के साथ विचार विमर्ष कर रहा है ताकि भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 के अधीन एक समान विनियम बनाए जा सकें।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अनुषंगी बैंकों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए जो अनुशासनात्मक क्रियाविधियां हैं वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरुप हैं।

श्री वसंत साठे : जैसा कि माननीय मंत्री जानते है स्टेट बैंक आफ इंडिया सबसीडियरीज। 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत एक उपबन्ध है कि स्टेट बैंक को, रिजर्व बैंक की स्वीकृति से, सहायक बैंकों के लिए अधिनियम के अनुरूप नहीं, नियम बनाने चाहिये और इस प्रकार बनाये गये नियमों में सभी मामलों के लिए व्यवस्था होनी चाहिये जिनके लिए व्यवस्था करना आवश्यक है अथवा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

इस अधिनियम का जोकि 1959 में पास हुआ था, 14 वर्ष हो चुके हैं स्टेट बैंक के सहायक बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर इत्यादि बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सेवा शर्तों अर्थात् नियुक्ति, नौकरी में निकाला जाना, बर्खास्त किया जाना अनुशासन का कार्यवाही इत्यादि के लिए कोई नियम अथवा विनियम नहीं बनाये गये हैं। अत: इस समय यदि, प्रबन्धकों की इच्छा पर कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तो यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि इस मामले में किसी नियम प्रार्थना विनियम का पालन किया गया है अथवा नहीं। वे केवल नियम 11 आदि के अन्तर्गत दिये गये प्रशासनिक अनुदेश का ही हवाला देते हैं। यह कहीं भी नहीं है। नियम जोकि अनुदेशात्मक और सांविधिक है, न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं आपसे सहमत हूं। धारा 63 के अन्तर्गत सेवा शर्तों के अतिरिक्त विभिन्न मामलों के लिए विनियम बनाये गये हैं। अन्य सभी मामलों का इनमें लिया गया है। परन्तु प्रश्न सेवा शर्तों के बारे में है विशेषकर इसका संबंध स्टेट बैंक में है वास्तव में आठ यूनिट हैं और बीकानेर और जयपुर इसमें हैं। सात "सबसीडियरीज" हैं। जब उनका राष्ट्रीकरन किया गया तो वहां उपलब्धियां के बारे में दशा भिन्न थी। जब समान वेतनमान की बात होती है तो वास्तव में मांग पहले ऊंचे वेतनमान की होती है और फिर उसे एक समान करने की यह वास्तविक कठिनाई है जिससे प्रशासन का व्यय असाधारण रूप से बढ़ जाता है। इस लिए मामले को अब लिया गया है और इसपर चर्चा की गई है और कुछ ड्राफ्ट नियम बनाये गये है जिन्हें आल इण्डिया अफिसर्स एसोसिएशन को भेजा गया है। ईस पर चर्चा हो रही है। आशा है कि बहुत जल्दी इसको अंतिम रूप में दिया जायगा और विनियम पास कर दिय जायेंगे। परन्तु ऐसा नहीं कि इन सात यूनिटों के लिए कोई नियम और विनियम ही नहीं है। उनके पास उनके अपने मूल सेवा विनियम हैं। उनका पालन किया जा रहा है। यह ठीक है कि वे समान नहीं है परन्तु फिर भी वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरुप हैं। अत: वे अपनी इच्छा से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। विद्यमान विनियमों में ऐसी कुछ शर्तें है जिनके अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री वसंत साठे : माननीय मंत्री ने अभी जो कहा कि यद्यपि कोई विशिष्ट नियम नहीं है तथापि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है इस के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने पिछले वित्त मंत्री का ध्यान एक विशिष्ट मामले की और दिलाया था जिस में आरोपपत्र देने, कोई जांच करने जैसे उचित न्याय सिदान्तों का पालन नही किया गया था। क्या निदेशक मण्डल के अधिनियम के उपबन्धों को जो कि उसने क्षेत्राधिकार में थे, उपेक्षा की थी।

यदि संसद सदस्य उचित न्याय के सिद्धान्तों के उलंघन का कोई विशिष्ट मामला मंत्री महोदय के ध्यान में लाता है तो क्या उसे सामूली समझा जाना चाहिए और क्या इसके स्टेट बैंक के चेयरमैन को यह राय, इससे उसकी स्थिति खराब होती है, को स्वीकार किया जाना चाहिये। संसद सदस्य को यह उत्तर दिया गया है कि खेद है इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यद्यपि राज्य वित्त मंत्री इस बात में संतुष्ट थे कि इस मामले में उचित न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। क्या यदि मैं आप का इस बारे में विश्वास दिलाऊं तो आप इस मामले पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे से पहले के मंत्री को पत्र लिखा गया था और उन्होंने सार रिकार्ड मंगाया था तथा उसका अध्ययन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। मैंने भी दस्तावेजों को पढ़ा है और मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इसी लिए मैंने माननीय सदस्य को लिखा है कि इस मामले में और अधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि हम माननीय सदस्य से सहमत नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमने मामले को मामूली तौर पर लिया और यदि हम माननीय सदस्य से सहमत है तो हम ने मामले को गंभीर रूप से लिया है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिये। हमने मामले के तथ्यों को देखा है। इस प्रश्न का इस सभा में पहले भी उठाया गया था। अतः यह ऐसा प्रश्न नही है जिसको कि सरकारी तौर पर लिया गया है। हमने इस मामले पर काफी गम्भीरता से विचार किया है और जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध थे उन की आधार पर मैंने माननीय सदस्य को लिखा था कि इस मामले में और अधिक कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री वसंत साठे : वित्त राज्य मंत्री श्री गणेश ने मामले की जांच की थी। उन्हें ऐसा करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा था और उन्होंने कहा था कि उचित न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन हुआ है। अब माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि पिछले मंत्री संतुष्ट थे कि उचित न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने भी कहा है कि मैंने मामले के तथ्यों को देखा है और मेरा निर्णय यह है कि मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और मैंने यही बात माननीय सदस्य को लिखी है। हो सकता है वह मुझ से सहमत न हो। ऐसा उनको अधिकार है।

श्री वसंत साठे : आप ने यह नहीं कहा कि मैं आप को संतुष्ट करूंगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह एक व्यक्तिगत मामला है।

श्री वसंत साठे : मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैंने एक वास्तविक मामले की ओर आपका ध्यान दिलाया है। यदि आप संसद सदस्य की बात नहीं सुनते और स्टेट बक के चेयरमन पर अधिक विश्वास करते हैं तो सदस्य का क्या महत्व है ?

श्री धामनकर : स्टेट बैंक के लिए यह बात बहुत ही अनुचित है कि उन्होंने इस मामले को लटकाये रखा। गत पन्द्रह वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को उनके आय पर छोड़ रखा है। उनको उचित न्याय से वंचित रखा है। कोई नियम अथवा विनियम नहीं है। उचित न्याय के उल्लंघन के मामले भी हुए है। अनुशासन बनाएं नहीं रखा गया है। कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया है, उनको अवनति की गई है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ...

अध्यक्ष महोदय : आपके विचार चाहे जो भी हों आप प्रश्न पूछिये।

श्री धामनकर : स्टेट बैंक आफ इण्डिया आल इण्डिया अधिकारी एसोसिएशन के साथ चर्चा में कितना लेगा जिसकारण पर्यवेक्षी कर्मचारियों को उच्च अधिकारोयों की दया पर छोड़ रखा है? वहां कोई उचित न्याय नहीं है। मैं विशिष्ट प्रकार चाहता हूं कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया अपने सहायक बैंकों के लिए नियमों तथा विनियमों को अन्तिम रुप देने में कितना समय लेगा। इस बात का स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैंने पहले पत्र दिया है कि ड्राफ्ट नियम तैयार कर लिये गये हैं और उनको टिप्पणो के लिए ऑल इण्डिया आफिसर्स एसोसिएशन के पास भेजा गया है। उनकी टिप्पनो के आधार पर हो हम इन को अन्तिमरूप देंगे। मुख्य प्रश्न वेतनमान के बारे में है कि क्या उन्हें अधिक वेतनमान दिया जाये और यदि हां तो क्या यह सभो सहायक बैंकों पर लागू हो अथवा हमें कुछ बोच का मार्ग अपनाना चाहिए यह विचाराधीन है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दो इन्हें अन्तिमरूप दिया जायेगा।

श्री धामनकर : मैं विशिष्ट रूप से जानना चाहता हुं कि क्या अगले बजट सत्र से पूर्व इन्हें अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है अथवा नहीं कि सहायक बैंको के ग्रेड दो के अधिकारी वेतनमान का अधिकतम वेतन लेने पर और जिस पर वे लगभग 20 वर्ष की सेवा के पश्चात पहुंचते है, अपने नीचे काम करने वाले क्लर्कों से कम वेतन पाते है और वे इससे भी कम वेतन पाते हैं जो उन्हें तब मिल रहा होता यदि उन्होने ग्रेड दो में पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया होता और इस लिए स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा सहायक बैंको के ग्रेड दो के अधिकारियो जिनकी संख्या लगभग 3500 है, शान्तिपूर्ण काम में बिना बाधा डाले सांविधिक ढंग से और उपभोक्ताओं को असुविधा पहुंचाए बिना 10 दिसम्बर 1974 से आन्दोलन आरम्भ कर दिया है और यदि हां तो सरकार स्टेट बैंक आफ इण्डिया के इस सहायक बैंक के ग्रेड दो के अधिकारियों की लम्बी अवधि में चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह एक विशेष बैंक के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न है, मैं एक विशेष बात के बारे में तुरन्त उत्तर नही दे सकता। उन विभिन्न यूनिटो के लिए पृथक पृथक नियम तथा विनियम है। निःसन्देह इनमें कुछ विषेशतायें हैं। इसलिए हम सभी यूनिटो पर लागू होने वाले समान नियम एवं विनियम बनाकर उन्हें नियमित करना चाहते हैं तथा नियमों एवं विनियमों का प्रारुप पहले ही तैयार किया जा चुका है और इस बारे में शोघ्र ही निर्णय किया जायेगा। उस आधार पर जो कोई विषमताएं हैं, जो कोई अन्याय हो रहे हैं, उन्हें दूर किया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मैं वित्त मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसकी शाखाओं को ऐसा कोई परिपत्र भेजा है जिसमें कहा गया हो कि संसद सदस्य अभ्यावेदन नहीं भेज सकते हैं ? मैं इस किसी परिणाम के रूप में नहीं बता रहा हूं। मैं ऐसे सेकड़ो उदाहरण दे सकता हूं जिनमें अधिकारी, प्रबन्ध, प्रबन्ध निदेशक और चेयरमैन कनिष्ठ अधिकारियों से कहते रहे है कि, "यदि आपको संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन मिले तो उसे हमारे पास भेजो"। उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिये ? क्या वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय का यही विचार है की संसद सदस्य के साथ ऐसा बर्ताव किया जाये? सैकड़ो मामले उनके ध्यान में लाये जा सकते हैं। क्या उन्होने ऐसे कोई अनुदेश जारी किये हैं? स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसकी शाखाओं में ऐसा क्यो हो रहा है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दे सकता कि क्या ऐसा कोई परिपत्र जारी किया गया है या नहीं ? मैं इस मामले की आवश्य जांच करुंगा और यह सुनिश्चित करुंगा कि किस प्रकार का परिपत्र जारी किया गया है और क्या माननीय सदस्यों के साथ इससे कोई अन्याय होता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने इस प्रश्न को सोमवार 16 तारीख को विस्तारपूर्वक उठाया था और स्टेट बैंक आफ इंडिया की सात शाखाओं के इन अधिकारियों की विभिन्न प्रमुख समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। यह ठीक है कि इन शाखाओं के भिन्न नियम और पृष्ठ भूमि है परन्तु तथ्य यह है कि इन शाखाओं के लगभग 5000 अधिकारियों की अनेकानेक प्रमुख समस्याएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि सभा में मेरे द्वारा मांग किये जाने के बावजूद सोमवार से शुक्रवार तक कुछ नहीं हुआ है। अब क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ये अधिकारी जो संख्या में लगभग 5000 है, केवल एक साधारणसी मांग के लिये ग्राहकों की सेवा में विघ्न डाले बिना और बिना किसी आन्दोलनकारी या हिंसक दृष्टिकोण के इस महीने की 10 तारीख से शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इन शाखाओं के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक इन प्रमुख समस्याओंका समाधान करने की दृष्टि से उनके साथ गंभीर वार्ता आरंभ करें। अधिकारियों के इस अनुरोध को पूरा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यही प्रश्न पहले भी किया गया था परन्तु माननीय सदस्य ने यह प्रश्न अपनी ही शैली में पूछा है और मैं इस बात पर सहमत हुं कि यह शैली स्वीकार्य है। मैं इस विशेष शाखा के बारे में इसी समय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु जिस ढंग से उन्होने यह आन्दोलन आयोजित किया है, उसकी मैं सराहना करता हुं, यदि यह बात सही है कि वह आन्दोलन ग्राहकों की सेवा में बिना किसी हस्तक्षेप के किया जा रहा है। यह ऐसा उदाहरण हो सकता है जिसे अन्य मजदूर संघ अपनायें परन्तु उसके अतिरिक्त यदि कुछ शिकायतें हैं, तो मैं अवश्य उनकी जांच करुंगा। यदि ऐसा आन्दोलन चल रहा है तो मैं यह सुनिश्चित करुंगा कि इसमें कैसे सुधार किया जाये।

Shri Darbara Singh : Sir, every hon. Minister replies to the letters written to him by the hon. Member of Parliament but why are the representations of Members of Parliament submitted to the Officers of banks are thrown into waste paper bakskets ? It is contempt, they say that they will not reply to the representation of the Members of Parliament nor any rules and regulations are applicable to them. They continue to recruit their kith and kin, what is all this going on ?

श्री पीलू मोदी : उनसे पूछिये कि स्टेट बैंक में कितने सुब्रहमण्यम् हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न से कई धारणाएं बनती हैं कि वे माननीय सदस्य के अभ्यावेदनों को किसी अवमान के रुप में लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह सच नहीं है।

श्री दरबारा सिंह : यह सच है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसके बारे में मैं कोई स्पष्ट बात कहूं, इससे पहले मुझे इस मामले की जांच करने दीजिये। जहां तक दूसरे सुझाव का संबंध है, माननीय सदस्यों के अभ्यावेदनों के संबंध में मै स्थिति की जांच करुंगा कि क्या वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है। म समूचे मामले की जांच करुंगा और माननीय सदस्यों को जानकारी दूंगा।

प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों को सहायता

559. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों और सूखे के परिणामस्वरूप मजबूरी में बड़े पैमाने पर लोगों के गांवों से कस्बों और नगरों में आने और भूख से हुई मौतों के समाचारों को देखते हुए सरकारने एक बार अपवाद स्वरूप छठे वित्त आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित न करने का फैसला किया है कि राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं का खर्च स्वयं पूरा करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन किन राज्यों को केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता प्राप्त हुईं है तथा उन्हें कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) दैवी विपत्तियों के कारण होने वाले आवश्यक व्यय के लिए राज्यों को आयोजना-भिन्न केन्द्रीय सहायता देने की पहलेकी योजना को छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चालू वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। मौजुदा नीति के अनुसार, जहां अत्यावश्यक होगा वहां राहत कार्यों के व्यय के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाएगा और यह सहायता केवल अग्रिम आयोजना-गत सहायता के रूप में अथवा सूखे की सम्भावना से ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, आदिम-जाति विकास आयोजना के लिए की जाने वाली व्यवस्था आदि के अन्तर्गत दी जाएगी। इस नीति का उल्लंघन किये जाने की सम्भावना नहीं है। सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित राज्यों को चालू वर्ष में आयोजना के अन्तर्गत इस तरह की अग्रिम सहायता देने के प्रश्न पर संबद्ध राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए सूखा और बाढ़ों का प्रतिवर्ष बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यद्यपि ऐसी स्थिति से निपटने के लिये मानव स्वभाव की सहज क्षमता है तथापि यह स्थिति सैद्धान्तिक प्रतीत हो सकती है परन्तु तथ्य यह है कि विपत्ति का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार और मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या उन्होंने समूचे देश में इस विपत्ति की व्यापकता का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो मानव जीवन और अन्य सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है ? क्या सरकार जीवन और सम्पत्ति की इन हानियों एवं उनकी अत्याधिक व्यापकता को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी सहायता की आवश्यकता है, वहां सहायता पहुंचा कर छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के क्षेत्र के अलावा कार्य करना उचित समझेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : छठे वित्त आयोग ने सूखे और बाढ़ की इस समस्या की जांच की थी, विशेषकर कुछ वर्ष पहले अनुभव के आधार पर जब बाढ़ और सूखा राहत कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये थे परन्तु उस खर्च से कोइ अस्तियां तैयार नही की गइ इसलिए छठे वित्त आयोग ने एक विशेष शिफारिश की थी कि चाहे सूखा राहत हो या बाढ़ राहत परन्तु इसे योजना में पहले से जो कार्यक्रम हैं उसके संदर्भ में होना चाहिये और यदि कोई आवश्यकता हो तो योजना कार्य-क्रमों के क्रियान्वयन के लिये अग्रिम राशि दी जा सकती है, योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये। हां, यदि असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां ये सब प्रावधान पर्याप्त नहीं होंगे, तो हम यह नहीं कहते जा रहे हैं कि चूंकि छठे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है, इसलिये हम इस पर ध्यान नहीं देंगे चाहे मानव संकट कितना ही अधिक क्यों न हो। सौभाग्यवश, इस वर्ष इसे वित्त आयोग को सिफारिशो में रखा जाना संभव हो सकता हैं। विभिन्न दलों ने सूखा और बाढ़ ग्रस्त राज्यों का दौरा किया है और उन्होने प्रतिवेदन दिये हैं तथा उन प्रतिवेदनों को राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दिया गया है और वार्ता भी हुई है तथा इस महीने के अन्त तक सिफारिशों के आधार पर . . . **(व्यवधान)**

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया है। स्थिति की अत्याधिक व्यापकता तथा कुछ राज्यों में जो दैवी प्रकोप हुआ है, उसे देखते हुए मंत्री महोदय क्या सहायता देने जा रहे हैं ? इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय उन सभी राज्यों और जिलों के नाम बतायेंगे ? हम कहते रहे हैं कि दैवी प्रकोपों से बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले तथा बहुत से अन्य जिलों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूखा तथा बाढ़ से अनेक जिलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जिन राज्यों में हमने दल भेजे वे ये हैं, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मिर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मनीपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

पश्चिमी बंगाल। केन्द्रीय दलों ने मूल्यांकन किया है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श पूरा हो चुका है और अब हमें सक्रिय निर्णय लेने है कि क्या इस स्थिति से निपटने के लिये योजना नियतन से अग्रिम राशियां दी जा सकती हैं।

श्री पीलू मोदी : मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय समझते हैं कि सूखा राहत और बाढ़ राहत को योजना कार्यक्रम का अंग होना चाहिये और न कि एक मानव समस्या, लोगों को जीवित रखना बहुत कठिन हो रहा है और इस कार्य के लिये धन की आवश्यकता है। यदि मंत्री महोदय अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, मैं उनसे सहमत हूं कि उन्हें योजना को लागू करना चाहिये परन्तु अपेक्षित राहत के लिये देने को धन कहां है **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस बात से सहमत हूं कि वित्तीय संसाधनों के बिना कोई काय आरंभ नहीं किया जा सकता और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है परन्तु वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जायेगा? उसका उपयोग केवल उन्हें योजना परियोजनाओं पर किया जाता है जिन्हें योजना में शामिल किया गया है बस . . . **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी : इसके लिये धन नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

***560. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री आयकर अधिकारियो द्वारा छापों के बारे में 30 अगस्त 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सम्पत्ति तथा नकद राशि का ब्यौरा क्या है जो कलकत्ता में (एक) मेसर्स जिन्दल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड; (दो) मैसर्स जिन्दल पाईप्स ; (तीन) श्री डी० एस० जिन्दल; (चार) श्री एस० आर० जिंदल; (पांच) बी० सी० जिन्दल; और दिल्ली में जिन्दल ग्रुप के भवनों पर मारे गये छापों के दौरान पकड़ी गई थी ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट आरोप हैं ;

(ग) इस संबध में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या जिन्दल ग्रुप के श्री बी० सी० जिन्दल मारुति लिमिटेड, हरियाणा के एक प्रमुख अंशधारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) जून 1974 में आय कर अधिकारियों द्वारा जिन्दल समूह के मामलों में तलाशियां ली गयी थीं। विभिन्न मामलों में बहीं खातों तथा दस्तावेजों के अतिरिक्त मुल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थीं। जिन

मामलो में मूल्यवान परिसम्पत्तियों पकड़ी गयी हैं उन में आवश्यक छानबीन करने के बाद, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें बही खातों की प्रारम्भिक जांच करना, अघोषित आय का सरसरी तौर से अनुमान लगाना, पकड़ी गयी परिसम्पतियों में से कर–देयता की सीमा तक की परिसम्पत्तियों को रोकना जैसी कार्यवाहियां भी शामिल हैं। इस समूह के विभिन्न मामलों में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों, धारा 132(5) के अन्तर्गत निश्चित की गयी अघोषित आय और उसके परिणाम स्वरुप रोक रखी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8856/74**]

इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ विशिष्ट आरोपों को बताना इस स्थिति में समयपूर्व होगा। प्रथम दृष्ठ्या, इस समूह के सदस्य प्राप्तियों को कम बताने, लेखाबाह्य खर्चा करने तथा अघोषित परिसम्पत्तियों को कब्जे में रखने में ग्रस्त पाये गये हैं।

नियमित कर निर्धारणों को पूरा करने के लिए और आगे जांच पड़ताल की जा रही हैं।

प्रभावी जांच–पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए इस समूह के मामलो को, जिनका पहले कर निर्धारण कलकत्ता तथा दिल्ली में किया जा रहा था, अब आयकर आयुक्त, दिल्ली (सेन्ट्रल) के अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीकृत कर दिया गया है। इस समूह के अन्य मामलों को भी, जो फिलहाल आयकर आयुक्त, पटियाला के अधिकार क्षेत्र में हैं, दिल्ली में ही केन्द्रीकृत किया जा रहा है।

(घ) हरियाणा में कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास 1 जुलाई 1974 तक दायर की गयी विवरणियों के अनुसार श्री बी० सी० जिन्दल के पास मारुति लि० के दस दस रु० के 12,500 सामान्य शेयर हैं।

***561. Shri Madhavrao Scindia :**

Shri R. P. Sharma :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of rice and sugar exported during the last three years respectively indicating the names of the countries and the rates at which these were exported as also the dates on which these were exported to each of these countries;

(b) whether these consumer commodities are in short supply in the country;

(c) if so, the extent to which they are in short supply and the market price thereof at present; and

(d) the justification for exporting these consumer commodities at cheap rates?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Datewise export to statistics are not maintained. The quantities of rice exported during 1972-73 and 1973-74 were 22,919 and 14,822 tonnes respectively. The provisional figure of exports of rice during 1974-75 upto 15-12-74 is 22,822 tonnes. The main countries to which these exports were made were the Gulf countries, the U.K., Singapore, Hongkong and Japan.

The exports of sugar during 1972 & 1973 were 0.99 and 1.95 lakh tonnes respectively. The provisional figure of export during 1974 up to 15-12-74 is 4.30 lakh tonnes. The U.S.A., U.K., Canada, Malaysia and Gulf countries, Bangladesh and Iran were the main buyers of our sugar. The rates at which these export were made were comparable to the international price prevalent at that time.

(b) to (d) Only superior quality of Basmati Rice in small quantities is exported, in view of the handsome export earnings, Export of the order of 20/25000 tonnes does not have any impacton the availability or price levels of rice in the internal market in the context of our annual production of over 40 million tonnes. Export of rice is not made at price levels lower than the best available international price.

Exports of sugar are made consistent with ensuring the availability of a reasonble minimum quantity for domestic consumption. Export of sugar every year is made to earn the much needed foreign exchange and the sales are made at levels comparable to the prices prevalent in the international sugar market from time to time.

गांवों में लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये निदेश

***562. श्री एम० एस० पुरती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रियकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने की दृष्टि से गांवों के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध हों ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ग्रामवासियों को बैंक संबंधी सुविधायें सुलभ कराने और कृषोकों, शिल्पकारों, दस्तकारों, छोटे उद्योगकर्ताओं, छोटे खुदरा व्यापारियों आदि जैसे छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से कम–बैंक–वाले क्षेत्रों में शाखा तंत्र को फैलाना, राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मूलभूत उद्देश्य रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग उद्योग की व्याप्ति को व्यापक बनाने के लिए दीर्घकालीन शाखा–विस्तार कार्यक्रम के आयोजन, छोटे ऋणकर्ताओं के अनुकूल विशिष्ट योजनाओं के विकास, पत्रको एवम् प्रणालियों के सरलीकरण, जमानत विषयक मानदण्डों में परिवर्तन, गहन–व्याप्ति के लिए क्षेत्रोन्मुखता के अंगीकरण, बहुसेवा–अभिकरणों (मल्टी सर्विस–एजेंसीज), कृषि–विकास–शाखाओं जैसे विशेषज्ञ अभिकरणों की स्थापना, कृषकों को बैंक–ऋण सुलभ बनाने के प्रयोजन से आवश्यक विधायी एवम् प्रशासनिक उपचार, क्षेत्र विशेष के लिए ऋण आयोजनाओं की रचना और राज्य सरकारों से प्रभावकारी सम्पर्क तथा सरकारी अभिकरणों द्वारा बनाये गये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों जैसे लघु कृषक विकास अभिकरण (स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी– एस० एफ० डी० ए०) सीमान्तिक कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरण (मार्जिनल फारमर्स एण्ड एग्रीकल्चरल लेबर्स एजेंसी— एम० एफ० ए० एल० ए०), लघु सिंचाई योजनाओं आदि में भागीदारी के द्वारा ये लक्ष्य बैंको द्वारा काफी हद तक पूरे कर लिए गए हैं। जनता के सबसे गरीब वर्ग तक पहुंचने के उद्देश्य से 274 पिछड़े हुए और एस० एफ० डी० ए० / एम० एफ० ए० एल० ए० वाले जिलों में एक विशेष 'विभेदी ब्याजदार योजना' कार्यान्वित की जा रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक–सुविधाओं की व्याप्ति और वहां के लोगों द्वारा ऋण–प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । तथापि, बैंकों के समक्ष संगठनात्मक एवम् अन्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषक सेवा–समितियो जैसे स्थानीय संस्थानों की स्थापना और इस प्रकार के मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से रैयत को बैंक–ऋण का संवितरण जरुरी होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक–सुविधाओं का विस्तार और अधिक तेजी से हो सके। इस दिशा में प्रगति तेज करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के वास्ते सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को समय–समय पर सलाह देते रहते हैं।

निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

***563. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने संबंधी कोई योजना बनाई है ताकि इन निर्यातकों को औद्योगिक उत्पादन पर विद्यमान दबावों से मुक्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1974-75 की रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति में एक विशिष्ट उपबन्ध रखा गया है जिसके द्वारा ऐसे निर्यातक, जो उन उत्पादों का निर्यात करते हैं जिन पर आयात प्रतिपूर्ति एफ० ओ० बी० मूल्य के 50 प्रतिशत से कम है, ऐसे निर्यातों के आधार पर देय सामान्य आयात प्रतिपूर्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि की अतिरिक्त आयात प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। निर्यातक रजिस्टर्ड निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत अपने लाइसेंसों के मूल्य के 10 प्रतिशत तक मूल्य का उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित फर्नेस आयल के आबंटन के लिए भी कर सकते हैं।

धवन समिति का प्रतिवेदन

***564. श्री नरेन्द्रकुमार सांधी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो विमान की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 1973 में धवन समिती नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या इस समिति के प्रतिदन के निष्कर्षों के वेमिलने में विलंब के कारण देश में एवरों विमान का उत्पादन और इंडियन एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना जैसी सरकारी, विमानन एजेंसियों को इसकी उपलब्धि में भारी रुकावट रही है ; और

(ग) प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग) अप्रैल, 1973 में नियुक्त की गयी डा० एस० धवन वाली एक-सदस्यीय एवरों मूल्यांकन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। क्योंकि मूल्यांकन में काफी सारे उड़ान परीक्षण तथा विश्लेषण सम्मिलित हैं, अतः समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगगा। समिति रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्रता से अंतिम रूप प्रदान करने के भरसक प्रयत्न कर रही है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर, द्वारा इंडियन एयरलाइन्स को सप्लाई करने के लिए निर्मित सात एच० एस० 748 विमानों के सामने निर्दिष्ट निष्पत्ति-मानकों की पूर्ति के संबंध में कुछ समस्याएं उपस्थित हुई हैं। धवन समिति मूल्यांकन परीक्षण (इवेल्यूएशन ट्रायल्स) कर रही है तथा इंडियन एयरलाइन्स को किए जाने वाले इन सात विमानों के वितरण संबंध में निणय इन परीक्षणों के आधार पर सही-सही कारणों के निर्धारित किये जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

जहां तक भारतीय वायु सेना का संबंध है, उनके आदेशों (आर्डरों) के अनुसार उसे इन विमानों की डिलीवरी की जा रही है।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

***565. श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में पांचवीं योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नयी शाखायें खोलने का विचार है ?

3—46 LSS(ND)/74

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : शाखा विस्तार कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक बैंक तीन वर्षों की रोलिंग योजनाएं बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आजकल बैंक 1975–77 की तीन वर्षों की अवधि के लिए शाखा–विस्तार की अपनी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। रिजव बैंक ने यह भी सूचित किया है कि सितम्बर, 1974 के अंत तक पंजाब में शाखाएं खोल ने के लिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 67 लाइसेंस / आबंटन पत्र थे।

गुजरात में छापे

***566. श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में गुजरात में अहमदाबाद तथा अन्य नगरों में व्यक्तियों और फर्मों के व्यापारिक स्थानों और निवास स्थानों पर आयकर अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गये ;

(ख) उन व्यक्तियों फर्मों के नाम क्या हैं और उन छापों के दौरान कितनी राशि, बहुमूल्य वस्तुएं जब्त की गई ; और

(ग) क्या उक्त व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सितम्बर अक्तूबर, और नवम्बर, 1974 के महीनों में गुजरात में आय–कर अधिकारियों दवारा जिन 166 व्यक्तियों/फर्मों के परिसरों की तलाशियें ली गया उनके नाम और इन तलाशियों के कारण पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मुल्य, एक विवरण–पत्र में दिया गया है, जिसे सदन–पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8857/74]**

(ग) पकड़ी गयी सामग्री की छानबीन की जा रही है। चार मामलों में, कुल 19,02,739 रु० की अघोषित आय का अनुमान लगाने और 13,47,938 रु० की परिसम्पत्तियो को रोक रखने के बारें में आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये हैं। जिन अन्य मामलों में बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी हैं, उनके बारे में आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरु कर दी गयी है और इनके पकड़े जाने के 90 दिन के अन्दर आदेशजारी कर दिये जायेंगे। जहां आवश्यक होगा, वहां, कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित आगे कार्यवाही की जायगी जिसमें दण्ड लगाना और इस्तेगासे की कार्यवाही करना भी शामिल है।

Pending Pension Cases in A. G. C. R.

***567. Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of pension cases pending in the office of Accountant General of Central Revenues ;

(b) the years to which these cases pertain to indicating the number of cases pending year-wise ;

(c) the number of cases in which the incumbents died before getting the pension and what arrangements have been made for its payment to their dependents ; and

(d) whether definite arrangements are proposed to be made to ensure that the pensioners start receiving their pension within three months of their retirement

The Minister of State in the in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Excluding the cases where revision of pension has been necessitated consequent on Government's orders liberalising pension benefits on the basis of THIRD PAY COMMISSION'S recommendations, 33 cases are pending settlement at present out of those received in the office of the Accountant General Central Revenues upto 15th November, 1974.

(b) 1973 . . 2

1974 . . 31 (24 cases pertain to the period January to September, 1974 and 7 to the period October to 15th November, 1974)

(c) 4 (these are cases in which the persons died while in service. They are being processed by the Accountant General Central Revenues. Payments will be made to the dependents as soon as these are finalised).

(d) A number of procedural improvements have been made in the rules with the object of expediting sanction of pension *e.g.* preparation of pension papers one year in advance of retirement, verification of service after completion of 25 years' service, varification of service based on collateral evidence, where necessary, in the absence of relevant records etc. Where, in spite of these measures, some delay is still anticipated in the sanctioning of pension, rules also provide for the payment of provisional pension and three-fourth of the admissible gratuity on the basis of summary calculations.

कर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

***568. श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर अपवंचन को कम से कम करने हेतु आय-कर प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का है ;

(ख) क्या हमारे देश में करदाताओं की संख्या मुश्किल से 5 से 10 प्रतिशत तक के बीच है ; और

(ग) यदि हां तो क्या आजकल की आयकर पद्धति का सिद्धान्त "जितना अधिक कमाओगे उतना अधिक गमाओगे" कर-अपवंचन को प्रोत्साहन देता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन कानून और कार्यविधियों को युक्तिसंगत और गतिशील बनाने के निमित्त हाल ही में बहुत से विधायी उपाय किये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं:—

(i) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 के द्वारा, आय कर अधिनियम के अधीन सरसरी तौर पर कर-निर्धारण करने की कार्यविधि लागू करना।

(ii) वेतन-भोगी कर-दाताओं के मामले में, यात्रा, पेशों पर कर, पुस्तकों आदि पर व्यय के संबंध में आय कर अधिनियम की धारा 16 अधीन अलग-अलग घटौतियों के स्थान पर वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा एक मानक घटौती प्रतिस्थापित करना।

(iii) वेतन. द्वारा 18,000 रु० से नधिक और धारा 80 एल के अधीन घटौती करने योग्य 3,000 रु० से नधिक आय वाले वेतन भोगी करदाताओं (कम्पनी के निदेशकों और उन शेयरधारियों से भिन्न जिनकी कम्पनी में मतदान शक्ति 20 प्रतिशत है) के मामले में स्वेच्छा से आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता से छूट प्रदान करना।

(iv) आय–कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 द्वारा आय–कर नियमावली में नियम 46 ए; के अन्यःस्थापन द्वारा, अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य (मौखिक और तहरीरी दोनों) स्वीकारने का विनियमन करना और अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अधीन नियमों में तदनुरूपी व्यवस्थाएं करना ।

(i) (ii) और (iii) के उपायों का आशय अधिकारियों को नेमी कार्य से मुक्त करना है, जिससे, वे कर अपवंचन के मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें । संसद की प्रवर समिति के समक्ष विचाराधीन, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 में कार्यविधि को, युक्तिसंगत बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गयी हैं, जैसे स्थायी खाता सं० आरम्भ करना निरीक्षी सहायक आयुक्त और उसके अधीनस्थ आयकर अधिकारियों को समवर्ती अधिकार-क्षेत्र प्रदान करना तथा निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त को किसी मामले का रिकार्ड मंगाने और यथा आवश्यक निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करना आदि ।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी लगभग 55 करोड़ थी । वित्तीय वर्ष 1971–72 1972–73 और 1973–74 के अन्त में आयकर विभाग के रजिस्टरों में दर्ज आयकर (जिसमें निगम–कर भी शामील है) दाताओं की संख्या और देश की कुल जनसंख्या के साथ इसका अनुपात इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष		वित्तीय वर्ष के अन्त में कर दाताओं की संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1971–72	.	32,08,516	0.58
1972–73	.	33,88,259	0.62
1973–74	.	35,31,086	0.63

(ग) आय-कर और धन-कर की मौजूदा खण्डश: दर पद्धति का अभिप्राय, आय और धन की विषमताओं को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है जो प्रगतिशील कराधान का मूल सिद्धान्त है । प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांच्छू समिति) ने यह मत व्यक्त किया था कि करों की उच्च दरों का प्रचलन कर अपवंचन का प्रमुख और सबसे पहला कारण है, जो उपस्थित जोखिम के बावजूद भी कर अपवंचन को लाभकारी और आकर्षक बनाता है । एतदनुसार, समिति ने शिफारिश की कि आय-कर और अधिभार की सीमांत दर 97.75 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत की जाय जिसके साथ-साथ मध्यम और निम्नतर स्तरों पर कर की दरों में । भी कमी की जाय । सरकार ने यह सिफारिश कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली है और वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा कार्यान्वित की है ।

श्री युसुफ पटेल को कानूनी संरक्षण प्रदान करने संबंधी कथित वक्तव्य

***568-क. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य ने समाचार–पत्रों में एक सार्वजनिक वक्तव्य में यह कहा है कि जब वह चौथी लोक–सभा का सदस्य था, तब उसने युसुफ पटेल द्वारा तस्करी की गतिविधियों को जाहिर करने के बदले में युसुफ पटेल को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अनुमानतः प्रस्तुत प्रश्न भूतपूर्व संसद सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज द्वारा आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के बारे में दिनांक 17–10–1974 के 'मदरलैण्ड' में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। इस समाचार को सरकार ने देख लिया है।

इस समाचार के अनुसार श्री फर्नांडीज ने प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों को लिखा था कि "युसुफ पटेल, जिसका मस्तान से झगड़ा हो गया था, मुझे (श्री फर्नांडीज को) नई दिल्ली में मिला था और उसने वह प्रस्ताव रखा था कि यदि मस्तान के विरुद्ध उसे संरक्षण प्रदान किया जाय तो वह देश में तस्करी की गतिविधियों के बारे में सब'कुछ बता देगा।"

रिकार्डों की छानबीन की गई है और श्री जार्ज फर्नांडीज के ऐसे किसी पत्र का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है।

शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजा

***569. श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजा हेतु भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के प्रवासियों से प्राप्त अधिकांश आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निपटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों से प्राप्त ऐसे ही आवेदन पत्रों को निपटाने में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण है ?

(ग) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों से ऐसे अनुग्रह पूर्वक मुआवजों के बारे में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, निपटाये गए, और अभी भी विचाराधीन हैं ;

(घ) क्या सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों के सम्बन्ध में अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के मामले को अन्तिम रूप से निपटाने क लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों में अनुग्रहपूर्वक अनुदान सम्बन्धी उनके आवेदन पत्र निपटाते समय कोई भेद भाव नहीं किया जाता।

(ग) अभी तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिए लगभग 6000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 80 प्रतिशत दावे पूर्वी पाकिस्तान के हैं और 20 प्रतिशत पश्चिमी पाकिस्तान के हैं। इन समस्त दावों में से जिन 882 दावेदारों को भुगतान कर दिए गए हैं उनमें से 452 पूर्वी पाकिस्तान के तथा 430 पश्चिमी पाकिस्तान के हैं।

(घ) तथा (ङ) जो नहीं। अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान निपटाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। फिर दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

***570. डा० रानेन सेन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संगठनों को राजसहायता

***571. श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ संगठनों को घाटे की पूर्ति के लिए दी जा रही सारी राज सहायता बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि राजसहायता के इस प्रकार बन्द किये जाने से उन संगठनों को राज सहायता भी बन्द हो जाएगी जो किन्हीं कार्यवाहियों में हानि उठाते हुए भी अपनी समस्त कार्यवाहियों पर लाभ दिखा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बचत के अनेक उपाय करने का निर्णय किया है । 30 अगस्त, 1974 को सरकार ने अपने प्रशासनिक और गैर आयोजना खर्च में अधिक से अधिक बचत करने के लिए कुछ उपाय अपनाय हैं । इन उपायो में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली राज सहायता सम्बन्धी अनुदेश भी शामिल है । यह निर्णय किया गया कि उद्यमों को कुछ विशिष्ट प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने के कारण होने वाली हानि के लिए उनके कुल मिलाकर लाभपूर्ण या हानिरहित स्थिति में होत हुए भी जो राज सहायता दी जाती है उसे बन्द कर देना चाहिए और उपक्रमों को सब के साथ साथ विषम परिस्थितियों का भी सामना करना चाहिए । इसी प्रकार जो उद्यम नकद हानि उठा रहे हैं उनसे इस प्रकार की हानि को अगले वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देने के लिए कहा गया है । इस बीच उनकी नकद हानि को पूरा करने के लिए 1974-75 के दौरान दो जाने वाली राज सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती करना वांछित समझा गया है । किन्तु इन अनुदेशों के अन्तर्गत वह राज-सहायता शामिल नहीं की गई है जो निर्माण-अवस्था में चल रहे उद्यमों को अथवा इस्पात, कोयला, खान, उर्वरक आदि कुछ प्रमुख क्षेत्रों के ऐसे उद्यमों की नकद हानि को पूरा करने के लिए देनी पड़ती है जिनकी मूल्य-निर्धारण नीति के बारे में मुख्य निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है ।

लोह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि

***572. श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में लोह अयस्क का निर्यात कितना बढ़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) हालांकि मात्रा की दृष्टि से निर्यात कुछ हद तक स्थिर हो सकते हैं, फिर भी निर्यात आय में वृद्धि होगी । 1973-74 के दौरान लोह अयस्क के निर्यात से हमें 132.85 करोड़ रुपये की आय हुई । चालू वर्ष 1974-75 के लिए 175 करोड़ रु० का लक्ष्य है ।

Representation from Delhi Citizens for making it a Dry Port

*573. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the residents of Delhi have approached his Ministry for making Delhi a dry port ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Various industry and trade interests from Delhi have represented to Government from time to time for locating the Dry Port in Delhi.

(b) Government are examining the proposal.

आयात लाइसेंस देने और माल छोडनें के आदेश जारी करने में विलम्ब

*574. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में आयात लाइसेन्स और माल छोड़ने के आदेश जारी करने में बहुत अधिक समय लगता है ;

(ख) तकनीकी विकास महानिदशालय द्वारा सिफारिश किए गए मामलों में लाइसेन्स जारी करने में कितना न्यूनतम समय लगता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसा तरीका अपनाने का है जिससे उद्योगों को लाइसेन्स जारी करने में कम समय लगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) आयात लाइसेन्स के आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए समय सीमायें निर्धारित की गई हैं जिसके अनुसार कच्चे माल के आयात लाइसेन्स सभी दृष्टियों से ठीक आवेदन पत्र की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर जारी करने होते हैं ।

(ग) आयात आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है तथा लाइसेन्स जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जाते हैं ।

Cases of Making Fake Currency Detected in 1974

5298. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of cases of making fake currency notes and coins detected in 1974 especially during the last six months ; and

(b) the new steps proposed to be taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) the information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as becomes available.

(b) The Law of the land provides for deterrent punishment for offences relating to counterfeiting of currency and bank notes. The State Police authorities keep a constant vigil in this regard and organise raids on information about counterfeiting being done by any person. The Central Bureau of Investigation also keeps the problem of counterfeiting of currency under continuous study by keeping records of different techniques adopted

and by reviewing periodically the appearance of counterfeit Indian currency. A 'cell' has also been created in their Economic Offences Wing to undertake investigations of serious offences of counterfeit currency and coordinate the investigations in the States.

As regard counterfeit coins action as contemplated in Section 20 of the Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906) is being taken by all the branches of the Reserve Bank of India and its Agencies. However, in cases where the amount of counterfeit coins detected in a tender is unusually high, such cases are immediately reported by the Reserve Bank of India to the police.

Development of Handloom Industry in Madhya Pradesh

5299. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the provision made in the Fifth Plan for the development of handloom Industry in Madhya Pradesh ; and

(b) the items and heads under which the provision has been made for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Tentative outlay for the development of the handloom industry under the Draft Fifth Plan of the Madhya Pradesh State is Rs. 1 crore. This tentative outlay is subject to revision when the Fifth Five Year Plan is finalised. The development programme envisaged under the State's Draft Fifth Plan for the handloom industry consists of scheme for rebate on sale of handloom cloth, share capital participation in existing and new co-operative spinning mills, loans for margin money to Apex weavers co-operative society reorganisation of weaker co-operatives, subsidy on interest on loans to weavers co-operative under the Reserve Bank of India's scheme of finance, State participation in the share capital of weavers co-operatives, etc.

बुनकरों को प्रोत्साहन

5300. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बुनकरों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजना है जिससे ये बुनकर बुनाई के अपने पुराने व्यवसाय को अपना कर अपनी आजीवीका अर्जित कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इन बुनकरों को धागे की नियमित सप्लाई करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हथकरघा उद्योग का विकास राज्य तथा केन्द्र सरकारों दोनों के द्वारा क्रमश: राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जब कि बुनकरों के दिन प्रति दिन के विकास एवं कल्याण की देखभाल राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं, केन्द्रीय सरकार उद्योग के विकास के लिए राज्यों को ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने के अलावा अखिल भारतीय आधार पर उद्योग की तकनीकी सहायता के लिए अवस्थापना प्रदान करती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाएं हथकरघा बुनकरों की बेहतली के लिए हैं तथा उन्हें बुनाई के अपने परम्परागत पेशे के माध्यम से अपनी रोजी कमाने में समर्थ बनाने के लिए है। अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं में ये शामिल हैं।

(क) राज्य सहकारी बैन्कों के माध्यम से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से रियायती दर पर कार्यकारी पुंजी ऋण प्रदान करना,

(ख) सहकारी क्षेत्र के बाहर के हथकरघा बुनकरों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्यों में हाथकरघा वित्त निगम स्थापित करना,

(ग) हथकरघा कपड़े तथा 51 नये फ्रेन्च काउन्टों (60 ब्रिटिश काउन्टों) के नीचे के काउन्टों की प्लेन रील के हंक यार्न पर उत्पादन शुल्क की छुट देना,

(घ) उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों का केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षण, और

(ङ) सहकारिता के अन्तर्गत आने वाले बुनकरों को रियायती दरों पर बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा उत्पादित कागज के डिजाइनों तथा बुने हुए नमूनों की सप्लाई।

2. यार्न की सप्लाई सामान्य व्यापार चेनलों के माध्यम से की जा रही है। यद्यपि इण्डियन काटन फैडरशन, बम्बई की एक स्वैच्छिक योजना है जिसके अन्तर्गत बुनकरों को यार्न की सप्लाई 28 मार्च, 1974 को प्रचलित कीमतों पर की जा रही है। सूती यार्न की कीमतों और अधिक गिर गई हैं और इस समय सूती यार्न की उपलब्धि तथा कीमत के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना

5301. श्री झारखंडे राय :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी समितिने इन्जीनियरी वस्तुओं की निर्यात को बढ़ाने की नीति बताते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकारने सभी निष्कर्ष स्वीकार कर लिए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) श्री एम० सोन्धी की अध्यक्षता में इस वर्ष जनवरी में स्थापित इन्जीनियरी निर्यातों सम्बन्धी समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इंजीनियरी निर्यातों सम्बन्धी समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

इन्जीनियरी माल के सम्बन्ध में 1978—79 के लिए लगभग 600 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य व्यावहारिक समझा जाना चाहिए।

निर्यात हेतु उत्पादन और अधिशेषों में वृद्धि करने के उद्देश्य से हमारे साधनों की भारी लागत पर स्थापित उत्पादन तन्त्र को परिहार्य नियंत्रणों और बाधाओं से मुक्त किया जाना चाहिए।

विभिन्न निर्यात लाभों की मजूरी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।

निर्यात के सम्बन्ध में पर्याप्त ऋण व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) प्रतिवेदन में दिए गए विभिन्न निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट

5302. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों को प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट आने की आशंका है क्यों कि वर्ष के अन्त में पांच महीन के लिए प्राकृतिक रबड़ का अध्याधिक स्टाक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये है या किये जा रहे हैं कि लघु उत्पादकों को लाभकर मूल्य मिलें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) बताया जाता है कि उपजकर्ताओं को यह आशंका है कि इस वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ की प्राप्यता में वृद्धि हो जाने से उसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है।

प्राकृतिक रबड़ की विद्यमान बाजार कीमत लगभग 700 रु० प्रति क्विन्टल है जो ग्रेड 1 के सम्बन्ध में 520 रु० प्रति क्विन्टल की न्यूनतम अधिसूचित कीमत के स्तर से कहीं अधिक है। फिर भी, सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है।

शाहजहांपुर में छापे

5303. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 में उत्पादन-शुल्क निरीक्षक ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारे थे और शहांजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में हरनामदास नामक ठेकेदार और उसके साझेदारों से तस्करी का माल जब्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या शाहजहांपुर के अनेक तस्करों को वर्ष 1973–74 में तस्करी की गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

Raids by Collectors of Customs and Excise in Madhya Pradesh.

5304. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of raids conducted during 1971-72, 1972-73 and upto October 1974 in various towns of Vidharba and Madhya Pradesh falling under the jurisdiction of the Collectors of Customs and Excise, separately ;

(b) the value and the quantity of gold biscuits, lumps (bricks) and ornaments including silver ornaments seized in these raids ; and

(c) the names of the firms and the residences of individuals raided and their prime business ?

The Minister of State in the Ministry of Fianance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

मध्य प्रदेश में विमान सेवायें

5305. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन नगरों के नाम क्या है जहां राज्य सरकार द्वारा विमान सेवाओं की मांग की गई है ; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रायपुर के लिये विमानसेवाएं पुनः प्रारम्भ करने के अलावा जबलपुर तथा कान्हा नैशनल पार्क।

(ख) विमानन इन्धन की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि तथा इण्डियन एयर लाइन्स के अपने विमान बेड़े में से वाईकाउन्ट एवं डकोटा विमानों को क्रमशः हटा देने के निर्णय के संदर्भ में अत्याधिक अलाभप्रद होने के कारण इण्डियन एयर लाइन्स ने जिन 16 स्टेशनों के लिए विमान सेवाएं बन्द कर दी थी रायपुर उनमें से एक है। निकट भविष्य में इन स्थानों के लिए विमानसेवाएं पुनः प्रारम्भ करने की कोई सम्भावना नहीं है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कारपोरेशन द्वारा अपने मार्ग-जाल में संभावित समावेश के लिये जिन 20 नगरों की सूची बनाई गई है उसमें जबलपुर तथा कान्हा नैशनल पार्क भी सम्मिलित हैं। विमानन ईन्धन को कीमत में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिचालनों की लागत में हुई वृद्धि के कारण कारपोरेशन पांचवीं योजनावधि के दौरान अपने मार्गतन्त्र में सम्भवतः सम्मिलित किए जाने वाले नगरों की सूची का पुनरालोकन कर रही है। अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि उन में से कितने नगर हवाई नक्शे पर लाए जा सकेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

5306. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने कृषि में प्राथमिकता वाले क्षेत्र, लघु उद्योग और अन्य स्वानियोजित व्यक्तियों के ऋण सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को भर्ती कर रखा है तथा उनके लिए क्या वेतनमान निर्धारित किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : प्राथमिकता वाले क्षत्रों के ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों पर कारवाई करने में सहायता देने के लिए सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में तकनीकी अधिकारी मौजूद हैं। कुछ बैंकों में ये अधिकारी सीधेही तकनिकी अधिकारीयों के रुप में भरती किए गए हैं, जब कि अन्य बैंकों ने अपने यहां अधिकारियों के सामान्य संवर्ग में ही इन अधिकारियों की भरती की है। कुछ बैंकों ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के आधारपर भी तकनीकी अधिकारियों, खासकर कृषि-अधिकारियों, की नियुक्ति की है। वेतनमानो सम्बन्धी ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है, जो सभा पटल पर रखा दिया जायेगा।

गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड

5307. श्री भागीरथ भंवर : क्या वित्त मंत्री गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड के बारे में 22 नवम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त योजना राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने स्वीकृति के लिये पेश कर दी गई है और यदि हां, तो कब तथा क्या यह अब तक स्वीकृत हो चुकी है

(ख) क्या सरकार ने कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों को निधियों की अनुपूर्ति के लिये पर्याप्त राशि देने को कहा हैं और यदि हां, तो कुल कितनी राशि की मांग की गई है और उसे पेश करने अविलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि यह राशि भूतपूर्व निदेशको से प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार का विचार उन सम्पत्तियों को बेच देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 4 अक्तूबर, 1974 को जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिये योजना प्रस्तुत की गई थी। मामले पर उच्च न्यायालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) यह योजना उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर, कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों को सरकारी परिसमापक के पास जमा निधि में लगभग 60 लाख रु० की पूर्ति करनी होगी। चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा इस योजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है इसलिए रकम की अदायगी में भूतपूर्व निदेशकों की ओर से किसी प्रकार देरी का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यदि उपर्युक्त रकम भूतपूर्व निदेशकों द्वारा अदा नहो की जाती है तो योजना असफल हो जायगी और उस हालत में कम्पनी परिसमापन में ही रहेगी और सम्पत्तियां परिसमापक में ही निहित रहेंगी।

न्यू सतग्राम कोयला खान द्वारा पूंजी लिया जाना

5308. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा** : क्या वित्त मंत्री कोयला उद्योग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा कोयला उद्योग में औरपूंजी लगाने के बारे में क्रमशः 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 और 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू सतग्राम कोयला खान के मालिकों ने पूंजी के रूप में बोनस शेयर या 'एमेलगमेशन' पूंजी के अलावा अन्य तरीकों से जनता से 62.50 लाख रुपये एकत्र किये ;

(ख) 31 मार्च, 1971 और 31 मार्च 1973 को कम्पनी के स्वामित्व वाली अन्य खानें कौन-कौन सी थी, इसकी कुल अभीदत्त पूंजी क्या थी और शेयर होल्डरों के 'रिजर्व ज' कितने थे ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋण के बाद उन्होंने कितने बोनस शेयर पूंजी जारी की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। सिलेक्टेड सतग्राम कोलरीज लिमिटेड ने (जिसका नाम बदल कर अब शेधिया माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है) और जो न्यू सतग्राम कोलरी के मालिक है, 1961–70 के दौरान बोनस शेयरों या विलीनीकरण से भिन्न उपायों से 64.35 लाख रुपये की पूंजी जुटायी थी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1961-70 में 5 लाख रुपये के मूल्य के बोनस शेयर जारी किये गए थे।

भारत को सप्लाई किये गये उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि

5309. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोपीय देश भारत को सप्लाई किये जा रहे उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने पर जोर दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा मांगे जाने वाले मूल्य में पुनः वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सप्लाई करने वाले अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कम हैं या अधिक हैं ; और

(ग) इन देशों से किस सीमा तक उर्वरक आयात किये जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक पूर्व यूरोपीय देश ने, संविदा की शर्तों के अनुसार उर्वरको की कीमत में वृद्धि करने के लिए कहा था।

(ख) बातचीत के बाद कीमत में ग्यारह प्रतिशत तक वृद्धि करने पर सहमति हो गई और यह बढ़ी हुई कीमत अन्य सप्लाई कर्ता देशों में इन उर्वरको की प्रचलित कीमतो की तुलना में अनुकूल ठहरती हैं।

(ग) चालू वर्ष में 2.15 लाख मे० टन।

गोआ जाने वाले पर्यटक

5310. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कुल कितने पर्यटक गोआ गये थे ; और

(ख) इन पर्यटकों द्वारा देखे गये स्थानो का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी, पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारत आधार पर रखता है, राज्यवार आधार पर नहीं। अन्तर्देशीय पर्यटकों के यातायात से सम्बन्धित आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा नहीं रखे जाते :

पिछले दो वर्षों के दौरान आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटको की संख्या इस प्रकार थी:—

वर्ष	आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक
1972	342,950
1973 .. .	409,895

1972–73 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के 4.79 प्रतिशत ने सर्वेक्षण की अवधि में गोआ की यात्रा की।

गोवा की राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उन पर्यटकों (भारतीय तथा विदेशी) की संख्या जिन्होंने गोवा की यात्रा की 1972 के दौरान 99,624 थी तथा 1973 में यह संख्या 126,244 थी।

(ख) पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान ये हैं : कालागुंटे, कोल्वा, वैगाटर तथा मीरामार समुद्रतट, पुराने गोवा में विभिन्न मंदिर तथा गिर्जाघर और मायेम लेक।

नारियल जटा और नारियल जटा के सामान का निर्यात

5311. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल और जटा नारियल जटा के सामान के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारतीय उत्पादन किस हद तक नारियल जटा तथा नारियल जटा के सामान की बढ़ती हुई मांग पूरा करने की स्थिति में है ;

(ग) किन-किन देशो की मांग में वृद्धि हो रही है और उनसे कितनी वार्षिक विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ; और

(घ) नारियल जटा और नारियल जटा के सामान का उत्पादन तथा निर्यात करने वालों की सहायता हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । अप्रैल-अक्तूबर, 1974 और गत वर्ष उसी अवधि के दौरान कयर उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित हुए थे :—

	मात्रा मे० टन में	मूल्य लाख रु० में
अप्रैल-अक्तूबर, 1974	23361.0	953.80
अप्रैल-अक्तूबर, 1973 . .	23496.0	778.40

(ख) मांग में वृद्धि की पूर्ति भारतीय विनिर्माताओं द्वारा की जा सकती है ।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशो, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका से मांग में मामूली वृद्धि हुई है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कयर के निर्यात से 15 करोड़ रु० की कुल विदेशी मुद्रा आय होने की आशा है ।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा कयर उत्पादों पर लगाये गये टैरिफ अवरोधो में कमी करने के लिए उनके साथ वार्ताएं की जा रही हैं । केरल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह केरल में उपलब्ध समस्त छीलन को प्राप्त करने और उसके समुचित वितरण का प्रबन्ध करे और छीलन के जमाखोरों के खिलाफ कड़े उपाय करें ताकि विनिर्माताओं को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके ।

विदेशी कम्पनियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि

5312. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972, 1973 और 1974 के वर्षों में वर्षवार, 1 जनवरी को भारत में प्राइवेट निगमित, क्षेत्र की कम्पनियों में 5,000 रुपये प्रति माह और इससे अधिक के वेतन पर कार्य कर रहे व्यक्तियों भारतीयों तथा विदेशियो दोनों की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में वर्षवार, इन व्यक्तियो द्वारा कितनी धनराशि विदेशों में भेजी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनियो भारतीय कम्पनियो में 5,000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक वेतन पर काम करने वाले विदशियों और विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनियों में काम करने वाले इसी श्रेणी के भारतीयो के बारे में एक विवरण संलग्न है । भारतीय कम्पनियों में काम कर रहे भारतीय नागरिको की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस श्रेणी के विदेशियो द्वारा विदेशों में भेजी गई कुल रकम का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि विदेशियो द्वारा बाहर भेजी जाने वाली रकमो का वर्गीकरण उनके व्यवसाय तथा उनकी आय के आधार पर नहीं किया जाता ।

विवरण

भारत में गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की कम्पनियों में 5000 रु० तथा इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण

	पहली जनवरी, 1972 को		पहली जनवरी, 1973 को		पहली जनवरी, 1974 को	
	भारतीय †	विदेशी ‡	भारतीय †	विदेशी ‡	भारतीय †	विदेशी ‡
5000 रु० तथा इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	967	795	1045	674	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

भारतीय रुई निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा शक्ति तथा धन का दुरुपयोग

5313. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रुई निगम के कुछ अधिकारियो द्वारा शक्ति का दुरुपयोग तथा धन का दुर्विनियोग किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कापर क्लैड वायर का आयात

5314. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बल्बो के उत्पादन में काम आने वाले ड्यूमेट या कापर क्लैड वायर का आयात होता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किस देश से आयात किया जाता है ; और

(ग) उसकी उतरने पर लागत क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ड्यूमेट या कापर क्लैड वायर के आयात की अनुमति तकनीकी विकास के महानिदेशालय के परामर्श से दी जाती है ।

(ख) तथा (ग) इस मद के यदि कोई वास्तविक आयात है तो उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 'रिवाइजड इण्डियन ट्रेड क्लासिफिकेशन' में, जिसके आधार पर विदेश व्यापार आंकड़े रखे जाते हैं, इस मद को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

†इसका सम्बन्ध केवल विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनिया में कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या से है ; भारतीय कम्पनियों में कार्य कर रहे भारतीयों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

‡ इनमें थोड़ी अवधि के लिए काम करने वाले गैर-भारतीय तकनीशन शामिल हैं ।

राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्य में भारी कमी

5315. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों ने कपड़े के मूल्य में 35 प्रतिशत कमी कर दी है जो गैर सरकारी क्षेत्र की किसी भी मिल ने नहीं की है ;

(ख) क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलो से भी कपड़े के मूल्य में इतनी ही कमी करने के लिए कहेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोकहित में सरकार इन गैर सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेने पर विचार करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मिलों द्वारा, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में हैं, कपड़े की कीमतों में की गई कमी, अलग-अलग किस्म और अलग-अलग मिल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित मिलों में गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित मिलों की अपेक्षा कीमतो में अधिक कमी की है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनिवर्सल स्टील एंड अलाय लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीयकृत बको से प्राप्त जमाराशि/जमानत रहित अग्रिम राशि

5316. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित यूनिवर्सल स्टील एण्ड अलाय लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितनी रुपये की जमा राशियां अथवा जमानत रहित ऋण प्राप्त किये गये ;

(ख) भारत के औद्योगिक वित्त निगम तथा बैंको द्वारा जमानत पर कितनी राशि के ऋण दिय गये ;

(ग) इस कम्पनी को गत तीन वर्षों के दौरान कर-राशि को छोड़कर कितनी राशि का लाभ अथवा हानि हुई ; और

(घ) इस कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों के नामों सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बैंको में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजो के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनिज (उपक्रमों का अभिग्रहण) और अन्तरण अधिनियम 1970 के उपबन्धो के अनुरुप राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसी खातेदार से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 26 अगस्त, 1971 को मैसर्स यूनिवर्सल स्टील और अलाएज लि० की 50 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया था जो उसे पूर्ण रूप से दे दिया गया है।

(ग) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, गत तीन वर्गों के दौरान कम्पनी के लाभ तथा हानि के आंकड़े नीचे प्रस्तुत है :—

(लाख रुपयो में)

30 अप्रैल को समाप्त होने वाला वर्ष	लाभ	हानि
1972 . . .		0.05
1973	..	4.58
1974	1.89*	..

*ऊपर दिए गए लाभ (कर के लिए व्यवस्था करने के पश्चात)/हानि के आंकड़े 1973 और 1974 (30 अप्रैल को समाप्त) वर्षो के दौरान मूल्यह्रास के लिए क्रमशः 4.55 लाख रुपये तथा 6.99

लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद के आंकड़े के द्योतक है। वर्ष 1974 के वास्ते करों और विकास छूट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आय कर अधिनियम के अधीन निवार्य कोई आय ही नहीं थी।

(घ) 30 अप्रैल, 1974 को कम्पनी के निदेशक मण्डल का गठन निम्न प्रकार था :—

श्री रौनक सिंह	अध्यक्ष
श्री जे० बी० बादाचाजी	निदेशक
श्री एच० एस० मेहता . . .	तदेव
श्री वी० वी० देसाई	तदेव
श्री एस० पी० बैनर्जी	तदेव
श्री एच० आर० गुप्ता	तदेव
श्री एस० चक्रवर्ती	तदेव
श्री एस० सी० अग्रवाल	तदेव
श्री एस० एस० कंवर	प्रबन्ध निदेशक

विदेशों से अखबारी कागज का आयात

5317. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विदेशों में अखबारी कागज के आयात के लिए नवम्बर, 1974 में कुछ सौदों को अन्तिम रुप दिया है ;

(ख) क्या रूस, बंगलादेश तथा कनाडा के साथ किन्हीं समझोतो पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो समझोतों की मुख्य बाते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने, लगभग 12000 मे० टन अखबारी कागज के आयात के लिए कनाडा की एक फर्म के साथ नवम्बर, 1974 में एक संविदा को अन्तिम रूप दिया है जिसकी सप्लाई जनवरी से अगस्त 1975 की अवधि के दौरान होनी है।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम ने इससे पहले, कनाडा, सोवियत संघ तथा बंगलादेश स्थित संभरकों के साथ क्रमशः 1,12,669 मे० टन, 95,000 मे० टन तथा 17,000 मे० टन अखबारी कागज की सप्लाई के लिये संविदाओं को अन्तिम रूप दिया था जिस का पोत-लदान जुलाई 1973 से मई 1975 की अवधि के दौरान होना है।

आयकर न देने वाले व्यक्तियों के विचाराधीन मामले

5318. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 के अन्त तक पूरे देश में आयकर न देने वाले व्यक्तियों के विचाराधीन कुल कितने मामले हैं ;

4—46 LSSND/74

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें 25,000 रुपये और इससे कम; 25,000 रुपये से एक लाख रुपये; एक लाख से पांच लाख रुपये तथा पांच लाख रुपये से अधिक की अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की संक्षिप्त रुपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आय-कर (निगम-कर सहित) के मामलों के बारे में जो नवीनतम सूचना उपलब्ध है, वह केवल 31 मार्च 1974 की स्थिति के अनुसार है। उस तारीख को, जिन मामलों में, विभाग के रजिस्टरों के अनुसार मांग (जिसमें वे मांगे भी शामिल हैं जो देय नहीं हुई हैं अथवा अन्यथा प्रवर्तनीय नहीं हैं) बकाया पड़ी थी, उन मामलों की कुल संख्या 21,48,096 हैं ।

(ख) आय-कर और निगम-कर के उन मामलों की संख्या के बारे में जिनमें 25,000 रु० और इससे कम की मांग तथा 25,000 से एक लाख रु० तक की मांग ग्रस्त है, सूचना अलग-अलग उपलब्ध नहीं है। जो भी सूचना उपलब्ध है, वह नीचे दी गई है :—

आय-कर की रकम (जिसमें निगम कर शामिल है)	मामलों की संख्या
प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये तक	21,41,533
प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से ऊपर और पांच लाख रुपये तक	4,934
प्रत्येक मामले में 5 लाख रु० से ऊपर	1,629
	21,48,096

(ग) इस प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, प्रत्येक मामले की स्थिति को देखते हुए, कानून के अनुसार समुचित उपाय किए जाते हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) कर की अदायगी नहीं करने पर आय का अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अधीन दण्ड लगाना ।

(2) धारा 226(3) के अधीन, कर-निर्धारिती को प्राप्त रकम की कुर्की करना ।

(3) धारा 226(4) के अधीन, न्यायालयों में जमा रकम की कुर्की करना ।

(4) धारा 226(5) के अधीन, चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री करना ।

(5) धारा 222 के अधीन, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ।

(6) चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की/बिक्री करना ।

(7) कर निर्धारिती को सिविल जेल में नजर बन्द रखना ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इसी प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं :

(1) आय-कर आयुक्तों को, विवाद-ग्रस्त मांग के मामलों में अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास अनिर्णीत पड़ी अपीलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना होता है और जिन मामलों में राजस्व की बड़ी रकमें अन्तर्गस्त हों उनकी अपीलों/निर्णयार्थ दरखास्तों के शीघ्र निपटान के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्यों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना होता है ।

(2) जिन मामलों में एक लाख रु० से 10 लाख रु० की बकाया ग्रस्त हों, उन पर आय-कर आयुक्त ध्यान रख रहे हैं।

(3) 10 लाख रुपये से अधिक की मांग वाले प्रत्येक मामले में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समीक्षा करता है और कारगर कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करता है।

कम्पनियों द्वारा पूंजी को बढ़ाना

5319. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में प्राइवेट और सरकारी कम्पनियां समाचार-पत्रों में नोटिसों के जरिये जनता से सावधिक जमा राशि को लेकर अपनी पूंजी को बढ़ा रही हैं;

(ख) वे नियम कौन से है जिनके अन्तर्गत इन कम्पनियों को जनता से सत्वधिक जमाराशि ऋण को स्वीकार करने की अनुमति है और क्या इन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या सरकार इन नियमों में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे सामान्य जनता से सावधिक जमा राशि ऋणों को स्वीकार करने के लिए कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकें और यदि हां, तो तत्सम्बधी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लम्बे अर्से से कुछ कम्पनियों के लिये जनता से मियादी जमा/ऋण लेना, धन जुटाने का एक परम्परागत साधन रहा है, किन्तु हालही में सरकार के ध्यान में यह आया है कि धन की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस साधन पर कम्पनियों का आश्रय अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ,1934 के अध्याय iii (ख) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसने गैर,-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा का नियम-करने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किये हैं :—

(i) गैर-बैंकिग वित्तिय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 (नान-बैंकिंग फाइनेन्शेयल कम्पनीज (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन्स, 1966);

(ii) गैर-बैंकिग गैर वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 (नान बैंकिंग नान-फायनेन्शियल कम्पनीज (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन्स, 1966); और

(iii) विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 (मिसलेनियस नान-बैंकिंग कम्पनीज (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973)।

ये निदेश और रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर उनमें किये गये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त तीनों निदेशों की प्रतियां और मार्च, 1974 में उसके द्वारा जारी की गई पुस्तिका, (जिसमें निदेशों की मुख्य मुख्य बातें समझायी गई हैं) की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखने के लिए संसद के सचिवालय को भेज दी गई है।

(ग) बैंकिग आयोग ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों के जमाएं स्वीकार करने के कार्य पर नियंत्रण की वर्तमान योजना को फिर से तैयार करने के लिए कुछ सिफारिशें की है। इन शिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, सरकार ने निर्णय किया है कि अन्य बातों के साथ, इस विषयक वर्तमान विधियों और उनके अन्तर्गत जारी किये गए निदेशों को कठोर बनाया जाय। इस मामले की गहराई से जांच करने और आगे की कार्यवाही के बारे में विशिष्ट सिफारिशें करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल का गठन किया है। यह दल इस मामले पर अभी विचार कर रहा है।

स्व-नियोजन योजना

5320. **श्री प्रेमलाबाई डी० चव्हाण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 तथा 1974 में अद्यतन 'हाफ ए मिलियन जाब्स' (5 लाख व्यक्तियों की रोजगार) कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी स्व-नियोजन योजनायें मंजूर की गयी और राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) उनका बैंक वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1973-74 में प्रति शाखा कम से कम 10 स्व-नियोजन योजना तथा 1974-75 में प्रतिशाखा 25 स्व-नियोजन योजना का बैंकों के विशेष कार्य देने सम्बन्धी योजना आयोग के सुझाव की तुलना में इनकी स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक वर्तमान उबलब्ध सूचना के अनुसार, 'हाफ ए मिलियन जाब्स' (5 लाख व्यक्तियों की रोजगार) कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 1974 के अन्त तक 13804 आवेदन-पत्र संस्वीकृत कर चुके हैं, जिन में से 12.00 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंक वार ब्यौरा विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) योजना आयोग के सुझाव व्यापक मार्गदर्शन के रूप में हैं और 'हाफ ए मिलियन जाब्स' (5 लाख व्यक्तियों को रोजगार) कार्यक्रम के अधीन ऋण संस्वीकृत करने के वास्ते अलग अलग बैंकों अथवा बैंक-शाखाओं के लिए सुनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 'हाफ ए मिलियन जाब्स' (5 लाख व्यक्तियों को रोजगार) कार्यक्रम के अधीन दिए गए ऋण–जून, 1974 के अन्त की स्थिति :—

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	संस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1	भारतीय स्टैट बैंक . . .	2586	155.20
2	भारतीय स्टैट बैंक की समनुषंगीयां .	1044	25.21
3	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया . .	906	62.90
4	बैंक आफ इण्डिया . .	1142	266.18
5	पंजाब नैशनल बैंक .	245	22.72
6	बैंक आफ बड़ोदा . . .	235	37.52
7	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक . . .	937	258.90
8	कैनरा बैंक	1035	45.11

क्रम संख्या	बैंक का नाम	संस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
9	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया .	2232	38.78
10	देना बैंक .	153	20.70
11	सिंडिकेट बैंक .	328	87.02
12	यूनियन बैंक आफ इण्डिया .	238	12.42
13	इलाहाबाद बैंक	918	52.05
14	इण्डियन बैंक	2389	79.49
15	बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	304	35.12
16	इण्डियन ओवरसीज बैंक .	26	0.73
	जोड़	13804	1200.05

जाली करेंसी नोट बनाया जाना

5321. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 रुपये के मूल्य के जाली करन्सी नोट बनाने वाले गिरोह का हाल ही में पता लगाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) हाल ही की जांच के परिणामस्वरूप गिरोह की किस कार्यप्रणाली का पता लगा है और कितने व्यक्ति इस धंधे म लगे पाये गये हैं और उनका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) 30 नवम्बर, 1974 को बम्बई की भायकला पुलिस ने 20 रुपये की जाली करेंसी बोट छापने वाले एक गिरोह का पता लगाया और इस सम्बन्ध में सर्वश्री प्रेमसुन्दर सत्यदेव शर्मा (मुख्य रूप से संदिग्ध व्यक्ति), जमालुद्दीन मोहम्मद इशाक, अताउल्ला इनायतुल्ला और सामुल्ला रहीमतुल्ला नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने दोषी व्यक्तियों से बीस रुपये वाले 625 जाली नोटों के अतिरिक्त जाली नोट छापने के ठप्पें, ब्लाक और मशीनें बरामद कीं। इन नोटों की प्राथमिक जांच करने से यह पता चला कि यह जालसाजी बहुत ही भोंडे किस्म की है। नासिक प्रेस में विशेषज्ञों द्वारा इन नोटों की जांच कि जाने का काम शुरू हो चुका है और बम्बई के खुफिया पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की और आगे जांच की जा रही है।

सिने अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के विरुद्ध आयकर की बकाया

5322. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म अभिनेत्रियों तथा अभिनेताओं के विरुद्ध इस समय आय कर के कितने मामले विचाराधीन है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उन पर आय कर की कितनी राशि बकाया है ;

(ग) आयकर का भुगतान न करने के लिए कितने फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जा रहे हैं ; और

(घ) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

ध्वनि तथा प्रकाश संबंधी कार्यक्रम

5323. **डा० के० एल० राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में देश के विभिन्न स्थानों में ध्वनी तथा प्रकाश सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) इन स्थानों में प्रत्येक स्थान पर ऐसे प्रदर्शनों से अनुमानतः दैनिक व्यय और आय क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम लाल किला, दिल्ली, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद और शालीमार बाग, श्रीनगर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शनों का परिचालन करता है । प्रत्येक स्थान पर इन प्रदर्शनों के आयोजन से होने वाली औसत आय और व्यय को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1973-74 के दौरान आय और व्यय	लाल किला	साबरमती	शालीमार
	रु०	रु०	रु०
औसत दैनिक आय . .	879.00	77.00	230.00
औसत दैनिक व्यय . . .	822.00	211.00	351.00

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश तथा गुजरात को सहायता

5324. **श्री अमर सिंह चौधरी :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा गुजरात को वर्ष 1974 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश और गुजरात को कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) लेखा वर्ष 1972–73 और 1973–74 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृत और संवितरित की गयी कुल वित्तीय सहायता के आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	वित्तीय सहायता			
	स्वीकृत		संवितरित	
	1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
1. उत्तर प्रदेश	7.83	7.94	3.01	6.55
2. गुजरात	8.84	16.00	11.01	16.48

उपर दिये गये आंकड़ों से पता चलेगा कि वर्ष 1973–74 के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में अवस्थित औद्योगिक प्रतिस्ठानों को स्वीकृत और संवितरित की गयी वित्तीय सहायता में कमी नहीं हुई है अपितु इसमें वर्ष 1972–73 में दी गयी सहायता के मुकाबले वृद्धि हुई है।

मैसर्स ग्लोब मोटर्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जमा-कर्ताओं को भुगतान की गयी किस्त

5325. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय तथा निर्देशकों के पश्चात् मैसर्स ग्लोब मोटर्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जमा-कर्ताओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) क्या भुगतान के लिये शेष अन्तिम किस्त का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार दोषी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा जमा कर्ताओं को तुरन्त भुगतान सुनिश्चित कराएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कम्पनी ने कम्पनी कार्य विभाग को सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और निदेश के पश्चात् उसमें 4 किस्तों का भुगतान किया है और पांचवीं किस्त का भुगतान करना आरम्भ कर दिया गया था। किन्तु पुरा नहीं किया जा सका। कम्पनी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया है कि उसे इस किस्त का भुगतान 31 जुलाई, 1975 तक पुरा करने की अनुमती दी जाय। पांचवीं किस्त का भुगतान पूरा हो जाने के बाद ही आखरी किस्त का भुगतान करने का प्रश्न आयेगा। कम्पनी ने यह बताया है कि उसने आखरी किस्त के भुगतान की अवधि बढ़ाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दिया है।

(ग) कम्पनी ने कहा है कि समय पर किस्त की अदायगी न किये जाने का मुख्य कारण बिजली की कमी होने से उस के काम का अस्तव्यस्त हो जाना है। कम्पनी का कार्य उच्च न्यायालय की देखरेख में हो रहा है, इसलिए इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

पूर्व यूरोपीय देशों को चीनी का निर्यात

5326. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उन पूर्व यूरोपीय देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं जो विकासशील देशों से प्रति वर्ष 14 लाख टन चीनी लेने के लिए सहमत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों को भारत की चीनी का कुल कितना निर्यात होगा तथा किस मूल्य पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

5327. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के संशोधन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने अभी तक संशोधन के स्वरूप के बारे में विनिश्चय नहीं किया है । प्रस्थापनाएं अभी विचाराधीन हैं ।

केरल में पुलिस हिरासत में एक तस्कर के साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा व्यवहार

5328. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री के० एम० अब्दुला नामक एक तस्कर का केरल के पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारियों ने हार्दिक सम्मान किया तथा उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह संवाददाताओं बातचीत करने की अनुमति दी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री के० एस० अब्दुला को उस प्रकार का सत्कार अथवा सुविधा नहीं दी गई जिसका कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा दिये गये रोजगार

5329. श्री सोमना चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों तथा निकायों में गत तीन वर्षों में राज्यवार कितने लोगों को रोजगार दिया गया ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्योगों में तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :-

1970–71	6,59,920
1971–72	7,01,290
1972–73	8,04,792

1972-73 में रोजगार की राज्यवार स्थिति का अध्ययन करने से प्रकट हुआ ब्यौरा इस प्रकार है : —

केन्द्रीय सरकार के निर्माणकारी और खनन उद्योगों में राज्यवार रोजगार का अनुमान

	प्रतिशत
1 आन्ध्र प्रदेश	5.66
2 असम	2.67
3. बिहार	29.69
4. गुजरात	2.83
5. हरियाणा	1 प्रतिशत से कम
6. हिमाचल प्रदेश	तदैव
7. जम्मू तथा काश्मीर	तदैव
8. केरल	1.99
9. मध्य प्रदेश	8.68
10. महाराष्ट्र	3.75
11. मैसूर	12.67
12. उड़ीसा	7.76
13. पंजाब	1.14
14. राजस्थान	0.92
15. तमिलनाडु	6.59
16. उत्तर प्रदेश	4.19
17. पश्चिम बंगाल	11.46

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा वित्त पोषित औद्योगिक कारखानों में कार्य

5330. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन औद्योगिक कारखानों के नाम क्या हैं जिन में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने वित्त पोषण तथा नया प्रबन्ध स्थापित किया है ;

(ख) क्या इन सब कारखानों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हों ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है ; और

(घ) कारखाने अविलम्ब कार्य आरम्भ करे या देखने के लिए भारतीय पुनर्निर्माण निगम द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) दिल्ली में केवल दी गणेश फ्लोअर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली ही एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, की धारा 18कक (1) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड (आई; आर० सी० आई०) को उसका प्रबन्ध 5 वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने इस प्रतिष्ठान को कुल 93.30 लाख रुपये की पुनर्निर्माण सहायता मंजूर की है ।

गणेश फ्लोअर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की पांच फैक्टरियां (एकक) हैं, जिनमें से तीन अर्थात (1) दिल्ली वनस्पति एकेक, (2) हिन्दुस्तान ब्रेकफास्ट फूडस मैन्यूफैक्चरिंग फैक्टरी और (3) गणेश इलैक्ट्रिकल फैन एण्ड फ्रैक्शनल होजपावर एकक, दिल्ली में हैं। एक एकक अर्थात् कानपुर वनस्पति एकक कानपुर में हैं और दूसरा अर्थात् सीलवेन्ट इक्सट्रैक्शन प्लान्ट बम्बई में है। उपर्युक्त पांच फैक्टरियों में से दिल्ली के गणेश इलैक्ट्रिकल फैन एण्ड फ्रैक्शनल होजपावर एकक को छोड़कर बाकी सब आजकल काम कर रहे हैं। गणेश इलेक्ट्रीकल फैन एण्ड फ्रैक्शनल होजपावर एकक को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। इस एकक को फिर से चालू करन की सम्भावना के बारे में एक विशेषज्ञ परामर्शदाता की सहायता से अध्ययन किया गया था और मिलस की प्रबन्ध समिति नें अगस्त, 1974 में निर्णय किया कि इस प्रयोजन के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और कार्य चालन पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए इस एकक को चालू करना कम्पनी के अन्य एककों के पुनर्निर्माण कार्यक्रम में बाधक होगा, किन्तु, प्रबन्ध समिति ने यह भी निर्णय किया है कि प्रतिष्ठान के अधिकाधिक हित में फैन एकक का उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाया जाय ।

तस्करों द्वारा तस्कर व्यापार के लिये हेलीकोप्टर का उपयोग

5331. **श्री पी० ए० स्वामीनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमीन पर सख्त जांच को ध्यान में रखत हुए तस्कर खुले तौर पर तस्कर व्यापार के लिये, हैलिकोप्टरों का उपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) उपलब्ध गुप्त सूचना रिपोर्टों के अनुसार, तस्कर व्यापारी तस्करी प्रयोजनों के लिए हैलिकाप्टरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

दादरा तथा नागरहवेली में तस्करों की गिरफ्तारी

5332. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दादरा तथा नागरहवली में किन्हीं तस्करों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और उन से बरामद वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली में कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

बर्मा के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का दौरा

5333. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा का एक व्यापारिक प्रतिमण्डल हाल ही में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत को गई थी और उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत तथा बर्मा के बीच विशेष भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से माल खरीदने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर बातचीत करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए बर्मा के व्यापार उपमंत्री महामहिम यू थीन न्यून्ट के नेतृत्व में बर्मा का चार सदस्यीय क्रय-सह-सद्भावना शिष्टमण्डल नवम्बर-दिसम्बर, 1974 में भारत आया था। शिष्टमण्डल के साथ बातचीत के दौरान यह सहमति हो गई कि भारत तथा बर्मा को अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए और अपने आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाना चाहिए। इस शिष्टमण्डल ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से 40 लाख रु० मूल्य के सूती वस्त्रों की खरीद के लिये संविदा की।

भारतीय लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि

5334. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लौह अयस्क के मूल्य में प्रस्तावित वृद्धि के बारे में भारत ने जापान के साथ हाल ही में आगे बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले की बातचीत में कोई गतिरोध आ गया था ; और

(ग) क्या नवीनतम बातचीत में गतिरोध इस बीच कम हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह अयस्क के जापानी खरीदारों के साथ विगत वर्ष की कीमतों के स्तरों की तुलना में 34 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत अधिक कीमतें तय करने में सफल हुआ है।

पटसन उद्योग के श्रमिकों द्वारा बोनस की मांग

5335. श्री रोबिन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के श्रमिकों ने 20 प्रतिशत बोनस की मांग की है और इसके लिए उन्होंने 24 सितम्बर, 1974 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी और अपनी मांग पर बल देने के लिए 7 अक्तूबर, 1974 को कार्य के घण्टों के दौरान 30 मिनट की हड़ताल भी की थी ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांग की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों द्वारा दिये गये 6 जनवरी, 1975 से हड़ताल के नोटिस में यह मांग भी शामिल है तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक विवाद के स्वरूप वाली इन मांगों पर समझोता वार्ता शुरू कर दी है।

Assessment of Estate Duty

5336. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finanace** be pleased to state :

(a) the number and particulars of the cases of incorrect valuation of Estates, irrigular reliefs and exemptions, and estates escaping assessments of Eastate Duty detected from 1st September, 1972 to 31st August, 1973 ; and

(b) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (*a*) & (*b*) Apparently, the Hon'ble Member is referring to the report of the Comptroller and Auditor-General of India for the year 1972-73. The Comptroller and Auditor-General of India, in Volume II of his report on Revenue Receipts for the year 1972-73, has mentioned a few cases illustrating the types of mistakes committed in estate duty assessments. These are mentioned in paragraphs 69 to 73 of the report. The report is yet to be considered by the Public Accounts Committee of the Parliament.

जालान ग्रुप के कार्यों की जांच करने के लिये विशेष 'सैल'

5337. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जालान ग्रुप के स्वामित्व वाले कारखानों में उनके शेयरों के बारे में अनियमितताओं को जांच करने के लिए उनके मंत्रालय के अधीन विशेष 'सेल' स्थापित करने का है ; और

यदि नहीं, तो जालान ग्रुप के स्वामित्व वाले बहुत से कारखानों में उनके शेयरों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आय-कर की दृष्टि से बड़े औद्योगिक घरानों के मामलों की जांच कराने के लिए, निरीक्षण (जांच) निदेशालय के अधीन, बड़े औद्योगिक घरानों के लिए एक विशेष, कक्ष को पहले ही स्थापना कर दी गई है। बाजोरिया-जालान समूह (कलकत्ता के सूरजमल के भागीदार) विस्तृत जांच के लिए विशेष कक्ष को सौंप दिए गए हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात और महाराष्ट्र में रुई के मूल्यों में कमी

5338. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में रुई उत्पादकों को मूल्य में भारी कमी तथा बाजार में माल की भरमार का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का उक्त उत्पादकों को क्या सहायता देने का विचार है ?

(घ) क्या इन राज्यों ने उक्त उत्पादकों को सहायतार्थ सरकार से रुई की एकाधिकार खरीद करने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) महाराष्ट्र तथा गुजरात समेत विभिन्न रुई उत्पादक केन्द्रों में पिछले मोसम की ऊंची कीमतों के मुकाबले रुई की कीमतों में कुछ गिरावट आने के बारे में खबरें मिली हैं। तथापि, ऐसा पता चला है कि कीमतें गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में ऊंची चल रही हैं।

(ख) ऋण संकोचन और बाजार में यार्न तथा कपड़े की आवक मन्द होने के फल स्वरूप व्यापार तथा मिल क्षेत्र द्वारा रुई कम उठाना रुई की कीमतों में गिरावट के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने नोट किया है कि यद्यपि अगस्त-सितम्बर, 1974 के ऊंचे स्तरों के मुकाबले हाल ही के सप्ताहों में रुई की कीमतों में गिरावट आई है, फिर भी वे पिछले वर्ष की उसी अवधि में चल रही कीमतों से अभी अधिक ही हैं। फिर भी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन को, जो महाराष्ट्र में एकाधिकार वसूली अभिकरण है, और भारतीय रुई निगम को विपणन-कार्य हाथ में लेने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन अभिकरणों के लिए ऋण-सीमा क्रमशः 20 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रु० कर दी गई है।

कपड़ा मिलों में स्टाक का जमा हो जाना

5339. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री गजाधर माझी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों में स्टाक के जमा हो जाने के बारे में जांच करने के लिये और स्टाक को उठाने तथा माल के नियमित उत्पादन और वितरण के लिये उपाय सुझाने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया था ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र मिलों के पास स्टाक जमा हो जाने के बारे में स्थिति का अध्ययन करने, इसके कारणों का अनुमान लगाने तथा जमा स्टाक की निकासी और अन्तिम उपभोक्ताओं को, वस्त्रों की कीमत तथा उपलब्धि के बारे में लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उत्पादन तथा वितरण के लगातार प्रवाह को सुनिश्चित बनाने के लिये उपाय सुझाने के निमित्त वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है।

"आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर

5340. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्करों में से किन किन तस्करों को तस्करी से सम्बद्ध अपराधों के लिए इससे पूर्व भी गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें सजा दी गई थी और बरी किया गया था तथा उनकी गिरफ्तारी व मुकदमा चलाने की तिथियां क्या हैं ; यदि उन्हें जेल की सजा दी गई थी तो कितनी, उस पर कितना जुर्माना किया गया और उनकी कुख्यात गतिविधियों के अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना को यथोचित समय के भीतर संकलित करना कठिन होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में सूचना चाहते हों तो वह एकत्र की जायगी और पेश कर दी जायगी।

आल इंडिया डिफेन्स एकाऊंट्स एम्प्लाईज एसोसियेशन को मान्यता

5341. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया डिफेन्स एकाउन्टस एम्पलाईज एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, अपनी शाखा एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है ;

(ख) यदि हां, तो रक्षा लेखा नियंत्रण कार्यालय, पटना तथा अन्य अधिकारी मुख्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने को क्यों तैयार नहीं ;

(ग) क्या व्यर्थ की बातें व्यर्थ प्रश्न एवं सारहीन आपत्तियां उठा कर रक्षा लेखा नियन्त्रक, पटना द्वारा मान्यता देने में विलम्ब दिया जा रहा है ;

(घ) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना द्वारा सेवा एसोसिएशन के मामले में प्रत्यक्ष प्रशासकीय हस्तक्षेप के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आल इण्डिया डिफेन्स एकाउन्टस एम्लाईज एसोसिएशन, कलकत्ता रक्षा लेखा विभाग के किसी भी कार्यालय में बनी शाखा एसोसिएशन को सम्बद्धता प्रदान कर सकती है। औपचारिक मान्यता केवल मुख्यालय एसोसिएशन को ही प्रदान की जाती है।

(ख) 1971 से आल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लाईज एसोसिएशन की पटना शाखा के सदस्य दो गुटों में बटे हुए हैं और दोनों गुट एक अदालती मामले में उलझे हुए हैं। अत: नियंत्रक रक्षा लेखा पटना ने दोनों गूटों से बातचीत करना बन्द कर दिया था। कलकत्ता एसोएसिशन की पटना ब्रान्च की एक कार्यकारी समिति का चुनाव 2-8-1974 को हो गया है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या नियंत्रक रक्षा लेखा अब इस कार्यकारी समिति से बातचीत आरम्भ कर सकता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) जी हां, श्रीमन् ।

(ङ) चूंकि शिकायतें न्यायसंगत नहीं पायी गयी इस लिये कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है ;

कोयम्बटूर में फसल बीमा योजना

5342. श्री हरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल एन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया दक्षिण भारत के कोयम्बटूर जिले के सत्यामंगलम क्षेत्र में एक व्यापक फसल बिमा योजना में सहयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त विमा योजना की वित्तीय स्थिती क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। सामान्य विमा निगम कोयम्बटूर जिले में सत्यमंगलम क्षेत्र में उस प्रयोगिक फसल बिमा योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत भारत का स्टैट बैंक बोमाकृत किसानों को फसल के लिए धन की व्यवस्था करता है।

(ख) इस योजना की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—

बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाली फसल .	सिंचित एम० सी० एच०–5 कपास, शीत ऋतु वाली किस्म ।
बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले जोखिम .	सभी जोखिम, किन्तु इनमें चोरी, आणविक और युद्ध जोखिम तथा बीमाकृत की लापरवाही जैसे न्यूनतम जोखिम शामिल नहीं है ।
जोखिम की अवधि . . .	शीत-ऋतु 1974-75 ।
गारंटी शुदा न्यूनतम पैदावार . .	400 किलोग्राम प्रति एकड़ ।
बीमाकृत रकम	1545 रुपये प्रति एकड़ ।
आंकी गई पैदावार में कमी होने के मामले में क्षति पूर्ति की दर . . .	3.87 रूपये प्रति किलोग्राम्
किसानों द्वारा देय प्रीमियम . .	45 रु० प्रति एकड़, जिसमें से 15 रु० प्रति एकड़ आवश्यक अवस्थापना, (इंफ्रास्टक्चर) की व्यवस्था करने के लिए ई० आई० डी०–पैरी को देय है ।
योजना के अन्तर्गत आने वाले किसानों की कुल सं०	145
योजना के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र .	215.50 एकड़ ।

इस योजना के वित्तीय परिणामों का पता मार्च/अप्रैल, 1975 तक, अर्थात फसल मौसम के अन्ततक हो चलेगा।

कम्पनी की जमा राशि के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण मारुति लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही

5343. श्री रामदेव सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री मारुति लिमिटेड के प्रतिवेदन और कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को प्रस्तुत वर्ष 1973–74 के लेखों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि व्यापारियों को न तो कोई उत्पाद ही दिए गए थे ना ही उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज प्राप्त हुआ था, विशेष कर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी ने किसी विशेष समय तक औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त नहीं किए थे और उसके मूल रूप का परीक्षण नहीं किया गया था तथा उसको स्वीकृति नहीं दी गई थी, उक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर एक व्यापारी के जमा 2,18,91,042 रुपयों को व्यापारी द्वारा वाणिज्यिक नाम से व्यापारी की जमा राशि की पेशकश समझा जा सकता है ;

(ख) क्या उक्त व्यापारी को जमा राशि को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को 'डिपोजिट' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि इसे 'डिपोजिट' की परिभाषा में, विशेषकर इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उक्त राशि गैर-वाणिज्यिक नाम से जमा की गई थी, तो कम्पनी की जमा राशि के बारे में रिजर्व बैंक के निदेशकों का उल्लंघन करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उस की 29 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या डी० एन० बी० सी० 2/ई डी (एस)–66 के अनुच्छेद 2(1) (च) (ix) के अनुसार क्रय, विक्रय अथवा अन्य प्रकार के एजेन्टों से कम्पनी के कारोबार के दौरान अथवा उस के प्रयोजन के लिये प्राप्त किसी रकम को अथवा माल, सम्पत्तियों, अथवा सेवाओं (इस मामले में डीलरशिप डिपाजिट) के वास्ते आर्डरों के बदले प्राप्त कोई अग्रिम "डिपाजिट" की परिभाषा में शामिल नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उक्त जारी किये गए निदेशों में जमाओं पर ब्याज अथवा लाभों की अदायगी जैसी कोई विशिष्ट शर्तें निर्धारित नहीं की गयी हैं जो कि ऐसे रकमों के "डीलरशिप डिपाजिट" माने जाने से पूर्व पूरी होना आवश्यक हो। यह भी अपेक्षित नहीं है कि कम्पनी के पास औद्योगिक लाइसेन्स मौजूद हो क्योंकि गैर-वित्तिय कम्पनियों के वास्ते जारी किये गये निदेश सामान्य रूप में हैं और कम्पनियों के बारे में उनके द्वारा किये जा रहे कारोबार के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि चूंकि उक्त निदेशक का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिये कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

Export of Shoes to other countries

5344. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which India has exported shoes during 1973-74 ; and

(b) the amount of foreign exchange earned as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwa Nat Pratap Singh) : (a) India has exported shoes during 1973-74 to countries in Asia, Africa, West Europe, East Europe, and American Hemisphere. The main buyers are Australia, Canada, German Democratic Republic, Bulgaria, Denkmark, U.K., U.S.A. and U.S.S.R.

(b) The amount of foreign exchange earned against the exports of leather footwear during 1973-74 was Rs. 10.42 crores and from rubber and canvas footwear was Rs. 2.94 crores.

सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लाभ

5345. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किये जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी अन्तरण के लाभ नहीं दिये जा रहे है जबकि उन्हें पेन्शन आदि जैसे अन्य लाभ दिये जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी दो वर्गों के अन्तर्गत आते, है : —

(i) वे कर्मचारी जिन्हें उद्यमों में जनहित की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर अन्तरित किया गया है ; और

(ii) वे अन्य कर्मचारी जिन्होंने सरकारी उद्यमों के रिक्तपदों के लिए स्वेच्छा से आवेदन-पत्र दिये थे।

शुरु में ही सरकार ने पहले वर्ग के कर्मचारियों के उद्यमों में संविलयन के लिए उदार शर्तें रखी थीं जिनमें वेतन के अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी लाभ (निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) और अर्जित छुट्टी का उनके खाते में अन्तरण आदि सुविधाएं शामिल थीं। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत जिन मामलों में कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के अन्दर अनिवार्य रूप से यह बताना था कि वे उद्यम में स्थायी संविलयन चाहते है या अपने मूल संवर्ग मे वापस जाना चाहते हैं स्थायी संविलयन हो जाने पर उन्हें भी बाद में वेतन के अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी लाभ प्रदान कर दिये गये। उन्हे छूट्टी सम्बन्धी लाभ भी प्रदान किये जाएं या नहीं, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

दोहरे कर आरोपण को रोकने के लिए समझौते

5346. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने आय पर दोहरे कर आरोपण को रोकने के लिये किन-किन देशों के साथ समझौते किये हैं अथवा इस बारे में बातचीत की है ;

(ख) इन समझौतों अथवा वार्ताओं से भारत को किस रुप में लाभ होगा; और

(ग) इसका भारत को अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) (i) भारत ने दोहरे करावान निवारण पर निम्नलिखित देशों के साथ करार किये हैं :—

(1) आस्ट्रिया
(2) श्री लंका
(3) डेनमार्क
(4) जर्मन संघीय गणराज्य
(5) फिनलैण्ड
(6) फ्रान्स
(7) ग्रीस
(8) ईरान*
(9) जापान
(10) लेबनान*
(11) नार्वे
(12) पाकिस्तान
(13) रुमानिया**
(14) स्वीडन
(15) स्विटजर लैण्ड*
(16) संयुक्त अरब गणराज्य

*वायुयान लाभों तक सीमित।

**वायुयान तथा नौवहन लाभों तक सीमित।

5—46 L. S. S. (N. D.)/74.

(ii) भारत ने आय के दोहरे कराधान के निवारण के निमित्त निम्नलिखित देशों के साथ समझौता-वार्ताएं की हैं :—

(1) बेल्जियम

(2) केनेडा

(3) चेकोस्लोवाकिया

(4) हंगेरी

(5) इटली

(6) केन्या

(7) मलेएशिया

(8) सिंगापुर

(9) ब्रिटेन

(10) संयुक्त राज्य अमेरिका

(11) युगोस्लाविया

(ख) तथा (ग) ऐसे समझौतों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करने के निमित्त एक देश से दूसरे देश को पूंजी, तकनीक तथा कार्मिकों के प्रवाह को प्रोत्साहन देना है ।

वाणिज्य मंत्रालय में अनुवाद कार्य के लिये हिन्दी इन्वेस्टीगेटरों के पद

5347. श्री नवल किशोर सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुवाद कार्य के लिए हिन्दी इन्वेस्टीगेटरों के कितने पद हैं ?

(ख) क्या मार्च, 1972 में गृह मंत्रालय ने मंत्रालयों के सभी अस्थायी हिन्दी पदों के 80 प्रतिशत पदों को स्थायी करने के लिए कहा था ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 12 पद ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) 12 पदों में से 8 पद स्थायी किये जा चुके हैं । चूंकि प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के संगठनात्मक स्वरूप का अध्ययन चल रहा था और उसमें परिवर्तन किये जाने की सम्भावना थी, इसलिए अगस्त, 1974 के दौरान जब पिछली बार स्थिति की समीक्षा की गई तब वहां का कोई पद स्थायी नहीं किया जा सका । अगले वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिति की पुनः समीक्षा की जायेगी ।

बंगला देश को रेलवे वैगनों का निर्यात

5348. **श्री गजाधर माझी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को रेलवे वैगनों और सवारी डिब्बों के निर्यात के बारे में कोई बात-चीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगला देश का भारत से कितने रेलवे वैगनों और सवारी डिब्बों का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) बंगला देश रेलवे को तीसरी श्रेणी को 12 लगेज कम-ब्रेक वेन सप्लाई करने के लिए, और मोटरगेज के 80 अण्डरफ्रेमों पर बाडियां बनाकर उन्हें सप्लाई करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । बंगला देश को 500 वैगनों तथा 50 सवारी डिब्बे सप्लाई करने के लिए संविदाएं इस वर्ष सम्पन्न की जा चुकी है ।

सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु राज्यों को जाने वाले केन्द्रीय दल

5349. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में केन्द्रीय दलों द्वारा सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन-कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केन्द्रीय दलों ने चालू वर्ष में सूखा/बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है । इन राज्यों को वर्तमान नीति के अनुसार सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

निर्यात निगमों की स्थापना

5350. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के निर्यात में वृद्धि करने के लिए राज्यों से निर्यात निगम स्थापित करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों को प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्धक है । विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग चौदह निगमों को अपने अपने सीमाक्षेत्रों में निर्यातकों को आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए निर्यात सदनों के रूप में सरकार द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है ।

पटना स्थित रक्षा लेखों के नियन्त्रक के कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०) की परीक्षाएं

5351. **श्री भोला माझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित रक्षा लेखों के नियंत्रक के कार्यालय में अनेक कर्मचारियों को वर्ष 1972 से अधीनस्थ लेखा सेवा (एस० ए० एस०) की परीक्षा भाग-I तथा भाग-II में नहीं बैठने दिया जा रहा है;

(ख) क्या बडी संख्या में ऐसे कर्मचारियों का स्थायीकिया जाना/पदोन्नति किया जाना भी रोक दिया गया है जो कि वर्ष 1964 से पदोन्नत/स्थायी होने के पात्र थे;

(ग) क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाई इसी लिये की गई है क्योंकि वे एसोसिएशन के सदस्य थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कुछ एक कर्मचारियों को, जो निर्धारित आवश्यकताएं पूरी नहीं करते थे, 1972 तथा बाद के वर्ष में आयोजित एस० ए० एस० की परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया गया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के दौरान पकड़ी गई नगदी तथा मूल्यवान वस्तुएं

5352. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में 22 नवम्बर, 1974 को आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये विभिन्न छापों में 50 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य की नगदी, आभूषण, स्टाक तथा प्रोमिजरी नोट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आय-कर प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली में 21 नवम्बर, 1974 को तथा उस के अगले दिन तांबा, स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के व्यापारियों के कुछ समूहों के मामलों में तलाशियां ली गयी थीं। इसके साथ-साथ उसी दिन एक मोटर ट्रांसपोर्ट समूह के मामलों में तलाशियां ली गयीं। जिन स्थानों की तलाशियां ली गई थीं उनकी संख्या 50 से अधिक है।

इन तलाशियों के कारण निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं :

	मूल्य (लाख रुपयों में)	
नकदी	9.52	
सावधि जमा की रसीदें	18.78	
जवाहिरात और गहने	7.29	(लगभग)

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में स्टाक का पता लगाया गया जिसके सम्बन्ध में आय कर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अधीन सम्बन्धित पार्टियों पर निवारक आदेश तामील किये गये हैं। तलाशियां लेते समय 39 बैंक लाकर भी सील किये गये हैं जो अभी भी खोले जाने हैं। बहीखाते और दस्तावेज भी पकड़े गये हैं।

पकड़े गये दस्तावेजों की जांच चल रही है। जिन मामलों में बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ा गयी हैं उनमें, छिपायी गयी आय का सरासरी तौर पर निर्धारण करने और कर-देयता को पूरा करने के निमित्त पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों को रोक रखने के लिये आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन आदेश जारी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही चालू की गयी है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर कानून के अनुसार यथा आवश्यक आगे कार्यवाही की जायगी।

फोकर वो० एफ्० डब्ल्यू० इन्टर-नेशनल द्वारा भारत में अपने निर्माण एकक स्थापित करन की पेशकश

5353. श्री राम सहाय पांडे :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोकर बी० एफ० डब्ल्यू० इन्टर-नेशनल द्वारा भारत में अपने निर्माण एकक स्थापित करने की पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) फोकर कम्पनी द्वारा भारत में निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है? तथापि, लाइसेंस के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा फोकर एफ-28 विमान बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए मैसर्स फोकर वी० एफ० डब्ल्यू० इंटरनेशनल से 1970-71 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि भारत में ऐसे विमानों की कोई मांग नहीं थी। कम्पनी ने इस प्रस्ताव को अक्तूबर, 1974 में पुन: दोहराया था। तथापि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि इसे विमान की संभावित मांग के कोई संकेत नहीं है।

Khajuraho Tourist Centre

5354. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of drinking water at Khajuraho tourist centre as a result of which tourists experience inconveniences ; and

(b) if so, the steps taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir, particularly during the summer months.

(b) The Department of Tourism, Government of India sanctioned in June 1972 a water supply scheme for Khajuraho Township at an estimated cost of Rs. 7.46 lakhs. This scheme is expected to be completed by the end of 1975.

भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का आयात कार्य

5355. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल, खाद्य-वस्तुओं तथा उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के आपात-राहत कार्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, हो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हाल की आर्थिक परिस्थितियों से गम्भीर रूप से ग्रस्त विकासशील देशों को समयोचित सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के मई, 1974 में हुए छठे विशेष सत्र में स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अनुसार आपातकालीन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि ऐसे देश साल भर तक बिना किसी रुकावट के आवश्यक माल का आयात कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गम्भीर रूप से प्रभावित ऐसे 29 देशों की जो सूची बनायी है उसमें भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आपातकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की व्यवस्था द्विपक्षीय या बहुपक्षीय माध्यमों से की जा सकती है, और बहुपक्षीय सहायता देने के प्रयोजन से अंशदान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक विशेष खाता खोला गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विशेष खाते से अब तक 70 लाख डालर की रकम प्राप्त हुई है और द्विपक्षीय आधार पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के आपातकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने अंशदान की पहली किस्त में से अनुदान के रूप में, 500 लाख डालर की रकम और नियत हुई है। यह रकम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए इस्तेमाल की जायगी।

विमान अपहरण की घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय

5356. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में विमानों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अपने विमानों तथा अपनी धरती पर विमानों के अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पिछले वर्षों की तुलना में 1974 में विमान अपहरण की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) अपने विमानों तथा अपनी धरती पर विमानों के अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) सी० आई० डी० द्वारा विस्तृत जांच करने के उद्देश्य से संभावित विमान अपहरण कर्ताओं/विध्वंसकारियों को छांट निकालने के लिये यात्रिसूचियों की कड़ी पडताल करना;

(ख) बहिर्गामी अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की शारीरिक छानबीन;

(ग) यात्रियों के साथ-साथ उनके हाथ के समान की भी पूरी तरह जांच करना;

(घ) अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में, यात्रि सहित सामान, माल तथा पोस्टल पार्सलों को, विमान में लादने से पहले, टाइम-बम की संभावना को दृष्टि में रखते हुए एहतियात के तौर पर 24 घंटे तक रोके रखना;

(ङ) शीघ्र उडान के लिए एप्रन पर खडे हुए विमान के लिए सशस्त्र गार्ड तैनात करना;

(च) साधारण कपडों में सी० आई० डी० के कर्मचारियों द्वारा विमानक्षेत्र के प्रस्थान क्षेत्रों में यात्रियों की निगरानी करना; प्रस्थान कक्ष तथा विमान के बीच के मार्ग पर निगरानी रखना;

(छ) एप्रेन को ले जानें वाले प्रवेश द्वारों पर गार्ड तैनात कर के वहां पर पहुंच को नियंत्रित करना तथा प्रवेश को केवल उन्हीं कर्मचारियों तक जिनके कोटों के लेपलों में अथवा कमीजों की जेबों पर फोटो पास लगे हों तथा विश्वसनीय यात्रियों तक सीमित करना;

(ज) विमान पर यात्रियों के चढ़ने तथा माल को चढ़ाने के लिए विमान को एप्रन पर खडा करने से पहले तोड़फोड़-विरोधी जांच करना; और

(झ) चुने हुए विमानक्षेत्रों पर धातु पता लगाने वाले उपकरण (मेटल डिटेक्टर) लगाना।

पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में स्थानान्तरण

5357. श्री के० एम० मधुकर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग में स्थानान्तरण और अखिल भारतीय स्थानान्तरण देनदारियों सम्बन्धी भत्तों पर प्रति-वर्ष भारी व्यय किया जाता है;

(ख) क्या इस विभाग में निम्न वेतनभोगी श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के कर्मचारियों के बार-बार स्थानान्तरण के कारण विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रक्षा लेखा नियंत्रक के सभी कार्यालयों में तथा विशेषकर पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय में, जहां प्रतिवर्ष स्थानान्तरण काफी बड़ी संख्या में होते हैं, क्षेत्रीय स्थानान्तरण की नीति बना रही है तथा उसे लागू कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं, श्रीमन।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमन। चुंकि रक्षा लेखा विभाग सशस्त्र सैनाओं से संबंधित कार्य करता है जिनके यूनिट और विरचनाएं विभिन्न स्टेशनों पर स्थित हैं, इस विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण होते रहना एक स्वाभाविक बात है और इसको उनकी सेवा शर्तों में स्पष्ट किया जाता है। अपेक्षित स्थानान्तरण नियंत्रकों द्वारा जिसमें पटना के नियंत्रक रक्षा लेखा भी शामिल हैं सर्वमान्य मानकों के अनुसार किये जाते हैं। इन मानकों को एक युक्तिसंगत स्थानान्तरण नीति में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में पटसन की खरीद

5358. श्री अर्जुन सेठी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने उड़ीसा में उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिये कोथ व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और पटसन का प्रति क्विटल सरकारी मुल्य क्या है; और

(ग) क्या यह व्यवस्था उत्पादकों में द्वारा अपना माल बेचने के लिये संतोषजनक और पर्याप्त नहीं है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पटसन निगम में तीन विभागीय क्रय केन्द्र स्थापित किये हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों द्वारा 30 प्राप्ति केन्द्र स्थापित किये गए है तो भारतीय पटसन निगम के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय पटसन निगम पटसन की खरीद औसतन 145 रु० और 155 रु० प्रति क्विटल के बीच की कीमतों पर करता रहा है।

(ग) ये प्रबंध करते समय फसल के परिणाम, भारतीय पटसन निगम के साधनों और सहकारिता तक की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। इनसे कीमतें कायम रखने में मदद मिली है जो कि न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे नहीं गिरी हैं।

पांचवी योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

5359. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण पांचवी योजना अवधि के लिये नियत केन्द्रीय सहायता राशि से केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अकाल और सूखा पीड़ित राज्यों को अग्रिम धनराशि देने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को जारी की गई ऐसी अग्रिम सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1974-75 के लिए उड़ीसा को किसी अतिरिक्त अग्रिम राशि देने का आश्वासन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी;

(ङ) उड़ीसा को पूरी पांचवीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता की कुल अधिकतम राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय सहायता में से कितनी राशि उड़ीसा को दी जा चुकी है और किन प्रयोजनों के लिए दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) सूखा राहत संबंधी व्यय के लिए उड़ीसा सरकार को आयोजना-गत सहायता अग्रिम में के सवाल पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है;

(ङ) और (च) पांचवी आयोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए राज्यों को अपनी आयोजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को अभी अन्तिम रूप से तय किया जाना है फिर भी उड़ीसा सरकार को उनकी 1974-75 की वार्षिक आयोजना के लि सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में 32.70 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर दी गयी है;

आल इंडिया बैंक ऑफ बडोदा एम्पालाईज फेडरशन बम्बई के महासचिव का मुअत्तिल किया जाना

5360. **श्री मधु दंडवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यताप्राप्त आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाइज फेडरेशन के महासचिव को जो बैंक के बम्बई स्थित मुख्य शाखा में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, इस आधार पर मुअत्तिल कर दिया गया है कि उन्होंने बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मुअत्तिल किये जाने के बाद आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पालाइज फेडरेशन को यह स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि उसकी मान्यता क्यों न समाप्त कर दी जाये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बैंक के एक अधिकारी श्री एन० राजगोपाल को जो "आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लायोज़ फैडरेशन" के महासचिव भी है, बैंक ने कुछ दुराचरणों के कारण "बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी सेवा नियमों" के अधीन निलम्बित कर दिया था। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि बाद में निलम्बित आदेश वापिस ले लिया गया। बैंक ने आगे यह भी बताया है कि "आल इण्डिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाइज फैडरेशन" अनुशासन संहिता के अधीन बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त एक यूनियन है। इसमें पहले कि बैंक इस फैडरेशन को मान्यता समाप्त करने को कार्रवाई करें। बैंक ने उक्त संहिता के कुछ उल्लंघनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दी गई वित्तीय सहायता

5361. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एकाधिकारी गृहों के अतिरिक्त औद्योगिक एककों की गत तीन वर्षों में वर्षवार, कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सामान्यतः बैंकों द्वारा कार्य-चालन पूंजी संबंधी प्रयोजनों के लिए दी गयी सहायता प्रायः ओवर ड्राफ्ट्स, नकद-ऋण (कैश क्रेडिट) हुंडियों, गारांटियों आदि के रूप में होती हैं और हर ऋणकर्ता से उन सुविधाओं के भीतर कार्य करने की आशा की जाती है। इन सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और ऋणकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उक्त सुविधा-सीमायें बढ़ाई, घटाई, निरस्त आदि की जाती है। अतएव, किसी वर्ग विशेष के ऋणकर्ताओं को किसी कालावधि विशेष में कितना ऋण दिया गया यह बताना सम्भव नहीं है। तथापि, किसी विशिष्ट तिथि को इन ऋण-सीमाओं के अन्तर्गत बकाया-राशि संबंधी सूचना बैंकों द्वारा रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अदयतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध एककों के अलावा अन्य औद्योगिक एककों को दिए गए ऋणों की बकाया राशियां दिसम्बर, 1971, 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवारों को इस प्रकार थीं:—

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को		
	1971	1972	1973
75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध एककों के अलावा अन्य औद्योगिक एककों को दिए गए ऋणों की कुल बकाया राशि	1308.28 (46.5)	1668.08 (55.1)	2226.52 (68.1)

टिप्पणी :

(1) कोष्ठकों में दी गयी संख्या सकल बैंक-ऋणों से 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों की प्रतिशतता की द्योतक है।

(2) इस उत्तर में प्रयुक्त पदावली "बकाया ऋण" ऋणकर्ताओं द्वारा अपनी मंजूरशुदा ऋण-सीमाओं के भीतर कार्य करते समय निर्दिष्ट तिथियों को निकाली गयी राशियां हैं और इसका अर्थ यह नहीं है कि वे राशियां इन ऋणकर्ताओं से अतिदेय (ओवर ड्यू) हो गयी हैं।

दीर्घकालीन-ऋण देने वाले अखिल-भारतीय वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया-आई०डी० बी० आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया-आई० एफ० सी० आई०), भारतीय जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी०), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू० टी०आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण एवम् निवेश निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया-आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के दौरान 75 बड़े घरानों से सम्बन्ध एककों को छोड़कर अन्य औद्योगिक एककों को स्वीकृत एवम् संवितरित वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1971-72		1972-73		1973-74	
	संस्वीकृत	संवितरित	संस्वीकृत	संवितरित	संस्वीकृत	संवितरित
भारतीय औद्योगिक* विकास बैंक (जुलाई-जून)	118.1	63.0	98.5	78.8	156.1	117.3
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (अप्रैल-मार्च)	30.47	15.48	41.58	23.05	41.09	24.53
भारतीय जीवन बीमा निगम (अप्रैल-मार्च)	20.88	3.83	9.85	4.65	16.30	12.51
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (अप्रैल-मार्च) .	5.97	0.74	3.73	0.80	4.61	3.56
भारतीय औद्योगिक ऋण एवम् निवेश निगम (अप्रैल-मार्च)	22.15	17.66	28.61	21.18	41.23	25.02

राज्य व्यापार निगम द्वारा मेवों का आयात

5362. श्री शशि भूषण : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मेवों का आयात अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इस का आयात किया जायेगा तथा उस की क्या शर्तें है;

(ग) क्या ईरान से मेवों का आयात नहीं किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ईरान से आयात फ्री फारेन एक्सचेंज के आधार पर होता है और अफगानिस्तान से आयात वस्तु विनिमय के आधार पर होता है इसलिए लाभ अधिक होता है; और

(ङ) क्या सरकार ईरान से भी मेवों का आयात करने पर पुनः विचार करेगी ?

*इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थानों के शेयर एवम् बाण्डों में अंशदान, बंगलादेश को विशेष ऋण और गारण्टी सहायता शामिल नहीं है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मेवों को आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है। तथापि 22-10-1974 को राज्य व्यापार निगम को अफगानिस्तान से मेवों का आयात करने के लिए 25 लाख रुपये मूल्य का सी० सी० पी० दिया गया है।

(ग) मेवे ईरान से आयात किये जा रहे हैं।

(घ) भारत तथा ईरान के बीच व्यापार करार के अन्तर्गत भुगतान दोनों देशों में स्वीकार्य मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाता है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत उस देश से आयात भारत से निर्यात करके संतुलित किये जाते हैं। लाभों के संबंध में तुलना करना कठिन है क्योंकि आयात अनेक व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं।

(ङ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भरती किए गए तकनीकी अधिकारियों का निम्न दर्जा

5363. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने क्लर्कों तथा लेखा अधिकारियों की तुलना में अनुभवी तथा उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले तकनीकी अधिकारियों को भर्ती किया है परन्तु उन्हें निम्न दर्जा दिया गया है ;

(ख) क्या बैंकिंग आयोग और पिल्लै समिति ने अपनी रिपोर्टों में इस विसंगति को दूर करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस संबंध में उसकी भावी नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी पदक्रमों (ग्रेडों) में तकनीकी अधिकारियों की भरती की है :—

(1) सहायक कृषि अधिकारी और सहायक आर्थिक **अधिकारी ग्रेड 'ई'** अर्थात रु० 325—20—445 — द० रो०—25—620।

(2) कृषि अधिकारी, लघु उद्योग अधिकारी, सम्पदा अधिकारी और सहायक कार्मिक अधिकारी—**अधिकारी ग्रेड 'डी'** अर्थात रु० 565—25—640—30—790—35—860—द० रो०—35—930—40-1130।

(3) कार्मिक अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, वित्तीय विश्लेषक आदि— **अधिकारी ग्रेड 'सी'** अर्थात रु० 700—30—790—35—930—40—1050— द० रो०—40—1090—45—1315।

बैंक ने प्रबंध विकास प्रबन्धक; सचिव, लघु उद्योग प्रबन्धक, विशिष्ट अधिकारी (कृषि) जैसे अ तकनीकी अधिकारियों को भी उपर्युक्त ग्रेडों से ऊंचे ग्रेड में नियुक्त किया है।

बैंक उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिये अर्हताओं और अनुभव का विशेष रूप से उल्लेख करता है। विभागीय परिपत्र के अलावा विज्ञापन प्रकाशित करके आवेदन पत्र मंगवाये जाते हैं और जो व्यक्ति शर्तें पूरी करते हों उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजने के लिए चुनने से पहले उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है। हाल ही में, विभागीय परिपत्र जारी करके किये गये एक चुनाव में कई लिपिकों को अधिकारी ग्रेड "ई" के रूप में चुना/नियुक्त किया गया है।

बैंक ने यह भी सूचना दी है कि बैंक में "लेखा अधिकारी (एकाउण्टस आफिसर) जैसा कोई पदनाम नहीं है। बैंकिंग आयोग ने सिफारिश की थी कि बैंकों के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के वेतन आदि को मानक रूप दिया जाय। उसके अनुसरण में नियुक्त की गई पिल्लै समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

राज्य व्यापार निगम के पास अनिर्णीत पड़े निकासी आदेश

5364. श्री बी० बी० नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम देश के अन्दर वस्तुओं की प्रभावी मांग का किस प्रकार अनुमान लगाती है;

(ख) क्या दो वर्ष पूर्व जारी किये गये निकासी आदेशों को राज्य व्यापार निगम अथवा उसके एजेंटों द्वारा अभी भी क्रियान्वित किया जाना है और यदि हां, तो विशेष रूप से किन वस्तुओं के बारे में आदेशों को क्रियान्वित किया जाना है; और

(ग) उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम उन विभिन्न मदों की आवश्यकताओं का उद्योग एवं सम्बद्ध सरकारी प्राधिकारियों के परामर्श से अनुमान लगाता है जिनके आयात निगम के माध्यम से मार्गीकृत हैं।

(ख) पैन्टा एरिथीटोल तथा गम अरेबिक के सम्बन्ध में रिलीज़ आर्डरों को छोड़कर दो वर्ष पूर्व जारी किये गये सभी रिलीज आर्डर पूर्ण रूप से पूरे किये जा चुके हैं। उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण जो उद्योग को स्वीकार्य नहीं थी, इन मदों के आयात की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका।

(ग) इन मदों की सप्लाई प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

कलकत्ता स्थित मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के कार्यालय पर छापे

5365. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर जांच अधिकारियों ने 22 नवम्बर, 1974 को मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी' कलकत्ता के कार्यालय पर छापे मारे थे तथा वहां की तलाशी ली थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य का उद्देश्य क्या था तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या संदिग्ध कागजात आदि के लिए उक्त कम्पनी के निदेशकों के निवास स्थानों पर भी छापे मारे गए थे,

(घ) यदि हां तो ऐसे निदेशकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या कम्पनी के अध्यक्ष का पता लग गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ) आयकर प्राधिकारियों द्वारा 22 नवम्बर, 1974 को मै० बर्ड एण्ड कं०, कलकत्ता के मामले में कोई तलाशी नहीं ली गई। लेकिन आयकर प्राधिकारियों द्वारा 22 नवम्बर 1974 को मै० हीलगर्स (प्रा०) लि० के व्यापारिक परिसरों की तलाशियां ली गयो जो बर्ड एण्ड कं० का एक समूह है और उसी इमारत जिसमें मै० बर्ड एण्ड कं० प्रा० लि० है; साथ ही उसके निदेशकों में से दो के तथा कम्पनी से सम्बद्ध

अन्य व्यक्तियों के निवासस्थानों की भी तलाशी ली गई। ये दो निदेशक हैं : श्री प्राण प्रसाद और श्री के० एल० दुआ। तलाशियों में बही-खातों और दस्तावेजों के अलावा, 55,800 रु० भी पकड़ा गया था। पकड़े गए माल की छानबीन की जा रही है। जिस कम्पनी की तलाशी ली गई उसका चैयरमैन कम्पनी के कार्यालय परिसर में था।

उपर्युक्त तलाशियां, कर-आबंटन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के एक भाग के रूप में ली गयी।

भारत में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं के बदले अन्य वस्तुएं भेजना

5366. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं के बदले में दी गई वस्तुओं के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो क्या विदेशी से चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं के बदले चावल, वनस्पति, बेबी फूड जैसी आवश्यक वस्तुएं भेजी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : देश में तस्कर आयात की जाने वाली वस्तुओं के बदले जिन वस्तुओं का सामान्यतया तस्कर निर्यात किया जाता है वें अफीम, चांदी, पुरावशेष तथा रत्न हैं। हाल ही में चावल और दालों का थोड़ी मात्रा में तस्कर-व्यापार किये जाने की भी कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

पांडेचरी की पार्टियों को तदर्थ लाइसेंस जारी किया जाना

5367. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक समाजवादी संसद् सदस्य से 30 सितम्बर 1974 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पांडिचेरी की पार्टियों को जारी किए गए तदर्थ लाइसेंसों के बारे में सूचना मांगी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना मांगी गई है; और

(ग) इस पत्र के उत्तर में क्या सूचना दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) समाजवादी संसद सदस्य से 30 सितम्बर को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें पांडिचेरी पार्टियों को जारी किये गये तदर्थ लाइसेंसों के बारे में जानकारी मांगी गई हो।

कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग

5368. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग गंभीर संकट से गुजर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मांग में कमी के कारण स्टाक जमा हो जाने के कुछ बाजार समाचार मिले हैं लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितना स्टाक जमा हो गया है क्योंकि कृत्रिम रेशमी वस्त्रों का उत्पादन अधिकांशतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होता है।

Deposits in Nationalised Banks

5369. **Shri Bhagatram Rajaram Manhar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether deposits in the nationalised banks have been constantly decreasing for the last two years ;

(b) if so, the annual deposits in each bank during the above period ;

(c) the reasons for this decline ; and

(d) the proposals under consideration to attract people to deposit money in banks again ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The aggregate deposits of the 14 nationalised banks have increased in asbsolute amounts during the last two years although, there has been a declaration in the rate of growth last year. The available figures of aggregate deposits in respect of each of the 14 nationalised banks, as on the last Fridays of October, 1972, 1973 and 1974, are set out in the Statement.

(c) & (d) Several factors like savings potential of the community, the rate of return on other comparable assets, alternative avenues for utilisation of savings, rate of currency expansion, credit policy etc. influence deposit growth. The banks besides undertaking sizeable branch expansion programmes to tap the saving potential in underbanked areas draw up a variety of deposit schemes to suit the specific requirements of divers types of depositors, including daily wage earners, fixed income groups professionals with fluctuating incomes etc. which are being widely publicised. The rates of interest on certain classess of deposits have also been increased by the Reserve Bank with effect from July 23, 1974.

STATEMENT

Aggregate Deposits (excluding inter-bank Deposits) of nationalised banks

(Rs. Crores

Bank	As on the last Friday of October		
	1972	1973	1974*
(1)	(2)	(3)	(4)
Nationalised Banks			
1. Central Bank of India	700	830	929
2. Bank of India	545	673	743
3. Punjab National Bank	573	678	755
4. Bank of Baroda	485	575	643
5. United Commercial Bank	320	391	424
6. Canara Bank	298	396	461
7. United Bank of India	270	331	390
8. Dena Bank	210	254	287
9. Syndicate Bank	225	298	344
10. Union Bank of India	227	300	346
11. Allahabad Bank	169	203	223
12. Indian Bank	139	193	244
13. Bank of Maharashtra	135	164	197
14. Indian Overseas Bank	127	170	204
TOTAL	4423	5456	6191

*Provisional.

NOTE.—Figures may not *add* up to totals due to rounding differences.

भारत और अन्य देशों के बीच वस्तु विनिमय

5370. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अन्य देशों के बीच वर्तमान वस्तु विनिमय सम्बन्धी समझौतों की मुख्य बातें क्या है तथा उनका कार्य कैसा चल रहा है; और

(ख) क्या कुछ और नए समझौतों पर बातचीत चल रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) इस समय अन्य देशों के साथ कोई वस्तु-विनिमय सौदे प्रवर्तन में नहीं हैं। इस प्रकार की प्रस्थापनाएं भी विचाराधीन नहीं हैं।

पूर्वी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा एकत्रित की गई धनराशि

5371. **श्री शिव नारायण शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में प्रीमियम के रूप में जीवन-बीमा निगम द्वारा एकत्रित की गई धनराशि को वहाँ नहीं लगाया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश की वर्तमान प्रणाली को संशोधित करने या उसमें सुधार करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ग) जीवन बीमा निगम निधियों का पूंजी-निवेश कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्रों में किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : राज्यों में निवेशों के लिये उपलब्ध रकम कुल प्रीमियम आय नहीं है अपितु प्रीमियम आय में से (i) प्रशासन का व्यय, (ii) दावे, (iii) अभ्यर्पित की गई पोलिसियों पर देय रकमें (iv) पालिसी धारियों को ऋण और (v) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की रकम को घटाकर निकाली गई रकम होती है। किसी राज्य विशेष में निवेश की गई वास्तविक रकम, जी० बी० नि० के निवेशों को खपाने के लिये संबंधित राज्य की जरूरत और संस्थागत क्षमता के अनुरूप है।

निम्नलिखित सारणी में कुल प्रीमियम आय तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों की तुलना में पूर्वी क्षेत्र में किये गये निवेशों की रकम बतायी गई है :--

	पूर्वी क्षेत्र	सभी राज्य (करोड़ रुपयों में)
1969–70 से 1973–74 तक की प्रीमियम आय .	293	1673
सकल निवेश	197	1045
प्रीमियम आय से कुल सकल निवेश का प्रतिशत अनुपात .	67.45	62.47

जीवन बीमा निगम के निवेशों में क्षत्रीय असन्तुलनों को ठीक करने की दृष्टि से निगम से कहा गया है कि वह योजना आयोग की स्वीकृति से ऐसी नई योजनाएं तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाये जो पिछड़े राज्यों की आवश्यकताओं और संस्थागत क्षमताओं के अनुरूप हों। यदि नई योजनाएं तैयार

करने का प्रयास असफल होता है तो संबंधित राज्यों द्वारा बाजार से लिये जाने वाले ऋणों को इस तरह से विनियोजित किया जाना चाहिए कि उनमें जीवन बीमा निगम अबतक जितना हिस्सा लेता रहा है उसकी अपेक्षा अधिक हिस्सा ले सके ।

(ग) सांविधिक उपबन्धों के अनुरुप, जीवन बीमा निगम की निधियों के निवेश के प्रमुख माध्यमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य स्तर की अन्य एजेन्सियों, उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक, बिजली बोर्ड और अन्य सांविधिक निगमों को प्रतिभूतियां ।

(ii) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के ऋण-पत्र और शेयर ।

(iii) ऋण (क) आवासीय योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को

(ख) जल-प्रदाय और जल मल-निकास योजनाओं के लिये नगर पालिकाओं को

(ग) पाइपों द्वारा ग्रामीण जल-पूर्ति योजना के लिये जिला परिषदों को

(घ) प्रमुख सहकारी आवास वित्त समिति को

(ङ) आवास और नगर विकास निगम लि० को

(च) सहकारी चीनी समितियों को

(छ) राज्य बिजली बोर्डों को

(ज) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कम्पनियों को

(झ) अपनी मालिकी का घर, बनाओं और आवास के लिये अन्य बन्धक ऋण योजनाओं के अधीन पालिसी-धारियों को

(iv) गृह सम्पत्ति और भूमि ।

उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश को अग्रिम धन की मंजूरी दिया जाना

5372. श्री नाथूराम अहिरराव :
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने राज्यों में अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये अगले दो तीन सालों के लिए नियत योजना राशि को अग्रिम रूप से इस वर्ष देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारें में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नगर मामला अभी भी विचाराधीन है तो इस पर निर्णय करने में केन्द्रीय सरकार कितना समय लेगी?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : केन्द्र द्वारा उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों की सुखे की स्थिति का जायजा ले लिया गया और राज्य सरकारों की उसकी सूचना दे दी गयी है । उनसे यह बताने का अनुरोध किया गया है कि वे स्थितिका का सामना करने के लिए क्या कदम उठा रहे ।

मध्य प्रदेश, उडीसा और राजस्थान की सरकारों से जबाब मिल गये है और उन पर बिचार किय जा रहा है, गुजरात सरकार से अभी उत्तर नहीं मिला है। आशा है कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही फैसला कर लिया जायगा ।

विभिन्न राज्यों के लिए बाजारसे ऋण लेने के लिए धन राशि का नियतन करने के बारे में मानदण्ड

5373. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए धनराशि का नियतन करने के बारे में सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित किया है ;

(ख) अगर कोई मानदन्ड निर्धारित नही किया गया है तो किस आधार पर राशियों का नियतन किया जाता है ;

(ग) क्या बाजार से ऋण लेने के लिये धनराशियोंका नियतन करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये वित्तिय अनुशासन या राज्य के पिछड़ेपन जैसे किसी मानदण्ड पर ध्यान नहीं दिया जाता और ;

(घ) क्या बाजार से ऋण लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति मांगी है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार कि क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जनता से ऋण लेने के कार्यक्रम को बरकरार रखने के लिए कितने साधन प्राप्त होने की संभावना है, इसका ध्यान रखते हुए 1974–75 के लिए वार्षिक आयोजना तैयार करते समय यह निर्णय किया गया था कि 1974–75 में राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा खुले बाजार से ऋण लेने की वास्तविक सीमा वही रखी जाए जो पिछले वर्ष अर्थात 1973–74 में रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गयी थी ताकि वे छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हैदराबाद राज्य विकास ऋणों को लौटाने के दायित्व को पूरा कर सक। योजना आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि सुनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर किस राज्य द्वारा बाजार से कितने ऋण लिया जाए।

(घ) मध्य प्रदेश सरकारने केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष में 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार का अनुरोध इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जनता से ऋण लेने के कार्यक्रम को बरकरार रखने के लिए जो साधन उपलब्ध है उनके अनुसार बाज़ार से अतिरिक्त ऋण लेना सम्भव नहीं है ।

Links between Sheikh Abdullah and Haji Mastan

5374. **Shri B. S. Chowhan** ; Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the press statement of Shri Atal Bihar Vajpayee to the effect that the former Prime Minister of Kashmir, Sheikh Mohammed Abdullah, has had close relations with the well known smuggler Haji Mastan and that he had stayed with Haji Mastan in Bombay ;

(b) if so, full facts in this regard ; and

(c) the details of the help Sheikh Abdullah received in various forms from Haji Mastau and the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The matter is being looked into.

नायलान फिलामेंट यार्न की कताई करने वाले व्यक्तियों द्वारा क्रिम्पड यार्न का उत्पादन

5375. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नायलान फिलामेंट यार्न की कताई करने वाले कितने वर्तमान व्यक्ति अपने क्रिम्पड यार्न उत्पादन करते हैं ;

(ख) इस प्रकार की कताई करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है ;

(ग) क्या इन नाईलोन के स्पिनरों को, जो क्रिम्पड यार्न का उत्पादन कर रहे हैं, नायलान फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित औद्योगिक लाईसेंस से भिन्न क्रिम्प्ड यार्न का उत्पादन करने के लिये पृथक औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है ; और

(घ) अगर नायलान स्पिनरों को क्रिम्पर्ड यार्न का उत्पादन करने के लिए पृथक औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो इस निति का अनुसरण करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नाइलोन फिलामेंट यार्न के वर्तमान आठ स्पिनरों में से पांच अपने क्रिम्पड यार्न का उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) (1) म० जे० के० सिंथेटिक्स, कोटा ।

(2) मे० मोदीपोन लि० , मोदी नगर ।

(3) मे० गरवारे नाइलोन्स लि०, पिम्परी, महाराष्ट्र ।

(4) मे० निर्लोन सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड कैमीकल्स लि०, बम्बई ।

(5) मे० स्ट्रेच फाइबर्स लि०, नागपुर ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) क्रिम्पड यार्न भी केवल नाइलोन फिलामेंट यार्न ही है परन्तु उसका कुछ टिवस्टिंग व प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि उसमें बेहतर टेक्सटाईल गुण आ जायें। अत : नाइलोन की कताई करने वालो द्वारा क्रिम्प्ड नाईलोन यार्न के उत्पादन के लिये कोई अलग औद्योगिक लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

ग्लोब मोटर्स कम्पनी की प्रबंध समिति के सदस्यों की आय के स्रोतों के बारे में जांच

5376. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ग्लोब मोटर्स कम्पनी, दिल्ली की प्रबन्ध समिति के सदस्य अपनी आय से अधिक धन खर्च करके अपने पास जमा जनता की धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला और इसपर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मूखर्जी) : (क) से (ग) आय-कर विभाग को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। कम्पनी कार्य विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

ट्रेड मार्क का नवीकरण कराने के लिए विदेशी कम्पनियों से आवेदन-पत्र

5377. **श्री वैंकारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन कौन सी विदेश कम्पनियां हैं जिन्होंने अपने ट्रेड मार्क के प्रयोग का नवीकरण करने के लिये आवेदन दिये हैं ; और

(ख) किन किन कम्पनियों के आवेदन पत्र मंजूर किये गये है और किन किन फर्मों के आवेदन पत्र नामंजूर किये गये है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जिन कम्पनियों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28(3) के साथ पठित धारा 28(1) (ग) के अन्तर्गत अपने अपने व्यापार चिह्नों का प्रयोग करने की अनुमति मांगी है, उनके नामों आदि की सूची बनायी जा रही है और यह सूची लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इन आवेदन पत्रों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया में जांच हो रही है।

Deductions made from salaries and allowances of Air India Pilots during lock-out

5378. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Sardar Swaran Singh Sokhi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the deductions made from salaries and allowances of Air India pilots for the period of last lock-out ;

(b) the number of meetings held between the 'Guild' and Government with a view to ending the strike and lifting the lock-out ; and

(c) whether any lasting solution has been found in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) For the duration of the illegal strike and the consequent lock out, the striking pilots were not paid salary or other fixed allowances. The amount of such salaries and allowances lost by them for the period between 3rd August 1974 to October 31, 1974, is approximately Rupees twenty eight lakhs.

(b) A few office bearers of the Guild met the Minister on a couple of occasions in connection with the strike.

(c) All the line pilots who had gone on an illegal strike and who were locked out with effect from 3rd August, 1974 have given individual undertaking accepting to operate on the basis of the slip pattern. The pilots have also accepted that any pattern of operations and of crew scheduling is a management function.

Efforts to Attract Tourists to Ladakh

5379. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some fresh endeavours have been made to attract tourists to Ladakh and if so, the facts thereof ;

(b) whether facilities of air-services and other means of communications are included in those efforts ; and

(c) whether these means and facilities are proposed to be given publicity in India and abroad so as to attract Indian and foreign tourists ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) The restrictions on visit of foreign tourists to certain parts of Ladakh were relaxed only from 4th June 1974. About 540 foreign tourists visited Leh upto 22nd November 1974, according to the State Government's report. It has been decided to bring out a map-folder indicating all the areas recently re-restricted including certain parts of Ladakh. Information about places of tourist interest in Ladakh and of the facilities available there for foreign tourists has also been circulated by the Department of Tourism to Air-India and Government of Tourist Offices in India and abroad.

Leh is at an altitude of 3,292 metres above msl. None of the aircraft in the fleet of Indian Air-lines at present is suitable for operating to Leh in Ladakh.

भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति का गठन

5380. **श्री वनमाली बाबू :**
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में एक संयुक्त भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति का गठन किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक भारत-ब्रिटेन संयुक्त समिति की स्थापना के लिए एक प्रस्थापना भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि समिति के कार्यकलापों/उद्देश्यों के अन्तर्गत भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में वृद्धि करने के मार्गोपायों का पता लगाना, दोनों देशों के अपने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से संगत रहते हुए उनके बीच दुतरफा व्यापार को बढ़ाने के लिए संवर्धन कार्यों जैसे कि व्यापार मिशनों, प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि के संबंध में विचार करना शामिल होंगे। यह प्रस्थापन है कि यह समिति परामर्श समिति होगी और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ दोनों सरकारों को सिफारिशें करेगी। समिति की बैठकें समय समय पर होंगी।

(ग) चूंकि प्रस्थापना दोनों सरकारों के विचाराधीन है, इस स्तर पर यह बताना कठिन है कि किस समय तक इसके स्थापित होने की संभावना है।

ऋण प्रतिबन्धों में छुट

5381. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऋण प्रतिबन्धों में चयन के आधार पर छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अधिक काम काज की वर्तमान अवधि (नवम्बर 1974 से अप्रैल, 1975) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्टूबर, 1974 को घोषित ऋणनीति के अनुसार चयनात्मक आधार पर, लगातार पूंजी लगाने, उत्पादन बढ़ाने और जरूरी वस्तुओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण का इस्तेमाल करने की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा ऋण की नीति पर लगातार नजर रखी जाती है और उसमें स्थिति के अनुसार आवश्यक फेर-बदल किया जायगा।

Raids on Star Paper Mills

5382. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) the names of the places and dates on which the raids were conducted on the residences of the owners of the Star Paper Mills, Saharanpur ;

(b) the outcome thereof ; and

(c) the action being taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Star Paper Mills Ltd. is a public limited company and Bajorias control the company as directors and executives. The searches were conducted at the residences of the Bajorias as under :

(i) Shri B. P. Bajoria, Managing Director; search at Saha ranpur on 25-26.9.74 search at Calcutta on 25th and 27th September, 1974.

(ii) Shri S. S. Bajoria, Executive; search at Saharanpur on 25th and 26 th September, 1974 ; search at Calcutta on 25th and 27th September, 1974.

(iii) Shri H. S. Bajoria, Executive; Search at Saharanpur and Calcutta on 25th and 27th September, 1974.

(iv) Shri U. S. Bajoria, Executive; Search at Calcutta on 25th September, 1974.

(v) Shri R. S. Bajoria, member of the family; searches at Calcutta on 25th September and at Delhi on 25th September and 3rd October, 1974.

(vi) Bajoria Family house at Fetehpur in Rajsthan was searched on 25th September, 1974.

(b) Cash Rs. 73,400, Jwellery worth about Rs. 13 lakhs and silver utensils worth about Rs. 1,12,500 have been seized or kept under attachment. Documents indicating concealed business activities have also been seized.

(c) The siezed materials are under scrutiny. In cases where valuable assets have been seized, action under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 for passing an order in a summary manner estimating the undisclosed income and retaining the seized assets to cover the tax liability has been initiated. Further action as called for under the law will be be taken on completion of investigations.

ग्राम बैंक व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए कार्यक्रम

5383. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री वसन्त साठे :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय अनुसचिवीय समिति ने देश में ग्राम्य बैंक व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सिफारिश की नई योजना सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जायेगी; और

(ग) यदि हां तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) उद्योग और सिविल पूर्ति मंत्री श्री टी० ए० पै की अध्यक्षता में गठित एक दल ने कृषकों, विशेष कर छोटे और सीमन्तिक कृषकों और अन्य ग्रामीण उत्पादकों की ऋण और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के वास्ते हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सब से उपयुक्त संस्थागत पद्धति का पता लगाने के प्रश्न पर गहराई से विचार किया था। दल ने यह महसूस किया कि यथासंभव कृषकों की खेती की भूमि के समीप ही एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उन्हें (अल्पावधिक और सावधिक दोनों) ऋण, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, विपणन सेवाओं और तकनीकी मार्गदर्शन सहित सभी सेवाओं की एक साथ व्यवस्था कर सके। मौजूदा अथवा नयी सहकारी समितियों को छठी आयोजना अवधि के अन्त तक, जैसे कि कृषि विषयक राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिकल्पना की गयी है, अपेक्षाकृत बड़े, अधिक सक्षम, व्यावसायिक रूप से संचालित करने की आवश्यकता होगी और इन्हें कृषक सेवा समितियों के स्तर तक ले जाना पड़ेगा। यद्यपि इस प्रकार की समितियों का वित्तपोषण ठीक ढंग से कार्य कर रहे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किया जाना जारी रहेगा फिर भी, उन क्षेत्रों का सावधानी से पता लगाने के बाद जिन में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य करना संभव नहीं है, उन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहायता से अपनी ग्रामीण शाखाओं के कार्यक्षेत्र में इस प्रकार की समितियों गठित करने की कोशिश करेंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दूर दूर तक फैले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम बनाते समय उस विशिष्ट क्षेत्र में इस प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या और उनकी सक्षमता का ध्यान रखना चाहिये।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श इन सिफारिशों को लागू करने के प्रति अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

विभिन्न मिलों को आयात लाइसेंस जारी करना

5384. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंच्युरी रेयन, मफतलाल ग्रुप, डी० सी० एम० को संश्लिष्ट धागे तथा अन्य 'टैक्सटाइल सामग्री' का आयात करने के लिए वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कितने आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है कि सभी आयातित वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन क्षमता में किस प्रकार उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जारी किए गए सभी आयात लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। फर्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बम्बई का तुलनपत्र

5385. श्री माधुर्य हाल्दर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'चिटें' जारी करने वाली उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का वर्ष 1973 का तुलना पत्र अभी तक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लि० बम्बई के तुलन-पत्र का निरीक्षण अब साधारण जनता कर सकती है क्योंकि रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, बम्बई ने 18 दिसम्बर, 1974 को इसे अपने रिकार्ड में शामिल कर लिया है।

लीड बैंकों के विशेषाधिकार तथा दायित्व

5386. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जिलों के लिए नियुक्त किए गए लीड बैंकों के विशेषाधिकार तथा दायित्व क्या है ;

(ख) क्या लीड बैंकों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कोई तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले के लिए कौन से लीड बैंक हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लीड बैंक योजना में वाणिज्यिक बैंकों को विशिष्ट जिले सौंपने की परिकल्पना की गई है जहां वे, बैंकिंग कार्य के विस्तार की सम्भावना का सर्वेक्षण करने, शाखाओं का जाल फैलाने और ऋण सुविधा का विस्तार करने में नेतृत्व करेंगे। लीड बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह सहयोग-संघ (कान्सोशियम) के नेता के रूप में कार्य करेगा और जिले में काम करने वाले अन्य बैंकों से, जमाएं एकत्र करने, ऋण की वास्तविक और सम्भावित आवश्यकताओं का पता लगाने का अनुरोध करेगा तथा उन्हें पूरा करने से सहयोग देगा।

(ख) प्रत्येक लीड बैंक अपने लीड जिलों में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में किये गये कार्य की आवधिक समीक्षा सम्बन्धित बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा की जाती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्थापित की गई जिलास्तर सलाहकार समिति उस क्षेत्र में बैंकों की कार्य-योजनाओं का आरम्भ करने और उनका समन्वय करने वाला प्राथमिक निकाय है। प्रत्येक राज्य में बैंकिंग कार्य के विकास की समीक्षा राज्य स्तर की समन्वय समितियों की बैठकों में और क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की बैठकों में भी की जाती है।

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में लीड बैंक

लीड बैंक का नाम	जिले का नाम
भारतीय स्टेट बैंक समूह . . .	1. नांदेड
	2. परभणी
	3. भीर
	4. उस्मानाबाद
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया . .	1. अहमदनगर
	2. धुलिया

लीड बैंक का नाम	जिले का नाम
	3. जलगांव
	4. बुलढाणा
	5. अकोला
	6. अमरावती
	7. यवतमाल
	8. औरंगाबाद*
बैंक आफ इण्डिया . . .	1. वर्धा
	2. नागपुर
	3. भण्डारा
	4. चान्दा
	5. शोलापुर
	6. सांगली
	7. कोल्हापुर
	8. रत्नागिरी
	9. कोलाबा
बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	1. सातारा
	2. पूना
	3. ठाणा
	4. नासिक

राज्यों की राजधानियों का दिल्ली से विमान सम्पर्क

5387. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों की कौन-कौन सी राजधानियों का दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की सीधी उड़ान से सम्पर्क है ; और

(ख) क्या भुवनेश्वर का दिल्ली से सीधी उड़ान सेवा द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

*बैंक आफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्न प्रदेशों की राजधानियों का दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की सीधी उड़ानों से सम्पर्क है :—

राज्य	राजधानी
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
बिहार	पटना
गुजरात	अहमदाबाद
जम्मू-व-काश्मीर	श्रीनगर
कर्णाटक	बंगलौर
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	बम्बई
पंजाब/हरियाणा	चण्डीगढ़
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	मद्रास
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच प्रतिदिन एक ओर का औसत यातायात 15 यात्री था। इसमें दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच यात्रा करने वाले यात्री भी शामिल हैं। अतः दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी बोइंग-737 विमान सेवा वाणिज्यिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं होगी तथा इंडियन एयरलाइंस की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, फिलहाल दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी जेट विमान सेवा प्रारंभ करना संभव नहीं होगा।

Incomplete Projects of States

5388. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the States which are facing difficulty in completing the projects under construction due to paucity of funds ;

(b) the requirements of each of the States for this purpose and the reaction of the Central Government thereto ;

(c) the likely impact of this situation on development works of those States and on the economic progress of the entire country; and

(d) the names of States which received assistance from international agencies for completing their projects and the names of the projects for which assistance was given from these agencies ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) Some States have represented that their Plans do not provide adequately for projects under construction particularly in the irrigation and power sectors. These projects are, however, not due for completion this year. In view of the financial stringency it has not been possible for the Centre to provide special assistance to States for particular projects. They have been advised to try and find adequate resources whithin their means in the current year for important on-going projects. The State Governments concerned are endeavouring to do so. The final picture will be known in due course.

(d) Assistance from international agencies towards outlays on particular projects of the States forms part of the overall resources of the Centre, and does not flow direct to the States or the projects. The Centre provides assistance to the States in the form of Central assistance for State Plans and under Centrally sponsored/Central Sector Plan schemes.

Smuggling of opium to Foreign Countries

5389. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the smuggling of opium in a large quantity to foreign countries from India ; and

(b) if so, the effective steps taken or proposed to be taken by Government to check smuggling of opium ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Government has no information that opium is being smuggled to foreign countries from India in large quantities.

Judging by the figures of seizure effected by various enforcement agencies, it appears that the smuggling of opium to foreign countries from India is not of any significant magnitude.

(b) Steps are continuously taken to ensure proper control in the growing areas and at the points of outlet in close collaboration with various enforcement agencies such as Customs, State Excise and Police, the Central Bureau of Investigation, Directorate of Revenue Intelligence, Border Security Force, etc. to ensure that the smuggling is prevented.

निर्यात ऋण विषयक उच्चस्तरीय समिति

5390. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एस० पटेल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण विषयक एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के निर्यात निष्पादन के संदर्भ में समिति के कृत्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

भारत और बंगलादेश के बीच वार्षिक व्यापार विनिमय का विस्तार

5391. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश ने 21 दिसम्बर, 1974 तक तीन महीनों के लिए दो देशों के बीच वार्षिक व्यापार विनिमय का दोबारा विस्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) तीन वर्षों के संतुलित व्यापार करार के अन्तर्गत 35 करोड़ रु० की इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) दोनों ओर से आवश्यक माल के आवागमन को कायम रखने के उद्देश्य से भारत और बंगला देश के व्यापार करार संबंधी संलेख की पहले वर्ष की व्यापार योजना, जोकि 27 सितम्बर, 1974 को समाप्त हो रही थी, की समाप्ति तारीख को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1974 कर दिया गया। सितम्बर, 1974 में ढाका में हुई व्यापार वार्ताओं के दौरान, वह सहमति हुई कि : (1) पहले की जा चुकी संविदाओं की अवधि को कीमतों सहित कुछ शर्तों के आधार पर 31-12-74 तक बढ़ाया जाएगा; (2) भारत से कोयला और बंगला देश से पटसन के संबंध में अवधि के दौरान सप्लाई हेतु निर्धारित मात्राएं क्रमश: 1.65 लाख मे० टन कोयला और 1 लाख गांठ पटसन थीं; (3) बढ़ाई गई अवधि के दौरान व्यापार में असन्तुलन को कम करने के लिए प्रयास किये जाएंगे। चुंकि दोनों तरफ से सप्लाइयां अभी मार्गस्थ है और कोयले और पटसन की सप्लाई के लिए सुपुर्दगी अवधि 28-2-1975 तक बढ़ा दी गई है, अत: कमी की मात्रा का तभी पता चलेगा जबकि दोनों तरफ से सप्लाइयां पूरी हो जाएंगीं।

कर्नाटक एक्सपोर्टस लिमिटेड द्वारा आयात नियंत्रण विनिमयों का उल्लंघन

5392. श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक एक्सपोर्टस लिमिटेड ने आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि कर्नाटक एक्सपोर्टस लिमिटेड ने आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमों के उपबन्धों का प्रत्यक्षत: उल्लंघन किया है।

(ख) प्रारम्भिक जांच पड़ताल के बाद यह देखा गया कि यह फर्म अपनी निर्यात बाध्यता निभाने में असफल रही है जोकि एक निर्यात सदन के रूप में उनको जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में लगाई गई थी। जांच पड़ताल से यह भी पता चला है कि इस फर्म ने संभवत: आयातित कच्चा माल उन एककों को वितरित कर दिया है जोकि इस प्रकार का माल लेने के पात्र नहीं थे। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद फर्म के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही को जायेगी जो कि भारतीय व्यापार नियन्त्रण विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक समझी जाएगी।

काजू की खेती के लिए निगम

5393. श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय काजू निगम ने देशमें काजू को खेती को बढ़ावा देने के लिए पृथक निगम बनाने की कोई योजना बनाई है ताकि काजू उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है और क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अयस्क उत्पादक देशों की बैठक

5394. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही अयस्क उत्पादक देशों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देश इस बैठक में भाग लेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नवम्बर, 1974 में जनेवा में लौह अयस्क निर्यातक देशों के ग्रुप को एक मंत्रिस्तरीय बैठक में हुए विनिश्चयों के अनुसरण में इन देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रारम्भिक समिति की एक बैठक 13 जनवरी से 15 जनवरी, 1975 तक नई दिल्ली में होगी।

(ख) इस बैठक में भाग लेने के लिए अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, बोलीविया, ब्राजील, कनाडा, चिल्ली, गेबोन, गिन्नी, लाईबेरिया, मलयेशिया, मोरितानिया, फिलिपीन्स, पेरू, सियरा, लियोन, स्वाजीलैंड, स्वीडन, टयूनीशिया तथा वैनेजुला को आमन्त्रित किया गया है।

सरकारी उपक्रमों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण

5395. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों के वेतन-ढांचों में संशोधन, प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर किये गये हैं। वेतन सम्बन्धी ऐसे सभी समझौतों पर सरकार को स्वीकृति लेना आवश्यक है। पिछले एक वर्ष के दौरान 60 समझौते किए गये हैं। सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि वेतन में संशोधन करते समय उपक्रमों के बीच जो असमानताएं हैं, उन्हें अधिकाधिक दूर किया जाय और वेतन-ढांचों तथा अन्य उपान्त लाभों को तर्कसंगत बनाया जाय।

मध्य प्रदेश में आरम्भ किए गए राहत कार्य

5396. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सहायता मिलने के बावजूद राहत कार्यों के अन्तर्गत केवल उन्हीं योजनाओं को आरम्भ करने का निर्णय किया है जिन्हें पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में जहां भी आयोजनागत निर्माण कार्य किये जा रहे हैं इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है फिर भी हाल के सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये उन्होंने आयोजना-भिन्न सहायता और अभाव ग्रस्तता संबंधी अन्य राहत देने के संबंध में निर्माण-कार्य शुरू किये हैं। राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के लिए सहायता देने के प्रश्न पर उसके परामर्श से विचार किया जा रहा है।

जापान के प्रति लौह-अयस्क नीति के लिए भारत की कथित आलोचना

5397. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने उस के प्रति भारत को लौह-अयस्क नीति को आलोचना को है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निप्पन स्टील कारपोरेशन की ओर से इस आशय के कथन सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों की वजह से चालू वर्ष के दौरान जापान को लौह अयस्क को सप्लाइयों में कुछ गिरावट आई है । तथापि, इस स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं

5398. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कुल कितनी शाखायें हैं ;

(ख) निकट भविष्य में और कितनी नई शाखायें खोली जायेंगी ; और

(ग) नई शाखायें खोलते समय बैंक द्वारा किन किन बातों पर विचार किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जुलाई 1974 के अन्त तक उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक के 115 कार्यालय थे जिन में से 59 कार्यालय ग्रामीण केन्द्रों में अवस्थित थे ।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आजकल बैंक 1975-77 की अवधि के लिए शाखा विस्तार की अपनी तीन वर्षीय रोलिंग योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं । यह भी सूचना मिली है कि जुलाई, 1974 के अन्त तक उड़ीसा के ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 20 लाइसेंस/आबंटन-पत्र थे ।

(ग) नयी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा जो मुख्य मापदण्ड अपनाया जाता है उस का सम्बन्ध बचत जुटाने तथा उत्पादक उद्यमों को ऋण देने की क्षमता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, 'लीड' जिम्मेदारी, मौजूदा बैंक शाखा जाल आदि जैसे पहलुओं से होता है ।

उड़ीसा की यात्रा करने वाले पर्यटक

5399. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कुल कितने पर्यटकों ने उड़ीसा की यात्रा की ;

(ख) वे कितने स्थानों को देखने गये ;

(ग) क्या इन पर्यटकों से अर्जित धन में से कुछ राशि को सरकार ने उन पर्यटक स्थलों पर खर्च किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारत आधार पर रखता है, राज्यवार आधार पर नहीं । अंतर्देशीय पर्यटकों के यातायात से संबंधित आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते ।

पिछले दो वर्षों के दौरान आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थीं ।

वर्ष	आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक
1972	342,950
1973	409,895

1972-73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण की अवधि के दौरान कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के 1.4% ने पुरी की यात्रा की तथा 0.9% ने भुवनेश्वर की यात्रा की ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क के कुछ मामलों को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों से इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष राजस्व अर्जित नहीं करती ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा उड़ीसा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगों को दी गई धनराशि

5400. श्री पी० गंगादेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा उड़ीसा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विभिन्न उद्योगों को कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी ;

(ख) उन परियोजनाओं के विवरण क्या हैं जिनके प्रार्थनापत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचाराधीन है ;

(ग) इन के संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सम्भवतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया——आई० डी० बी० आई०) द्वारा उड़ीसा में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी गयी वित्तीय सहायता के विषय में जानकारी अपेक्षित है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले दो लेखा-वर्षों अर्थात् 1972-73 और 1973-74 (जुलाई-जून) के दौरान उड़ीसा में अवस्थित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संस्वीकृत की गयी कुल वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	संस्वीकृत वित्तीय सहायता
1972–73.	1.78 ;
1973–74.	3.58

उपर्युक्त वित्तीय सहायता में उन दो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मंजूर की गयी निम्नलिखित प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी शामिल है, जिनके साथ दो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड प्रवर्तक/शेयर होल्डर के रूप में सम्बद्ध है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	संस्वीकृत वित्तीय सहायता
1972–73.	शून्य
1973–74.	1.74

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है ।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के विचाराधीन उड़ीसा राज्य में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा—30-11-1974 की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	एकक का नाम	परियोजना की लागत	आई०डी०बी० आई० से मांगी गयी सहायता	वर्तमान स्थिति
1.	इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड	3830.00	1200.00*	इस कम्पनी द्वारा, प्रस्तावित संघटित औद्योगिक कम्प्लेक्स के विषय में विस्तृत आवेदनपत्र और ब्यौरेवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट सम्बद्ध संस्थानों को अभी तक दी नहीं गयी है ।
2.	जयश्री केमिकल्स लिमिटेड	450.00	290.00*	बाजार एवम् विधायन विषयक सम्भाव्यताओं के विशेष प्रसंग में प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।
3.	कोणार्क जूट मिल्स लिमिटेड	450.00	बतायी नहीं गयी है	विचाराधीन है।
4.	उड़ीसा टायर लिमिटेड .	2600.00	–तदेव–	कम्पनी द्वारा अभी केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करना और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना शेष है ।

*अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी में ।

क्रम सं०	एकक का नाम	परियोजना की लागत	आई०डी०बी० आई० से मांगी गयी सहायता	वर्तमान स्थिति
5.	हीरा स्टोल्स एण्ड एलायज लि०	150.00	बतायी नहीं गयी है	कम्पनी से संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी आनी है।
6.	उत्कल गैसेज लि०	169.00	–तदेव–	कम्पनी से 'लेटर आफ इन्टेंट' सहित कुल मूलभूत सूचना अभी आनी है।

Opening of New Branches of S. B. I. in Madhya Pradesh

5401. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of new branches of the State Bank of India likely to be opened in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan Period ; and

(b) the particulars of their locations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) For branch expansion banks formulate three year rolling plans. Reserve Bank have reported that currently the banks are engaged in formulating their branch expansion plans for the period 1975-77. However, the Reserve Bank have also reported that as at the end of September, 1974 the State Bank of India and its subsidiaries had 49 licences/allotments on hand for opining offices in Madhya Pradesh. The list of the centres to which these licences/allotments relates is set out in the *Annexure*. **[Placed in the Library** *See* **No. L.T. 8858-74].**

Commodities produced and exported from Madhya Pradesh

5402. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the commodities produced in Madhya Pradesh during the last quarter of 1973 and first quarter of 1974 and the quantity of commodities exported to foreign countries during this period ;

(b) the amount of foreign exhange earned as a result of this export ; and

(c) whether there has been some increase in export during this period as compared to the export made during the said period of last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwa Nath Pratap Singh) : (a) State-wise break-down of export statistics are not available.

(b) & (c) Do not arise.

Supply of Mill made cloth to Madhya Pradesh

5403. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of mill-made coarse cloth supplied to Madhya Pradesh for distribution at controlled rates ;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have requested that sarees, lungis and cloth of medium quality may be supplied to the State by the Cotton Textile Commission ; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwa Nath Pratap Singh) : (a) 4300-1/4 bales of controlled cloth out of July packing ; 3916-1/4 bales out of August packing ; 4469 bales out of September packing and 4472-1/4 bales out of October packing were allotted to Madhya Pradesh. In addition, 183½ bales of controlled cloth out of November packing has been allotted to that State.

(b) The Government of Madhya Pradesh, in November, 1974, requested the Textile Commissioner for a monthly allotment of dhoties, sarees, printed shirting gray and bleached long cloth and drill in certain proportions.

(c) With regard to their demand for more quantities of dhoties and sarees, the Government was informed that it was not possible to meet their demands to the full extent as these varieties were in short supply.

Black Money Unearthed in Madhya Pradesh

5404. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of back money recovered in Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) the number of persons against whom action was taken in this connection ; and

(c) the number of persons prosecuted and convicted during this period, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The number of searches made by the Income-tax authorities in Madhya Pradesh during the last two years for unearthing unaccounted money and the value of assets seized in these searches are as under :—

Year	No. of searches	Value of assets seized (Rs. in thousands)
1972-73	4	97
1973-74	42	3824

(c) The number of prosecutions launched and the number of convictions obtained during this period in Madhya Pradesh are as under :

Year	No. of prosecutions launched	No. of convictions obtained
1972-73	—	—
1973-74	9*	—

*All the nine cases are pending in the Court.

7—46 LSS (ND)/74

पांच स्टार होटल

5405. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पांच स्टार होटलों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनकी आय, व्यय तथा वहां कर्मचारियों की कुल संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक होटल में एक बिस्तर वाले, दो बिस्तरों वाले तथा परिवारों के लिये कुल कमरों की वार्षिक संख्या क्या है ; और

(घ) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और भी होटल खोलने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 8859/74**]

(ख) सरकारी क्षेत्र के होटलों के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

(1) अशोक होटल, नई दिल्ली

(5-स्टार डीलक्स होटल के रूप में वर्गीकृत)

(लाख रुपयों में)

	1972–73	1973–74
आय	319.36	354.96
व्यय	287.10	302.11
कर्मचारियों की संख्या	31-3-73 को 1502	31-3-74 को 1511

(2) अकबर होटल, नई दिल्ली

(5-स्टार वर्ग के समान सुविधाएं एवं स्टैण्डर्ड प्रदान करनें वालें)

(लाख रुपयों में)

	1972–73	1973–74
आय	9517	111.74
व्यय	88.38	106.69
कर्मचारियों की संख्या	31-3-73 को 345	31-3-74 को 408

(3) होटल अशोक, बंगलौर

(5-स्टार वर्ग के समान सुविधाएं एवं स्टैण्डर्ड प्रदान करने वाले)

(लाख रूपयों में)

	1972–73	1973–74
आय	74.13	84.31
व्यय	68.50	77.46
कर्मचारियों की संख्या	31-3-73 को 280	31-3-74 को 235

उपर्युक्त सूचना निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले होटलों के बारे में पर्यटन विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) इस समय सरकारी क्षेत्र में नए 5-स्टार होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन नहीं है। परन्तु निजी क्षेत्र में कुछ होटल प्रायोजनाएं ऐसी हैं जिन के प्लान तैयार किये जा रहे हैं अथवा जो निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं और यदि वित्तीय साधन और निर्माण की सामग्री आदि उपलब्ध हो जाती है तो उन होटलों के पांचवीं योजना की अवधि में तैयार हो जाने की संभावना है।

जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने के लिए पालिसीधारियों को दिए गए ऋण

5406. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में और इससे पूर्व तीन वर्षों में मकान बनाने के लिए पालिसी धारियों को कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) कौन-कौन सी श्रेणी के पालिसी धारी उक्त ऋण पाने के लिए पात्र हैं ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी-कितनी धन राशि की व्यवस्था की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान जीवन बीमा निगम ने अपनी "अपने मालिको के घर बनाओ" योजना और साथ ही अपनी बस्ती-विकास योजना के अन्तर्गत अपने पालिसीधारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए 567.91 लाख रु० की रकम मंजूर की थी। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1972-73, 1971-72 और 1970-71 के लिए जीवन बीमा निगम के संगत ऋणों की रकम क्रमशः 557.09 लाख रु०, 488.45 लाख रु० और 371.62 लाख रु० थी। चालू वर्ष के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जिन वर्गों के पालिसी धारियों को ऋण मंजूर किये जा सकते हैं वे इस प्रकार है :—

1. ऐसे पालिसीधारी जो कर्मचारी हैं और जो अपने नियोजन के स्थायित्व के बारे में जीवन बीमा निगम को संतुष्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों के स्थायी या पक्के कर्मचारी आमतौर पर इस शर्त को पूरा करने वाले माने जाएंगे :

(i) केन्द्र या राज्य सरकारें।

(ii) नगरपालिका, नगर निगम स्थानीय बोर्ड, संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित कोई प्राधिकरण या निगम या बोर्ड अथवा कोई सरकारी कम्पनी ।

(iii) ऐसी कोई कम्पनी जिसके अधिमान्य और/अथवा साधारण शेयर, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क(1) में यथा-परिभाषित, स्वीकृति कोई निवेश है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत कोई अन्य नियोजक ।

2. अन्य पालिसीधारी ।

(ग) पालिसीधारियों को कुल ऋण-सहायता के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में की यई व्यवस्था अनुमानतः 3,829.42 लाख रु० है ।

पटसन तथा रुई के लिये समर्थन मूल्य

5407. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष पटसन तथा रूई के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है ;

(ख) इस वर्ष कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस वर्ष क्रय काम के लिये पटसन तथा रूई निगमों द्वारा किस भूमिका के निभाने की सम्भावना की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हालांकि कच्ची पटसन के लिए सांविधिक न्यूनतम कीमत निर्धारित की जा चुकी है फिर भी रुई के लिए ऐसी कीमतें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ख) इस मौसम में कच्ची पटसन तथा रुई का उत्पादन क्रमशः 48 लाख गांठे तथा 62 लाख गांठे होने का अनुमान है ।

(ग) भारतीय पटसन निगम पटसन खरीदने में अपने उपलब्ध साधनों को उन बाजारों में लगा रहा है जहां चल रही कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों के अपेक्षाकृत करीब हैं । भारतीय रुई निगम की खरीददारियों की सीमा पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

लातीनी अमरीका के काफी उत्पादन देशों द्वारा बहु-राष्ट्रीय संगठन

5408. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातीनी अमरीका के काफी उत्पादक देशों नें उत्पादन का न्यायोचित मूल्य निर्धारित करने के लिय एक बहु-राष्ट्रीय संगठन का गठन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यह समाचार प्राप्त हुआ है कि काफी उत्पादित करनें वाले कतिपय अमरीकी देशों ने विश्व बाजार से काफी के लिए उच्चतर कीमतें प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नई बहुराष्ट्रीय कपनी स्थापित करने का विनिश्चय किया है । प्रस्थापित कम्पनी के बारे में और ब्यौरा अभी प्राप्त होना है और उसके बाद ही सरकार उसके फलितार्थों पर विचार कर सकेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा लिये गये वेतनों में असमानताएं

5409. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनेक अधिकारी उनके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों से भी बहुत कम मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उससे भी कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं जो वे अभी भी यदि कर्मचारी ही होते तो प्राप्त करते ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक उपर्युक्त असमानताओं को दूर करने को उत्सुक है लेकिन उनके मंत्रालय के बैंकिंग विभाग द्वारा डाली गई बाधाओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) उक्त असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह बताना सम्भव नहीं है कि रिजर्व बैंक में विभिन्न संवर्गों के कितने अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से कम मासिक वेतन पाते हैं किन्तु यह सत्य है कि अधिकारियों के निचले संवर्ग अर्थात् स्टाफ आफिसर श्रेणी II के कई अधिकारी आजकल उस राशि से कम वेतन पाते हैं जो उन्हें कार्यचालक कर्मचारी के रूप में काम करते समय मिलती। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के लिपिक और अधिकारी वर्गों को मंहगाई भत्ता देने की प्रणालियां भिन्न हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी वर्ग के मंहगाई भत्ते में संशोधन करने के लिए बैंक द्वारा दिये गये कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की विस्तार योजनायें

5410. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली विस्तार योजनाओं की क्रियान्विति आरम्भ की जा चुकी है ; और

(ख) इस विस्तार योजना में इंडियन एयरलाइंस के कार्य क्षेत्राधीन शामिल किये गये 20 नये नगरों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजनावधि में कारपोरेशन की सेवाओं के मार्ग जाल में निम्न 20 नगरों को शामिल करने की संभावना है :—

1. सूरत
2. अम्बाला छावनी
3. कालिकट
4. जबलपुर
5. कोल्हापुर
6. शोलापुर
7. शिलांग
8. हुबली
9. मैसूर

10. पाण्डेचरी

11. जालन्धर

12. लुधियाना

13. कोटा

14. सेलम

15. टुटिकोरिन

16. बरेली

17. देहरादून

18. गोरखपुर

19. कान्हा राष्ट्रीय पार्क (मध्य प्रदेश)

20. तिरुपति

उपर्युक्त नगरों में से तिरुपति के लिए विमान सेवा प्रारंभ की जा चुकी है।

विमानन ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप डकोटा व वाइकाउन्ट जैसे अलाभप्रद विमानों को सेवा से निकालने के कारण लगभग 16 नगरों के लिये विमान सेवायें समाप्त कर देनी पड़ी हैं। अतः इंडियन एयरलाइंस पांचवीं योजना के प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर रही है और अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि क्या पांचवीं योजनावधि के दौरान उपर्युक्त सभी 19 नगरों को विमान सेवा द्वारा जोड़ा जा सकेगा तथा उन 16 नगरों के लिए भी जिनके लिये विमान सेवाएं बंद कर दी गयी थीं सेवायें पुनः प्रारंभ की जा सकेंगी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

5411. श्री धामनकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मंडियों में समुद्री उत्पादों के निर्यात से बहुत अच्छे मूल्य प्राप्त हो रहे हैं लेकिन गन्तव्य स्थानों के बहुत दूर होने के कारण उन्हें अधिक दर से समुद्री भाड़ा पड़ रहा है ;

(ख) सरकार का विश्व मण्डी में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ;

(ग) क्या मछली पकड़ने तथा अन्य समुद्री उत्पादों के प्राप्त करने पर आने वाली लागत को कम करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे विश्व मंडी में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में भारी वृद्धि हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय समुद्री उत्पादों के स्वरूप और प्राप्यता की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों में भाग ले कर और विज्ञापनों आदि के माध्यम से विदेशी बाजारों में सतत प्रचार के फलस्वरूप और साथ ही निर्यात योग्य किस्मों के आन्तरिक अवतरण में वृद्धि करने के लिए किये गए प्रयत्नों से आशा है कि विश्व बाजारों में हम अपनी स्थिति कायम रख सकेंगे।

(ग) तथा (घ) निर्यातों हेतु समुद्री उत्पादों की लागत को जहाजी अवतरण क्रम में वृध्दि करके, मछली पकड़ने के जलयानों की उत्पादकता में वृदिध करके और प्रोसैसिंग सुविधाओं को सुधार कर कम किया जाएगा। इस दिशा में पांचवीं योजना के दौरान मुख्य योजनाएं हैं : (क) गहरे समुद्र में कार्य करने वाले ट्रालरों की व्यवस्था और मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण, (ख) मछली पकड़ने के पत्तनों तथा बन्दरगाहों, रेफ्रिजरेटिड गोदामों और परिवहन का विकास और (ग) प्रोसैसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, निर्यातित उत्पादों का विविधीकरण आदि।

चाय बागानों द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का अपवंचन

5412. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहनवाड़ी/दिब्रूगढ़, आसाम के क्षेत्रों में तथा उसके बाहर चाय बागान तथा उनके प्रबन्धक बड़े सुव्यवस्थित ढंग से केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की बड़ी मात्रा में जमा हो गई राशि के भुगतान का अपवंचन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बागानों द्वारा बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित करने के बावजूद भी सरकार उनसे देय राशि की वसूली शीघ्र करने के लिए अब तक प्रभावी कार्यवाही करने में असफल रही है ;

(ग) क्या इन प्रबन्धकों ने अपनी लेखा पुस्तकों में देनदारियों की व्यवस्था पहले ही कर दी है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा वहां उन चाय बागानों की सूची क्या है जिनकी प्रत्येक मामले में 15 लाख रुपये से अधिक की देनदारियां हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) कुछ चाय कम्पनियों ने 1971 में चाय पर उत्पादनशुल्क संबंधी क्षेत्रीय वर्गीकरण तथा क्षेत्रीय पद्धति की वैधता को चुनौती दी थी और कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की थीं। माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम निषेधाज्ञा मंजूर की जिसके जरिये चाय कम्पनियों को अनुमति दी गई कि वे मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय होने तक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी निम्नतर दरों पर कर सकती हैं। इस बीच माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत से मामलों में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है और यह व्यवस्था दी कि उत्पादनशुल्क का क्षेत्रीय वर्गीकरण और क्षेत्रीय दरें उपयुक्त थीं। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप अब संबंधित चाय कंपनियों को केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में अन्तर की रकम की अदायगी करनी होगी जो समय बीतने के साथ-साथ बहुत अधिक जमा हो गई है।

(ख) जिन चाय बागानों के मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है उनसे केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की बकाया रकम को वसूल करने के संबंध में इस बीच मांगें जारी कर दी गई हैं। चाय बागानों ने निवेदन किया है कि शुल्क की बकाया रकमों की वसूली क्रमबद्ध आधार पर की जाय। इन आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) कुछ चाय बागानों के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि उन्होंने आकस्मिक देनदारियों की अदायगी के संबंध में धन की व्यवस्था कर रखी थी किन्तु ऋण पर प्रतिबन्ध लगने के कारण उन्होंने इस धन का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये कर दिया था तथापि बकाया रकमों को यथा संभव शीघ्र वसूल करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

असम में मोहनबाड़ी/डिब्रूगढ़ में तथा आस-पास के जिन चाय बागानों में से प्रत्येक की तरफ 15 लाख रु० से अधिक की देनदारी है उनके नाम नाहरतोली, वालीजन नार्थ, खारजन, चबुआ, बोकल, नामडांग तथा मोकलबाड़ी हैं।

चाय कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन

5413. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या वित्त मंत्री चाय कम्पनियों द्वारा आयकर के अपवंचन के बारे में 23 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच में एकत्र कर ली गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय करों के अपवंचन का अनुमानतः इन कम्पनियों द्वारा राज्य सरकारों को प्रवेश कर देयताओं के लेखों से हो सकता है ; और

(ग) दो लाख चाय चेस्टों को जमा रखने की क्षमता वाली चाय कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) कलकत्ता में चाय के गोदामों को चलाने वाले अधिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में सूचना जितनी उपलब्ध हो सकी है, एकत्रित कर ली गई है, और उसको अलग से पेश किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, यह कुछ उपयोगी हो सकता है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

खांडसारी के निर्यात से प्रतिबंध हटाना

5414. श्री एम० कतामुत्तु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाण्डसारी के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) निर्यात नियंत्रण आदेश अथवा चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत खांडसारी के निर्यात पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है ।

फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी की दिल्ली शाखा के अधिकारियों द्वारा किया गया गबन

5415. श्री एम० कतामुत्तु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 लाख रुपये के गबन के एक मामले का पता चला है जिसमें एक प्रमुख फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की दिल्ली शाखा के वरिष्ठ अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ए० एफ० आई० ए० यूनिट (दिल्ली ब्रान्च) की कतिपय मेडिकल बीमा पालिसियों के दावों के निपटान के मामलों में लगभग 8 लाख रुपये के गबन का एक मामला जुलाई-अगस्त, 1974 में प्रकाश में आया । प्रथम दृष्टया यह जालसाजी एक कर्मचारी द्वारा की गई थी, जिसने जाली दावों के ऐसे चेक तैयार कराये जो पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा सतर्कता नहीं बरती जाने के कारण पकड़े नहीं जा सके । मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है और जांच-पड़ताल चल रही है ।

जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन ने तीन अधिकारियों और एक कर्मचारी को पहले ही मुअत्तिल कर दिया है और इस जालसाजी के लिये अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये विस्तृत जांच के आदेश भी जारी कर दिये हैं।

जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन भी लेखा तथा दावा निपटान कार्यविधि की इस दृष्टि से जांच कर रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मानव केशों का निर्यात

5416. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव केशों के निर्यात से आय बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गई राशि

5417. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम को कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी ;

(ख) राजस्थान से उन परियोजनाओं के विवरण क्या हैं जिनके लिये प्रार्थनापत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचाराधीन है ; और

(ग) इनके संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सम्भवतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया--आई० डी० बी० आई०) द्वारा राजस्थान में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी गयी वित्तीय सहायता के विषय में जानकारी अपेक्षित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले दो लेखा-वर्षों अर्थात् 1972-73 और 1973-74 (जुलाई-जून) के दौरान राजस्थान में अवस्थित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संस्वीकृत की गयी कुल वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	संस्वीकृत वित्तीय सहायता
1972–73	2.77
1973–74	6.12

उपर्युक्त वित्तीय सहायता में उन दो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मंजूर की गयी निम्नलिखित प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी शामिल हैं, जिनके साथ दो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड/राज्य सरकार/प्रवर्तक/संस्था शेयर होल्डर के रूप में सम्बद्ध है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	संस्वीकृत वित्तीय सहायता
1972–73.	शून्य
1973–74.	3.81

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है ।

विवरण

भारतीय आद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी०आई०) के विचाराधीन राजस्थान राज्य में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त आवेदन का ब्यौरा—30-11-1974 की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	एकक का नाम	परियोजना की लागत	आई० डी० बी० आई० से मांगी गयी सहायता	वर्तमान स्थिति
1	अरावली स्वचलित वाहन लिमिटेड	282.00	199.50*	आवेदन पत्र पर अन्तिम रूप से विचार हो रहा है ।
2	स्वदेशी माल्ट एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	94.50	62.00	कम्पनी से ब्यौरेवार आवेदन-पत्र हाल ही में मिला है । जांच की जा रही है ।
3	राजस्थान कंटेनर्स लिमिटेड	250.00	142.00*	प्रस्ताव विचाराधीन है ।
4	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड	640.00	60.00*	कम्पनी ने अपनी महत्वपूर्ण नकद संभूतियों के परिप्रेक्ष्य में सहायता संबंधी अपनी आवश्यकताओं के विषय में आई० डी० बी० आई० की तसल्ली नहीं की है ।
5	जयपुर उद्योग लिमिटेड	180.00	बतायी नहीं गयी है ।	कम्पनी की परियोजना पर परामर्शदाता (कंसलटंट) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

*अन्य वित्तीय संस्थानों और/अथवा बैंकों की भागिदारी में ।

क्रम सं०	एकक का नाम	परियोजना को लागत	आई० डी० बी० आई० से मांगी गयी सहायता	वर्तमान स्थिति
6	स्टर्लिंग एलाय स्टील्स लि० .	135.00	99.00*	कम्पनी वर्तमान बाजार-परिस्थितियों आदि के संदर्भ में परियोजनाओं पर पुनर्विचार कर रही है ।
7	सरस्वती स्टील एण्ड एलायज लि०	105.00	82.00*	प्रस्ताव विचाराधीन है ।
8	राठी एलायज एण्ड स्टील्स (इंडिया) लि०	109.20	बतायी नहीं गयी है।	कम्पनी से मांगी गयी अतिरिक्त सूचना अभी आनी है ।
9	पालीवाल मिनी स्टील (इंडिया) लिमिटेड	135.47	—तदेव—	कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, और न उसने यही बताया है कि उन्हें आई० डी० बी० आई० से कितनी वित्तीय सहायता चाहिये ।
10	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	360.00	—तदेव—	पता चला है कि कम्पनी ने वर्तमान परियोजना पूरी होने तक परियोजना का विस्तार आस्थगित कर दिया है ।

राजस्थान की यात्रा करने वाले पर्यटक

5418. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की ;

(ख) वे कितने स्थानों को देखने गये ; और

(ग) क्या उन पर्यटकों से अर्जित आय में से कुछ राशि सरकार ने उन पर्यटन स्थलों पर खर्च की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारत आधार पर रखता है, राज्यवार आधार पर नहीं । अंतर्देशीय पर्यटकों के यातायात से संबंधित आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते ।

पिछले दो वर्षों के दौरान आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक
1972	342,950
1973	409,895

*अन्य वित्तीय संस्थानों और/अथवा बैंकों की भागीदारी में ।

1972–73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण की अवधि के दौरान कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के 11.31% ने जयपुर की यात्रा की तथा 3.32% ने उदयपुर की यात्रा की।

(ग) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क के कुछ मामलों को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों से इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष राजस्व अर्जित नहीं करती।

गैर-सरकारी कम्पनियों में कार्य कर रहे विदेशियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि

5419. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 की 1 जनवरी को और इस समय उन भारतीयों तथा विदेशियों की वर्षवार संख्या कितनी रही जो गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में 8,000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक इन विदेशियों द्वारा देश से बाहर कितनी धनराशि भेजी गई ; और

(ग) धीरे धीरे इन पदों पर भारतीय लोगों को नियुक्त करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों व भारतीय कम्पनियों में 2000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक वेतन पर काम करने वाले विदेशियों और विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों में काम करने वाले इस श्रेणी के भारतीयों के बारे में एक विवरण संलग्न है भारतीय कम्पनियों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस श्रेणी के विदेशियों द्वारा विदेश में भेजी गयी कुल रकम का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि विदेशियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली रकमों का वर्गीकरण उनके व्यवसाय तथा उनकी आय के आधार पर नहीं किया जाता।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 30 की शर्तों के अनुसार विदेशियों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। बैंक में उनके प्रार्थना पत्रों की बड़ी कड़ाई के साथ छानबीन की जाती है ताकि भारत में विदेशियों को कम से कम रोजगार मिल सके।

विवरण

भारत में गैर-सरकारी नियमित क्षेत्र की कम्पनीयों में 2000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण

	पहली जनवरी 1972 को		पहली जनवरी 1973 को		पहली जनवरी 1974 को	
	*भारतीय	†विदेशी	*भारतीय	†विदेशी	*भारतीय	†विदेशी
2000 रु० तथा इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	10020	1184	11116	976	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*इसका सम्बन्ध केवल विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनियों में कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या से है ; भारतीय कम्पनियों में कार्य कर रहे भारतीयों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†इसमें थोड़ी अवधि के लिए काम करने वाले गैर-भारतीय तकनीशियन शामिल हैं।

विश्व इस्पात संघ का गठन

5420. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व इस्पात संघ के गठन के लिये पहल की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संघ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं के सम्बन्ध में किये करारों की भांति अयस्क के उचित मूल्यों के लिये विचार-विमर्श करेगा ;

(ग) क्या नवम्बर, 1974 को हुई सामान्य बैठक में योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) नवम्बर, 1974 के शुरू में जनेवा में लोह अयस्क निर्यातक देशों के ग्रुप की एक मंत्रिस्तरीय बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई थी, जहां भाग लेने वाले देश इस बात से सहमत थे कि उनके बीच घनिष्टतर सहयोग की आवश्यकता है तथा यह वांछनीय है कि ग्रुप द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें चालू रखने तथा आगे बढ़ा के लिए एक स्थायी व्यवस्था की जाये यह विनिश्चय किया गया कि लोह अयस्क निर्यातक देशो की एक एसोसिएशन के रूप तथा विस्तृत उपबन्धों पर, जो मार्च/अप्रैल, 1975 में होने वाली आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक में विचारार्थ पेश होंगे, सविस्तार विचार करने के लिए भाग लेने वाले देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक प्रारम्भिक समिति स्थापित की जाये ।

Import of Electrode Wire

5421. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether electrode wire is till being imported from foreign countries ; and

(b) if so, the quantity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The item "Electrode Wire" is not separately classified as such in the Revised India Trade Classification on the basis of which statistics of actual imports are published by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta in their publications "Monthly Statistics of Foreign Trade of India—Vol. II-Imports". However, following two items are separately classified :

1. Iron & Steel wire (excl. wire rod) of other than high carbon or alloy steel, Electrode quality.
2. Wire (excl. wire rod) of alloy steel.

The former item, *viz.* Iron & Steel wire (excl. wire rod) of other than high carbon or alloy steel, Electrode quality, would be nearly corresponding to the item "Electrode Wire". The Second itedm viz. Wire (excl. wire rod) of alloy steel, however, indicates steel wire of alloy steel of which a part may be in electrode quality, The information in respect of both these items is being collected and will be laid on the Table of the house.

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को अग्रिम आयात अधिकार देना

5422. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को निर्यात वचनबद्धताओं के एवज में अग्रिम आयात अधिकार दिये गये थे ; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने निर्यात वचनबद्धताओं का पालन किया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Grant by Central Government to Madhya Pradesh

5423. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of funds, the Centre proposes to provide to Madhya Pradesh during the current year by way of Central grants ; and

(b) the development projects on which these funds will be spent ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) Central assistance of Rs. 53.32 crores (Rs. 16.00 crores as grant and Rs. 37.32 crores as loan) has been allocated to the Government of Madhya Pradesh for their Annual Plan of 1974-75. This assistance is not related to any specific project, but is given to the State Government for their Annual Plan as a whole.

भारत के रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने पर मारुति लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5424. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली में कंपनियों के रजिस्ट्रार को पेश की गई वर्ष 1973-74 के लिए मारुति लिमिटड की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस स्वीकृत तथ्य (उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 18 पर) की दृष्टि से कि कंपनी द्वारा वसूल की गई 46 लाख रुपए से भी अधिक की "शयर एप्लीकेशन मनी" में से 20 लाख रुपए की राशि के लिए तो औपचारिक आवेदन-पत्र भी मौजूद नहीं है, अतः इस राशि को जमाराशि नहीं माना जाना चाहिए ;

(ख) क्या 20 लाख रुपए की यह राशि तथा जमा राशियां निदेशकों द्वारा गारंटी की गई, 15,95,175 रुपए की राशि के अतिरिक्त—जोकि उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 8 पर दिखाई गई हैं "दत्त शेयर पूंजी तथा हानि को घटाकर आरक्षित राशि" के लिए रिजव बैंक द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार किए जाने के संबंध में भारत के रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) से (ग) :गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के अनुच्छेद (च) के उप अनुच्छेद (10) में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि शेयरों, स्टाक, बांडों, या डिबेंचरों का आबंटन होने तक इस प्रकार के शेयरों या स्टाक या बांडों या डिबेंचरों [बशर्ते कि इस प्रकार के बांडों और डिबेंचरों को कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार (चार्ज) अथवा धारणाधिकार (लियन) के रूप में प्रतिभूत कर दिया गया हो] के वास्ते अंशदान के रूप में स्वीकार किया गया कोई धन, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिये "जमाए" नहीं समझा जायेगा । रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मारुति लिमिटेड से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं कि कंपनी की 31-3-74 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आदि के पृष्ठ 18 पर उल्लिखित 20,43,500 रुपये की राशि को अंशदान-धन कैसे माना जा सकता है जबकि इस प्रकार की राशि के समर्थन में औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । इन स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है तथा उन्हें ध्यान में रखकर इस मामलों की आगे जांच की जायेगी । किन्तु रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि यदि आवेदन-पत्र रहित शेयर-आवेदन-धन के रूप में प्राप्त की गयी 20,43,500 रुपये की राशि, जमाओं के रूप में

मान जाय तब भी कम्पनी द्वारा धारित जमाओं की राशि उक्त निदेशों के पैरा 3(2)(ii) में निर्धारित अधिकतम सीमा के भी तरह ही होगी तथा निदेशों के उल्लंघन के लिए कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में यार्न परियोजना

5425. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में सब से बड़ी यार्न परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत क्या होगी ;

(ग) क्या परियोजना में केन्द्र सरकार द्वारा पुंजी निवेश किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो कितना ; और

(ङ) परियोजना द्वारा उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा तथा परियोजना का पालिस्टर फिलामेंट यार्न का वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार ने कोयाली जिला बड़ौदा (गुजरात) में एक पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना स्थापित करने का विनिश्चय किया है जिसकी क्षमता 3,500 मे० टन प्रति वर्ष होगी, जिसका 7,000 मे० टन तक विस्तार किया जा सकेगा।

(ख) परियोजना हेतु मार्च, 1972 में जारी किये गए निवेश अनुमोदन के अंतर्गत 15.39 करोड़ रु० के निवेश की व्यवस्था थी। परियोजना के लागत प्राक्कलनों को 15.39 करोड़ रु० की अपेक्षा 24.76 करोड़ रु० करने की प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार यार्न प्रयोक्ता सहकारी सोसाइटियों के साथ 60:40 आधार पर इक्विटी पुंजी में प्रत्यक्ष रूप में हिस्सा लेगी ।

(ङ) परियोजना द्वारा उत्पादन 1976-77 में शुरू किये जाने की आशा है। इसकी क्षमता 3,500 मे० टन प्रति वर्ष होगी ।

अधिशेष तेल निधियों के निवेश के बारे में अमरीकी योजना

5426. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिशेष तेल निधियों को उन देशों में निवेश करने, जिनमें उनकी आवश्यकता है, सम्बन्धी अमरीकी योजना के ब्यौरे तैयार करने के संबंध में 10 प्रमुख गैर-साम्यवादी देशों के समूह के वित्त विशेषज्ञों की बैठक की जानकारी है ;

(ख) क्या भारत की धन आवश्यकतायें भी उनके सम्मुख हैं और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका ने नवम्बर, 1974 के मध्य में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ० ई० सी० डी०) के साथ सम्बद्ध प्रमुख औद्योगिक देशों के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया था जिसके अनुसार, तेल उत्पादक देशों से वापस मिलने वाली धनराशि का एक भाग एक 'संयुक्त ऋण और गारंटी सुविधा' के अन्तर्गत उनके बीच फिर से बांट दिया जायगा ताकि तेल की ऊंची कीमतों के कारण इन उपभोक्ता देशों पर जो बैलेंस आफ पेमेंट सम्बन्धी दबाव

पड़ रहे हैं उनसे इन देशों को राहत मिल सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना में यह सुझाव भी दिया गया है कि सबसे अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित होने वाले विकासशील देशों को रियायती दरों पर सहायता उपलब्ध करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्धाधीन एक अलग ट्रस्ट स्थापित किया जाय।

किन्तु सरकार को इस योजना के प्रति अन्य देशों के रुख की अथवा इस मामले में हुई किसी अन्य घटना की जानकारी नहीं है।

जब तक यह योजना अन्तिम रूप से तय नहीं हो जाती तब तक इन देशों के सामने भारत की आवश्यकताएं पेश करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

व्यक्तियों/कम्पनियों/संस्थानों के अधिकार तथा प्रयोग में हेलिकाप्टर

5427. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तियों/कम्पनियों/संस्थानों के अधिकार में तथा उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हेलिकाप्टरों को विनियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हेलिकाप्टरों के अधिकार तथा प्रयोग को, किसी भी अन्य प्रकार के विमानों की तरह, वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों द्वारा शासित किया जाता है। सम्बद्ध उपबंध नीचे उद्धृत किये जाते हैं :—

नियम 4 : **विमानन का प्रयोग तथा परिचालन**—सिवाय इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति विमान का प्रयोग अथवा परिचालन नहीं करेगा या विमान के प्रयोग अथवा परिचालन में सहायता नहीं करेगा।

नियम 5 : **पंजीकरण तथा राष्ट्रीकता एवं पंजीकरण चिन्ह**—नियम 33 के उपबंधों के अधीन कोई भी व्यक्ति तब तक विमान को नहीं उड़ाएगा अथवा उसे उड़ाने में सहायता करेगा जब तक कि—

(क) इसका पंजीकरण न हुआ हो, और

(ख) नियम 37 के अनुसार अथवा विमान का भारत से अन्य किसी और स्थान पर पंजीकरण होने की अवस्था में उस राज्य के विनियमों के अनुसार, जिस राज्य में इसका पंजीकरण हुआ हो, इस पर इसकी राष्ट्रिकता तथा पंजीकरण चिन्ह और इसके स्वामी का नाम तथा निवास न लगाया हुआ हो अथवा पेंट न किया हुआ हो परन्तु इस नियम द्वारा लगाई गयी पाबंदी उस विमान पर लागू नहीं होगी जिसे केन्द्रीय सरकार लिखित विशेष अनुमति के अनुसार तथा प्रेसीअनुमति में उल्लिखित शर्तों तथा परिसीमाओं के अंतर्गत उड़ाया जा रहा हो।

नियम 30 :

उपनियम 2 : "विमान को निम्नलिखित वर्गों में से किसी भी वर्ग में भारत में पंजीकृत किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) वर्ग 'क'—जहां विमान पर पूर्ण स्वामित्व या तो

(i) भारतीय नागरिकों का हो ; अथवा

(ii) ऐसी कम्पनी या निगम का हो जो भारत में पंजीकृत है तथा जिसका मुख्य व्यापार स्थल भारत के अंदर ही है और जिसका अध्यक्ष तथा कम से कम दो-तिहाई निदेशक भारतीय नागरिक हैं; तथा

(ख) वर्ग 'ख' —जहां विमान पर पूर्ण स्वामित्व या तो

(i) भारत में रहने वाले अथवा व्यापार करने वाले ऐसे व्यक्तियों का है जो भारत के नागरिक नहीं हैं ; अथवा

(ii) ऐसी कम्पनी या निगम का है जो भारत से अन्य किसी स्थान पर पंजीकृत है तथा भारत में व्यापार कर रही है ।

जहां तक विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी कम्पनियों के पक्ष में विमान/हेलिकाप्टर के पंजीकरण का संबंध है, ऐसा गृह मंत्रालय (गुप्तचर विभाग) से क्लेयरेंस प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाता है ।

जहां तक हेलिकाप्टरों के प्रयोग का संबंध है, उनका प्रयोग भी किसी भी अन्य प्रकार के विमान की ही तरह, वायुयान अधिनियम, 1934 के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ही किया जाता है ।

लेबनान में भारतीय सहयोग से उद्योगों की स्थापना

5428. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबनान में भारतीय सहयोग से उद्योगों की स्थापना के लिए बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया है और स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इन दो देशों के बीच यदि कोई समझौते हुए हैं तो उन समझौतों की मोटी रूपरेखा क्या है; और;

(घ) ये उद्योग कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए वार्ताएं, प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययनों के बाद, उसमें दिलचस्पी रखने वाले भारतीय उद्यमियों द्वारा की जाती हैं, उसका अन्तिम रूप निश्चित हो जाने पर संबंधित भारतीय सहभागी उसकी प्रस्थापना को सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है । हाल ही की गतविधि में किसी भारतीय उद्यमी से ऐसी को प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है । न ही इस विषय पर लेबनान की सरकार से कोई द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुए हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Setting up of Nylon Yarn Industry in Hoshiarpur

5429. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of Punjab had sought Central approval and assistance for setting up of nylon yarn industry in Hoshiarpur ; and

(b) if so, the objects of the proposed industry and the outlay involved in its commissioning as also the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The Punjab Government has requested the Central Government to expedite the necessary approval to the foreign collaboration and capital goods import proposals of M/s. Guptalong Ltd. for the establishment of a unit for the manufacture of 1,000 tons nylon yarn per annum at Hoshiarpur. The outlay involved on this project is Rs. 14 crores. The foreign collaboration agreement of the company has already been approved by the Government, subject to certain conditions. The application for import of capital goods has also been cleared.

8—46 LSS/ND/74

जेलों में तस्करों को दिया गया अति विशिष्ट व्यवहार

5430. श्री पी० गंगादेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत हाल में गिरफ्तार किए गए बड़े तस्करों में से कुछ तस्करों को जेलों में अति विशिष्ट व्यवहार दिया गया है;

(ख) क्या इस पर केन्द्रीय सरकार गंभीरता से विचार कर रही है;

(ग) क्या ऐसे कोई अनुदेश जारी किए गए हैं कि नजरबंद तस्करों को कोई अतिरिक्त सुविधायें नहीं दी जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन), अध्यादेश, 1974 के अधीन पारित आदेशों के अन्तर्गत नजर बंद व्यक्तियों को वही सुविधाएं दी जाती हैं जो साधारण श्रेणी के कैदी को मिलती हैं। राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पारित किये आदेशों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के संबंध में ये सुविधाएं संबंधित राज्य सरकारों के संगत नियमों द्वारा अधिशासित होती हैं।

तस्करों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय

5431. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम में संशोधन करने से पूर्व न्यायालयों में विचाराधीन तस्करों के मामलों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) क्या ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष न्यायालयों द्वारा भी सुनवाई की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के संशोधन से पूर्व सम्पूर्ण भारत में सीमाशुल्क अपराधों से सबन्धित इस्तगासे के लगभग 300 बड़े मामले, जिनके अन्तर्गत प्रत्येक मामले में एक लाख रु० से भी अधिक मूल्य की वस्तुए और महत्वपूर्ण षड़यंत्र ग्रस्त हैं, विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पड़े थे।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले अपराधों सहित आर्थिक अपराधों के खिलाफ मुकदमें चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग का विकास

5432. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पांचवीं योजना में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) विभिन्न वस्तुओं तथा लेखान्वेषों के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए इस धनराशि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) विदेशों में हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र राज्य के हथकरघा उद्योग के विकास हेतु पांचवीं योजना के मसौदे में अनन्तिम व्यय राशि 6.32 करोड़ रु० रखी गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के समय इस अनन्तिम व्ययराशि में संशोधन हो सकता है। हथकरघा उद्योग हेतु राज्य के पांचवीं योजना संबंधी मसौदे के अन्तर्गत निर्धारित विकास कार्यक्रम में जिन पहलुओं से संबंधित स्कीमें शामिल हैं वे है हथकरघा कपड़े की बिक्री पर रिबेट राज्य हथकरघा निगम को वित्तीय सहायता, राज्य की शीर्षस्थ सोसाइटी और बुनकरों की सोसाइटियों और बुनकरों को शेयर पूंजी अंशदान, राज्य सहकारिता विपणन परिसंघ को वित्तीय सहायता, हथकरघा वित्त पोषण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम के अन्तर्गत बुनकरों की सहकारी सोसाइटियों को ऋणों पर ब्याज पर उपदान, बुनकरों को मितव्यय निधि में अंशदान, प्रशिक्षण और सामान्य सेवा सुविधाओं की व्यवस्था आदि।

(ग) हथकरघा कपड़ तथा परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए पांचवीं योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने का विचार है वे निम्नलिखित हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(2) प्रमुख पत्रिकाओं तथा मैंगजीनों में विज्ञापन के माध्यम से नियमित तथा प्रभावकारी प्रचार;

(3) अध्ययन करने, बाजारों का पता लगाने और उनका सृजन करने के लिए प्रतिनिधिमण्डलों और अध्ययन दलों का भेजा जाना;

(4) आयात नीति के अन्तर्गत रंजकों और रसायनों और सिले-सिलाए परिधानों संबंधी मशीनरी की मदों के आयात हेतू प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का दिया जाना ;

(5) प्रतिपूरक नकद सहायता;

(6) जब कभी संभव हो व्यापार प्रबंधों, वार्ताओं आदि के अंतर्गत विदेशी सरकारों से टैरिफ रियायतें प्राप्त करना तथा उनसे लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करना;

(7) बाजार जानकारी की सप्लाई करने और प्रतियोगी दरों पर कच्चे माल की सप्लाई आदि के रूप में निर्यातकों को सहायता;

(8) कतिपय देशों को निर्यातों के लिए अपेक्षित निरीक्षण प्रक्रियाओं और प्रमाणन का आवश्यक सरलीकरण;

(9) नये डिजाइनों का उत्पादन करने और हथकरघा उत्पादन में तकनीकी सुधार करने में हथकरघा बुनकरों की सहायतार्थ और अधिक बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना ताकि स्थानीय और विदेशी बाजारों में बिक्रियों में वृद्धि हो ; और

(10) अखिल भारतीय हथकरघा फेब्रिक्स विपणन सहकारी सोसाइटी और हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विदेशी कार्यालयों का खोला जाना।

चम्बल कमांड क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक सहायता

5433. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने चम्बल कमांड क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर एक नए विस्तार कार्यक्रम की सिफारिश की थी ;

(ख) इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कुल कितना उत्पादन होगा ;

(ग) विश्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी राशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां । राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में स्थित चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की गयी है । यह परियोजना सिंचाई क्षेत्र विकास के लिए हैं और इसमें, वर्तमान सिंचाई सुविधा से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक वास्तविक निर्माण-कार्यों तथा कृषि-सहायक सेवाओं की व्यवस्था है ।

(ख) इस परियोजना में ये काम होंगे अर्थात 167,000 हेक्टयर से ज्यादा क्षेत्र में जलनिकासी का प्रबंध, उन क्षत्रों में जहां पानी का रिसाब ज्यादा है नहरों में 14 किलोमिटर की लम्बाई में अस्तर लगाना, 850 किलोमीटर की लम्बई की नहरों की क्षमता बढ़ाना तथा 160 नियंत्रक संरचनाओं का निर्माण करना व उनमें सुधार करना ; 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का विकास करना, 250 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाना तथा उनका सुधार करना ; 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल लगाना तथा भूरक्षण की रोकथाम करना ; 15,000 मेट्रिक टन उर्वरक का प्रबन्ध करना ; कृषि विस्तार कार्य, अनुसंधान और सहयोग के कार्य में मजबूती लाना ; परियोजना प्रशासन के लिए उपकरण खरीदना तथा दूसरे चरण की परियोजना की संभाव्यता का अध्ययन करना । परियोजना का पूरा विकास हो जाने पर राज्य को बहुत लाभ होंगे और राज्य में अनाज का वार्षिक उत्पादन, 140,000 मेट्रिक टन से बढ़ कर 350,000 मेट्रिक टन हो जायगा । इस अतिरिक्त उत्पादन का वास्तविक मूल्य लगभग 9.75 करोड़ रुपये (130 लाख डालर) होगा ।

(ग) इस परियोजना की कुल लागत लगभग 68.63 करोड़ रुपया (915 लाख डालर) होगी जिसमें से लगभग 39 करोड़ रुपया (520 लाख डालर) के लिए बैंक प्रबन्ध करेगा और शेष रकम भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार पूरा करेगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

5434. श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान लौह-अयस्क के निर्यात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को लगभग छः करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लौह-अयस्क के बजाय कच्चे लोहे के रूप में इसका निर्यात अधिक लाभदायक है ;और

(घ) यदि हां, तो क्या लौह-अयस्क निर्यात व्यापार में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) हालांकि कच्चे लोहे के निर्यात से स्पष्टतः देश के लिए प्रति एकक विदेशी मुद्रा की अधिक मात्रा अर्जित होगी फिर भी लौह अयस्क की तुलना में कच्चे लोहे के निर्यात के सापेक्ष लाभ उपलब्धता, अवस्थापना सम्बंधी सुविधाओं, उत्पादन लागत तथा विश्व मांग आदि जैसी बहुत सी बातों पर निर्भर करेंगे । देश में इस्पात उद्योग के विस्तार की योजनाओं के अलावा निर्यात प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से लौह अयस्क को कच्चे लोहे में बदलने के लिए संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

नेपाल को सिमेंट और लोहे की छड़ों की सप्लाओ

5435. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह 31 दिसम्बर, 1974 के बाद सीमेंट तथा लोहे की छड़ों जैसी विभिन्न वस्तुएं सप्लाई नहीं कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो भारत ने क्या मुख्य कारण बतायें हैं;

(ग) नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत किन शर्तों पर नेपाल की ये वस्तुएं सप्लाई करने पर सहमत हुआ था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पटसन श्रमिकों को दिए गए आश्वासन

5436. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटसन श्रमिक और उनकी युनियनें यह शिकायत कर रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनवरी-फरवरी, 1974 की 33 दिवसीय हड़ताल के दौरान दिये गये आश्वासन और किया गया समझौता क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार तथा श्रम मंत्रालय ट्रेड युनियन विवाद के स्वरूप वाली मांगों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार कर रहे हैं ।

श्रमिकों के प्रति पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों का रवैया

5437. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों के रवैये की जानकारी है जो अपने आश्वासन पूरे न करके श्रमिकों को एक और हड़ताल करने के लिये विवश कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) नेशनल युनियन आफ जूट वर्कर्स द्वारा दिये गये हड़ताल के नोटिस से ऐसे मामले उठे हैं जो एक औद्योगिक विवाद के स्वरूप के हैं । पश्चिम बंगाल सरकार ने हड़ताल नोटिस में दी गई मांगों पर समझौता वार्ता शुरू कर दी है ।

प्रयोगशाला लिपिको एवं एटेन्डेन्टस के वेतनमान

5438. **श्री सरजू पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ने 18 मई, 1972 को तीसरे वेतन आयोग के सचिव को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड की विभिन्न प्रयोगशालाओं में काम करने वाले प्रयोगशाला लिपिकों तथा प्रयोगशाला एटेन्डेन्टस के वेतनमानों के बारे में एक पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हाँ, तो वेतन आयोग ने कर्मचारियों के इन वर्गों के वेतन ढांचे के बारे में क्या कार्यवाही की; यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उस पर कोई निर्णय किया गया है तो उसे तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) आयोग एक स्वतंत्र निकाय थी और इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि उसने इस पत्र पर क्या कार्यवाही की है। आयोग ने, परीक्षणशाला लिपिकों और परीक्षणशाला परिचारकों के वेतन-ढांचे के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की। वे पद जो विशिष्ट अथवा सामान्य सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आये उनके बारे में आयोग ने उपयुक्त मानक वेतन-मानों के नियतन का सुझाव दिया।

परीक्षणशाला लिपिकों के मामले में, 110–180 रु० के पुराने वेतनमान के स्थान पर 260–430 रु० के संशोधित वेतन-मान की व्यवस्था की गई है। परीक्षणशाला परिचालक पद के लिए संशोधित वेतन-मान पर अभी विचार किया जा रहा है।

स्वर्णकारों की मांगें

5439. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों से आये स्वर्णकारों ने अपनी मांगों तथा शिकायतों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये 18 नवम्बर, 1974 को दिल्ली में लाल किले से बोट क्लब तक प्रदर्शन मार्च किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उन की मांगें तथा शिकायतें क्या हैं ; और

(घ) उन्हें दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से **(घ)** मांगें निम्नानुसार हैं :—

(i) सरकार को, निजी तौर पर स्वर्ण-आभूषण रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की प्रस्तावित योजना को छोड़ देना चाहिए।

(ii) सरकार को सोना आयात करने और उससे बने तैयार आभूषणों का पुनर्निर्यात करने की एक योजना चलानी चाहिए।

(iii) स्वर्णकारों को दिए गए पुनर्वास ऋणों की वापसी से उन्हें छूट मिलनी चाहिये।

स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों को निजी तौर पर रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। विदेशी बाजारों में और भारत में चल रहे सोने के भाव में मामूली अन्तर को देखते हुए, फिलहाल सरकार स्वर्ण आयात करने और उससे बने आभूषणों के पुनर्निर्यात की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। ऋणों की वापसी में कोई सामान्य छूट देने के लिये सहमत होना सम्भव नहीं है, लेकिन परेशानी के अलग अलग मामलों में तथ्यों के आधार पर राज्य सरकारें विचार करती हैं।

अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ बैठक

5440. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अमर सिंह चौधरी :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों सहित अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल मांग-पत्र और देश के स्वर्णकारों की शिकायतों के सम्बन्ध में 18 नवम्बर, 1974 को वित्त राज्य मंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मांगों और तत्संबंधी विचार-विमर्श का सारांश क्या है और इस का परिणाम क्या है; और

(घ) उन्होंने प्रतिनिधिमंडल ले कर आये व्यक्तियों को क्या आश्वासन दिये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमंडल में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधि तथा संसद-सदस्य श्री सीताराम सिंह शामिल थे।

(ग) और (घ) मांगें निम्नानुसार हैं :—

(i) सरकार को, निजी तौर पर स्वर्ण-आभूषण रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की प्रस्तावित योजना को छोड़ देना चाहिए।

(ii) सरकार को सोना आयात करने और उससे बने तैयार-आभूषणों का पुनर्निर्यात करने की एक योजना चलानी चाहिए।

(iii) स्वर्णकारों को दिए गए पुनर्वास ऋणों की वापसी से उन्हें छूट मिलनी चाहिए।

स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों को नीजी तौर पर रखने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। विदेशी बाजारों में और भारत में चल रहे सोने के भाव में मामूली अंतर को देखते हुए, फिलहाल सरकार स्वर्ण आयात करने और उससे बने आभूषणों के पुनर्निर्यात की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। ऋणों की वापसी में कोई सामान्य छूट देने के लिये सहमत होना संभव नहीं है, लेकिन परेशानी के अलग-अलग मामलों में तथ्यों के आधार पर राज्य सरकारें विचार करती हैं।

अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ

5441. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री को अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से संकल्प तथा प्रेस नोट सहित दिनांक 21/26-11-74 को कोई पत्र, प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस को मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही को गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों में दी गई मांगों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) सरकार को, निजो तौर पर स्वर्ण-आभूषण रखने को उच्चतम सोमा निर्धारित करने की प्रस्तावित योजना को छोड़ देना चाहिए।

(ii) सरकार को सोना आयात करने और उससे बने तैयार आभूषणों का पुनर्निर्यात करनेकी एक योजना चलानो चाहिए।

(iii) स्वर्णकारों को दिए गए पुनर्वास ऋणों की वापसो से उन्हें छूट मिलनी चाहिए।

स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों को निजो तौर पर रखने को उच्चतम सोमा निर्धारित करन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विदेशी बाजारों में और भारत में चल रहे सोने के भाव में मामूली अन्तर को देखते हुए, फिलहाल सरकार स्वर्ण आयात करने और उससे बने आभूषणों के पुनर्निर्यात की योजना को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। ऋणों की वापसी में कोई सामान्य छूट देने के लिये सहमत होना सम्भव नहीं है, लेकिन परेशानी के अलग-अलग मामलों में तथ्यों के आधार पर राज्य सरकारें विचार करती हैं।

अखिल भारतोय स्वर्णकार संघ को सेन्ट्रल कमिटी द्वारा पारित किए गए संकल्प

5442. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आखिल भारतोय स्वर्णकार संघ की केन्द्रीय समिति द्वारा इसको 4,5 तथा 6 अक्तूबर 1974 को कानपुर में हुई बैठक में पारित किये गये संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको मोटो रुप रेखा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही को गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जो, हां।

(ख) मांगे निम्नानुसार हैं :—

(i) सरकार को, निजी तौर पर स्वर्ग-आभूषण रखने को उच्चतम सोमा निर्धारित करने की प्रस्तावित योजना को छोड़ देना चाहिये।

(ii) सरकार को सोना आयात करने और उससे बने तैयार आभूषणों का पुनर्निर्यात कर की योजना चलानीं चाहिए।

(iii) स्वर्णकारों को दिए गए पुनर्वास ऋणों को वापसो से उन्हें छूट मिलनी चाहिए।

(ग) स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों को निजो तौर पर रखने को उच्चतम सोमा निर्धारित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधोन हैं। विदेशो बाजारों में और भारत में चल रहे सोने के भाव में मामूलो अन्तर को देखते हुए, फिलहाल सरकार स्लर्ण आयात करके और उससे बने आभूषणों के पुनर्निर्यात को योजाना को आगे बढ़ाने को इच्छूक नहीं है। ऋणों को वापसो में कोई सामान्य छूट देने के लिये सहमत होना सम्भव नहीं है, लेकिन परेशानो के अलग-अलग मामलों में तथ्यों के आधारपर राज्य सरकारें विचार करतो है।

Remunerative price for jute

5443. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the price of jute is ranging from Rs. 35 to Rs. 40 in Bihar ;

(b) if so, whether, with the aforesaid price, the jute growers are not getting even the production cost involved in growing jute ;

(c) whether Government propose to fix any remunerative price for jute ; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Ruling prices for raw jute in different markets in Bihar as on 9-12-1974 are given below :

	Ruling prices (Rs./ Quintal)	Statutory minimum price (Rs./ Quintal)
Murliganj (Bihar Jute white) . .	109.50 (Rs. 41 per maund)	103.00
Kisanganj (white)	136.50 (Rs. 51 per maund)	122.00

The prices are thus above the statutory minimum price fixed by Government, which more than covers the cost of production.

(c) & (d) Minimum price for raw jute each year is fixed on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission, which takes into account all relevant factors including a minimum return for the growers.

Setting up of Cheap Hotels

5444. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any programme to open cheap hotels during the Fifth Five Year Plan ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) the extent to which different sections of people can take advantage of these cheap hotels keeping in view the income of the people in India ; and

(d) the names of the States where these hotels are to be set up indicating the locations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d) Hotels on the list of the Department of Tourism are approved specifically from the point of view of their suitability for foreign tourists. In view of this, hotel projects planned to cater to the needs of foreign tourists both in public and private sectors have to conform to certain minimum standards prescribed by the Department of tourism for different categories of hotels. The tariff in these hotels depends on the

standard of service and amenities provided in the hotel. During the Fifth Five Year Plan, the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, has proposals for 3 Star Category Hotels at Goa, New Delhi and Puri. Their construction will be taken up depending on the feasibility studies and availability of resources.

Investment of Foreign Capital in Industries in 1974-75

5445. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have approached various foreign countries during 1974-75 for investing capital in important industries to be set up in the country under the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the names of those countries;

(c) the names of the countries which have promised to invest capital in various industtries indicating the amount of capital promised to be invested in each industry; and

(d) the total amount of the capital to be so invested ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (d) Government carry on discussions for securing finances required for implemenation of various plan projects. Such of the proposals as generally fall within the framework of Government's investment policy are approved by Government when they materialise.

हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में कमी

5446. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) हथकरघा स्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हथकरघा माल के निर्यात के बढ़ाने के लिए निम्म लिखित उपाय किए गए हैं/ कराने का विचार है:—

1. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;

2. अग्रणी जर्नलों और पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर नियमित तथा जोरदार प्रचार;

3. बाजारों का अध्ययन करने, पता लगाने और सृजन करने के लिए शिष्टमंडल तथा अध्ययन दल जना;

4. आयात नीति के अन्तर्गत रंजक तथा रासयन सामग्री और रेडीमेड मशीनों की मदों के आयात के लिये प्रतिपूर्ति लाइसेंस देना;

5. नकद मुआवजा सहायता;

6. जब भी संभव हो विदेशी सरकारों से व्यापार व्यवस्थाओं, वार्ताओं आदि के अन्तर्गत टैरिफ रियायतें हासिल करना और उनसे लाभ उठाना;

7. बाजार जानकारी, प्रतियोगी दरों पर कच्चे माल की सप्लाई आदि के रूप में निर्यातकों को सहायता ;

8. निरीक्षण क्रियाविधियों और कतिपय देशों को किये जाने वाले निर्यातों के लिये अपेक्षित प्रमाणन का आवश्यक सरलीकरण;

9. और अधिक बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना करना ताकि हथकरधा बुनकरों को नये डिजाइन निकालने तथा हथकरधा उत्पादन में तकनीकी सुधार करने में सहायता दी जा सके जिससे कि स्थानीय तथा विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ सकेगी ।

10. अखिल भारतीय हथकरधा वस्त्र विपणन सहकारी समिति और हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विदेशी कार्यालय खोलना ।

पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम निधि का निवेश

5447. श्री वसन्त साठे :

श्री धामनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की निधि का निवेश कम होता है ;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों में व्यक्त किये गये विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में विकास प्रयोजनों के लिये जीवन बीमा निगम की निधियों का उत्तरोत्तर अधिक निवेश सुनिश्चित करने के लिये की गई प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जी हां, समाचार पत्रों में प्रकाशित उक्त समाचार वित्त मंत्री द्वारा गठित उस अनौपचारिक दल के निष्कर्षों पर आधारित प्रतीत होता है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेशों के क्षेत्र-वार वितरण के विशेष संदर्भ में जीवन बीमा निगम की निवेश पद्धति के प्रश्न की जांच की। उक्त दल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि कुछ एक राज्यों में लगायी गई प्रीमियम आय की रकम का प्रतिशत अनुपात संगत अखिल भारतीय औसत से कम था। ऐसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण जीवन बीमा निगम के निवेशों का ऐसे राज्यों में विद्यमान एजेंसियों पर निर्भर रहना है जिन्हें धन की बड़ी रकमों की आवश्यकता हो सकती है और जो उनका उपयोग कर सकते हैं। राज्यों में इस प्रकार की एजेन्सियीं, राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय निगम, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय एजेन्सियां, नगरपालिकाएं तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां है। कुछ राज्यों में इस प्रकार की एजेन्सियां या तो हैं ही नहीं अथवा पूर्णतया विकसित नहीं हुई है।

(ग) इस तरह के क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम से कहा गया है कि वह योजना आयोग की स्वीकृति से ऐसी नयी योजनाएं तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाये जो ऐसे राज्यों की आवश्यकताओं तथा संस्थानिक क्षमताओं के अनुकूल हों। यदि नयी योजनाएं तैयार करने का प्रयास असफल होता है तो संबंधित राज्यों द्वारा बाजार से ली जाने वाली ऋण की रकमों को इस तरह से विनियोजित किया जाना चाहिए कि उनमें जीवन बीमा निगम अब तक जितना हिस्सा लेता रहा है उसकी अपेक्षा अधिक हिस्सा ले सके।

इसके अतिरिक्त, निर्माण तथा आवास मंत्रालय राज्य सरकारों को मकान बनाने के लिये ऋणों का आवंटन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि बहुत से राज्यों में अभी तक केन्द्रीय सहकारी भवन निर्माण वित्त समितियां नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मारुति लि० को दिया गया ऋण

5448. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री मारुति लिमिटेड, हरियाना के बारे में कम्पनी कार्य मंत्री से पूछे गये 12 नवम्बर 1974, के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त कम्पनी को (एक) राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा बैंकों, (दो) नियतकालिक वित्तपोषण संस्थाओं, और (तीन) अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने अभी हाल में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि का ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 के उपबन्धों के अनुरुप राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसी खातेदार से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

सावधिक ऋण देने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० में से किसी ने भी मैसर्स मारुति लि० को अब तक कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की है।

गोआ, दमन और दीव के व्यापार गृहों को जारी किये गये लाइसेंस

5449. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गोआ, दमन और दीव के व्यापारी गृहों को कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) उन व्यापार गृहों के नाम, पते और विवरण क्या हैं जिनको इस अवधि में आयात लाइसेंस दिये गये है और प्रत्येक व्यापार गृह को कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ;

(ग) प्रत्येक मामले में किन वस्तुओं के लिये ये लाइसेंस दिये गये ;

(घ) क्या इन लाइसेंसों का उपयोग किया गया है और अनुसूचित माल का आयात किया गया है;

(ङ) क्या इन में से कुछ फर्मों पर आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गये है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सभी फर्मों जिनको आयात लाइसेंस दिये गये हैं जब गोआ, दमन और दीव पुर्तगाल के कब्जे में थे तब से सुस्थापित आयातकर्ता हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे जिनमें लाइसेंस प्राप्त करने वालों के नाम तथा पते, आयात की मदें आदि शामिल है, 'वीकली बुलेटीन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, आयात लाइसेंसेस एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसेस' में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियां नियमित रुप से संसद पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) जारी किये गये व्यक्तिगत आयात लाइसेंसों के उपयोग के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ङ) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) आयात लाइसेंस सुस्थापित आयातकों, वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा अन्यों को जारी किये जाते हैं जैसा कि चालू आयात नीति के अधीन अनुमेय है।

चाय व्यापार निगम द्वारा किया गया कुल व्यापार

5450. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री चाय व्यापार निगम द्वारा कुल किये गये व्यापार के बारे में 22 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय व्यापार निगम कब स्थापित किया गया था और इसने अपना काम कब आरम्भ किया था;

(ख) अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) निगम द्वारा अब तक निर्यात व्यापार आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम 21-12-1971 को एक सरकारी क्षेत्र अभिकरण के रूप में निगमित किया गया था लेकिन इसने वास्तविक रूप से 4-10-1971 से कार्य करना शुरू किया। उसके बाद यह मुख्यत: व्यापारिक कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवस्थापना स्थापित करने में लगा रहा। व्यापारिक कार्य 1973 के अन्त में शुरू किये गये।

(ख) निगम की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है। निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी 25 लाख रुपये है। इसमें से सरकार ने आज तक 18 लाख रुपये का निवेश किया है।

(ग) निगम ने पहले ही निर्यात व्यापार शुरू कर दिया है तथा अगस्त 1, 1974 में 5.5 मे० टन चाय का निर्यात किया है। 1974–75 के दौरान 23 लाख रुपये मूल्य के 240 मे० टन के व्यापार में से 16.52 लाख रुपये मूल्य के लगभग 154 मे० टन के निर्यात होने की सम्भावना है।

आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के साथ निपटने के लिये शक्तियां सीमित करना

5451. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के अधीन, मूल्य से अधिक बीजक बनाने और मूल्य से कम बीजक बनाने और ऐसे ही अन्य अपराधों से निपटने के लिये नियंत्रण प्राधिकारियों के पास केवल सीमित शक्तियां है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान अधिनियम में समुचित संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ते हुए अपराधों के साथ अधिक कारगर ढंग से निपटा जा सके; और

(ग) संशोधित विधान कब तक लाया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन अपराधों के संबंध में जो आयात व्यापार विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जाये, सरकार आयात-निर्यात अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के दण्ड संबंधी उप-बंधों को सुदृढ बनाने की कुछ प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक संशोधन कर दिये जायेंगे।

गुजरात की सपुत्रा पहाड़ियों का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

5452. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात की सपुत्रा पहाड़ियों का पर्यटन केन्द्र तथा पहाड़ी प्रदेश के रूप में शीघ्रता से विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और किस ढंग से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सपुत्रा पहाड़ियों पर एक पर्वतीय विहार का विकास सम्पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कोई भी स्कीम सम्मिलित नहीं की गयी है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रचार तथा सूचना सामग्रियों का प्रकाशन

5453. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम देश तथा विदेशों के पर्यटकों के लिए कोई सामान्य तथा विशेष प्रचार तथा सूचना सामग्री का प्रकाशन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम विदेशी और देशी पर्यटन मार्किटों की आवश्यकता पूर्ति के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग, अनेक राज्य सरकारों और स्वयं अपने प्रभागों के लिए अकेकानेक प्रकार का पर्यटन साहित्य, दृश्य-व-श्रव्य साधन तथा प्रदर्शन-सामग्री का उत्पादन करता है।

(ख) पर्यटन विभाग के लिए निम्न प्रकार की प्रचार एवं सूचनापरक सामग्री का उत्पादन किया जाता है :—

(i) **बहुरंगी फोल्डर :** मुख्य रूप से विदेशों में वितरण के लिए विभिन्न पर्यटन अभिरुचि के स्थानों/क्षेत्रों के बारे में बहुरंगी फोल्डर। इनका अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, जापानी और थाई भाषाओं में उत्पादन किया जाता है। ऐसे पोस्टरों का फारसी व अरबी भाषाओं में भी उत्पादन करने का प्रस्ताव है।

(ii) **पैम्फलेट :** मुख्य रूप से स्वदेश में वितरण के लिए भारत में पर्यटन अभिरूचि के स्थानों/क्षेत्रों के बारे में विस्तृत विवरण दने वाले पैम्फलेट (छपायी एक या दो रंगो में)।

(iii) **डिस्प्ले पोस्टर :** भारत और विदेशों में प्रदर्शन-प्रचार के लिए विभिन्न विषय-वस्तुओं पर आकर्षक (कलर-फुल) पोस्टर।

(iv) **बिक्री के लिए सामग्री :** उपर्युक्त सामग्री निःशुल्क वितरण के लिए है। इसके अलावा भारत पर्यटन विकास निगम भारत और विदोशों में विक्रय के लिए अपनी गाईड-पुस्तिकाओं नक्शों एवं सचित्र पोस्ट कार्डों का उत्पादन भी करता है।

ट्राईस्टार वायु बसें

5454. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोल्स-राइस इंजन वाली लोकहीड़ ट्राईस्टार वायु बस भारत में प्रदर्शन के लिए हाल ही में इस देश में आई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक अथवा अधिक उक्त वायु बसें खरीदने का है और यदि हां, तो कब और किस मूल्य पर; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सितम्बर 1974 में रोल्स-राइस-इंजन द्वारा चालित लोकहीड़ ट्राईस्टार एल 1011 विमान की बम्बई तथा दिल्ली में प्रदर्शन उड़ाने हुई थीं ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस अत्यधिक सघन यातायात वाले मुख्य मार्गों पर, जहां कि बोइंग-737 तथा कावेल विमानों का परिचालन किया जा रहा है, पांचवी योजनावधि के दौरान चौड़ी बाडी वाले विमानों के संभावित परिचालन की दृष्टि से इन विमानों के विभिन्न प्रकारों के आर्थिक पक्षों पर विचार कर रही है। इस प्रकार का अध्ययन जिन विमानों के लिए किया जा रहा है लौकहीड़ ट्राईस्टार उन में से एक है। अध्ययन अभी चल रहे हैं तथा प्राप्त किये जाने वाले विमानों की संख्या तथा टाइप के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गुजरात में कपास उत्पादकों को होने वाली कठिनाइयां

5455. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कपास उत्पादकों को बाजार में अपने उत्पादन बेचने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसको सहायता देने के लिए क्या तत्काल तथा उपचारी कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) गुजरात तथा कतिपय अन्य राज्यों के कई उपजकर्ताओं ने रुई की कीमतों में गिरावट के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार ने नोट किया है कि हालांकि अगस्त-सितम्बर, 1974 में चल रही कीमतों के ऊंचे स्तरों के मुकाबले हाल ही के सप्ताहों में रुई की कीमतों में गिरावट आई है फिर भी पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपक्षा वे अभी अधिक ही है। फिरभी, सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है।

अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना के अन्तर्गत खोले गये नये खाते

5456. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री आर० बी० बड़े :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना के अन्तर्गत कितने नए खाते खोले गए तथा गत दो वर्षों के दौरान इन पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) अब तक इसमें कितना धन जमा किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन पर कितना धन जमा होने की संभावना है; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा, 1974) के अधीन अधिसूचित की गयी अनिवार्य जमा योजनाओं के अनुसार जमा की राशियों के कर्मचारीवार खाते रखने की जिम्मेदारी, सरकारी आदान और वितरण अधिकारियों सहित नियोक्ताओं पर है जो इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्राधिकारी है। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और संगठित क्षेत्र के सरकारी और गैर-सरकारी व अन्य उद्यमों के लगभग 1.8 करोड़ कर्मचारियों पर लागू होता है। कर्मचारीवार खोले गये खातों की संख्या उन कर्मचारियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेगी जिन्होंने 6 जुलाई, 1974 के बाद परिलब्धियां प्राप्त की हों, जिसमें अधिनियम में परिभाषित अतिरिक्त वेतन और या महंगाई भत्ता शामिल है। क्योंकि कर्मचारीवार लेखे विकेन्द्रीकृत ढंग रखे जाते हैं और योजनाओं के अधीन नामांकित प्राधिकृत प्राधिकारी केवल कर्मचारीवार समेकित लेखे रखने के लिए उत्तरदायी हैं इसलिये अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत अब तक खोले गये खातों की निश्चित संख्या प्राप्त नहीं है।

योजनाओं के कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में, केवल जमा करायी गयी राशियों की बकाया किस्तों की वापसी और ब्याज की अदायगी, निम्नलिखित ढंग से की जाएगी;

(i) जुलाई 1979 में, अतिरिक्त वेतन की जमा राशि की पांचवी और अंतिम किस्त और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा राशि की चौथी किस्त की वर्ष के ब्याज सहित अदायगी की जाएगी; और

(ii) जुलाई 1980 में, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा राशि की पांचवी और अन्तिम किस्त की वर्ष के ब्याज सहित अदायगी की जाएगी।

चूंकि उपर्युक्त सामान्य वापसियां और ब्याज की अदायगी वर्ष में केवल एक बार करनी पड़ेगी इसलिए प्रत्येक विशिष्ट प्राधिकारी और नामांकित प्राधिकारी के स्तर पर उस व्यय की तुलना में, जो अनिवार्य जमा की पूरी अवधि में करना पड़ेगा, खास अधिक व्यय नहीं होगा। जमा की गयी राशियों के बकाया के ब्याज की अदायगी का खर्च उस अवधि के दौरान बैंक-जमा की अधीकतम दर पर निर्भर करेगा क्योंकि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ब्याज की दर बैंक-जमा की अधिकतम दर से 2 1/2 प्रतिशत अधिक होगी।

(ख) 13 दिसम्बर, 1974 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल जमा करवाई गई राशि 25.25 करोड़ रुपय की है। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में जमा कराई जाने वाली रकमों की सम्भावना कई बातों पर निर्भर करती हैं जैसाकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्थिति जिसके साथ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी करने का प्रश्न किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा हुआ है तथा संगठित क्षेत्र में वेतन संशोधन का स्वरूप व उसमें की गयी वृद्धि। क्योंकि इनका निश्चित रूप से ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अभी चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में इन योजनाओं के अन्तर्गत जमा करवाई जाने वाली सम्भावित राशियां के ठीक ठीक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जमा करवाई गयी राशियां रिजर्व बैंक के अलग खाते में चलन से अवरुद्ध रूप में दिखाई गई है। इससे, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की वृद्धि की गति में कमी होगी और अर्थ व्यवस्था में कुल मांग पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा कीमतों को स्थिर रखने के लिए हाल में ही मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं,

यह अधिनियम भी उनमें से एक है। परन्तु देश की अर्थव्यवस्था पर अधिनियम जसे अकेले उपाय का अलग से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना हमेशा ही कठिन होगा। इन सभी उपायों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़गा इसका विश्वसनीय अनुमान लगाने का समय अभी आया है किन्तु अब तक जो संकेत मिले ह उनसे पता चलता है कि, इन उपायों स कीमत काबू में आ रही है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे देश के उपर से विमानों की उड़ान तथा विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में समझौता

5457. श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डान संगठन के पास से अपना मामला वापिस लेने से इन्कार कर दिया है तथा जिसके परिणाम स्वरूप रावलपिंडी में पांच दिन की बातचीत के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे देश के ऊपर से विमानों की उड़ान तथा विमान सेवा स्थापित करने के बारे में साझौता न हो सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने लाहौर में हमारे डकोटा विमान को जलाये जाने के बारे में कोई मुकदमा दायर नहीं किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज हादुर) : (क) से (ग) इकाओ (आई० सी० ए० ओ०) के सामने प्रस्तुत 1971 के तथा विमान सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में, जिनमें 'ओवरफलाईटस' भी शामिल हैं, रावलपिंडी में हुई बातचीत अनिर्णायिक थी तथा उसे एक और बैठक में जो दिल्ली में होगी, जारी रखा जाएगा। अगली घटनाएं इस बातचीत के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

सूती कपड़ा उद्योग की शोचनीय स्थिति

5458. श्री राजदेव सिंह क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के कम उत्पादन और देश की सूती कपड़ा मशीनरी आयोग को अपर्याप्त उत्पादन-क्षमता के कारण सूती कपड़ा उद्योग की स्थिति शोचनीय है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सूती कपड़े के निर्यात लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या हमारे सूती कपड़े का मूल्य विश्व मण्डी में 40 प्रतिशत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व मंडी में प्रतियोगिता के लिए क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) इस समय विश्व बाजार में हमारे सूती वस्त्रों की कीमतें 15-20 प्रतिशत तक अधिक हैं। किन्तु अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में निर्यात बेहतर रहने के फलस्वरूप 1974–75 का 235 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लिये जाने की संभावना है।

(घ) सूती वस्त्रों के निर्यात और कंट्रोल का कपड़ा बनाने से संबंधित मिश्रित बाध्यता की नई योजना जिसमें निर्यातों के आधार पर कंट्रोल के कपड़े की बाध्यता में कमी की व्यवस्था की गई है, 1-10-1974 से लागू हो गई है। इस योजना का उद्देश सूती वस्त्रों के निर्यातकों को परोक्ष प्रोत्साहन प्रदान करना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के प्रति उदासीन व्यवहार

5459. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों प्राथमिकता वाले क्षेत्र, विशेष रुप से कृषि के प्रति उदासिन व्यवहार कर रहे हैं ;

(ख) क्या 14 राष्ट्रीय कृत बैंकों, स्टैट बैंक और उसको अधीनस्थ बैंकों द्वारा दिय गय कुल 4803 करोड़ रुपये की धन-राशि के कर्जों के अन्तिम आंकड़ो के अनुसार, जो अब प्रकाशित हो चुके हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को केवल 31.4 प्रतिशत भाग ही ऋण के रुप में मिला और कृषि क्षेत्र के मात्र 9 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सौतेले व्यवहार के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि छोटे पैमाने के उद्योग, सड़क परिवहन संचालक खुदरा व्यापार और छोटे कारोबार, व्यावसायिक और स्वयं नियोजन तथा शिक्षा जैसे प्राथमिकताप्रात क्षेत्रों में उत्पादन कार्य के लिए छोटे ऋणकर्त्ताओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दियें गयें अग्रिमों की जून, 1969, दिसम्बर, 1972 (जिस तारीख से संबंधोत आंकड़े माननोय सदस्य ने दिये है) और जून 1974 को बकाया राशि अनुबन्ध में दी गई है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8860/74**) सरकारो क्षेत्र के बैंकों द्वारा दियें गयें कुल अग्रिमों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का अनुपात जून 1969 को 14.9 प्रतिशत था। वह अनुपात जून 1974 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में कृषि अग्रिम कुल अग्रिमों क अनुपात में 5.5 प्रतिशत से बढ़ कर 8.9 प्रतिशत हो गया। और कृषि के लिए ऋण लेने वालों के खोतों की संख्या 1.64 लाख से बढ़कर 18.39 लाख हो गई, जबकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण लेने वालों के कुल खातों को संख्या 2.6 लाख से बढ़कर 26.2 लाख हो गई अर्थात् इन की संख्या में दुगनी वृद्धि हो गई। इस प्रकार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को, विशेष रूप से कृषि को, सरकारो क्षेत्र के बैंकों द्वारा दियें गयें अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई है। यहां वह भो उल्लेखनोय है कि कृषि ऋण देने में सहकारो समितियां निरंतर मुख्य भूमिका निभा रही हैं और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका केवल पूरेक मात्र है।

(ग) सवाल नही उठता।

मिलों को पटसन की आवश्यकता

5460 श्री समर गुह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और बिहार में कृषकों ने जो पटसन बेचा था उसके मूल्यों के वास्तविक आंकड़े क्या है ;

(ख) क्या पटसन की मजदूरो में बेचने की कोई आशंका है ;

(ग) क्या इन मिलों की 1974-75 के लिए देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह शिकायत की थी कि भारतीय पटसन निगम के पास पटसन खरीदने के लिए धन की कमी है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) पटसन उत्पादकों द्वारा पटसन मजबूरी में बेचने की स्थिति से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनुमान है कि 1974-75 के मौसम में पटसन उद्योगों को कच्चे पटसन की लगभग 70 लाख गांठों की जरूरत पड़ेगी ।

(घ) जी हां, । पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया है कि भारतीय पटसन निगम के प्राप्य ऋण को बढ़ाया जायें ।

(ङ) हालांकि आयात बिक्री की कोई खबर नहीं है, फिरभी भारतीय पटसन निगम को कीमतें कायम रखने के लिये ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने की हिदायतें दी गई है जहां कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं। इसके अतिरिक्त ऋण सीमा में एक करोड़ की वृद्धि करके और एक करोड़ को सरकारी ऋण देकर भारतीय पटसन निगम की धन सम्बन्धी स्थिति को बेहतर बनाया गया है।

विवरण

विभिन्न बाजारों में कच्चे पटसन की नवीनतम प्रचलित कीमतों को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र	रिपोर्ट की तारीख	कीमत (रु० प्रति क्विन्टल)	सांविधिक न्यूनतम कीमत (रु० प्रति क्विन्टल)
नौगांव (अपर आसाम व्हाइट) .	10-12-1974	127.50	125.00
धुबरी (लअर आसाम) . . .	10-12-1974	125.00	125.00
कूच-बिहार (सिलेक्टेड नार्दन व्हाइट) .	9-12-1974	137.50	129.00
रायगंज (सिलेक्टेड नार्दन व्हाइट)	9-12-1974	133.00	123.00
कौसिमबाजार (सिलक्टेड मुर्शिदाबाद ढोसा) .	10-12-1974	150.00	139.50
हरी पाल (सिलेक्टेड देसी) .	10-12-1974	158.00	146.50
किसन गंज (व्हाइट) .	9-12-1974	136.50	122.50
मुरली गंज (बिहार जूट व्हाइट) .	9-12-1974	109.50	103.00
दानपुर (कटक व्हाइट) .	5-12-1974	147.00	134.50
अगरतला (मेस्टा) . .	10-12-1974	114.50	114.50
विजयनगरम् (बिमली) . . .	5-12-1974	125.00	106.00

इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं को सुधारने के लिए कार्यवाही

5461. **श्री समर गुह :**
श्री मधु दण्डवते :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाईन द्वारा अपने यात्रियो को दी जाने वाली खाद्य सामग्री के गुण तथा मात्रा में बहुत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसमें सुधार लाने का है;

(ग) क्या विमान यात्रियों को पहले दी जाने वाली पत्रिकाओं की सप्लाई बन्द कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या पत्रिकाओं का सप्लाई पुनः आरम्भ की जाएगी; और

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को आने जाने वाली बस सेवाएं भी बहुत अनियमित तथा असंगठित हो गई हैं और यदि हां, तो ऐसी सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाईस की सेवाओं में पूर्ण भोजन के परोसे जाने के परिणामस्वरुप काफी भोजन बेकार जाता था और यात्री भी खाने के स्तर (क्वालिटी) और विविधता के बारे में बराबर शिकायत किया करते थे, जिसका सम्भावतः कारण यह था कि लोगों की भोजन-रुचि विभिन्न एवं पृथक पृथक होती है। विश्व भर में अधिकांशतः अन्तरर्देशीय विमान सेवाओं पर पूर्ण भोजन नहीं परोसा जाता है। इंडियन एयरलाइंस ने भी तालाबन्दी के दौरान थोडी सी कामचलाऊ सेवायें चालू करने के साथ उड़ान के दौरान विमानों में पूर्ण-भोजन परोसना बंद कर दिया। 15 अप्रैल, 1974 से भोजनकाल के दौरान होने वाली 1-1।2 घंटे से अधिक अवधि की उड़ानो में यात्रियो को अल्पहार (स्नैक) देना प्रारंभ किया गया है। यात्रियों के कुछ वर्गों द्वारा पूर्ण भोजन और गर्म खाना परोसने की प्रथा की समाप्ति तथा इस समय दिये जाने वाले अल्पाहार के स्तर (क्वालिटी) और मात्रा के बारे में असंतोष प्रकट किया गया है।

इंडियन एयरलाईन्स से कह दिया गया है कि इस संबंध में यात्रियों द्वारा व्यक्त की गई राय तथा भावनाओं की ओर उचित ध्यान दें तथा अपने घाटे को यथा संभव कम करने के उद्देश्य की उपेक्षा न करते हुए यात्रियों को यथा-संभव अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के आवश्यक उपाय करें।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में पत्रिकायें उपलब्ध कराना बन्द कर दिया गया क्योंकि यह देखा गया कि छोटी उड़ानो के दौरान यात्री पत्रिकाओं का कदाचित अतिसीमित ही उपयोग करते थे शायद इसलिए कि उड़ानों के दौरान जो भारतीय पत्रिकायें प्रदान की जाती थी वे प्रायः यात्रियों के घरों और कार्यालयों में उपलब्ध रहती है।

(ङ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्री विमानक्षेत्रों पर प्रारंभ की गई परिवहन कोच सेवायें नियमित व सुचारु रुप से व्यवस्थित है। बम्बई में कोच सेवा परिचालन का ठेका भूत-पूर्व सैनिकों की एक सहकारी फर्म को दे दिया गया है और आशा है कि चालू महीने के अन्त तक कोच सेवा का परिचालन प्रारंभ हो जायेगा।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्गमूल्य सूचकांक और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

5462. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :
डॉ गोविंददास रिछारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो द्वारा उनके मंत्रालय को उपलब्ध की गई अब तक की जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के पिछले बारह महीनों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और तत्संबंधी बारह महीने के औसत आंकड़े क्या है ;

(ख) क्या 30 नवम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले महीने के मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल, 1974 के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छ: अतिरिक्त किस्ते देय हो गई है; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित किस्ते कर्मचारियों को मंजूर कर दी गई हैं और यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ये किस्ते मंजूर करने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उन्हें अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) महंगाई भत्ते की योजना के अनुसार, जैसा कि उस के बारे में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत (1960=100) में प्रत्येक बार 200 से उपर होने वाली 8 अंकों की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ता स्वीकार्य होता है और यदि मूल्य स्तर 272 के 12 महीनों के औसत से ऊपर चला जाता है तो उसकी समीक्षा की जानी होती है। चुंकि मूल्य-सूचकांक का औसतन मई 1974, जून 1974 और अगस्त 1974 के अंत में क्रमश: 256, 264 तथा 272 को पार कर चुका है, इसलिए, 1974 के पश्चात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की तीन किस्ते देय हो गई है। 272 के स्तर से ऊपर महंगाई भत्ते की हकदारी, जैसा कि वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, की जाने वाली समीक्षा पर निर्भर करती है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) में उललिखित अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तो की स्वीकृतो का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

महीना	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100)	मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत
नवम्बर, 1973 . .	259	30-11-1973 को 231.83
दिसम्बर, 1973 . .	260	31-12-1973 को 236.00

महीना	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सुचकांक (1960=100)	मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत
जनवरी, 1974 . .	264	31-1-1974 को 240.50
फरवरी, 1974 . . .	267	28-2-1974 को 245.00
मार्च, 1974 . . .	275	31-3-1974 को 249.91
अप्रैल, 1974 . . .	283	30-4-1974 को 255.08
मई, 1974 . . .	294	31-5-1974 को 260.58
जून, 1974 . . .	301	30-6-1974 को 266.25
जुलाई, 1974 . . .	311	31-7-1974 को 271.91
अगस्त, 1974 . . .	321	31-8-1974 को 278.08
सितम्बर, 1974 . . .	334	30-9-1974 को 285.25
अक्तूबर, 1974 . . .	335	31-10-1974 को 292.00

इलैक्ट्रोलिटिक कापर का आबंटन

5463. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इलेक्ट्रोलिटिक कापर की तार की छड़ों को आबंटित करने की कसौटी और प्रक्रिया क्या है और उनका आबंटन कौन करता है और उनका आवंटन कसे किया जाता है ;

(ख) क्या इलेक्ट्रोलिटिक कापर की तार की छड़ों का आवंटन अलौह धातु के वेलित उत्पादों जैसे कतरन/चादर/कुडली के उत्पादन में लगे उद्योगों को किया जाता है; और

(ग) क्या तार की छड़ों (इलेक्ट्रोलिटिक कापर) की आबंटन अन्य एलाय उत्पादित करने वाले उद्योगों को किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार इलेक्ट्रोलिटिक कापर की छड़ों का आवंटन तकनीकी विकास के महानिदेशालय तथा अन्य प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । सामान्यतः इलेक्ट्रोलिटिक कापर की छड़े केबल तथा वायर विनिर्माताओं को ही आवंटित की जाती है ।

(ख) अलौह रोल्ड तथा एक्स्टूडिड उत्पादों के विनिर्माताओं को जब कभी कापर इलेक्ट्रोलिटिक कापर की छड़े आबंटित नहीं की जाती उनको इनका आबंटन तभी किया जाता है जब अन्य प्रकार के कापर की कमी होती है ।

(ग) इलक्ट्रोलिटिक कापर की छडों का आवंटन सामान्यतः अन्य मिश्रधातु उत्पादक उद्योगों को नहीं किया जाता है । तथापि, यदि अन्य प्रकार के कापर की कमी होती है तो इलक्ट्रोलिटिक कापर की छड़ों का आबंटन किया जा सकता है ।

बैंकों में जमा राशियां

5464. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के पहले अर्दयशि बैंको में जमा राशियों से काफी धन निकाल लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 8 और 15 नवम्बर, को समाप्त होने वाल सप्ताहों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं में कुछ कमी हुई थी। जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता चलेगा इस अवधि के पश्चात जमाओं की प्रवृति वृद्धि की ओर ही रही है।

निम्न तारीखों को	(करोड़ रुपयों में)
25-10-1974 . . .	11206
1-11-1974 . . .	11251
8-11-1974	11234
15-11-1974	11193
22-11-1974 . . .	11261
29-11-1974	11313

बैंक जमाओं में जो सप्ताह प्रति सप्ताह घट-बढ़ हुई है वह बैंकिंग कारोबार में असाधारण बात नहीं है। मुद्रा और शेयर बाजार की स्थिति, व्यापार और उद्योग की नगदी रखने की उनकी जरूरतों में अस्थाई रूप में वृद्धि आदि कुछ ऐसी बातें है जो कभी कभी साप्ताहिक जमाओं में काफी बड़ी मात्रा में घट-बढ़ कर देती है।

Tourist Spots with Hunting Facilities

5465. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are places in India where tourists can enjoy hunting and if so, the names thereof as also the animals permitted to be hunted ; and

(b) the names of the animals available at these places and the expenditure Government incurred on the maintenance of each of these places during 1973 and Government's annual income from each of these places ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The required information is being collected from the State Governments and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Night Entertainment Provided for Tourists by I. T. D. C.

5466. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the stops taken by the India Tourism Development Corporation for providing night entertainment facilities to tourists at Jaipur, Agra and Varanasi and whether the Corporation has taken some steps on the basis of the report of the Jha Committee (1953) and the report on Cultural Tourism in India (1969) ;

(b) ii so, the broad outlines thereof ; and

(c) whether the tourists do not like Western Style nude dances but such type of entertainment programmes are still held in Government owned hotels and restaurants ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The India Tourism Development Corporation does not provide night entert inment facilities at Jaipur or at Agra since they do not have any accommodation facilities at these places. The new I.T.D.C. hotel at Varasi has recently been commissioned and the Corporation is examining the possibility of providing entertainment facilities there.

The Jha Committee Report of 1963 had recommended that entertainment in Indian tradition should be developed. The I. T. D. C. hotels, namely, Ashoka Hotel in New Delhi, Hotel Ashoka at Bangalore and at Kovalam present regular cultural events in the traditional style.

The report on Cultural Tourism (1969) laid stress on the importance of Son-et-Lumier at selected monuments. The I. T. D. C. operates the Sound and Light Show at Red Fort. It also manages the Sound and Light Shows at Sabarmat Ashram at Ahmedabad and at Shalimar Gardens in Srinagar on behalf of the Department of Tourism.

The Cultural Tourism Report also underlined the importance of music and dance at Indian hotels. The I. T. D. C.'s entertainment policy is fully in keeping with this approach.

(c) Nude dances are not performed at any hotel establishment of the I. T. D. C.

आई० सी० आई० सी० आई० के अध्यक्ष द्वारा 'जालान' के समर्थन में प्रचार करना

5467 **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई सी० आई० सी० आई० का अध्यक्ष जो भूतपूर्व शेयर दलाल था, मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के शेयर मूल्य के लिए चुप-चाप चालान के लए प्रचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड का अध्यक्ष, मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के शयरों सम्बन्धी किसी लेनदेन के बारे में चालान परिवार के पक्ष में प्रचार कर रहा है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में दिया गया रोजगार

5468. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में सामान्य रुप से छोटा नागपुर और विशेष रुप से जिला पालामऊ (बिहार) में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति उस क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति है; और

(ग) क्या इस बारे में स्थानीय व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों के केन्द्रीय सहायता के बारे में नई नीति

5469. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि अब के बाद बाढ़ तथा सूखे से पीड़ित राज्यों की दी जाने वाली सहायता केवल उनके क्रमशः योजना आवंटन में से अग्रिम धनराशि के रूप में ही दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस नई नीति के अन्तर्गत किसी राज्य को वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य द्वारा नई नीति के अन्तर्गत इस प्रकार की सहायता की मांग की गई है; और

(घ) अन्य कौन-कौन से राज्यों द्वारा ऐसी मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने राहत-कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है।

गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो जायजा लिया है, उसकी सूचना सम्बद्ध राज्यों को दे दी गयी है और मामले पर उनक साथ परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है। केन्द्र की ओर से असम, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया गया है और इन दलों से प्राप्त रिपोर्टें इन राज्यों की सरकारों के पास भेज दी जायेंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की स्थिति का जायेजा लिया जा रहा है। जहां तक बाकी राज्यों का सम्बद्ध है, उनकी आवश्यकताओं के आयोजना-भिन्न स्वरूप को देखते हुए उन्हें यह सूचित कर दिया गया है की उन्हें स्वयं अपने ही साधनों से धन जुटाना पड़ेगा।

तस्करों की सम्पत्ति जब्त किया जाना

5470. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्ब्रन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ;

(ग) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि गिरफ्तार किए गए बड़े तस्करों के पास कितनी संपत्ति है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया है तथा क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विधान पुरःस्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) तस्करों और उनके सहयोगीयों के मामले, प्रत्यक्ष-करों की दृष्टि से विस्तृत जांच के लिए विशेष एककों के पास केन्द्रीकृत किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में तलाशियां भी ली गई हैं। इन व्यक्तियों की सम्पत्तियों के मूल्य को इसी समय विश्चित करना समय-पूर्व होगा, विशेषतः जब कि विभिन्न सम्पत्तियों में पुंजी निवेश बेनामी हैं।

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श में मामला विचाराधीन है ।

अशोक होटल कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन

5471. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल कर्मचारी संघ ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तथा महा प्रबन्धक को कथित अनियमितताएं बरतने पर उनके पदों से हटाने तथा उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराने के लिए एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अशोक होटल कर्मचारी संघ द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के नाम एक प्रतिवेदन अक्तूबर, 1974 में एक संसद सदस्य के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसमें मांग की गयी थी कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक को उनके पद से हटाया जाए ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार तथा अपने अधिकार एवं धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच पूरी कर सके। प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पहले ही मामले की जांच कर रहा था। केन्द्रीय जांच ब्युरो की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट से भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गंभीर आरोपों का पता नहीं चलता तथा मामले का अंतिम रुप से निपटान करने से पहले उसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके परामर्श के लिए भेज दिया गया है।

भारतीय रूई निगम द्वारा कुछ चुनींदा मिलो को भारतीय रूई का आवंटन

5472. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम ने ऐसे कुछ चुनींदा मिलों को भारतीय रुई आबंटित की है जिनके पास पहले ही बड़ी मात्रा में इसका स्टाक था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं तथा उनको रूई के आवंटन का ब्यौरा क्या था ;

(ग) इसको कितने मूल्य पर रूई दी गई तथा उस समय बाजार-भाव क्या था ;

(घ) जब भारतीय रूई निगम ने उन्हें रूई आबंटित की थी तब उनके पास भारतीय रूई का कितना स्टाक था ; और

(ङ) उन मिलों के नाम क्या है जिनको रूई आवंटित नहीं की गई है अथवा जिनके आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय रुई निगम द्वारा वस्त्र आयुक्त के रिलीज आर्डरों के आधार पर कुछ निर्यातक मिलों को रूई का आबंटन किया गया है ।

(ख) भारतीय रुई निगम द्वारा किये गये आबंटनों का विवरण निम्नलिखित है :—

मिल का नाम	आबंटित रुई की मात्रा (गांठें)
बम्बई डाइंग एण्ड मैनूफैक्चरिंग कं० . . .	14,965
ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स . .	2,000
लक्ष्मी काटन मिल्स . . .	2,000
आर० बी० मोतीलाल पुना मिल्स . .	4,000
स्टैंडर्ड मिल्स कं०	1,229
मफतलाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	1,724
न्यू शोरोक मिल्स (अहमदाबाद)	100
न्यू शोरोक मिल्स (नादियाद)	800
मदुरा मिल्स	2,843

(ग) निगम ने उसके प्रोसेसिंग तथा परिवहन व्यय पूरा करने के लिए अपनी खरीद कीमत से 300 रु० प्रति कैंडी अधिक वसूल किया ।

(घ) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) वस्त्र-आयुक्त ने निम्नलिखित मिलों के मामलें में रिलीज आर्डर रद्द कर दिये क्योंकि उनके मामले उसके द्वारा विहित कसौटी पर खरे नहीं उतरे :—

1. नवश्री काटन एण्ड सिल्क मिल्स लि० ।

2. कानपुर टैक्सटाइल मिल्स लि० ।

3. एल्गिन मिल्स लि० ।

4. श्री सीताराम मिल्स लि० बम्बई ।

5. वरैडबरी मिल्स लि० ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी

5473. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से समुद्री उत्पादों का निर्यात कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में यह निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित थे :—

वर्ष	मात्रा (मे०टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1971–72 . .	35523	44.55
1972–73 . . .	38993	59.72
1973–74 . . .	52279	89.51

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधीनस्थ बैंक

5474. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधीनस्थ बैंकों को एक स्वतन्त्र बैंक के रूप में संगठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसका क्या प्रयोजन है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइंस के अलाभकारी मार्ग

5475. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण :
श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 22 नवम्बर, 1974 के इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकारी मार्गों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के उन मार्गों के नाम क्या हैं जिन पर वह हानि उठा रहा है ;

(ख) क्या सरकार के समक्ष इन अलाभ-कारी मार्गों पर विमान सेवा बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मार्गों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1974—75 के दौरान इंडियन एयर-लाइंस द्वारा अब तक परिचालित की गयी सेवाओं की मार्गवार आर्थिक स्थिति का अभी संकलन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) यद्यपि इंडियन एयरलाइंस द्वारा जहां तक संभव हो वायु निगम अधिनियम के अंतर्गत, व्यापार-सिद्धांतों पर कार्य करने की आशा की जाती है, तथापि इसे एक सार्वजनिक उप-योगिता की सेवा के रुप में भी आपने दायित्वों को निभाना पड़ता है। अतः कारपोरेशन को क्षेत्रीय तथा पर्यटन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ अलाभप्रद मार्गों पर भी परिचलन जारी रखना पड़ता है ।

रुपये का मूल्य

5476. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मूल्यांकन करने पर रुपये के मूल्य में 1972 से 1973 तक के एक वर्ष में 10.19 प्रतिशत की कमी लक्षित हुई है;

(ख) क्या रुपये का मूल्य जो 1960 में 100 पैसे था, दिसम्बर, 1972 में 47.6 पैसे तथा दिसम्बर, 1973 में 39.5 पैसे हो गया था;

(ग) क्या 1972 के आरम्भ से जनवरी, 1974 के अन्त तक वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक में 46.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी और उसी अवधि के दौरान कोयले में 8.6 प्रतिशत मिट्टी के तेल में 42.5 प्रतिशत तथा वनस्पति के अतिरिक्त खाद्य तेलों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर घ में है, तो सरकार कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में सरकार के पास जमा धन राशि के मूल्य ह्रास की क्षतिपूर्ति 1960 की पिछली तिथि से किसी प्रकार करेगी, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सामान्य भविष्य निधि के रुप में होने वाली बचतों की रकमें सामान्यतः लम्बी अवधि के लिए रखी रहती है और इसलिए उनके मूल्य में घटबढ़ होना लाजमी है। फिर भी, सरकार ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकमों के वास्तविक मूल्य में होने वाली कमी के कारणों को कई एक तरीकों से प्रतिसंतुलन करने का प्रयत्न किया है। इन उपायों में कर संबंधी विभिन्न छूटें, वेतनमानों में संशोधन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भविष्य निधि की बकाया रकमों पर उंची ब्याज दरें और ग्रेच्युटी तथा पेंशन संबंधी लाभों को उदार बनाना शामिल है ।

रक्षा लेखा नियन्त्रक के पटना स्थित कार्यालय में भर्ती

5477. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय में भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1972 से रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना और रांची स्थित कार्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के राज्यवार कर्मचारी किन-किन तारखों को भर्ती किये गये ;

(ग) क्या भर्ती में कोई अनुचित साधन अपनाने का आरोप लगाया गया है;

(घ) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय ने क्षेत्रीय भर्तियां करने को वर्तमान नीतियों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सामान्यतः भर्ती क्षेत्रीय आधार पर उन व्यक्तियों में से की जाती है जिनके नाम क्षेत्र के रोजगार कार्यालाय में दर्ज होते है। उन के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सरकार के विभागों के फालतू कर्मचारियों, जिनके नाम उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाते हैं, उच्च पदों के लिए आवेदन करने के पात्र कार्यरत कर्मचारियों तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितो को भर्ती के लिए विचारा जाता है।

(ख) पटना तथा रांची स्थित दोनों कार्यालयों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य-वार सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र ही लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी परन्तु जांच के पश्चात इन्हें सारहीन पाया गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमन्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पटना तथा रांची स्थित कार्यालयों में नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा भर्ती निम्नलिखित तिथियों को की गई :

पटना	श्रेणी–III	1972	5-12-1972 तथा 7-12-1972
		1973	22-2-1973 से 16-3-1973 तक, 12-3-1973 से 16-3-1973 तक 11-7-1973 से 13-7-1973, 10-8-1973. 11-9-1973, 12-9-1973, 20-10-1973, 22-10-1973, 23-10-1973 से 24-10-1973 तक 19-11-1973 और 21-11-1973.
		1974	29-11-1974, 30-11-1974, 2-3-1974, 4-3-1974 17-10-1974, 18-10-1974 28-10-1974 तथा 18-11-1974

रांची . .	श्रेणी–III	1972	कुछ नहीं ।
		1973	19-11-1973 से 23-11-1973 तक
		1974	28-2-1974 से 2-3-1974
			25-11-1974 से 27-11-1974 तक
पटना . .	श्रेणी–IV	1972	कुछ नहीं
		1973	7-2-1973
		1974	18-1-1974 और 19-8-1974
रांची . .	श्रेणी–IV	1972	कुछ नहीं ।
		1973	
		1974	

पटना स्थित रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालय में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना

5478. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का विचार पटना स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक, कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने का है;

(ख) पटना में ऐसी योजना के लागू करने पर अनुमानतः कितना वार्षिक व्यय होगा; और

(ग) इस समय चिकित्सा सम्बन्धी बिलों की प्रतिपूर्ति पर कितना व्यय होता है तथा क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने से सरकार तथा कर्मचारियों, दोनों को लाभा होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को पटना में लागू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) चिकीत्सा संबंधी बिलों की प्रतिपूर्ति पर किये गये व्यय की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ना ही पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लागू करने पर व्यय का अनुमान लगाया गया है ।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

5479. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री मधु दंडवतें :
श्री एन० ई० होरो :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कलकत्ता के सोमानी बन्धुओं द्वारा नियंत्रित बहादुरगढ़ की हिन्दुस्तान सेनीटरी वेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० सोमानी पिलगिंकटन प्राइवेट लि० और सोमानी सेरोमिक्स तथा अन्य कंपनियों के प्रबन्धकों और इन कम्पनियों के श्री एच० ऐल० सोमानी तथा अन्य निदेशकों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा और सीमा शुल्क विनियमों का उल्लंघन करने से संबंधित कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(ख) क्या इन शिकायतों के आधार पर कोई जांच पड़ताल की गयी है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें

5480. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितनी शाखाएं खोली गई है;

(ख) क्या पांचवी योजना की अवधि में राज्य में इन बैंकों की और शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले 438 थी वह सितम्बर 1974 के अंत तक बढ़ाकर 952 हो गई ;

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंक अपने शाखा-विस्तार की तीन वर्षीय रोलिंग योजनाएं बनाते हैं। आज कल बैंक 1975–77 तीन वर्षों की योजना बनाने में लगे हुए है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में कार्यालय खोलने के लिए सितम्बर, 1974 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 134 लाइसेंस/आवंटन पत्र थे।

भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की बैठक

5481. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की पांचवी बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन निष्कर्षों पर पहुंचा गया, उनका सार क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्ष निम्नोक्त के लिये अपनाये जाने वाले उपयों पर सहमत हो गये हैं :–

(i) भारत में चैकोस्लोवाकिया से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए दोदों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग!

(ii) दोनों देशों के बीच व्यापार की निरन्तर वृद्धि तथा विधीकरण को बढाना,

(iii) विज्ञान तथा टकनोलीजी के क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और

बजाज ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज पर बकाया कर राशि

5482. **श्री रामदेव सिंह :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजाज ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज के उन शेयरधारियों के नाम क्या हैं जिनके शेयर 1000 रुपये या इससे अधिक के हैं तथा जिन पर करों की राशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध कितनी कर-राशि बकाया है; और

(ग) बकाया करों को वसुल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) बजाज औद्योगिक समूह में 23 कम्पनियां हैं जिनमें से 15 कम्पनियां पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं। जिन शेयर-धारियों के पास 1000 रु० अथवा इससे अधिक के शेयर हैं, उनकी संख्या अधिक होगी, वे व्यष्टि अथवा निगमित निकाय हो सकते हैं और आवश्यक सूचना को देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करना पड़ेगा। इसलिए, अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शेयर-धारी अथवा शेयरधारियों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहें तो उसे एकत्र करके सदन पटल पर रखा जा सकता है।

अहमदाबाद और राजस्थान के विभिन्न नगरों के बीच विमान सम्पर्क

5483. **श्री लालजी भाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपूर-जोधपूर-उदयपूर-बम्बई मार्ग पर वर्तमान उड़ान अहमदाबाद के हवाई अड्डा नियन्त्रणकक्ष के ऊपर से होती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद में इस विमान उड़ान को अतिरिक्त उतार की व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस की दक्षिणी सेक्टर सेवा आई० सी० 123/124 दिल्ली–जयपुर–जोधपुर–उदयपुर–बम्बई सेक्टर पर परिचालन करते समय अहमदाबाद द्वारा नियंत्रित वायुमंडल सीमा (50 एन एम) में से होकर उड़ान नहीं करती जबकि उत्तर की ओर जाने वाली उड़ान पर यह अहमदाबाद-नियंत्रित वायुमंडल सीमा के छोर को छुती है।

(ख) और (ग) फिलहाल इंडियन एयरलाइंस की इस सेवा के लिए अहमदाबाद को एक अतिरिक्त विरामस्थल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई के बीच एक जेट सेवा विद्यमान है।

Arrears of Income-Tax Against Firms in Rajasthan

5484. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax arrears outstanding against firms in Rajasthan during 1973-74 indicating the names of such firms ; and

10—46 L. S. S. (N. D.)/74

(b) the action being taken by Government to realise the Income-tax arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) As on 31st March, 1974, tnere were more than 23,000 firms on the registers of the Income-tax Department in Rajasthan. The collection of the requisite information will entail considerable time and labour which may not be commensurate with the results, which may be achieved. However, the desired information in respect of the firms against whom net arrears exceeding Rs. 1 lakh were outstanding as on 31st March, 1974 is given in the Annexure. [*Placea in Library. See No. L.T.*8861/74.]

(b) All steps provided in law have been taken and are being taken, depending upon the facts and circumstances of each case, for recovering the arrears.

रेयन धागे का निर्यात

5485. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत द्वारा अन्य देशों को रेयन धागे के निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किये जाने वाले रेयन धागे के विवरण क्या है और इसका किन देशों को निर्यात किया जायेगा; और

(ग) इस निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रेयन धागा विनिर्माताओं से इस आधार पर रेयन धागे के निर्यात पर से रोक हटाने के लिए कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके पास स्टाक इकट्ठा हो गया है। कुल घरेलू मांग के संदर्भ में इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपास और उन के आयात के कारण पोलिस्टर एककों को कठिनाइयां

5486. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कपास और ऊन के आयात के कारण देश में पोलिस्टर एककों होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ओर पोलिस्टर एककों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु राहत देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पोलिस्टर स्टेपल फाइबर विनिर्माताओं की एसोसिएशन कुछ महीने पहले डी एम टी के आयात के लिए मांग करती रही थी, जबकि वे कच्चे माल की कमी का सामना कर रहे थे। वे यह सुझाव देते रहे थे कि जो विदेशी मुद्रा रुई के आयात के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, उसके बारे में यह बेहतर होगा कि वह पोलिस्टार फाइबर बनाने के लिए डी एम टी के आयात के लिए उपयोग में लाई जाये। इस समय डी एम टी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। अत: यह समस्या अब नहीं है। वर्तमान कठिनाई स्टाक जमा होने की है।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को प्रोत्साहन

5487. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री नवल किशोर सिंह :
श्री शशि भूषण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान की गयी व्यापार प्रतियोगिताओं में जीते गये तथा सांत्वना पुरस्कारों के अधिकारी सभी एजेंटों तथा विकास अधिकारियों को ये पुरस्कार अब तक दे दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं और इन पुरस्कारों को कब तक दिये जाने का विचार है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन के लिये यह एक सामान्य बात है कि वह सांत्वना पुरस्कार के लिये 10 रुपये के चैक भेजता है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) एजेंटों से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण क्या है ताकि वे जीवन बीमा निगम के लिये अधिक व्यापार प्राप्त कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1973–74 के दौरान जीवन बीमा निगम के दिल्ली प्रभागीय कार्यालय के विकास अधिकारियों और एजेंटों के लिए तीन कारोबार प्रतियोगताएं आयोजित की थी। अत: प्रतियोगिताओं के अंतर्गत घोषित 1749 पुरस्कारों में से 61 पुरस्कारों को छोड़कर सब पुरस्कारों को वितरित कर दिया गया है। थोड़े से पुरस्कार अभी तक वितरित नहीं किये गये है, उसका मुख्य कारण यह है कि अनुस्मारक भेजे जाने पर भी पुरस्कार विजेता पुरस्कार लने के लिए नहीं आये है।

(ग) सान्त्वना पुरस्कार चेक अथवा नकद के रूप में देने की प्रथा नहीं है परन्तु यदि पुरस्कार विजेता ऐसा चाहते हो तो उनको उसी रूप में अदायगी की जा सकती है।

(घ) कारोबार में वृद्धि होने के साथ साथ बढने वाले कमोशन के अलावा, एजेण्टों को नये कारोबार प्राप्त करने के लिए अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं :—

(i) बोनस कमीशन

(ii) उपदान और अवधि मुक्त स्कोम लाभ

(iii) विभिन्न स्तरोंपर एजन्सियों के लिये पुरस्कार, जो एजेंटो को ऐसे विशेषाधिकारों और सुविधाओं के लिए टेलिफोन व्यय की प्रतिपूर्ती, विशेष शर्तों पर वाहन सुविधायें और बिक्री-प्रोत्साहन के लिये दी जानेवाली उपहार की बातों जैसे वेतनेतर लाभों के लिये हकदार बनाती है।

(iv) प्रतियोगिता पुरस्कार

इन्स्टैन्ट टी' का उत्पादन करने के लिए चाय बोर्ड को पेटेंट का अधिकार

5488. श्री आर० एन० बर्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इन्सटैन्ट टी" का उत्पादन करने के लिए पेटेन्ट का अधिकार कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित चाय बोर्ड के पास है ;

(ख) यदि हां, तो इस पेटेन्ट को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है और आसाम पश्चिम बंगाल और नीलगिरी में चाय उत्पादन केन्द्रों में अनुसन्धान प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के लिए इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला मंजूर की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(क) पेटेन्ट प्रणाली का और आगे परिक्षण करने के लिए टौकलाई एक्सपरिमेन्टल स्टेशन पर एक पायलट प्लान्ट की स्थापना के बारे में उपाय किये गये हैं । पायलट प्लान्ट अध्ययन सफल होने के बाद ही इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने और उसका वाणिज्यिक लाभ उठाने का प्रश्न उठेगा । इसके अतिरिक्त चाय उगाने वाले अन्य इलाकों में स्थित किसी भी अनुसंधान संस्था में ऐसे अनुसंधान के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदश को पर्यटन सुविधायें देने के लिए केन्द्रीय सहायता

5489. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटकों के लिए संचार परिवहन और आवास सम्बन्धी सुविधाए विकसित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से 2.75 लाख रु० की अनुमानित लागत से खजुराहो एवं दिवास में शिबिर-स्थलों के विकास के बारे में वर्ष 1973-74 में क्रियान्वयन के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये थे । सीमित साधनों के कारण, जिसके फलस्वरूप प्राथमिकताओं का पुर्नानिधारण आवश्यक हो गया, पर्यटन विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत इन प्रस्ताओं पर विचार नहीं किया जा सका ।

हथकरघा बोर्ड को सांविधिक बोर्ड में बदलना

5490. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक विकास में बदलने का प्रस्ताव है और हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाया जायेगा

(ख) क्या जनसंख्या के कमजोर वर्गों को न्यूनतम खपत स्तर पर लाने और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये हथकरघा उद्योग को कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया जायेगा ; और

(ग) हथकरघा उद्योग के लिये प्राथमिक रूप से जिम्मेदार राज्य सरकारों पर वित्तीय तथा अन्य समस्यायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को एक सांविधिक संगठन में बदलने तथा सहकारी क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों को लाने के लिए हथकरघा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में शिवरामन समिति की शिफारिशें विचाराधीन हैं और अन्तिम विनिश्चय यथाशीघ्र घोषित किए जाने की आशा है ।

(ग) इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशि का उचंत खाते में डाला जाना

5491. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री शशि भूषण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि उचंत खाते में डाली गयी ; और

(ख) पालिसियों की अवधि के पूरे हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों तथा उनके उत्तरजीवियों का पता लगाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में उचंत खाते में डाली गयी प्रीमियमों की कुल राशि निम्नानुसार थी :—

दिनांक	रकम (करोड़ रु० में)
31–3–1972	34.05
31–3–1973	36.58
31–3–1974	31.15

(ख) परिपक्व दावों के मामलों में जीवन बीमा निगम परिपक्व होने की तारीख से पहले पालिसी दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षर करके लौटाने के लिए पालिसीधारियों को भुगतान वाउचर (डिस्चार्ज वाउचर) भेजता है। जहां इस अपेक्षा को पूरा करने में विलम्ब हो जाता है, वहां विकास अधिकारियों को दावेदारों से सम्पर्क स्थापित करने और औपचारिताओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए लगाया जाता है। मृत्यु दावों के सम्बन्ध में दावेदारों का पता लगाने में ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होती क्योंकि जीवन बीमा निगम स्वयं दावेदारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करता है।

Income-Tax outstanding against Partners of Shree Ram Rayons, Kota

5492. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of all the partners of Shree Ram Rayons Kota (Rajasthan) a branch of M/s Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. and their shares in the partnership ; and

(b) the amount of Income tax outstanding so far against these partners and the action being taken by Government to realize it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) :(a)Shree Ram Rayons, Kota (Rajasthan) is a unit of M/s Delhi Cloth and General Mills Company Ltd. and, therefore, a part and parcel of the latter. It has no partners nor does it have any shareholders independent of the shareholders of M/s Delhi Cloth and General Mills Company Ltd.

(b) The question does not arise.

Charges against Hindi Daily 'Avantika'

5493. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3550 on the 8th December, 1972 regarding Enquiry for charges against Hindi Daily 'Avantika' and state :

(a) whether the enquiry into the charges against Hindi Daily 'Avantika' has since been completed ; and

(b) if so, the broad features thereof and the action being taken by Government against its proprietors and partners ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwa Nath Pratap Singh) : (a) & (b) C. B. I. investigation report has since been received and the matter is under examination.

It is not possible to disclose the details at this stage in public interest.

Evasion of Taxes by M/s. Chhaganlal Panchulal, Indore

5494. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a letter was received on 19th April, 1974 and another in the last week of August, 1974 from some Members of Parliament in which complaints had been made against M/s. Chhaganlal Panchulal, Mohan Sadan, 6/4 Snehlata Ganj, Indore, for evading substantial amount of taxes and excise duty ; and

(b) if so, the action Government have since taken against the firm and the names of the departments which took action and the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) Two letters dated 8-7-74 and 28-8-74 were received in this matter from a Member of Parliament. Investigations by Income Tax Department are in progress. Sales Tax Department of Madhya Pradesh raided the offices of M/s. Chhaganlal Panchulal at Ujjain on 6th August, 1974 and at Indore on 10th August, 1974. Scrutiny of the documents seized in the raids by the Sales Tax Department is also in progress. Information regarding evasion of Central Excise duty is being collected.

रबड़ के उत्पादन में कमी

5495. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रबड़ के उत्पादन में कमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान रबड़ का उत्पादन, उस स्तर से नहीं गिरा है जो पिछले वर्ष पहुंच गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट

5496. श्री प्रबोध चन्द :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य की प्राथमिक मंडियों में कच्चे पटसन की निरन्तर गिरावट के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कच्चे पटसन की गिरती हुई कीमतों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । भारतीय पटसन निगम की खरीदारियों उन क्षेत्रों में जहां प्रचलित कीमतों अपेक्षाकृत कानूनी न्यूनतम कीमत के निकटतर हैं, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर और तेज कर दी गई हैं ।

आंसुका के अधीन गिरफ्तार किए गए तस्कर

5497. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों को न्यायालयों में अपील करने से रोकने के अध्यादेश के जारी किए जाने के बाद भी बहुत से तस्कर न्यायालयों द्वारा रिहा कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन राज्यों में ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 16-11-1974 के राष्ट्रपति के आदेश के बाद 18-12-1974 तक न्यायालयों द्वारा अब तक छः नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है । दिल्ली तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने दो-दो और मद्रास तथा गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा एक एक व्यक्ति को रिहा किया गया है ।

(ग) न्यायालयों ने आमतौर पर यह व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद भी न्यायालय को नजरबन्दी के गुण-दोषों की जांच करने का अधिकार है ।

(घ) उपर्युक्त निर्णयों में से कुछ के विरुद्ध अपील करने के लिए सम्बन्धित सरकारों ने उच्च न्यायालयों से अनुमति मांगी है ।

उनी कपड़े के निर्यात के बारे में 1-12-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के उत्तर में शुद्धि।

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 2603 DATED 1-12-1972 RE. EXPORT OF WOOLLEN CLOTH

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : खेद है कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में निम्नोक्त शुद्धियां की जानी है :—

(क) भाग (क) के उत्तर में —

(1) भारत में ऊनी कपड़े का निर्यात करने वाली ऊनी मिलों की कुल संख्या 12 होनी चाहिए 13 नहीं, जैसा कि उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। विवरण में क्रमांक 6 तथा 12 पर मिलों के नाम अर्थात सुप्रीम वुलन मिल्स तथा खुशीराम द्वारकानाथ मिल्स लिमिटेड, बम्बई, दिये गये उत्तर में से निकाले जाने हैं, क्योंकि ये मिलें प्रत्यक्ष रूप से निर्यातक नहीं थी और अप्रत्यक्षरूप से निर्यात कर रही थीं, दूसरी ओर एक अन्य मिल का नाम अर्थात मैसर्स सैलेश टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज बम्बई शामिल किया जाना है।

(2) विवरण में क्रमांक 2 पर दिये गये "मोडेला वुलन मिल्स" का नाम "मोडेला टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड" पढ़ा जाए ।

(ख) भाग (ख) में दिये गये उत्तर में निम्नोक्त देशों के नाम जोड़े जाएं और दो देशों के नाम अर्थात बल्गारिया तथा दक्षिण यमन गणराज्य निकाले जाने हैं :—

सोवियत संघ, स्विटजरलैण्ड, सीरिया, जमेका, फिजी, आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली, लेबनान, नाइजीरिया, घाना, मस्कत, बंगलादेश, मारीशस, यूगाण्डा, अदन, मलेशिया तथा साइप्रस।

2. एक विवरण संलग्न है जिसमें उत्तर संशोधित करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाये गये हैं।

3. प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में एक आश्वासन दिया गया था। इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी अब उपलब्ध है और संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 8862/74]**

लोक सभा में 1-12-1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तरों में शुद्धियां करने में विलम्ब इस बात के कारण हुआ है कि भाग (ग) के उत्तर के लिए अपेक्षित जानकारी का संकलन करते समय ही भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में दी गई जानकारी में त्रुटियों का पता चला। अत: प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर प्रस्तुत करने के साथ-साथ शुद्धियां कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना मत खड़े होइये।

Shri Chandra Shailani (Hathras):**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जब मैं खड़ा हूं तो आपको बोलने के लिये नहीं कहा गया है। इससे पहले कि आप अपना कार्यक्रम आरंभ करें, मुझे गोयन्का के मामले तथा अन्य मामलों के बारे में अपना विनिर्णय पढ़ने दीजिए ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री आर० एन० गोयनका, संसद सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI R. N. GOENKA, M. P.

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री प्रियरंजन दास मुंशी, भोगेन्द्र झा, इन्द्रजीत गुप्त, एस० एम० बनर्जी, रामावतार शास्त्री, के० जी० उन्नीकृष्णन, डी० सी० गोस्वामी, दरबारा सिंह, शशिभूषण और वयालार रवि ने 4 दिसम्बर, 1974 के "पैट्रियट" में प्रकाशित निम्नलिखित समाचार से अन्य बातों के साथ साथ श्री आर० एन० गोयनका संसद सदस्य के विरुद्ध उत्पन्न विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस दिये :

> "इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के तीन निदेशकों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अपराधित्व षडयंत्रों के लिये मुकद्दमा चलाया जाना है। निदेशकों के अतिरिक्त श्री आर० एन० गोयनका उनके पुत्र श्री बी० डी० गोयनका और श्री बी० डी० गोयनका की पत्नी श्रीमती सरोज गोयनका कम्पनियों के एक्सप्रेस ग्रुप के दो अन्य कर्मचारियों पर ऐसे ही आरोपों के लिये मुकद्दमा चलाया जाना है।
>
> स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आफ मद्रास ने यह मामला शनिवार को चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट नई दिल्ली के न्यायालय को मुकद्दमा चलाने के लिये सुपुर्द किया . . .
>
> मुकद्दमा चलाये जाने के लिये मामला यह था कि अभियुक्त ने बेंक से अतिरिक्त नकद ऋण की सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से 1968 में बैंक को धोखा देकर जालसाजी करके और कम्पनियों की खाताबहियों तथा स्टाक रिकार्डों को असत्य बना कर के अपराधिक षडयंत्र किया।"

सर्वश्री प्रियरंजनदास मुंशी, भोगेन्द्र झा, एस० एम० बनर्जी, के० पी० उन्नीकृष्णन, डी० सी० गोस्वामी, दरबारा सिंह और शशिभूषण ने अपने नोटिसों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में 13 दिसम्बर और 16 दिसम्बर, 1974 को सभा में अपने निवेदन किये थे। माननीय सदस्यों ने श्री गोयनका के विरुद्ध कथित आरोपों का उल्लेख किया और तर्क दिया कि श्री गोयनका का दोषारोपित आचरण सभा की गरिमा के लिये अनादरपूर्ण है और संसद सदस्यों से अपेक्षित उच्च स्तर के अनुरूप नहीं है।

श्री आर० एस० गोयनका ने 18 दिसम्बर, 1974 को सभा में अपना निवेदन किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप उस अवधि से सम्बन्धित है जब वह सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि चुंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस लिये वह इस मामले के गुणों की जांच करने की स्थिति में नहीं है और वह न्यायालय में ही आरोपों का खंडन करेंगे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उनके विरुद्ध कुछ सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों को यहां अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी और तर्क दिया कि किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न केवल तब ही बनता है जब वह सदस्य सभा के सदस्य के रूप में किसी दुराचरण या दुर्वृत्ती का अपराधी हो।

जैसा कि मैंने 2 दिसम्बर 1974 को सभा में अपने विनिर्णय में कहा था कि विशेषाधिकार का उल्लंघन या सभा का अवमान घोषित करने के लिये किसी सदस्य के दुराचरण का सभा के कार्य से सम्बन्ध होना चाहिये। इस मामले में, श्री आर० एन० गोयनका के दोषारोपित आचरण का सम्बन्ध सभा के कार्य से नहीं है। अत: मैं विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिसों पर अपनी सम्मति नहीं देता हूं।

अध्यक्षपीठ भविष्य में विशेषाधिकार के प्रश्न के ऐसे नोटिसों को आरंभ में ही नामंजूर कर देगा जिनमें यह स्पष्ट नहीं लिखा होगा कि विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन सभा के कार्य से सम्बन्धित है।

[अध्यक्ष महोदय]

फिर भी, ऐसे मामले हो सकते है जिनमें यह आरोप लगाया जा सके कि सदस्य का आचरण नैतिक भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है, तो उस सीमा तक सदस्य को सभा की गरिमा कम करने का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जाना चाहिये। मैंने 2 दिसम्बर, 1974 के अपने विनिर्णय में पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि न्यायनिर्णयाधीन का नियम सभा मे अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकर के मार्ग में बाधक नहीं है परन्तु अध्यक्षपीठ और सभा को प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करना होगा।

आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST A. I. R.

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एन० गोयनका ने आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठना चाहा था क्यों कि उसमें 4 दिसम्बर, 1974 को अपने समाचार बुलेटिन और "संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा" शीर्षक प्रसारण में ऐसे कुछ मामलों को सभा की कार्यवाही के रूप में प्रसारित किया था जो वास्तव में उस दिन की सभा की कार्यवाही के सरकारी कार्यवाही वृतान्त में नहीं थे। श्री गोयनका ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हुए अन्य बातों के साथ साथ कहा :—

"कार्यवाही के सरकारी कार्यवाही वृतान्त से इन्हें निस्संदेह निकाल दिया गया था। फिर भी सभा में क्या हुआ, उसका वर्णन कुछ समाचार पत्रों ने संक्षेप में और अन्य समाचार पत्रों ने अपने कारणों से विस्तारपूर्वक किया। मैंने आपको उन पर औपचारिक ध्यान देने का नहीं कहा क्यों कि मैंने समझा कि उसमें वास्तविक भ्रांति हो सकती है क्यों कि प्रेस दीर्घा में बैठे व्यक्तियों ने आपका विनिर्णय न सुना हो और चाहा कि उन्हें संदेह का लाभ हो परन्तु आकाशवाणी जो एक सरकारी विभाग है, सरकार का विभाग है, तो कोई बहाना नहीं बना सकता है। संसद में क्या हुआ, इससे सम्बन्ध अपने समाचार में उसने कहा :

"प्रश्न काल के ठीक बाद ज्यों ही श्री प्रियरंजन दास मुंशी, (कांग्रेस) ने अध्यक्षपीठ से इस बात की पुष्टि करनी चाही कि क्या श्री आर० एन० गोयनका के बारे में समाचार पत्र के समाचार का इसी नाम के सभा के सदस्य से तो कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी समय सभा में कोलाहल हो गया ... ।

आकाशवाणी ने न केवल कार्यवाही वृतान्त से निकाले गये मामले को ही प्रसारित किया अपितु 4 दिसंबर की रात्रि को "संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा" शीर्षक समीक्षा में ... "उद्धृत" करके "धोखाघड़ी और जालसाजी" की वार्ता को प्रसारित की।"

उस पर सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री आई० के० गुजराल ने अन्य बातों के साथ-साथ स्थिति स्पष्ट की :

"4 दिसम्बर 1974 को प्रश्न काल के तुरन्त बाद श्री प्रियरंजन दास मुशी, संसद् सदस्य ने श्री आर० एन० गोयनका के बारे में समाचार पत्र के समाचार सम्बन्ध में इस सभा में कुछ उल्लेख किया। उनके उल्लेख से उत्पन्न कार्यवाही की आकाशवाणी के अपने 2 बजे म० प० के बुलेटिन और एक अन्य बुलेटिन ... में सूचना दी गई। इस घटना की सूचना देने में आकाशवाणी अकेला नहीं था। पी० टी० आई० और यू० एन० आई० सहित सभी समाचार एजेंसियों और समाचार पत्रों के अनेक संवाददाताओं ने इस घटना की सूचना दी ...

श्री गोयनका के विरुद्ध धोखाघड़ी और जालसाजी के जिन आरोपों की समाचार एजेंसियों तथा समाचार पत्र संवाददाताओं ने सूचना दी थी, उनके बारे में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में कोई उल्लेख नहीं किया गया ....

श्री गोयनका को "संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा" शीर्षक वाली समीक्षा में प्रयुक्त 'धोखघड़ी' और 'जालसाजी' शब्दों पर विशेष आपत्ति है । श्रीमन जैसा कि सभा को जानकारी है, यह समीक्षा समाचार पत्र और समाचार एजेंसी के अनुभवी संवाददाताओं द्वारा लिखी जाती है ... उसके समीक्षक यू० एन० आई० के वरिष्ठ संवाददाता श्री एन० गोपीनाथ नायर थे ...

उन्होंने श्री आर० एन० गोयनका से सम्बन्द्ध समाचार पत्र के समाचार के बारे में श्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा उठाये गए प्रश्न का उल्लेख किया । उस संदर्भ में उन्होंने केवल समाचार पत्रों के समाचारों में छपे और श्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा उद्धृत 'धोखाघड़ी' और 'जालसाजी' शब्दों का उल्लेख किया ... ।"

स्थिति यह है कि सरकारी समाचार साधनों सहित प्रेस के प्रतिनिधियों को इस स्पष्ट शर्त पर प्रेस दीर्घा में प्रवेश दिया जाता है कि वे सभा की कार्यवाही की सूचना वस्तु परम ढंग से तथा अधिक महत्व देते हुए देंगे और अध्यक्षपीठ के निर्णयों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उन्हें जैसा सुना है वैसा हि बतायेंगे । इस बात पर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता कि जिस बात को सभा की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करने का आदेश दिया जाता है, उसे समाचार पत्रों या आकाशवाणी के प्रसारणों में बताया जा सकता है ।

मैंने उस दिन की सभा की सम्बन्द्ध कार्यवाही का अधिकृत रिकार्ड देखा है । उससे मुझे पता चला है कि उस दिन आकाशवाणी के 2 बजे म० प० के समाचार प्रसारण में व्यक्त किये गये श्री प्रियरंजनदास मुंशी के विचारों को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया है । नहीं कार्यवाही वृतान्त में "धोखाघड़ी" तथा ठगी का कोई संदर्भ है । वास्तव में उस दिन सभा में मैंने यही कहा था :

मैंने श्री दासमुंशी का नाम नहीं पुकारा । उनकी बात ...

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं पुकारा है । यदि मेरी अनुमति के बिना कुछ कहा गया है तो वह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं है । मैंने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है ।

बिना नोटिस के मै किसी चीज की अनुमति नहीं दे रहा हूं । अध्यक्षपीठ की अनुमति के लिये बिना किसी सदस्य को खड़े होने का अधिकार नहीं है । बिना नाम पुकारे गये अथवा बिना मेरी अनुमति लिये गये किसी सदस्य का द्वारा कही गई कोई चीज कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।"

अतः मेरा विचार यह है कि आकाशवाणी को सभा की कार्यवाही के रूप में सदस्यों के विचार जो वास्तव में सभा की कार्यवाही के अधिकृत रिकार्ड में नहीं है, प्रसारित नहीं करने चाहिये थे तथा इसी प्रकार समाचार एजेन्सियों और प्रेस को सभा में दिये गये भाषणों की कथित रिपोर्ट नहीं ले जानी चाहिये थी । फिर भी, यह स्वीकार किया जाता है कि सभा में उस समय बड़ा शोरगुल था और उस शोर शराबे में संभवतया प्रेस संवाददाताओं तथा

[अध्यक्ष महोदय]

अन्य प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से मेरे आदेश न सुने हों और जैसा कि श्री गोयन्का ने कहा है कि प्रेस दीर्घा में कोई गलत फहमी दीखती है और उन्होंने प्रेस संवाददाताओं को संदेह का लाभ दिया जाये, मेरे विचार से, आकाशवाणी के संवाददाताओं तथा व्याख्याकारों को भी ऐसा लाभ दे दिया जाना चाहिये क्यों कि प्रेस दीर्घा में उनकी स्थिति भी वही है जो आम प्रेस संवाददाताओं की । सभा को परामर्श दिया जा सकता है कि इस मामले को वे विशेषाधिकार का प्रश्न न बनाये और मामला जहां है उसे वहीं छोड दें ।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों का गम्भीर नोटिस दिया जायेगा और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये प्रेस दीर्घा में प्रेस संवाददाताओं को मैं परामर्श दूंगा कि वे अधिकृत रिपोर्टस से सही स्थिति सुनिश्चित करें ताकि कार्यवाही का वही समाचार अथवा प्रसारण दिया जा सके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह संभव नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या आपको विश्वास है कि आपका निर्णय आकाशवाणी से प्रसारित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत आशा है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Expunged portions should be reported to the Press gallery immediately, otherwise they can not be said at fault.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This is for your secretariat to inform the Press Correspondents that so and so portions have been expunged.

जुगान्तर के विरुद्ध कलकत्ता विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILAGE AGAINST THE JUGANTAR OF CALCUTTA

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरा निर्णय है ।

मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'जुगान्तर' के विरुद्ध 1 अगस्त तथा 18 नवम्बर 1974 को विशेषाधिकार के प्रश्नों के नोटिस दिये है, जिनमें शिकायत की गयी है, कि समाचार पत्र ने क्रमशः अपने 30 जुलाई और 16 नवम्बर 1974 के अंकों में सभा की 29 जुलाई और 15 नवम्बर की कार्यवाही का समाचार देते समय जान बूझकर उनका नाम छोड़ दिया है ।

मामले पर 'जुगान्तर' के सम्पादक से बात चीत की गई। सम्पादक ने अपने दिनांक 12 दिसम्बर 1974 के पत्र में निम्नलिखित उल्लेख किया है :—

उद्धृत

"समाचार पत्र के लिये किसी मामले के सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही वृतान्त प्रकाशित करना सम्भव नहीं है और सम्पादक को समाचार को कम करके उसका सारांश प्रकाशित करना होता है । 15 नवम्बर, 1974 तथा 29 जुलाई, 1974 के जो

कार्यवाही सारांश प्रकाशित किये गये है, उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों के नामों की सूची से श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम निकाल दिया गया था। यह कहना ठीक नहीं है कि श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम जान बूझकर निकाल दिया गया अथवा जुगान्तर श्री ज्योतिर्मय बसु के नाम को दबा देता है ।"

"कार्यवाही वृतान्त से यह पता चलता है कि कुछ अन्य सदस्य भी इस प्रस्ताव पर बोले जिनके नाम रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किये जा सके"'

"हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते है कि श्री बसु का नाम किसी इच्छा अथवा जानबूझकर नहीं छोड़ा गया है। हमारा सादर निवेदन है कि विशेषाधिकार का हनन नहीं किया गया है । हमें, फिर भी खेद है और त्रुटि के लिये जिससे, माननीय सदस्य को दुःख पहुंचा है और जो हमने जान बूझकर नहीं किया है हमारी क्षमायाचना है"

उक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, मामले को समाप्त किया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने जान बूझकर मेरा नाम निकाला दिया । फिर भी मैं उनकी क्षमायाचना स्वीकार करता हूं। और आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

आयात लाइसेंस कांड के बारे में
RE. IMPORT LICENCE CASE

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक दूसरा विषय लेता हूं। मुझे एक अविश्वास प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों की जांच करने के बाद, जिनमें निष्कर्षतः सारे मामले में भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र का अन्तर्ग्रस्त होना निश्चित किया गया है, विपक्ष के द्वारा खोजे गये नये प्रमाण के आधार पर पांडिचेरी के मामले में संसदीय जांच की विपक्ष की सर्वसम्मत मांग को स्वीकार करने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्तावों के नोटिस कई सदस्यों ने दिये है, श्री मधु लिमये, श्री वाजपेयी, श्री ज्योतिर्मय बसु आदि ।

दूसरा इसी प्रकार का है ...

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, We have informed your Secretariat that we want to raise that issue but not in the form of adjournment motion.

Mr. Speaker : Then No-Confidence motion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मत पर तो अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है या स्थगन प्रस्ताव

श्री मोरारजी देसाई ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : हमने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है । हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन का अध्ययन करनेके पश्चात मंत्री के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रथम दृष्टया मामला पाया है । अतः कोई भी अन्तिम कार्यवाही करने से पूर्व और जांच आवश्यक

[श्री मोरारजी देसाई]

हो जाती है । ज्ञापन में यही मांग की गयी है । जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की है, कागजातों में पाई गई बहुत सी बातों का सभा में उल्लेख नहीं किया जा सकता परन्तु सभा के लिये सरकार के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है ...

इस मामले को अन्तिम रूप देने से पूर्व और जांच आवश्यक है और यह जांच संसदीय समिति द्वारा ही की जा सकती है । हमने दूसरी मांग की भी तब इस पर विचार करने के लिये थोडा समय मांगा गया था । यदि सरकार और समय चाहती है तो सत्र बढाया जा सकता है। कल अथवा सोमवार की, यदि आवश्यक हो तो हम एक गोपनीय बैठक कर सकते है । प्रधानमंत्री इस पर भी विचार कर सकते है । प्रधान मंत्री को सभी विपक्षी सदस्यों की इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We want to know Prime Ministers respons thereto.

निमाण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री के साथ भेंट की है । उन्होंने पांडिचरी फर्मों को लाइसेंस देने के बारे में संसदीय समिति द्वारा जांच कि जाने की मांग की है । विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक लिखित ज्ञापन भी किया है । इस ज्ञापन का अध्यायन किया जाना आवश्यक है । इसमें थोडा समय लगेगा ।

कुछ **माननीय सदस्य खडे हुये।**

श्री इन्दजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारे दल ने श्री मोरारजी देसाई को यह अधिकार नही दिया है कि वह हमारी और से बोलें ... **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये : हम उन्हे विपक्ष में समझते ही नहीं है। श्री मोरारजी देसाई ने कांग्रेस दल स गठबन्धन रखने वालो का कोई संदर्भ नहीं दिया है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे दल ने बहुत पहले यह मांग रखी है कि इस मामले की जांच संसदीय समिति द्वारा होनी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन और उससे संबंधीत कागजात सभा को उपलब्ध कराये जाने चाहिए । इस मामले में यदि सहि और अन्तिम निर्णय करना है तो सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन तथा सम्बद्ध कागजात उपलब्ध करने चाहिये । संसदिय समिति गठित किये जाने से पूर्व ऐसा किया जाना आवश्यक है ।

अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है । कुछ सदस्य और समय चाहते हैं ।

अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञापन दिया गया है उसमें संसदीय समिति गठित करने की मांग की गई है । सरकार ज्ञापन का अध्ययन करने के लिये समय चाहती है । जहां तक मै समझता हूं, सरकार संसदीय समिति गठित करने की मांग नहीं मानेगी और इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहेगी । मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं । जनता के मस्तिष्क में संसद के बारे में ही जो सन्देह उत्पन्न हो गये है, उन्हें दबा देना उचित नहीं होगा। अब तक जो कुछ हुआ है, उससे वे संदेह दूर भी नहीं होंगे । अतः मेरा सुझाव यह है कि जब प्रतिवेदन के अध्ययन का कार्य पूरा हो जाये तब विपक्ष के वे सवस्य जिन्होंने प्रतिवेदन का अध्ययन किया है, अध्यक्ष के साथ बैठकर प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर विचारों का

आदान प्रदान करें और निदेशपद बनायें । ये निदेश पद बनायी जाने वाली संसदीय समिती के लिये रखे जाने चाहिये । तभी संसदीय समिति उचित प्रकार से जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है । अत: सरकार को भी यह बात समझनी चाहिये कि यह मामला टालने अथवा समाप्त कर देने का नहीं है ।

इस सभा का पिछला पंद्रह वर्षीय इतिहास देखा जाये तो पता चलता है कि बहुत से मंत्रियों को जाना पडा है । उनको पदच्युत करने के किये कोई जांच नहीं कराई गई, कोई प्रमाण नहीं जुटाये गये अपितु सत्तारुढ दल के तत्कालीन नेता ने ही यह समझा कि अमुक मंत्री को उसके पद पर बने रहने देना गरिमापूर्ण नहीं है । हमें संसदीय औचित्य की रक्षा करनी चाहिये । संसदीय कार्य प्रणाली के आदेश के स्वरूप हमें ब्रिटन का अनुकरण करना चाहिये जहां तनिक संदेह होने पर मंत्री स्वयं त्यागपत्र देते हैं ।

मैं अपने विपक्षी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में आगे बढने के लिये हमें कोई प्रक्रिया बनानी चाहिये। आज सत्र का अन्तिम दिन है । इस लिये हमें जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to say something. We have also given a motion.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने अपने स्थगन प्रस्ताव पर इस लिये जोर नहीं दिया है कि विपक्षकी और से श्री मोरारजी देसाई के वक्तव्य के पश्चात हम कुछ बातें उठायेंगे जो पैदा हुयी है और इसके लिये जैसा कि हमने आश्वासन दिया है, हम प्रतिवेदन से उद्धृत नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह निर्णय करना कि हम इस प्रस्ताव को अभी लें अथवा बाद में ।

श्री मधु लिमये : कोनसा प्रस्ताव !

श्री के० रघुरामैया : हमारे समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमने भी कुछ प्रस्ताव दिये है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस नियम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है और आज इस पर वाद विवाद के लिये बल दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करने के लिये मुझे समय चाहिय कि इस प्रस्ताव को कहां तक स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा की गोपनीय बैठक के लिये प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जिस प्रकार श्री मोरारजी देसाई के अनुरोध के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, क्या श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव का नोटिस है । इसे उचित समय पर ही लिया जायेगा। हम इसे प्रस्ताव का नोटिस ही मानेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir the Government should make it clear as to what time they needed. The House should be extended for two days more so that we may produce in the House what we have found out after the perusal of the CBI report. That is why we have demanded a Secret Session but if the demand for a Parliamentary Committee is acceded by the Government, to which even my friend Shri Indrajit Gupta, is also agreeable, the issue will become more simple. In that case we will simply have to decide about the formation of the Committee.

Shri Indrajit Gupta : We will also have to decide its terms of reference.

Shri Atal Bihari Vajpayee : When we were perusing the documents, Shri Gokhale was not there. He should have been there.

Mr. Speaker : He was one of the persons who showed the documents.

श्री रघुरामैया : विधि मंत्री सारा दिन वहीं रहे थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विलम्बित न्याय न्याय नहीं रहता । हम इस मामले के लिए 28 अगस्त से संघर्ष करते चले आ रहे है । सरकार ने इस मामले को सदन से बचाने के लिए न्यायालय का द्वार जा खटखटाया । हम निरन्तर घंटों बैठ कर सम्बद्ध दस्तावेजों का अध्ययन करते रहे ? ऐसा करने का हमारा एक मात्र उद्देश्य यही था कि श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप का प्रथम दृष्टचा अध्ययन किया जा सके । अब दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद हम सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे है कि श्री ललित नारायण मिश्र का इस मामले से गहरा सम्बन्ध रहा है । यह सदन सर्वोच्च शक्ति संपन्न है तथा सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये कदाचार के आरोपों का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये क्यों कि यह मामला मुदगल मामले से भी गंभीर है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री समर गुह तथा अन्य सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसे आज ले पाना तो बहुत कठिन है । हम इसे अभी स्थगित ही रखेंगे दूसरे श्री समर गुह दिखाई भी नहीं दे रहे है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन से मैंने अगले दिन जो उद्धरण दिया था, उसके आधार पर मुझे भी न्यायालय में जाकर, श्री ललित नारायण मिश्र को दोषी ठहराने का अधिकार है । परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया । मैं वह सभापटल पर रखना चाहता था

अध्यक्ष महोदय : आप दस्तावेज का एक भाग सभा पटल पर रखना चाहते थे, जिसकी अनुमति नहीं है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमानजी, मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसे मने सभी से पूछ कर स्थगित कर दिया है । आप उस समय नही थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मै श्री एल० एन० मिश्र को सह दोषी करार करवाने के लिए न्यायालय नहीं गया क्यों कि मुझे आशा थी कि लाइसेंस कांड जैस गंभीर मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय सदन द्वारा ही किया जायगा । श्री एल० एन० मिश्र ने जो यह कहा कि 5 फरवरी 1973 को विदेश मंत्रालय छोडने के बाद जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं कुछ नहीं जानता । उनके इसी गलत वक्तव्य पर तो मैंने इस विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

अनेक परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं, जिनका मैं ब्यौरा इस समय नहीं देना चाहता। यह मामला 28 अगस्त से चला आ रहा है। विधि मंत्री महोदय को इसके अध्ययन के लिए अपेक्षित समय मिल गया है। अब इसके बारे में सदन की बैठक कल या सोमवार को या फिर दोनों ही दिन की जा सकती है। आप के पास संसदीय समिति नियुक्त करने की शक्ति है। अतः आप इसका उचित उपयोग कीजिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमानजी, हम 28 अगस्त से इस सम्पूर्ण मामले की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग करते चले आ रहे हैं। परन्तु सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नही किया है कि वह इसके बारे में क्या निर्णय ले रही है। सरकार ने लाचार होकर हमें उन दस्तावेजों का अध्ययन करने दिया। उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद अब हमारा और भी दृढ विश्वास हो गया है कि संसदीय समिति का गठन किया ही जाना चाहिये। इसका कारण स्पष्ट ही है कि जो भी कागजात हमने देखे है, वह परस्पर विरोधी है तथा उनमें अनेक ऐसी अनियमिततायें दृष्टिगोचर होती है, जिनके कथनी तथा करनी के बीच का अन्तर स्पष्ट देखने को मिलता है। उन कागजात को पढने के बाद कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इस मामले की जांच के लिये संसदीय समिति की मांग करना उचित ही है।

आज का दिन इस सत्र का अन्तिम दिन तो हो सकता है परन्तु वह लोकतन्त्र प्रणाली का अन्तिम दिन नहीं हो सकता। सम्बद्ध कागजातों को पढने के लिए जो समय हमें दिया गया, उस समय में हमने उनका अधिकाधिक अध्ययन करने का प्रयास किया। जिन सदस्यों ने यह अध्ययन किया, उनमें से अनेक एसे भी हैं जो लोक लेखा समिति जैसी अन्य समितियों के सदस्य भी रहे हैं। अतः हम लोगों ने पूर्ण दायित्व के साथ इन दस्तावेजों का अध्ययन किया और हमें गोपनीय दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाये रखने की आदत भी है। इन सभी बातों के आधार पर अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ सदन में कहा गया है और जो कुछ आरोप पत्र में कहा गया है, उन दोनों में काफी अन्तर है। यदि आप का संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है तथा आप इस सदन की सर्वोच्चता को मानते हैं, तो आपको इसके लिए संसदीय समिति का गठन कर देना चाहिये।

समाचार बुलेटिन भाग 2 संख्या 2075 को देखने से पता चलता है कि 10 से 15 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके अनुसार संसदीय समिति के गठन की मांग की गई है। सरकार को आखिर इस का अध्ययन करने के लिए कितना समय चाहिये? केवल कुछ दिन, सप्ताह या फिर कुछ वर्ष! विधि मंत्री महोदय को मामले की पूर्ण जानकारी है। वह इसके बारे में निर्णायक निर्णय दे सकते हैं। परन्तु यदि वह यह सोचते हैं कि वह आज का अन्तिम दिन यूं ही गंवा कर इस मांग को मानने से बच सकते है, तो वह सम्पूर्ण संसदीय लोकतंत्र के साथ एक धोखा कर रहे हैं। मंत्री महोदय को स्पष्ट यह बताना चाहिये कि उन्हें इसके बारे में स्पष्ट उत्तर देने के लिए कितना समय चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, just now it has been stated by you that a decision to appoint Parliamentary Committee can be taken by the House. But its meaning is clear that the proposal of the majority party of the House will be accepted. On the basis of new facts which have come up before the House, you, yourself accepted that a *prima facie* case can be established against Shri Tul Mohan Ram. I want to know what has been done by the ruling party in this regard? May I know if he has been suspended from the House or from the Party? The fact is that nothing has been done in this regard because along with Shri Tul Mohan Ram, some Ministers and Government Officials are also involved in this case and they are afraid if once the matter is referred to the Parliamentary Committee, the cat will be out of the bag.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

We have gone through the documents but we are committed for not saying anything about them. After seeing the documents, we have come to the conclusion that the House has been misled and there is lot of trafficking in import licensing. It was stated by the Home Minister that it is being inquired into, but we have not been informed about its conclusions. It is evident from the documents that lot of trafficking has taken place in Licence case. We want to establish as to who is responsible for it. To look into the conduct of concerned Members and Ministers, we are demanding the appointment of a Parliamentary Committee. We want that Concerned Members should also get ample opportunity to clarify their position.

We have asked Shri K. Raghuramaiah as to how much time they want for the reply. But he is not prepared to answer. Mr. Speaker, Sir, please help us.

I want to make it clear that we have not gone through the documents just for self-satisfaction. The people of the Country are anxious to know the conclusions, which we have arrived at after perusing them. So it is our earnest request that you should make use of your good Offices and the entire issue should be entrusted to a Parliamentary Committee. Today, we are determined to have a final and categorical reply from the Government.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सदन के इस ओर बैठे लोगों की दो मांगे रही हैं । प्रथम तो वह यह मांग करते आये हैं कि संसदीय समिति का गठन किया जाये और अब...

Mr. Speaker : If you permit for a while, the papers should be laid on the Table so that the Ministers concerned may become free to move. Later on, we may continue the debate.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it is not likely to take more time. Let it be continued.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमानजी, मैं यह कह रहा था कि हमारी प्रथम मांग तो यह है कि बिना और अधिक समय व्यर्थ गंवाये, हमें शीघ्र ही संसदीय समिति का गठन करना चाहिये । दूसरी मांग मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त की है जिसके अनुसार हमें दो या तीन दिन में समिति के गठन के बारे में निर्णय करना चाहिये । उनका कहना यह है कि उनके दल के सदस्यों को अध्ययन के लिए समय चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने तो इसके बिलकुल विपरीत कहा था । मेरे दल के सदस्य तो अपना कार्य शनिवार तक ही पूरा कर लेंगे । यह अन्य सदस्यों ने कहा था कि उन्हें सोमवार तक का समय दिया जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जहां तक मेरे दल के लोगों का सवाल है वह तो यह कार्य कल ही पूरा कर लेंगे । परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या श्री गुप्त संसदीय समिति के गठन के लिए कोई अन्तिम समय निर्धारित करने के लिए तैयार है या नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आप मेरे पर छोड दीजिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जहां तक इनके प्रस्ताव का प्रश्न है । उसके बारे में तो सरकार ने लगभग यह बात कह दी है कि वह सैद्धांतिक रूप से संसदीय समिति के गठन की मांग स्वीकार नहीं करती । जब सभी विरोधी दलों ने श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसके बारे में बातचीत की थी, तो उस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त उसमें शामिल नहीं हुये थे । अब वह उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए दो या तीन दिन के समय की मांग कर रहे हैं । जहां तक मुझे याद आ रहा है गत सत्र में श्री गुप्त के दल ने दायित्व निर्धारण के लिए समिति के गठन की बात की थी परन्तु उस समय इसके लिए अपेक्षित तथ्य उपलब्ध नहीं थे । अब जब सभी तथ्य उपलब्ध हो चुके है, तो उन्हें अपनी मांग से पीछे नहीं हटना

चाहिये। यदि उनके दल ने बातचीत में भाग नहीं लिया, तो इसमें हमारा दोष तो नहीं है। हमने जब कभी भी कम्युनिस्ट दल के लोगों को बातचीत में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया है, वह कभी भी नहीं आये। फिर जो मांग हमने अब बातचीत करने के बाद की है, वही मांग गत सत्र में कम्युनिस्ट दल ने ही की थी। जहां तक इस मामले में सरकार के रवैये का सम्बन्ध है, वह पूर्णतया तर्कहीन रहा है। समझ नहीं आती कि उन्हें और समय क्यों चाहिये ?

जो दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने उपलब्ध किये हैं, उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार को इनका पहले अध्ययन नहीं करना चाहिये था ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम ये बातें सभा में न उठाते तो सरकार इन बातों पर परदा पड़ा रहने देती।

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने पर आप सहमत नहीं हुए। लेकिन श्री तुलमोहन राम के आचरण की जांच करने हेतु एक विशेष समिति का गठन किये जाने के बारे में कहा गया है।

इस मामले में निश्चय ही जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये। इस मामले में आप उन लोगों पर जो इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, कैसे जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे ? इस मामले की पूरी छानबीन करने के लिये हम चाहते हैं कि एक समिति का गठन किया जाये। सरकार इस मांग को पूरा क्यों नहीं करती ? श्री उमाशंकर दीक्षित ने पिछली बार कहा था कि जांच के बाद जरूरी समझा गया तो समिति का गठन अवश्य किया जायेगा। क्या सरकार उस आश्वासन को पूरा करेगी ?

हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरों के दस्तावेजों का अध्ययन किया है। यदि सरकार समिति का गठन करने सम्बन्धी मांग को पूरा नहीं करती तो कम से कम इस मांग को पूरा करने पर विचार किया जाये कि तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिये इस सभा का सोमवार को गोपनीय अधिवेशन हो।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** Mr. Speaker, will you not listen to me?

Mr. Speaker : I will call you after the papers have been laid on the Table.

Shri Madhu Limaye : You listened to them. whereas I am being ignored.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) कृपया हमें भी मान्यता दीजिये।

Mr. Speaker : If that is so, I will have to recognise from all sides.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप हमारी बात भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे वाद-विवाद का विषय बनाना चाहें, तो यह सम्भव नहीं होगा। विपक्ष की ओर से प्रस्ताव आये हैं। मुझे उन्हें बुलाना चाहिये। मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकता हूं ?

Shri Madhu Limaye : Some principles and facts have emerged during this discussion. You have given your ruling over the first question relating to limits of executive and Parliamentary privilege.

You have also given your ruling on the Second question regarding confrontation between Judiciary and Parliament. Third question pertains to the relations between the Civil servants and a Minister. Fourth question, which is a controversial one, relates to the relations of the legislators with beaurocrats and the Ministers. Ruling on the last two questions still remains to be given.

[Shri Madhu Limaye]

Two suggestions for Parliamentary Committee have been received by the House. According to the motion moved by Shri Morarji Desai, decision regarding Parliamentary Committee should be taken today before adjourning this House, whereas the question of constituting the Committee could be taken up within 5 or 10 days after adjourning this House.

Shri Indrajit Gupta : The perusal of the documents is likely to take some time.

Shri Madhu Limaye : I will not reveal the new points which have emerged from the perusal of the documents, but I will stress the setting up of a committee to go into the entire matter.

Instruction of Shri N. K. Singh for withdrawing the case is controversial. His suggestion to Shri Tulmohan Ram for a memorandum signed by 21 M.Ps. is also controversial.

Noting done by Shri N. K. Singh dated on 5th February, 1973 mentioned in the charge-sheet, is also controversial.

These controversial questions have been raised in the House. Therefore, a Parliamentary Committee should be constituted and announcement in respect thereof should be made today.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम यह नहीं जानते कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अध्ययन में कितना समय लगेगा । अत: हम यह जानना चाहते हैं कि दस्तावेज के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर चर्चा करने के लिये क्या यह उचित अवसर हैं ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस सभा का एक बड़ा वर्ग रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। ये क्या कहते हैं, हम कैसे समझें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसार ही चल रहा हूं, मैं इस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

श्री पीलू मोदी : श्री नायक ने जो कुछ कहा, वह बिलकुल ठीक है । हमने सभा के गोपनीय अधिवेशन के बारे में भी सुझाव दिया था । लेकिन सरकार हमारा कोई भी सुझाव नहीं मान रही है । सरकार तो हमेशा ही हमारे सुझावों पर विचार करने के लिए समय मांगती रही है। अब भी सरकार अधिक समय मांगती हैं क्योंकि श्री गोखले को रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिये अधिक समय चाहिये । यह बात को टालने का अच्छा बहाना है।

शुरू शुरू में तो सरकार इस सदन में लाइसेंस घोटाले के बारे में बात भी नही सुनना चाहती थी लेकिन अब धीरे धीरे अधिकांश मांगें पूरी कर रही है और दस्तावेजों को विरोधी दलों के सदस्यों को दिखा रही है और उनसे कह रही है कि उन्हें केवल पढिये, इनके बारे में कोई चर्चा न कीजिये।

इस प्रकार के विलम्ब राष्ट्रीय धन के अनुचित व्यय तथा संसद के समय को बर्बाद करने के लिये केवल सरकार ही जिम्मेदार है । सरकार इस बात को जितनी जल्दी महसूस करे उतना ही अच्छा है ।

क्या श्री एल० एन० मिश्र दोषी है अथवा सारी सरकार दोषी है ? विपक्ष ही इस बात का निर्णय कर सकता है । सारी सभा को कागजात का अवलोकन करने का अवसर दिया जाना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता तो समूची सरकार की निंदा की जायेगी, संसदीय समिति के माध्यम से ही सरकार संदेह तथा निंदा से मुक्त हो सकती है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : विपक्ष के सभी दलों ने समिति के गठन की मांग की है। आप स्वयं नियमों के अनुसार समिति का गठन कर सकते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समिति का गठन तो केवल सदन ही कर सकता है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार तथ्य छिपाना चाहती है समिति के गठन के बारे में अनेक सुझाव आये हैं। समिति में केवल विरोधी दलों के नेता नहीं होने चाहिये। यह एक प्रतिनिधि समिति होनी चाहिये। दस्तावेजों को केवल विरोधी दलों के सदस्यों को दिखाना उचित नहीं है, सरकार को सभा का गोपनीय अधिवेशन बुलाना चाहिये ताकि सारे सदस्यों को स्थिति की जानकारी हो सके।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस महत्वपूर्ण विषय पर अनेक महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं, इसके लिये संसदीय समिति का गठन किया जाता तो उचित होता, लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दस्तावेजों को केवल किसी दल विशेष के सदस्यों को दिखाना उन्हीं के स्तर के अन्य सदस्यों की मर्यादा को चुनौती देना है, सभी संसद सदस्यों के कुछ बुनियादी अधिकार है, लेकिन अब तो जो कुछ होना था, हो चुका है और कुछ माननीय सदस्य रिपोर्ट देख भी चुके हैं।

श्री मोरारजी देसाई और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने अपने प्रस्ताव तर्कों सहित पेश किये थे। दोनों ही मामलों में, संसदीय कार्य मंत्री ने उठकर कहा कि सरकार को उनके सुझावों पर विचार करने के लिये समय चाहिये। इसका अर्थ यही है कि सरकार इस मामले पर प्रकाश नहीं डालना चाहती।

अखिर सरकार अधिक समय क्यों चाहती है? सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी पहले से है लेकिन विरोधी दल के सदस्यों को इसकी जानकारी रिपोर्ट देखने के बाद ही हुई है। कुछ भी हो, यह सिद्ध हो चुका है कि यह मामला संसदीय समिति को भेजने के लिये प्रत्यक्षतः उचित मामला है।

आज का दिन इस सत्र का अंतिम दिन है। आज सरकार यह कहती है कि दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिये अधिक समय चाहिये। यह सारे मामले को रद्द करने अथवा टालमटोल करने वाली बात है।

अखिर सरकार अधिक समय क्यों चाहती है? सभा के गोपनीय अधिवेशन के बारे में सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैं समझता हूं की गोपनीय अधिवेशन से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। हमारा उद्देश्य तो संसदीय जांच द्वारा ही पूरा होगा।

संसदीय जांच शीघ्र हो जानी चाहिए और इसकी घोषणा आज ही हो जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह बोल चुके हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान एक बात को ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल दो मिनिट दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं तो खड़ा हो रहा...

अध्यक्ष महोदय : म आपको इनकार नहीं कर रहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये दस्तावेज देखते रहे . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें सबसे अखिर में अवसर दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने सबको अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह, क्या आप एक मिनिट इन्तजार करेंगे ?

श्री समर गुह : मैं इनके बाद बोल लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह, आप दो मिनट बोलें और उसके बाद श्री भोगेन्द्र झा बोलेंगे।

श्री समर गुह : पहले इन्हें बोलने दीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि आप एक ही दल के दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं देते तो मैं बैठ जाऊंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बुलाया था और आप इनके पक्ष में बैठ गये। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन करने वाले सदस्यो तथा दल के नेताओं को बुलाया था। आप अध्ययन करने वालों में से नहीं हैं।

श्री समर गुह : आपने विभिन्न दलो के एक से अधिक सदस्यो को बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समर गुह : प्रत्येक दल से एक से अधिक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को मानता हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपना प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया है और वे उस पर बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रस्ताव का नोटिस हैं जो मुझे यहां बैठे बैठे मिला है।

श्री भोगेन्द्र झा : सदस्यों ने दस्तावेज़ों का अध्ययन कर लिया है। दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद यदि आप ज़रूरी समझें तो मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे नाम का उल्लेख किया है और मैं समिति में था और आप जानते हैं कि ज्ञापन का प्रारूप कैसे तैयार किया गया **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं।

मैंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी अन्य प्रस्ताव की भान्ति यह भी प्रस्ताव का नोटिस है और उस पर मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : According to the hon. Minister, they wanted time. We want to know how much time they require ?

श्री के० रघुरामैया : सरकार की ओर से मैं ने कहा था कि ज्ञापन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के लिए समय चाहिये। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि कितना समय चाहिये?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय का यह कहना कि सभी विपक्षी नेताओं ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था वस्तुतः सच नहीं है . . . **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा सुझाव है कि इस विशेष स्थिति में मंत्रियों को पत्र सभापटल पर रखने दिये जाएं और इस चर्चा को बाद में चलने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहा था जो वह दे चुके हैं।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में यह विशिष्ट प्रस्ताव आया है कि एक समिति का गठन किया जाये। इसके उत्तर में उन्होंने समय मांगा है। इसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए क्योंकि सभी का विचार है कि आज न केवल इस सत्र का अपितु संसद का ही अन्तिम दिन है। अन्यथा प्रधान मंत्री पर एक भ्रष्ट मंत्री के संरक्षण का दोष लगेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह तरीका नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : A suggestion regarding holding a Secret Session was also given. (*Interruption*) I am also on a point of order.

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने श्री मधु लिमये के भाषण के दौरान घोषणा की थी कि मुझे दस्तावेज पढ़ने के नाते बोलने का अवसर दिया जाएगा। आज यह चर्चा उसी आधार पर आरंभ हुई है।

दूसरे, मंत्री महोदय ने कहा था कि सभी विरोधी नेता उनसे मिले थे . . .

श्री के० रघुरामैया : ठीक बात यह है कि कुछ विरोधी दलों के नेता ही उनसे मिले थे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह तो नहीं मानता कि आज संसद या संसदीय प्रणाली का अन्तिम दिन है परन्तु आज सभा के इस सत्र का अन्तिम दिन है। इन कागजात को देखने से पूर्व ही संसदीय समिति की मांग की गई थी और मैं समझता हूँ कि सत्तारुढ़ दल के सदस्य भी इसपर सहमत थे। दस्तावेजों की जांच 1—2 दिन में पूरी नहीं हो सकेगी, अतः यह जांच एक संसदीय समिति द्वारा कराई जाये। मैं गुप्त सत्र की मांग का समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि तब जनता के मन में संदेह बना रहेगा। मेरे विचार में संसदीय समिति द्वारा ही इसकी जांच होनी चाहिये। इससे लोकतंत्र, सरकार और सभी मंत्रियों को लाभ होगा।

अतः सरकार को अपने निर्णय की सूचना आज ही दे देनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I would request you to kindly get a reply from Government in regard to appointment of a Parliamentary Committee and this is the concensus of the opposition.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): यदि इतना अधिक समय खर्च करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो देश में संसद की क्या धारणा बनेगी? अतः सरकार को समय निश्चित करके इस समिति के गठन की घोषणा कर देनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा सुझाव है कि सभा-पटल पर पत्र रखने के बाद मंत्री महोदय विचार-विमर्श के बाद सरकारी निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। इन पर किसी निर्णय के बिना हम सभा की कार्यवाही आगे नहीं चलने देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है तो क्या आपने इस प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर ली है और क्या इस पर अगले सत्र में विचार किया जाएगा? . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो अन्तिम दिन वाला प्रस्ताव है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सभा के सदस्य के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि उक्त प्रस्ताव का क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि इसपर यहां चर्चा की जाये, सरकार भले ही इसे अस्वीकार करा दें। आप अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह अन्तिम दिन वाला प्रस्ताव हैं।

श्री के० रघुरामैया : कल लगभग 8 बजे रात एक ज्ञापन दिया गया था और संसदीय समिति का प्रस्ताव किया गया था। ज्ञापन में अनेक बातों पर विचार किया जाता है और विधि मंत्री उनका अध्ययन कर रहे हैं। यह उचित नहीं है कि सरकार से इतनी जल्दी निर्णय की अपेक्षा की जाये। मैं यह सुझाव नहीं मान सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, does this mean that Government has closed its mind on this issue?

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी समझें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम विरोध स्वरूप सभा का बहिष्कार करते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I stage a walk out.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

Shri Atal Bihari Vajpayee and some other Members than left the House.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 24 वां संशोधन विनियम 1974 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1299 में प्रकाशित हुये थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 23 वाँ संशोधन नियम, 1974, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1300 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8827/74]

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के कार्यकरण का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1973 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 4—कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन—(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8828/74]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 691 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8829/74]**

16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4569 की शुद्धि करने वाला विवरण, गुजरात कृषिक उत्पाद विपणन (संशोधन) नियम, 1974 और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन सम्बन्धी उत्तरप्रदेश की भूमि सुधार समिति के निष्कर्षों के बारे में श्री मधु दण्डवते के अतारांकित प्रश्न संख्या 4569 के 16 दिसम्बर, 1974 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8830/74]**

(2) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात कृषिक उत्पाद विपणन अधिनियम, 1963 की धारा 59 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात कृषिक उत्पाद विपणन (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मई, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच० के० एच० –57–74–ए० एम० पी० 1073–24194 डी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8831/74]**

(3) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा (आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश) (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 6 फरवरी, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/23/पी एस आर/1072/10526/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण तथा भर्ती) (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 6 मार्च, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/16(74)/पी आर आर/1072/122/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) बड़ोदा जिला स्थानीय बोर्ड पेन्शन निधि (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 19 अगस्त, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/189/पी आर आर/1067/6310/74/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण तथा भर्ती) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 11 अक्तूबर 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/220/पी एन आर/1071/8212/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ख) उपर्युक्त (एक) तथा (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8832/74]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1974

उद्योग और नागर विमानन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड बोर्ड (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1165 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूँ **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8833/74]**

मैसर्स मालवा शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कतिपय इक्विटी शेयरों के अर्जन के लिए मैसर्स करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन

संसदीय-कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं, श्री वेदव्रत बरुआ की ओर से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत मैसर्स मालवा शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कतिपय इक्विटी शेयरों के अर्जन के लिए मैसर्स करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स (कोल सेल्स) लिमिटेड के प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम की धारा 23 (6) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 30 जुलाई, 1973 का आदेश सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8834/74]**

चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन और होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री बी० शंकरानन्द : श्री ए० के० एम० इसहाक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 8835/74]**

(2) होम्योपथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 460 (ङ) जो दिनांक 30 जुलाई, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

दो) सां० आ० 469 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सां० आ० 482 (ङ) जो दिनांक 6 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8836/74]**

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की वर्ष 1973 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8837/74]

ग्राम प्रथमपुरा, जिला बड़ौदा में पुलिस द्वारा गोलीबारी संबंधी प्रतिवेदन तथा उसपर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय-कार्य विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं श्री एफ० एच० मोहसिन की ओर से गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) ग्राम प्रथमपुर, जिला बड़ौदा में 14 अगस्त 1972 को पुलिस द्वारा गोलीबारी सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

(2) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8838/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना सा० सां० नि० 684 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8839/74]**

लोकसभा के विभिन्न सत्रों में दिए गए आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 26	ग्यारहवां सत्र, 1970
(दो) विवरण संख्या 31	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या 34	दूसरा सत्र, 1971
(चार) विवरण संख्या 25	चौथा सत्र, 1972

(पांच) विवरण संख्या 17 पांचवां सत्र, 1972

(छः) विवरण संख्या 15 छठा सत्र, 1972

(सात) विवरण संख्या 18 सातवां सत्र, 1973

(आठ) विवरण संख्या 12 आठवां सत्र, 1973

(नौ) विवरण संख्या 10 नौवां सत्र, 1973

(दस) विवरण संख्या 11 दसवां सत्र, 1974

(ग्यारह) विवरण संख्या 4 ग्यारहवां सत्र, 1974

(बारह) विवरण संख्या 1 बारहवां सत्र, 1974

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8840/74]

मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर की वर्ष 1972-73 समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं, श्री सुखदेव प्रसाद की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

1. मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1972-73 के कार्य की सरकार द्वारा की गई समीक्षा।

2. मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8841/74]

सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा निर्यात प्रत्यय तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973-74 की समीक्षा तथा प्रतिवेदन और उनपर सरकारी संकल्प आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : में निम्न लिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 3147 में प्रकाशिन हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8842/74]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक की टिप्पणियां।

(दो) (क) निर्यात प्रत्यय तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) निर्यात प्रत्यय तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8843/74]**

(3) (एक) टैरिफ आयोग अधिनियम 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) रंगाई सहायक उद्योग को संरक्षण बनाए रखने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1974)

(ख) दिनांक 17 दिसंबर 1974 का सरकारी संकल्प संख्या 12(1)—तार 74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिनमें उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8844/74]

भारतीय प्रेस परिषद का 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं, श्री धर्मवीर सिंह की ओर से प्रेस परिषद अधिनियम 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1973 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8845/74]**

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1974 और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे तथा लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री डी० पी० यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 की धारा 15 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1275 में प्रकाशित हुए थे **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8846/74]**

(2) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान खडगपूर के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 8847/74]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लेखापरिक्षित लेखे और वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

संसदीय-कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं, श्री बालगोविन्द वर्मा की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971–72 के लेखा परीक्षित लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 8848/74]

आयात लाइसेंस कांड के बारे में
RE : IMPORT LICENCE CASE

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप इस मामल में कोई निष्कर्ष निकालने नहीं दे रहें है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था, कह चुके और सरकार ने जो कहना था वह भी कहा जा चुका है। यह मामला तो अब समाप्त हो चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विरोध स्वरूप में सभा से बाहर जा रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त सभा से बाहर चले गए)

(**Shri Indrajit Gupta** *then left the house*)

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गई कि लोक सभा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री नीतिराज सिंह चौधरी द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।

(दो) कि राज्य सभा न 19 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गई कि लोक सभा बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री अमरनाथ चावला द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 1974 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1974 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा 19 दिसम्बर, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1974 को पास किये गये लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1974 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTION

कार्यवाही–सारांश

श्री जी० जी० स्वैल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र में हुई 46 वी से 49 वीं बैठकों के कार्यवाही के सारांश सभापटल पर रखता हूं।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

11 वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

69 वां प्रतिवेदन

श्री एम० जी० उइके (मंडला) : मैं योजना आयोग पिछडे क्षेत्रों के विकास संबंधी प्राक्कलन समिति का 69 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

14 वां प्रतिवेदन

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 14 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTIONS COMMITTEE

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं वाणिज्यिक तथा उससे सम्बन्धित विषयी भाग 1 और 2 के बारे में रेल अभिसमय समिति 1971 के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर रेल अभिसमय समिति 1973 के चौथे और पांचवे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दल के प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकरालार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बंधी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) समिति के अध्ययन दल 1 के सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में गुजरात के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल 2 के अक्तूबर, 1974 में राजस्थान के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

कारवाड में कास्टिक सोडा प्लांट से प्रदूषण द्वारा समुद्री प्राणियों को खतरे के बारें में याचिका
PETITION RE. DANGER TO MARINE LIFE BY POLUTION FROM CAUSTIC SODA PLANT AT KARWAR

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं कारवाड में स्थापित किये जा रहे कास्टिक सोडा प्लांट से प्रदूषण द्वारा समुद्री प्राणियों को खतरे के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर अखिल कर्नाटक फिशरमैन परिषद मंगलोर के महासचिव श्री रामनाथ मेंडन तथा अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है ।

श्री भोगेन्द्र झा, संसद सदस्य के निवास पर कथित बम दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. ALLEGED BOMB INCIDENT AT THE RESIDENCE OF SHRI BHOGENDRA JHA, M.P.

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी की ओर से 17 दिसम्बर, 1974 को श्री भोगेन्द्र झा संसद सदस्य के निवास स्थान पर कथित बम दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

दिल्ली प्रशासन के अनुसार 17 दिसम्बर, 1974 को रात को 10.30 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में संसद सदस्य श्री भोगन्द्र झा ने टेलिफोन से यह सूचना दी कि 10 विंडसर प्लेस स्थित उनके निवास स्थान पर एक ठोस वस्तु फेंकी जो बम की तरह दिखाई देती थी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और भोगेन्द्र झा से बात की; उन्होंने घटना के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दिया ।

17 दिसंबर 1974 के रात के लगभग 10 बजे लगभग 23 वर्ष का एक व्यक्ति उनके कंपाउंड में घुसा । उसकी चालढाल देखकर उसपर शक हुआ, इसलिए नोकर ने उसे रोका । इस पर उसने कोई चीज फेंकी और भाग गया। जांच के बाद पता चला कि वह सिलोटैप से चिपकाया हुआ और प्लास्टिक के कागज में लिपटा हुआ नारियल का खोल था। इसके बम होने का शक था। बम फेंकने वाला व्यक्ति का विंडसर प्लेस तक पीछा किया गया, जहां उसे एक और व्यक्ति मिला जिसके पास साईकिल थी और दोनों भाग गए ।

इस संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा 447 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है । संदिग्ध विस्फोटक को पानी में डाल कर निष्क्रिय कर दिया । इसमें कोई फ्युज या अपने आप विस्फोट करने की व्यवस्था नहीं थी। तथापि विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने संबधी वक्तव्य

STATEMENT RE : GRANT OF ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में श्री एस० एम० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश की गई ध्यानाकर्षण सूचना के प्रत्युतर में मैंने 6 दिसंबर 1974 को सदन में एक वक्तव्य दिया था। उस समय मैंने यह कहा था कि सरकार को आशा है कि यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते पर कोई निर्णय ले सकेगी। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मझ इन बातों को कुछ विस्तार के साथ स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तथापि, जैसा कि 18 तारीख को सदन में संकेत दिया गया था, आपकी इच्छा का अनुपालन करते हुए मैं अब एक और वक्तव्य दे रहा हूं।

कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों को होने वाली कठिनाइयों के प्रति सरकार पूर्णतया जागरूक है। यह इस जागरूकता का ही परिणाम था कि सरकार न कीमतों में बढती हुई प्रवृत्ति को रोकन के लिए हाल ही के महीनों में कई उपाय आरंभ किये है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप कुछ हद तक पहले ही सफलता प्राप्त हो चुकी है। यह निहायत महत्वपूर्ण बात है कि कीमत की प्रवृत्तियों में हाल ही में जो अनुकूल परिवर्तन हुआ है, उसे बनाये रखा जाय और उसमें और आगे सुधार किया जाय।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक के बाद एक हुई वृद्धियों के कारण, यद्यपि कीमतों में वृद्धि के कारण वे न्यायोचित तो है, विकास के साधनों को काफी क्षय हुआ है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति की राज्य सरकारों पर भी प्रतिक्रिया होती है। बहुत सी योजनाएं जो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य की योजनाओं की एक अंग है। महंगाई भत्ते के संबंध में हमारे निर्णयों का राज्यों की वित्त व्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव को पूरी तरह स नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। हम अब साधन स्त्रोतों का विस्तृत मूल्यांकन करन में लगे हुए है। इस कार्य के पूरा होने के तरंत बाद ही महंगाई भत्ते पर निर्णय किया जाएगा अपने कर्मचारियों, विशेषत: अपेक्षाकृत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सुख - सुविधा के बारे में सरकार विशेष ध्यान रखती है। वास्तव में इसी दिलचस्पी के कारण सरकार को वेतन आयोग द्वारा महंगाई भत्ते की स्वीकृति के लिए सुझाए गये सूत्र में सुधार करना पड़ा। सदन इस बात से आश्वस्त रहे कि महंगाई भत्ते पर सरकार के निर्णयों में कर्मचारियों के वास्तविक हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि सरकारी कर्मचारी भी इस बात को समझते है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस कठिन दौर से गुजर रही है, और विभिन्न समस्याओं का, विशेषत: देश के समक्ष आई मुद्रा स्फिति की समस्या का समाधान ढूंढ़ निकालन में वे अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब हम ने आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन और अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान वक्तव्य दिये थे तब श्री प्रणव कुमार मुखर्जी ने कहा था कि वह अपने वरिष्ठ सहयोगी अर्थात् वित्त मंत्री को स्थिति से अवगत कराएंगे और इसके उत्तर में वही बातें कही गई है जो श्री सुब्रह्मण्यम ने ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर देते समय कही थी। हम उनकी कठिनाइयां नहीं सुनना चाहते। हम जानते है कि अनिवार्य जमा सम्बन्धी कानून पास होने और अन्य तथाकथित मुद्रास्फिति विरोधी उपाय किये जाने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि हुई

12—46 LSS/74/ND/74

[श्री एस० एस० बनर्जी]

है और इसी के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी अक्तूबर 1974 तक महंगाई भत्ते की चार किस्तों के अधिकारी हो गये है। इनकी मूल्य वृद्धि रोकने की बातें जनता को धोखा देने के लिये है। हम उनसे आश्वासन चाहते है। वह कह दें कि वे महंगाई भत्ता नहीं देंगे परन्तु परोक्ष रूप से महंगाई भत्ता रोक देना और कर्मचारियों को आशा बंधाना कि उन्हे महंगाई भत्ता दिया जायेगा, यह बात कहां तक ठीक है? मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की चार किश्तों का भुगतान किया जायेगा या नहीं ?

Shri Atal Bihari Vajpaiyee (Gwalior) : It is repetition of the reply already given in response to a Calling Attention that economic situtation is serious. A categorical statement should be made whether Central Government employees will be paid D.A. or not?

श्री कृष्णचन्द्र हालदर (औसग्राम) : हम जानना चाहते है कि क्या सरकार महंगाई भत्ते की चार किश्ते ने के लिये तयार है। यदि नहीं, तो फिर विरोधी पक्ष को सरकार के इस कर्मचारी विरोधी निर्णय का मुकाबला करन के लिये आन्दोलन चलाना पड़ेगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह छानबीन पूरी हो जाने पर महंगाई भत्ते के बारे में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में कथित संशोधन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : REPORTED AMENDMENT OF DELHI UNIVERCITY ACT

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

अतारांकित प्रश्न संख्या 3691 का 9 दिसम्बर 1974 को उत्तर देते समय, मैंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने के लिए संसद के चालू सत्र म एक विधेयक पेश करने का विचार है।

मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि सरकार की भरसक कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने का वैधानिक प्रस्तावों को अन्तिम रूप दना तथा इस सत्र के दौरान उन्हें संसद के सम्मुख लाना संभव नहीं हुआ है। उसमें, विशषकर अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी तथा अन्यों द्वारा गुजरात सरकार तथा अन्यों के विरुद्ध दायर की गई समादेश याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले को देखते हुए कुछ जटिल तथा संविधानिक समस्याएं हैं, जिनकी ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता हैं। नए कुलपति अपना कार्यभार इस महीने के दूसरे सप्ताह ही में संभाल सके है और तब से वह बराबर अध्यापकों के प्रतिनिधियों से मिल रहे है। क्यों कि उनके विचार जानना भी आवश्यक है अत: मैं उनसे विचार विमर्श कर रहा हूं।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य को जल्दी ही पूरा करने की हर कोशिश की जा रही है ताकि संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सके।

दिल्ली नाट्य प्रदर्शन विधेयक के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : DELHI DRAMATIC PERFORMANCES BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं दिल्ली नाट्य प्रदर्शन विधेयक को पुरस्थापित कर के लिये, जिसकी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा 12 नवम्बर, 1974 को दो गई थी राष्ट्रपति की सिफारिश के बारे में उनके द्वारा सभा में उठाये गये मामले के उत्तर में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

दिल्ली नाट्य प्रतर्शन विधेयक 1974 पर विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशें प्राप्त करने में देरी होने से सम्बन्धित श्री मधु लिमये द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने के बारे में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए उनके अभिप्राय के नोटिस जो उनके द्वारा उनके दिनांक 12-11-1974 के पत्र में दिया गया था, उपाध्यक्ष का यह अभिमत था कि मुझे संसद में एक वक्तव्य दना है ।

श्री मधु लिमये का दिनांक 12-11-1974 का पत्र, जिसमें "दिल्ली नाट्च प्रदर्शन विधेयक, 1974" नामक लघु शीषक से एक विधेयक पेश करने की अनुमति के अभिप्राय का नोटिस दिया गया था, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग को 19-11-1974 को भेजा गया था, और उसी दिन वह यहां प्राप्त हो गया था । कुछ गलतफहमी के कारण वह सबंधित अधिकारी के पास नहीं पहुंचा। लोक सभा ने इस विषय पर 23-11-74 को फिर लिखा, जो 26-11-1974 को प्राप्त हुआ तथा संस्कृति विभाग के अनुरोध पर लोक सभा सचिवालय न श्री मधु लिमये के पत्र को संलग्नको की प्रतिलिपि सहित भेजने की कृपा की। यह पत्र संबंधित अनुभाग में 3-12-1974 को मिला। इस प्रकार, राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के लिए मेरे पास समय था, ताकि माननीस अध्यक्ष महोदय इस बात का फैसला कर सकें कि माननीय सदस्य 13 दिसम्बर, 1974 को विधेयक पेश कर सकते है या नहीं । दुर्भाग्यवश संस्कृति विभाग के संबंधित अधिकारियों ने यह सोचा कि नियम 65(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद एक महीने की अवधि का नोटिस अपेक्षित होगा और क्योंकि लोकसभा का सत्र उसस बहुत पहले ही समाप्त हो जायेगा, अतः संबंधित अधिकरणों से सामान्य परामर्श पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की जा सकती है ।

3. मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि विभाग का यह विचार अनुचित था। और इस विषय में फौरन ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। विभाग की इस भूल के लिए मैं सदन से तथा माननीय सदस्य से तहे दिल माफी चाहता हूं ।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड के ऋषिकेश के एन्टीबायटिक्स प्लाँट के कर्मचारीयों की बहाली के बार में वक्तव्य

STATEMENT RE': RE-INSTATEMENT OF EMPLOYEES OF ANTIBIOTICS PLANT OF INDIAN DRUGS AND PHARMACEUTICALS LTD., RISHIKESH

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : म इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटड, ऋषकेश के एंटीबायटिक्स प्लांट के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों की बहाली के बारे म केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिये गये फैसले को क्रियान्विति के बारे में एक और वक्त सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

नियोजकों और कर्मकारों के बीच (आई० डी० पी० एल० के अध्यक्ष और श्रम निरीक्षक, देहरादून द्वारा स्वीकृत) समझौता ज्ञापन दिनांक 28-6-1972 को किया गया था। इस ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दिनांक 10 अप्रैल, 1972 के मांग घोषणा पत्र में निहित तीन बकाया मांगे पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के निर्णयार्थ भेजी गई थी जिनमें से एक मांग एंटीबायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश के पदच्युत कर्मचारियों को बहाल करने से सम्बन्धित थी। भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने श्रम मंत्री से इस मामले की जांच करने की और उस सम्बन्ध में अपने निर्णय से उनको अवगत कराने का अनुरोध किया था। भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्री श्रम मंत्री का निर्णय मिल जाने पर हम से सहमत हो गए थे और उस निर्णय की सूचना दिनांक 1 जून, 1974 के अपने पत्र से श्री एस० एम० बनर्जी को दे दी थी। आई० डी० पी० एल० के प्रबन्ध निदेशक को इस निर्णय की सूचना पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के निदेशक से दिनांक 15 जून, 1974 के पत्र द्वारा भी दे दी गई थी। प्रबन्धकों को अभी इस निर्णय को अमल में लाना है। मैंने इस मामले और अन्य मामलों पर यूनियन के साथ पहल भी कई बार बातचीत की है। मैं प्रबंधकों और वर्कर्स यूनियन की एक बैठक अगले सप्ताह इस निर्णयों को अमल में लाने के उपायों का पता लगाने वास्ते बुला रहा हूं, ताकि समझोते का निर्णय किया जाए। मैं इस चालू अधिवेशन के समाप्त होने से पूर्व फिर एक और वक्तव्य दूंगा।

दिल्ली नगर निगम की नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा देय राशि के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : NDMC DUES TO DELHI MUNICIPAL CORPORATION

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं दिल्ली नगर निगम की नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा देय राशि के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार के पुर्वानुमति से दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 113(2) (घ) के अधीन बिजली का उपभोग और उसकी बिक्री पर 1 जुलाई 1959 से कर लगाया था। उसके बाद नगर निगम ने नई दिल्ली पालिका को की गई, सप्लाई के लिए उनसे कर की मांग की। नई दिल्ली नगर पालिका ने इस मांग की वैधता को चुनौती दी और कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 284 के अधीन भारी मात्रा में उनको सप्लाई की गई बिजली, बिजली की बिक्री नहीं है।

2. प्रमुख विधिवेत्ताओं ने इस कानूनी विवाद पर अलग अलग मत प्रकट किये है। कानूनी विवादों के हल के लिए समय समय पर अनेक बैठकें हुई और अन्त में 13 सितम्बर 1968 को तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक में सुझाव दिया गया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधिश को पंच फैसले के लिए भेज दिया जाय। दिल्ली नगर निगम ने इस सुझाव का कुछ समय तक विरोध किया किन्तु अन्ततः इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया कि विवाद उच्चतम न्यायालय के किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश के पंच फैसले के लिए भारत सरकार को भेजा दिया जाय। 1 अप्रैल, 1971 को दिल्ली निगम के आयुक्त और नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष ने मामले

को पंच फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एस० के० दास को भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। पंच फैसला निम्नलिखित बातों पर होना था :—

(1) क्या दिल्ली नगर निगम को 1 जुलाई 1959 से नई दिल्ली नगरपालिका को की गई बिजली की सप्लाई पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन कर लगाने का अधिकार है;

(2) क्या दिल्ली नगर निगम ने उक्त कर वैध रूप से लगाया है और नई दिल्ली नगर पालिका इसके लिए बाध्य है; और

(3) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिल्ली निगम को देय अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका को प्रत्यर्पणीय राशि, यदि कोई हो, जैसा भी हो।

श्री दास की नियुक्ति की शर्तें तय नहीं हो सकी। अत: उन्होने यह कार्य हाथ में नहीं लिया।

3. 1973 के आरम्भ में स्थिति की समीक्षा की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि विवाद का समाधान करने के लिए उप-राज्यपाल दिल्ली को प्रयत्न करने चाहिए। उप-राज्यपाल दिल्ली ने ऐसा प्रयत्न किया और नई दिल्ली नगर पालिका से देय राशियों का भुगतान करने के लिए कहा परन्तु नई दिल्ली नगर पालिका ने अपना पुराना मत दुहराया कि कानूनी तौर पर भुगतान करने का उस पर कोई दायित्व नहीं है। इस पर उप-राज्यपाल ने सुझाव दिया कि इस मामले को पंच निर्णय के लिए भेजा जाय क्योंकि दोनों स्थानीय निकाय पहले इस के लिए सहमत थे। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया और इस सम्बध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार नयी दिल्ली नगर पालिका की ओर 30 सितम्बर 1973 तक 4.30 करोड़ रुपये बकाया थे।

बाल दत्तक ग्रहण विधेयक

Adoption of Childern Bill

संयुक्त समिति के लिये एक सदस्य की नियुक्ति सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री अमर नाथ चावला द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संकल्प करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, सदस्य, लोक सभा को नियुक्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री अमर नाथ चावला द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संकल्प करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, सदस्य, लोक सभा को नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनिमय) विधेयक
Central and other Societies (Regulation) Bill
संयुक्त समिति के लिये एक सदस्य को नियुक्ति सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटिया (विनिमय) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री नीतिराज सिंह चौधरी के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संकल्प करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिती में डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, सदस्य, लोक सभाको नियुक्त किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

33. **श्री बेदव्रत बारुआ** : निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे—

"कि यह सभा की सिफारिशसे सहमत है कि लोक सभा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति मे श्री नीतिराज सिंह चौधरी के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें और संकल्प करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए ऊक्त संयुक्त समिति में डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषि, सदस्य, लोक सभा को नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

रोमन लिपि के लिये बोदी आदिमजातियों की मांग के बारे में वक्तव्य
Statement Re : Demand of Bodas for Roman Script

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं, गृह मंत्री की ओर से, बोर्डी आदिमजातीयलोगों की रोमन लिपि की मांग के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

वक्तव्य

"जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, असम में आदिवासियों और पुलिस के बीच कथित झगडे के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 21-11-74 को इस सदन में मैंने एक वक्तव्य दिया था। तब से बोडो लोगों ने रोमन लिपि को अपनाने के लिए अपना आन्दोलन जारी रखा है । बोडा स्वयं सेवकों ने असम के विभिन्न स्थानों पर धरने दिये है और प्रदर्शन किये है । लकडी के कुछ पुल जला दिये गये जिससे संचार व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई । 24-11-1974 को बोडो लोगों के एक वर्ग न पुलिस दल पर तथाकथित आक्रमण किया जिसके कारण पुलिस के दो उपनिरीक्षक घायल हो गये। दो स्थानों पर पुलिस ने गोली चलाई जिस के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मारा गया ।

कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्राधिकारियों को अनेक व्यक्ति गिरफ्तार करने पडे। हमें पता लगा है कि राज्य सरकार गिरफ्तार किये गये उन सभी व्यक्तियों को छोडने को सहमत हो गई है जिनके विरुद्ध वास्तविक अपराधों के आरोप नहीं है । काफी व्यक्ति रिहा कर दिये गये है । राज्य सरकार ने हमे सूचित किया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उनका अपहरण करन का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है ।

गत वर्ष तक बोडो लोग अपनी भाषा असमी लिपि में सीख रहे थे। केवल इसी वर्ष से उन्होंनें आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप बहुत लोगों को कठिनाइयां हुई है। मिकिर, दिमासा, रमा, मीह, लालुंग जैसे आदिवासी असमी लिपि का प्रयोग करते है। असमी लिपि राज्य में विभिन्न आदिवासी भाषाओं को जोडने का कार्य करती है और एक ओर आदिवासी भाषाओं तथा दूसरी ओर असमी भाषा के बीच सम्पर्क बनाती है और इस प्रकार राज्य मे रहने वाले विभिन्न समुदायों की एकता में सहायता करती है। एक सामान्य लिपि आपसी हितों के अनेक बन्धनों को मजबूत करने में सहायता करेगी जो शताब्दियों से इन समुदायों के बीच रहे है और इस संवेदनाशील सीमा क्षेत्र में एक संगठित व संपन्न राज्य बनाने में योगदान देगी। यदि कोई मतभेद तथा शंकाय है तो उन पर विचार विमर्श करके शान्तिपूर्ण ढंग से उनका समाधान किया जा सकता है। हिंसा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। प्रतीत होता है कि इस बात को समझ लिया गया है और मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि बोडो साहित्य सभा ने अपने आन्दोलन को अस्थाई रूप से स्थगित किर दिया है और असम के शिक्षा मंत्री से 28-11-74 को विचार विमर्श किया है और जनवरी 1975 के तीसरे सप्ताह में आगे विचार विमर्श करने का प्रस्ताव किया है। मदानी आदिवासी परिषद असम क तीन प्रतिनिधि भी 18-12-74 को इस संबंध में मुझ से मिले थे।

अब राज्य सरकार तथा बोडो प्रतिनिधियों के बीच बात चीत चल रही है। हमें प्रयत्न करने चाहिए ताकि सफलता के लिए वातावरण बन सके।"

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक
Indian Tarifl (Amendment) Bill

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मै प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

पस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मै विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विभिन्न मामलों के बारेमें कई सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये जाना
Submission by Members on various matters

श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*

श्री नुरूल हुडा (कच्छार) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक विभाग में महालेखा परीक्षक के सत्तावाद और अलोकतंत्रीय रवैये के कारण एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था भी है और विभागीय समिति भी है, परन्तु गत 6 वर्षों से उनकी

[श्री नुरुल हुडा]

कोई बैठक नहीं हुई है । महालेखा परीक्षक वर्ष 1972 से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के नेताओं से बातचीत करने से इन्कार करते रहे है । वर्ष 1972 से संघ के कार्य के लिये सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है । मई, 1974 में हड़ताल होने तक यही स्थिति थी । विभागीय अधिकारी संघ के पदाधिकारियों को और सभी राज्यों के कर्मचारियों तंग और परेशान कर रहे है । इसका विभाग की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड रहा है, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य दें ।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (औसग्राम) : कलकत्ता पत्तन को सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय हित में और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु उद्योगों को चलाये रखने के लिये और पश्चिम बंगाल की, जो कि समस्या प्रधान राज्य है, रक्षा के लिये पूरे वर्ष में फरक्का बराज से 40,000 क्यूसेक पानी सप्लाई किया जाना चाहिये । दूसरी बात यह है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये और पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक हित में विस्तार किया जाना चाहिये ।

बर्दवान जिले में कुनूर नदी में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण पानी जमा होते रहने के कारण 40,000 एकड भूमि की धान की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है । अतः वहां से पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक विभाग में, विशेष कर ग्वालियार में कर्मचारियों को बहुत परेशान किया जा रहा है । संविधान के अधीक महालेखापरीक्षक की स्थिति ऐसी है कि उन्हें इस सभा में बुलाया जा सकता है और विरोध पक्ष उन से प्रश्न पूछ सकता है, मैं चाहता हूं कि उन्हें यहां पर आमंत्रित किया जाये । दूसरी बात यह है कि यदि रेलवे कर्मचारियों को पुनः सेवा म न लिया गया और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चार किश्तों का भुगतान न किया गया, तो सारे देश में कर्मचारी हड़ताल करेंगे ।

तीसरी बात यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डा० मुथाना की जो इस संस्थान के चेयरमैन चुने गये थे, त्यागपत्र देना पडा था । उनका त्यागपत्र अभी तक अनिर्णीत पडा है । मुझे बताया गया था कि उनका त्यागपत्र स्वीकार हो गया है परन्तु यदि यह बात ठीक है तो वह अभी इस पद पर कैसे बने हुए हैं? जब तक इनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता और डा० जहीर को पुनः चयरमैन नहीं बनाया जाता तब तक उक्त संस्थान में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Bihar Government had demanded a sum of Rs. 42 lakhs for slum clearance in Patna but Central Government have disbursed a sum of Rs 20 lakhs only and rest of the amount *viz.* Rs. 22 lakhs has not been paid by them so far. I would request the Central Government to give a sum of Rs. 22 lakhs to the State Government to enable them to complete the project in time.

Many villages of Bihar are affected due to erosion by the Ganges. They have been submerged in the river. Central Government should give financial assistance to deal with this problem.

The Government should withdraw the cases against Railway employees because their families are leading miserable life. This is a serious problem and must be solved without any further delay.

श्री इराज्मद सकैरा (मारमागोआ) : गोआ में सन्कोले स्थित जुआरी ऐग्रो केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी से स्वास्थ्य को होने वाले खतर की ओर सभा का ध्यान

आकर्षित किया गया था । कुछ समय पहले वहीं पर भारी संख्या में मछलियां मर गई थीं और सरकार ने हमारे दबाव के कारण इस कारखाने को बन्द करने के लिए कहा था, और इनसे कहा था कि वे इस गंदगी को रोकने के लिये कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करें, परन्तु ऐसे कोई उपाय नहीं किये गये और आरसेनिक तथा एमोनिया की गंदगी के कारण एक लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र खेती करने के योग्य नहीं रहा और मछलियां फिर मरने लगी हैं । सरकार को इस गम्भीर स्थिति की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि जब तक इस गंदगी को रोकने के उपाय नहीं किये जाते तब तक इस फैक्ट्री को काम न करने दिया जाय। मैं वित्त मंत्री का ध्यान गोआ संघ राज्य क्षेत्र में व्यापक वित्तीय अनौचित्य की ओर दिलाना चाहता हूं । कला अकादमी परियोजना के लिये जो लगभग 5 करोड़ रुपये की परियोजना है, एक स्थान को उपयुक्त नहीं समझा गया था और इस परियोजना को वहां से हटा कर समुद्र तट पर ले जाया गया जहां वह किसी भी समुद्री तूफान का शिकार हो सकती है । सरकार संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अधीन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा रही है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दें।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) . The Railway Minister should make a statement on this matter. I doubt whether the Government will take any action in this regard.

There has been a bungling on a large scale for Congress Party rally. The Railway is filing a suit against the Party. I want to know whether the demonstrations of any other Party will be allowed to travel by rail without tickets? It is a serious thing which should be condemned... (*Interruptions*).

I have received the information that the effigies of Rama are being burnt. Lord Ram is a Symbol of people's feelings. It may result in communal riots. I want that the Minister of Home Affairs and the Railway Minister should make a statement in this regard.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Scheduled Castes and Schedule tribes people have not been benefitted by brininging the amendments in the Bill. Several castes in many States have not been included in this Bill. Berva Caste in Rajasthan has not been included. A Committee was appointed in this matter and it has submitted its report. I want that this caste should be included in the Bill to be brought in future.

Tonk is a very backward area. There is no railway line there. I request that a provision for connecting it with railway line should be made in the ensuing Budget.

Shri Paripoornan Painuli (Tehri-Garhwal) : The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes has been presented in the Rajya Sabha, but not only it has not been presented in this House, but my notice under Rule 377 in this regard has also been disallowed. It is regretted that we have not been allowed to discuss the important problems relating to Scheduled Castes and Scheduled tribes. Atrocities are being perpetrated on the Harijans and Adivasis in Maharashtra, Bihar and Uttar Pradesh. There lands are being forcibly occupied. Caste Hindus are mainly responsible for these acts. A Bill was expected in this regard. But it has not been brought. (*Interruptions*).

I request time must be given in the House to discuss the different important problems of Harijans in every session.

Govenment should take active steps for qutte hirdi a place in U. No. O. I hope that this will be done before the start of the next swson.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : पाकिस्तान की सीमा पर एक विदेशी नागरिक की 100 स्वचलित राइफलों सहित गिरफ्तारी गम्भीर चिन्ता का विषय है । सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। सम्भवतया देश में शस्त्र और गोला बारुद लाने का एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा हो। इस मामले की शीघ्र जांच की जानी चाहिये और इस बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतुर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान तामिलनाडु के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिये कोई धनराशि की व्यवस्था न होने की और दिलाना चाहती हूं। एग्रीकल्चरलर फार्मर्स लिमिटेड नामक कम्पनी ने लाखों रुपये का बार बार कर अपवंचन किया है। इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

तामिलनाडु में विद्यमान सूखे और अकाल के बारे में कृषि मंत्री से गत सोमवार को अनुरोध किया गया था। तामिलनाडु के अनेक जिलों में जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, पाल्दा दाम लोग जहरीली घास खा कर जीवनयापन कर रहे हैं। वहां बच्चे तथा पशु मर रहे है और फसल सूख रही है। राज्य को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे से निकाले गये कर्मचारियों के बारे में अन्तिम स्थिति से अवगत कराने के लिये आज सदन में रेलवे मंत्री उपस्थित नहीं है। केवल दक्षिण रेलवे में 400 से अधिक कर्मचारी भूखे रह रहे है और 4000 नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारियों को सेवा में वापिस नहीं लिया गया है। उनके विरुद्ध मुकद्मे भी वापिस नहीं लिये गये है। रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापिस लेन में रेलवे मंत्री तथा प्रशासन बाधा डाल रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Atal Bihari Bajpaiyee (Gwalior) : We have raised the matter regaraing the retrenchment of the employees of the Comptroller and Auditor General. serveral times in the House. At first, two hours were allotted for discussion on this issue. But no discussion could be held on this issue. Hundreds of employees in the offices of Comptroller and Auditor Geneal have been dismissed. Their three days' pay has been deducted—and a Show Cause notice has been served to its Union.

It is very strange that the recognition given to the Railway Employees Federation, which gave notice of a strike, has not been witharawn, though I am not in favour it, whereas the Federataion of A.G. Office Employees has been servea with a notice for withdrawal of its recognition on account of its employees going on Strike in support of the railway employees. Several employees have not been allowea to join duties. The Finance Minister should hold discussion with them. This matter should be looked into inmmediately.

100 modern rifles and 500 rounds of ammunition have been recovered from a German national arrested at Wagah border. It appears thar efforts are being made to smuggle arms and ammunition in India on a large scale. It is a very serious matter and it should be looked into immediately. The Government should fina out the anti-Indian elements functioning behind it.

'Ravan Lila' in Tamil Nadu should be stopped. We should appeal to D.M.K. members in this regard and the Goveinment should also use its influence in this matter. Nothing should be done in Tamil Nadu which may have its reaction in other parts of the country and the unity of the country may become weak. Centre should intervene in this matter and see that some untoward incident do not take place.

Mr. Chairman ; I agree that being the last day of the session, several members should have the opportinuity to express their views . But we have to take up Private Members's Business at 3.30 P.M. I want to know the opinion of the House in this regard. Supplementary demanas of Gujarat and Pondicherry and a Bill has also to be passed before that.

श्री समर गुह (गन्टाई) : कार्य मंत्रणा समिति में मेरे प्रस्ताव पर चर्चा करने पर सहमति हो गई था, क्या आप आज बैठक का समय दो घंटे के लिये बढा रहे है जिससे गर सरकारी कार्य पर चर्चा की जा सके ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि सदन की बैठक का समय दो घंटे तक बढाया जाये।

श्री एम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैंने जुआरी एग्रो कैमिकल्स फैक्टरी गोआ का दौरा किया है । वहां खराब पानी को ठीक करने की उचित व्यवस्था की गई है । मछलियों के मरन की बात अब डेढ वर्ष पुरानी हो गई है । अब मछलिया नहीं मरती । प्रबन्धकों ने इस बात की पूर्ण सतर्कता बरती है कि खराब जल समुद्र के जल को दूषित न करे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : परसों मैंने श्री मिश्र के विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । श्री डी० पी० धर से बहस के दौरान मैंने कुछ टिप्पणियां की थीं जिन्हें प्रेस ने गलत समझी है । मै यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा किसी पर चोट करने का रादा नहीं था ।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : Farmers have a large quantity of cotton in Ganganagar, but the Cotton Corporation of India is not purchasing it from them, as a result of which the price of cotton has fallen by Rs. 150. The cotton should be purchased from the farmers immediately and they should be paid proper price for it.

Jaiselmer and Barmer districts are in the grip of severe famine. People are starving due to acute shortage of foodgrains. The State Government is providing only two to three kilogrames of foodgrain per head. People should be provided with at least 20 Kilograms of Coarse foodgrains per head from the cheap foodgrain shops.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : युनाइटेड कमर्शियल बेंक के चेयरमन श्री वी आर० देसाई पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बेंक क मुख्य कार्यालय में कांग्रेस विरोधी सैल की स्थापना की है और वह कांग्रेस के हितों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है । यह धमकी दी गई है कि यदि उन्हें नहीं हटाया गया तो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये राज्य में गंभीर राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ किया जायेगा । धमकी में यह भी कहा गया है शिवसेना कि वें जैसा आन्दोलन नहीं करना चाहते लेकिन उन्हें यदि मजबूर किया गया तो वो ऐसा करने से नहीं हिचकीयेंगे । यह बहुत गम्भीर मामला है । वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया गया था । इस बारे में रिजर्व बेंक ने जांच की थी और आरोपों को बेबुनियाद पाया था ।

दल के नाम पर बेंक जसी संस्थाओं को धमकी दिया जाना बहुत गम्भीर मामला है । वित मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

सभापति महोदय : मरी कठिनाई यह है कि 3.30 बजे गैर सरकारी कार्य पर चर्चा की जानी है । उससे पूर्व गुजरात ओर पांडिचेरी की अनुदानों की अनुपूरक मांगे पारित करनी है । उसके अतिरिक्त श्री समर गुह का एक प्रस्ताव भो है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हम कार्य सूची के अनुसार कार्य करें और गैर सरकारी कार्य को उसी सीमा तक स्थगित करें ।

श्री दीनेश भटाचार्य (सीरमपुर) : आप हर बार गैर सरकारी कार्य को स्थगित नहीं कर सकते ।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम कार्य सूची के अनुसार विषयों को लेते जायें और यदि हम 3.30 बजे से एक घंटा 45 मिनट अधिक समय लते है तो गर सरकारी कार्य को उतना ही अधिक समय दिया जा सकता है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मै इसका समर्थन करती हूं ।

श्री के० रघुरामैया : मैं श्री पी० जी० मावलंकर के सुझाव का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman : I suppose the House is of the opinion that first of all we will finish the business according to the order paper and then we will take privtate Members Buiness.

Shri M. C. Daga (Pali) : One crore and 13 lakh people are in the grip of famine in Rajasthan, There is no rationing arrangement there. The economic condition of Rajatsthan is not at all satisfactory. The Sixth Finance Commission has refused to sanction money to the State and so the people are dying in the State due to lack of funds.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Government should come out with a Statement regarding the arrest of a German national with 100 rifles and ammunition I want to know what restrictioons Government intend to impose on the activiites of Anand Margis and the C.I.A.?

Shri Chandra Shailani (Hathras) : The problems of Scheduled Castes and Scheduled tribes is a serious problem of our country. The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled tribes has already been presented in the Rajya Sabha. It has also been discussed in that House. But it has not been discussed in Lok sabha. We could not get time to discuss such an important matter. That report should be presented in the House and should be discussed here. Atrocities on the Harijans are on the increase. This problem has taken a serious turn. The Government is not paying much attention to the matter. The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be presented here so that a solution may be found out in this regard.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The lists of the Scheduled Castes and Scheduled tribes prepared in different States and Centrally administrated areas are quite different. In some States some castes have been included inthe list whereas in other states the Slame castes have not been included. In U.P., Dhobis are included in the list of untouchables but in Maharashtra, they have not been included in that list. Some uniform list and policy should be prepared in this regard.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Cotton producers are being totally negelected in Maharashtra. They are not being paid proper pricte for thier producce. The are not paid their dues in time. They ase paid 30 per cent for their produce and 70 per cent of their dues are not paid.

The condition of the farmers is very deplorable. In Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, the price of cotton is Rs. 150. The big farmers are purchasing cotton from small farmers at a low price and are selling the cotton in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh at high prices and thereby earning profits. Small farmers are being neglected. The farmers are in great difficulty. They are very angry with the administration. In case their difficulties are not removed, they may stop producing cotton next year.

Vidarbha is in the grip of severe drought and famine at present. The Centre has not given any assistance in this regard. The farmers and the poor workers are not in a position to purchase foodgrains at Rs. 3 per kilo. The discremination in the matter of distribution between rural and urban areas should be removed. The people should get food at the rate of 8 kilos per head every where.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : The relief measures in the draught affected areas in Madhya Pradesh have not yet been started. The condition of the people in Jhabua, Chatisgarh, Ratlam, Dhar, Khergaon and other areas is very deplorable. The Goevernment should immediately start the relief measures there, otherwise the situation may aggravate.

A furtilizer plant should be set up in Jhabua so that the people of that backward area may get jobs and may make use of the minerals available there.

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada) : There has been continuous drought in Gaya and Nawada district. The Government has not started work on Dahriari Project. The Government should make necessary arrangements for supplying water for irrigation purposes in Makdumpur, Kakoo and Jahanabad blocks of District Gaya. The Government should take appropriate action in this direction.

So far as the question of Tillaya Diversion scheme is concerned, the water dispute should be settled between the Chief Ministres of Bihar and Bengal. But this has not been done so far. The cheme with regard to Sakri reservoir and Mohani reservoir should have been implemented during the Fifth Plan, but those schemes have not yet been sent to the Central Government. The Minister of Agriculture and Power should take appropriate action to implement these schemes in Bihar.

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनेक मंत्रि ने वक्तव्य दिये हैं लेकिन विधि मंत्रों ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। सरकार संसदीय लोकतंत्र के साथ भारी धोखा कर रही है और वह अपने हितों के अनुकूल निर्वाचन सूची तैयार कर रही है।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकोनाडा) : सरकार ने इस वर्ष 30 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है। आगामी वर्ष भी खाद्यान्न की स्थिति खराब रहने की सम्भावना है। नागार्जुन सागर परियोजना के लिये भारत सरकार से 7 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया गया है जिस पर पहले ही हम 120 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। यदि सरकार 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि राज्य को दे सकती है तो हम 3 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न देश को दे सकते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही 7 करोड़ रुपये की सहायता देनी चाहिये।

Shri R. P. Yadav (Madhopur) : The Govermnent should take proper action to stop the manufacture of spurious drugs in the country. These drugs have already taken the lives of several people.

†**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरूनेलवली) : तमिलनाडु में तिरुनेलवली जिले के क्योलीपट्टी, एट्टापुरम और कालूगुमलाई में 'डी' श्रणी के माचिस कारखाने बहुत संकट की स्थिति में है। इसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। उक्त 'डी' श्रेणी के कारखाने सामान्यतया लघु, उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाये जाते हैं और ये सहकारी क्षेत्र में हैं। इन्हें उत्पादन शुल्क में भी 3.70 रुपये की रियायत मिल रही है। 1967 में उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई थी कि 'डी' श्रेणी के कारखानों को 4.30 रुपये का उत्पादन शुल्क देना होगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 1967 के बाद जारी किये गये आदेश के अनुसार सब 'डी' श्रेणी के कारखानों को 4.30 रुपये का उत्पादन शुल्क देना होगा। यदि आदेश की तारीख से 4.30 रुपये उत्पादन शुल्क एकत्र किया जाता है तो 1967 के बाद चालू किये गये कारखानों को बन्द करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे।

वित्त मन्त्री को 1967 के बाद आरम्भ किये गये कारखानों द्वारा 4.30 रुपये का उत्पादन शुल्क अदा करने के निदेश को तुरन्त रद्द करने के आदेश जारी करने चाहियें। सब 'डी' श्रेणी के माचिस कारखानों पर 3.70 रुपये की समान दर से उत्पादन शुल्क होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लघु उद्योगपति और हजारों कर्मचारी अपने न्यायोचित असंतोष को व्यक्त करने के लिये हिंसात्मक आन्दोलन का सहारा लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, आप इस बारे में मुझसे सहमत होंगे कि जहां देश के अनेक क्षेत्रों में आज अकुशलता का बोलबाला है वहां संसद के कर्मचारी वृन्द ने उल्लेखनीय कार्यकुशलता बनाये रखी है और इस सभा के सभी वर्गों ने वेतन समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद तथा उसकी क्रियान्विति के समय बार बार यह मांग की थी कि संसदीय कर्मचारियों संबंधी इस वेतन समिति के प्रतिवेदन की इस प्रकार पुनरीक्षा की जाये कि इसकी सिफारिशों में प्राप्त इतनी बड़ी असमानता समाप्त हो जाये तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों को बेहतर सुविधायें, बेहतर वेतन तथा बेहतर भत्ते प्राप्त हों। उक्त सुझाव इस सभा के विभिन्न वर्गों की ओर से दिया गया था और इन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि संसद के निम्न स्तर के कर्मचारियों के संबंध में भेदभाव हुआ है उसे दूर कर उन्हें उचित न्याय प्रदान किया जाये।

†तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

†Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

3 अक्तूबर, 1974 को जबकि तस्करी को रोकने के लिये 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तारियां हो रही थीं तो सिनेमा में लौटते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के दो अधिकारियों ने वहां बैंक के अनेक लाकरों को खुला पाया। बाद में उन्होंने दिल्ली स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को सूचित किया। अतः यदि संसद भंग नहीं की जा रही है तो मंत्री महोदय आज ही इस संबंध में एक बयान दें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन की अदायगी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है हालांकि सरकार उन्हें पेन्शन प्रदान करने की इच्छूक है परन्तु संबंधित अधिकारी गण इस कार्य में समुचित रूचि नहीं ले रहे हैं।

राज्यों में स्वाधीनता सेनानी अपनी पेन्शन के संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में मारे मारे फिरते हैं परन्तु उनकी सुनवाई नहीं होती है। सरकार उनके मामले निपटाने के लिये तुरन्त ही बजट सत्र में से पूर्व एक संसदीय समिति गठित करे। यह समिति स्वाधीनता सेनानियों की पेन्शन संबंधी मामलों की जांच करे तथा उन में शीघ्र का वाही कराये। हमारे उप मंत्री महोदय इस कार्य में बड़ी रुचि रखते हैं अतः वह शीघ्र ही एक ऐसी समिति गठित करने की व्यवस्था करें जिसमें भले ही अन्य दलों के भी सदस्य शामिल हों।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : बिहार में, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिये 'आंसूका' तथा भारत रक्षा नियमों के दुरुपयोग से काफी चिन्ता व्याप्त है। इतना ही नहीं बाद में जेल में इन बन्दियों पर तरह तरह के अमानवीय अत्याचार किये जाते हैं। हाल ही में मुंगेर जेल में लाठी-चार्ज से अनेक राजनैतिक कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए थे। प्रसिद्ध तथा लोक प्रिय कार्यकर्ता श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह का तो शायद एक बाजू ही टूट गया। मेरा पहला सुझाव यह है कि "आंसूका" तथा भारत रक्षा नियमों की सही रूप में क्रियान्विति की जाये जांच करने के लिये एक संसदीय समिति गठित की जाये।

दूसरे सरकार इस बारे में जांच करें कि "आंसूका" तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार लोगों को अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि के लिये अभियुक्त बन्दियों के रूप में क्यों रखा जा रहा है जब कि उसी आधार पर गिरफ्तार किये अन्य अनेक अभियुक्तों को उच्चतम न्यायालय ने रिहा कर दिया है।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : People in the remote and backward areas particularly in border areas are facing great hardships on account of high prices and non-availability of foodgrains on Government ration shops. Therefore a crash programme should be started in those areas to augment the purchasing powers of poor farmers, Harijans and landless people in these areas.

In my area a bridge linking the backward areas of U.P. and Bihar was sanctioned since 4-5 years ago but the work on it has not yet been taken up. That bridge should be built at the earliest. Similarly narrow-gauge line between Bhatni and Banaras should be constructed on priority basis. Narrow gauge lines from Banaras to Chhapra and Shahganj to Balia should also be surveyed for converting them into meter gauge.

Water for irrigation should be provided during day time in winter season. So that they are saved from facing bitter cold.

श्री समर गुह : (कन्टाई) : मैंने नेताजी जांच आयोग की अध्यक्ष न्यायाधीश जी० डी० खोसला के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी तथा अध्यक्ष महोदय ने मुझे इस मामले को नियम 377 के अधीन उठाने का निर्देश दिया था।

श्री खोसला ने नेताजी जांच आयोग के कार्यकाल के दौरान श्रीमती इंदीरा गांधी की जीवनी प्रकाशित करते हुए आयोग संबंधी नियमों के बारे में उल्लंघन किया है।

सभापति महोदय : जब आप का प्रस्ताव आये तब आप अपनी बात कहें।

श्री समर गुह : इस समय तो मैं उनके निर्णय को चुनौती दूंगा। उन्होंने जांच आयोग का कार्यभार संभालते समय गोपनीयता की शपथ ली थी। आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि...आप मेरी बात तो सुनिये।

सभापति महोदय : आप श्री खोसला तथा उनके प्रतिवेदन की बात कहना चाहते हैं। यह सब आप उस समय कहें जब आप का प्रस्ताव विचारार्थ आये।

श्री समर गुह : मैं उनके निर्णय के सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह रहा हूं। वह मैं उसी समय कहूंगा। मेरा कहना यह है कि सरकार ने 3 दिसम्बर को अपनी रिपोर्ट पेश की परन्तु उस प्रतिवेदन पर संसद द्वारा विचार हो चुकने तथा इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने से पूर्व ही उन्होंने मैसर्स थामसन एण्ड कंपनी के माध्यम से "लास्ट डेज आफ नेताजी" (नेताजी के अन्तिम दिन) नामक एक पुस्तक प्रकाशित करा दी तथा उसके द्वारा उन्होंने कुछ गोपनीय मामलों का रहस्य खोल दिया। यह पुस्तक उन्होंने पैसा कमाने के उद्देश्य से प्रकाशित कराई। इसका मूल्य 35 रुपये है। इस प्रकार उन्होंने आयोग के कार्य-भार के अन्तर्गत आयोग के नियमों का घोर उल्लंघन किया है। मैं अगले सत्र में उनके विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करूंगा। उन्होंने इस पुस्तक में नेताजी जांच आयोग की कार्यवाही का 90 प्रतिशत भाग अक्षरशः प्रकाशित किया है।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Chhatisgarh area of Madhya Pradesh has been severely hit by severe drought resulting in death of several persons and a large number of cattles as also the shifting of a population of about 50 thousand to other areas. The Government of Madhya Pradesh is incapable of meeting the situation and, therefore as demanded by them the Central Government should immediately sanction and provide a sum of Rs. 75 crores for relief measures.

Also I would drawn the attention of the Government towards the levy imposed by M.P. Government to collect funds for relief measures as the Central Government has not yet given the required aid to the State. Therefore the Central should sanction the said amount without delay so that necessary relief could be given to the affected people.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : पिछले सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने यह कहा था कि ब्रिटेन सरकार दियागो गार्शिया द्विप को अमरीका सरकार को पट्टे पर देने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है। भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 1974 को मुझे भी एक पत्र के उत्तर में बताया है कि ब्रिटेन सरकार ने अमरीका सरकार को उक्त द्वीप में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। आप जानते हैं कि अमरीकी सैनेट में इस द्वीप पर अमरीकी नौसैनिक अड्डे बनाये जाने का काफी विरोध व्याप्त है।

अतः हमें संसद के अधिवेशन के समाप्त होने से पूर्व ब्रिटेन तथा अमरीकी सरकारों के सामने अपना विरोध व्यक्त करना चाहिये। भारत सरकार को इस पर गहरी चिन्ता होनी चाहिये तथा जब ब्रिटेन अपने वायदे से फिर सकता है तो हमें भी यह सोचना चाहिये कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहिये अथवा नहीं।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : Central cow protection Committee's report has not come even after a lapse of eight years and therefore there is great discontentment in the country to the extent that preparations are being made for starting Satyagraha on a large scale from Ram Navmi. The agitators arrested in the anti-cow-slaughter movement would have been acquitted on account of being innocent. But in case the report of the Committee is not submitted and implemented in accordance with the assurances given to the people, I warn the Government to be ready to face a very big agitation against cow-slaughter in the country.

Shri Narsingh Narain Pande (Gorakhpur) : I want to point out to the Government that cases for granting pension to the I.N.A. personnel are not being attended to and decided upon promptly. To cite an instance, Shri Jagannath Tiwari of Gorakhpur was a commandere in the I.N.A. His pension papers are lying in Shri Mohsin's Department for decision. He should be granted pension forthwith. Similarly all other such cases should be finalised without any undue delay.

Conversion of narrow gauge lines in I.N.R. should have been completed by 1974 as the Hon. Railway Minister had assured. Similarly the earth work on broadening the Muzaffarpur-Barabanki line has not yet been completed. It is very important line. There casual labourers are being appointed from out side causing discontentment among local people. The authorities are acting arbitrarily.

The Minister of Parliamentary affairs may please convey my statements to the hon. Railway Minister.

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मेरे चुनाव क्षेत्र के बैंकों में अनिवार्य जमा योजना के अधीन रुपये जमा कराने के लिये निर्धारित फार्म उपलब्ध नहीं है इसलिये लोग पैसा जमा नहीं करा रहे हैं। अतः या तो पैसा जमा करने की अन्तिम तारीख में वृद्धि की जाए या फिर विलंब की सूरत में जो 25% अधिक जमा करना पड़ता है उस जुर्माने संबंधी खण्ड को हटाया जाये। इस मामले पर तुरन्त ध्यान दिया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आज कल समाचार पत्रों में मध्यावधि चुनाव की सम्भावना की बड़ी चर्चा है। मैं यह बात किसी प्रकार से भयभीत होकर या इन भावना से ग्रस्त होकर नहीं कह रहा हूं क्योंकि यदि हमें कभी अपने लोगों से जाकर उनकी राय जानने को कहा जाये तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को एक से बढ़ाकर तीन कर दिया जाये तथा उसमें इस प्रकार के सुधार किया जाय लोग पैसे के बल पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव जीत कर आ सकें। मैं श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त चुनाव सुधार समिति का सदस्य हूं तथा इधर कांग्रेस संसदीय दल ने भी ऐसी ही एक समिति नियुक्त कर रखी है। विधी मंत्री ने भी इस संबंध में कुछ विपक्षी तथा निर्दलीय सदस्यों की बैठक बुलाने की बात कही थी। मुझे आशा है कि यदि मध्यावधि चुनाव होने हैं तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये चुनाव न्यायपूर्ण ढंग से तथा स्वतंत्र रूप से हो सकें।

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये द्वारा स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने एक बहुत लंबा वक्तव्य तैयार किया है। मैं उनसे कहूंगा कि वह उसे सभा पटल पर रख दें।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं अपने राज्य संबंधी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। केरल में चावल की सप्लाई 45,000 टन से घट कर 18,000 टन प्रतिमास रह गई है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को राशन की मात्रा में कटौती करनी पड़ी है। गेहूं का कोटा भी नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार इस राज्य के पूरे कोटे को तुरन्त बहाल करे।

दो शीघ्रग्रामी नौकाओं की कथित तोड़फोड़ के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : REPORTED SABOTAGE OF TWO SPEED BOATS

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : तस्करी में हाल में हुये परिवर्तन से यह पता चला है कि अवैध सामान निकटवर्ती क्षेत्रों से लांचों और नौकाओं में लाया जा रहा है? इस पर सरकार ने विचार किया और समुद्र में शीघ्रगामी

नौकाओं को खरीदने का निर्णय किया। सरकार ने 20 शीघ्रगामी समुद्रीय नौकाओं का आर्डर एक नार्वे की फर्म को दिया। उनमें से दो नौकाएँ अक्तूबर 1974 के अन्त में प्राप्त हो गई थीं। ये दो नौकाएं अर्थात्, दुर्गा और काली 27–10–74 को चालू कर दी गई थी। यह दोनों 70 प्रतिशत दिन तक सक्रिय रूप से कार्यरत रही हैं। एक या दोनों नौकाएं 27–10–74 को चालू रही हैं। बीच में केवल दो दिन यह नहीं चलीं।

इस समाचार, कि तोड़फोड़ के कारण वे निष्क्रिय हो गई हैं, कि पूछताछ की गई है और इसे गलत पाया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको ईंधन टंकी में चीनी डाल दी गई है। उस ईंधन के नमूने लेकर परीक्षण किये गये हैं। ये नौसेना की बम्बई स्थित प्रयोगशाला में किये गये हैं। परन्तु इसमें चीनी का कोई निशान तक नहीं है। नौकाओं में बहुत आधुनिक मशीनरी लगी हुई है और उसके रख रखाव के लिये प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा रही हैं।

दोनों नौकाएं तस्करी विरोधी कार्यवाही में बम्बई के निकटवर्ती क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह बात कि हाल में तस्करी का कोई माल नहीं पकड़ा गया है इस बात का द्योतक है कि तस्करों की नौकाएँ अब वहां नहीं आतीं।

सरकार को अभी तक दो नौकाएं ही मिली हैं। बाकी चार नौकाओं के इस महीने के अन्त तक आने की सम्भावना है। बम्बई में सीमाशुल्क विभाग ने तस्करों से कुछ नौकाएं जब्त की हैं जो तस्करों के विरूद्ध प्रयोग में लाई जा रही हैं।

नौका प्रतिष्ठान विभाग नौसेना से प्रतिनियुक्ति पर आए एक वरिष्ठ अधिकारी की अधीनता में है। इन नौकाओं को किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही से सुरक्षा करने के लिये सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (गुजरात) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT) 1974-75

सभापति महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) पर आगे चर्चा करेंगे

ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : व्यवस्था के प्रश्न पर, गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य के बारे में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : उस के बारे में जब निर्णय हुआ उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : गुजरात राज्य गत एक वर्ष से राष्ट्रपति के शासनाधीन है। हालांकि लोक सभा के लिये मध्यावधि चुनावों की खबरें बहुत गर्म हैं परन्तु गुजरात में चुनावों की कोई बात तक नहीं करता है। पांडिचेरी विधान सभा के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं।

[**श्री इसहाक सम्भाली** पीठासीन हुए]
[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

गुजरात ने कांग्रेस प्रशासन को भ्रष्ट समझकर तथा अन्य आरोप लगाकर हटा दिया था परन्तु अब भी केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मन्त्री के माध्यम से कांग्रेस का ह प्रशासन गुजरात पर थोपा हुआ है। मेरी मांग है कि सरकार वहां तुरन्त चुनाव कराये।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

गुजरात संबंधी सलाहकार समिति की बैठकें तीन या चार महीने में एक बार होती है। वह भी तीन चार घण्टे के लिये। अतः उसमें लोगों की समस्याओं के बारे में भली प्रकार चर्चा नहीं हो पाती है।

गुजरात के 18,000 गावों में से 13,000 गांव सूखा तथा अन्य विपदाओं से संतप्त है। वहां चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। राशन प्रणाली से प्रति व्यक्ति को प्रति मास 200 ग्राम चावल, दो किलो गेंहू तथा 1 किलो ज़वार ही उपलब्ध है। चीनी के कोटे में भी 100 ग्राम की कमी कर दी गई है। सरकार कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठा रही है।

गुजरात में विशेषकर कच्छ में पेय जल की भारी कमी है। वहां की ग्रामीण जनता को पीनेका पानी देने के लिये कोई विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी ओर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने पर खूब धन खर्च किया जा रहा है। मैं ऐसे खर्च के प्रति अपना सख्त विरोध प्रकट करता हूं। सरकार को चाहिये कि वह लोगों को कठिनाइयों को दूर करने के लिये तुरन्त कदम उठाये।

गांधीजी की इस जन्म भूमि में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। तथा सामान्य जन की कठिनाइयों को कम करने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। कपड़ा कारखानों में काम शिफ्टें घट रही हैं। सरकार वेतन में रोक की नीति अपना रही है, महंगाई भत्ता भी आधा काट रहे हैं तथा महंगाई बढ़ने पर भी पर्याप्त महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। सरकार के आश्वासन देने के बावजूद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा नहीं की है। इससे कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है। साथ ही राज्य के कर्मचारियों तथा स्थानीय प्रशासनों के कर्मचारियों को भी उक्त घोषणा के न देने में कुछ नहीं मिल पा रहा है।

गुजरात में न केवल विधान सभा के बल्कि निगमों, नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव भी तुरन्त होने चाहियें। कांग्रेस सरकार में लोगों का विश्वास कतई नहीं है। यदि आप तुरन्त चुनाव नहीं करायेंगे तो लोग फिर सीधी कार्यवाही पर उतारू हो जायेंगे। अतः आप जनता की आवाज को सुनें तथा समझें।

न शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The proposed supplementary budget does not include the items of public importance for the sake of which the Assembly was dissolved and President's rule was promulgated.

Gujarat consists of quite a number of backward areas. It has also some very well developed area. The difference and disparity between these two is too wide. After the dismissal of the then Government and dissolution of the then State Assembly it was hoped that adequate steps will be taken to improve the lot of landless and poor farmers. But the hope proved futile because after all there is no basic difference in congress administration or Congress administration through Presidents' rule in a State.

The Agricultural Labourers and others in Gujarat are being totally ignored so far as the question of giving the increased wages, social justice is concerned. There are no provisions in this budget for providing land to the landless people. The condition of Harijans and Tribals in the backward areas is very pitiable and this budget does not suggest anything to improve their lot. The Budget is therefore not fit for support atleast in this contact.

The last incidents in Gujarat was in fact a public revolt and it was certainly not like that one in Bihar. Since the latter was a forced one and the former was self-geared by the people themselves.

Then the budget does not provide for any step to curb the reactionery forces which are out to stop the political and social progress of the country.

It was hoped that elections in Gujarat will be held very soon but the Government has prolonged the President's Rule there. This is not a healthy state of affairs and people are agitated over it. Therefore elections should be held in Gujarat at the earliest possible.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Gujarat was put under President's rule because the then Congress Government there had failed to run the administrations smoothly because of their internal disputes and conflicts, and as a result thereof the progress of the State had come to a stand still. It is a matter of request that the things have not changed dispite the long President's rule.

Gujarat is rich State in respect of both natural resources and development avenues but the Government has failed to make use thereof. Several rivers in Gujarat could be tamed for irrigation works benefitting not only Gujarat but also other neighbouring areas. But politics has always been coming in the way and no progress could be made even in respect of setting the problems concerning Narmada Dam.

Thus the State got no benefit of the President's Rule and therefore there is no need to extend it any more. The Central Government did not take any action to establish popular Government there after promulgation of President's rule in Gujarat. No welfare work have been under taken. The lot of the tribals and oppressed people is the same as it was before.

Regarding the item of education, the Central Government has been repeatedly asked to start ashram type schools in tribal areas because only this system can give benefit of education to them. Since Gujarat is under President's rule, the Government should implement this system. The ruling party proclaim that they want to ameliorate the condition of harijans and tribal people.. But in Gujarat they have done no thing in this respect. Hence I do not want to sanction any money for these demands.

श्री इराज्मुद सकैरा (मारमागोआ) : गुजरात में राष्ट्रपति शासन जनता की उस लोकप्रिय इच्छा का प्रतिक है जो यह चाहती है कि राज्य में परिवर्तन आना चाहिए। वे यह नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस दल पिछले दरवाजे से आकर शासन चलाए। मेरा दल यह मांग करता है कि सरकार यह घोषित करे कि चुनाव कब किए जाएंगे ताकि जनता यह निर्णय कर सके कि शासन किसे सौंपा जाना चाहिए।

सरकार कहती है कि राज्यों के बारे में बोलने का अधिकार राज्य सरकारों को है। परन्तु यहां गुजरात का प्रशासन केन्द्र चला रहा है तो उसने उसके लिए क्या किया है? गुजरात में आधे से अधिक भाग पर सूखा व्याप्त है, राज्य के अधिकारियों ने राहत के रूप में केन्द्र से 80 करोड़ रुपया मांगा है पर केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 13.5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं दिया है। जनता के प्रति कांग्रेस का यह रवैया है, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के विदेश भ्रमणों पर भारी खर्चा किया जाता है परन्तु सूखे से ग्रस्त लोगों के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता है। सरकार को गैर जरूरी मदों पर धन की कटौती करनी चाहिए। देश बड़े ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इससे त्राण पाने के लिए सरकार को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। गैर जरूरी खर्चों पर वित्तीय अनुशासन लाए बिना हम स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। चूंकि विद्यार्थियों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग

[श्री इराज्मुद सेकैरा]

लिया था इस लिए सरकार उनकी शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जनता बहुमत से सरकार को कोई काम करने के लिए कहती है तो सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है। सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। भारतीय लोकतंत्र दल की ओर से मैं मांग करता हूं कि गुजरात की असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाए। वहां चुनाव शीघ्र कराए जाएं ताकि जनता को अपनी पसन्द की सरकार बनाने का अवसर मिले।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

49 वां प्रतिवेदन

Mr. Speaker : As the hon. Member has to go somewhere, I have been requested to allow him to move an important item. Shri Sukhdev Prasad Verma.

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada) : I move,

"That This House do agree with the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th Dec., 1974.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 49 वें प्रतिवेदन से जो 18 दिसम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (गुजरात) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT) 1974-75

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : जामनगर में पेय जल की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार नगर में टैंकरों द्वारा पानी लाने में 50 लाख रुपया खर्च करने का विचार कर रही है। जामनगर में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए एक योजना थी जो टैंकरों से पेय जल लाने की योजना से तीन गुनी अधिक खर्चीली थी। पर यह एक स्थायी समाधान था। अब आगामी पंचवर्षीय योजना में भी इस योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना पर पुर्नविचार करे। गुजरात के सूखाग्रस्त क्षत्रों के लिए मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार को समुद्री संपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार सौराष्ट्र के तट से दूर मछलियां बहुतायत से पाई जाती हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के समुद्री तट पर कम से कम मछली पकड़ने के छह बन्दरगाह बनाए जाने चाहिए क्योंकि मछलियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। वहां अनेक देशों की मछली पकड़ने की नौकाएं देखी गई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा वहां की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा हो सके।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : गुजरात में एक मजबूत तथा प्रगतिशील सरकार थी जिसे सत्तारूढ़ दल ने पदच्युत कर दिया था। इसके बाद 1972 में चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला और उसने सरकार बनायी परन्तु श्री घनश्याम भाई ओझा को उसी के दल वालों ने निकाल बाहर किया। फिर दूसरी सरकार बनी जिसे अकुशल और भ्रष्ट होने के कारण जनता के कोप का भाजन होना पड़ा।

गुजरात में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी बढ़ रही है। उनके लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं है। आज विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों और कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सूखा पड़ने तथा बाढ़ से राज्य प्रभावित हुआ है। लोगों को प्रर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। खुले बाजार में इनके मूल्य बहुत ही अधिक हैं। चीजों के दाम घटने के बजाए बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है, वहां शीघ्र ही खाद्यान्न भेजा जाना चाहिए ताकि गुजरात की जनता को प्रति महीने कम से कम 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिले। सरकार ने राहत कार्य में लगे मजदूरों तथा कर्मचारियों को 8 किलोग्राम खाद्यान्न देने का आश्वासन दिया था परन्तू उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य के अनेक भागों में पेय जल की भारी कमी है। सरकार वहां टैंकरों द्वारा जल उपलब्ध करने में असफल रही है। चारा न होने से मवेशी मर रहे हैं जिसके कारण आगे दूध की भारी कमी होने की संभावना है।

राज्य में 12 लाख लोगों को राहत कार्य के रूप में काम दिए जाने की आवश्यकता है परन्तु केवल 3 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध हो सका है। लोग भूख से मर रहे हैं। वहां खाद्यान्न नहीं है, उनके पास क्रय शक्ति नहीं रही है और न रोजगार ही उनके पास है। सरकार गुजरात की जनता के प्रति उदासीन तथा लापरवाह है। गुजरात को 200 करोड़ रुपय को आवश्यकता है और सरकार ने उसे 13 करोड़ रुपये ही उपलब्ध किये हैं। चूंकि गुजरात में विधान सभा नहीं है इसलिए हम संसद सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि सरकार से मांग करें कि वहां शीघ्र खाद्यान्न, चारा, पेय जल हेतु टैंकर तथा धन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सभा का ध्यान अपने राज्य की असाधारण तथा ज्वलंत समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात में राष्ट्रपति शासन मार्च, 1975 को समाप्त हो रहा है और हम चाहते हैं कि उससे पूर्व चुनाव होने चाहिए। परन्तु चुनावों के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। यदि चुनाव निष्पक्ष रुप से नहीं कराए गए तो यह हमारी संसदीय लोकतंत्र और निर्वाचित जन प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए मजाक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव यथाशीघ्र होने के साथ-साथ उचित वातावरण में भी हों। मुझे आशा है कि सरकार इस बीच कोई भी अध्यादेश जारी नहीं करेगी अन्यथा संसदीय लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

आज गुजरात असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। वहां सूखे की स्थिति व्याप्त है। इस बात का भय है कि जनवरी अथवा फरवरी 1975 तक काफी बड़ा भाग सूखे की लपेट में आ जायेगा। इसका मतलब है कि राज्य के 19 जिलों में से लगभग 14 या 15 जिलों में सूखा पड़ सकता है। मंत्री महोदय कहते हैं कि गुजरात के प्रति उनकी सहानुभूति है परन्तु उनके पास धन नहीं है। बिना धन के सहानुभूति का क्या अर्थ है। गुजरात में हमेशा ठोस वित्तीय नीति रही है तथा वहां एक-एक पैसे का उपयोग किया गया है। वहां भ्रष्टाचार के कोई मामले नहीं हुए हैं।

[श्री० पी० जी० मावलंनकर]

श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि चूंकि प्राकृतिक आपदाओं और सूखे के लिए दिए गए धन का सदुपयोग नहीं किया जाता है इसलिए वे योजना उद्देश्यों के लिए धन देंगे। इसका मतलब होगा कि राहत कार्य तथा अभाव ग्रस्त व्यक्तियों के लिए धन व्यय नहीं किया जा सकेगा, सरकार छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की आड़ में गुजरात को जानबूझ कर कुछ नहीं देना चाहती है। यह एक ऐसा अपराध होगा जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं हरिजनों की दयनीय स्थिति की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा न केवल गुजरात में अपितु देश के अन्य भागों में भी हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। विधान सभा सचिवालय की मांग के संबंध में प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति आदर है परन्तु कांग्रेस ने गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष को तदर्थ प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनका यह आदर है। गुजरात विधान सभा को अध्यक्ष तदर्थ प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष भी है। यह सरासर अन्याय है। कृषि के अंतर्गत कुछ मांगे हैं। वलकना जिले के दांतीवाल में सरदार पटेल कृषि केन्द्र के लिए 40 लाख रूपये का प्रावधान है। मुझे आशा है कि इस कैम्पस का यथाशीघ्र विकास किया जायेगा। मैं सरकार से मांग करता आ रहा हूं कि वी० वी० जोन समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये परन्तु सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम गुजरात में विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। विद्यार्थियों को 8 लाख रूपये की छात्रवृत्तियां इस तर्क पर नहीं दी गई है कि उन्होंने परिक्षाएं नहीं दी थी। गत वर्ष परीक्षाएं नहीं हुई थीं इसलिए वे परीक्षा नहीं दे सके। यह छात्रवृत्ति उन्हें इस शर्त पर दी जानी चाहिए कि वे आगामी परीक्षा में अच्छा काम दिखाएंगे। गुजरात के लिए संसदीय सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक अहमदाबाद में होनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : गुजरात की कठिन स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता को मैं समझता हूं। सरकार इस बात को समझती है और वह गुजरात के विपत्ती ग्रस्त लोगों की मदद करना चाहती है। 7.48 करोड रूपये में से 4.99 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे। एक परियोजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रति महिने 850 रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियो को खाद्यान्न खरीदने के लिए सहायता दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायगा कि सलाहकार समिति की बैठकें यदा-कदा होती रहें। यह कहा गया है कि गुजरात में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं किए गए है परन्तु ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन की अवधि में लोगों के दुखों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए काफी काम किए गए है। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम अपने उपलब्ध सीमित साधनों से गुजरात की जनता को कितना राहत पहूंचा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि बिना किसी संशोधन के इस अनुदान को पारित किया जाये।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मंत्री महोदय ने कुछ गंभीर प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं। यथा छठे बित्त आयोग की सिफारिशों का पालन किया जाना क्यों आवश्यक है? आप यह क्यों नहीं समझते हैं तो माननीय विभत्तियां आयोग की सिफारिशों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या आप समझते हैं कि विकासीय योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हैं और उनका लाभ पहुंचाएंगी? जब आपके अपने अधिकारी समझते हैं कि अभाव का सामना करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है तो क्यों नहीं इसकी व्यवस्था की जाती है।

श्री पी० एम० मेहता: मैंने यह सुझाव दिया था कि भावनगर-तारापुर ब्राड गेज रेलवे लाइन पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए तो इसको आरम्भ न करने के क्या कारण हैं?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: इन सब पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। समय कम होने के कारण मैंने इस पर चर्चा नहीं की है।

सभापति महोदय द्वारा गुजरात राज्य के संबंध में निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखीं गई तथा स्वीकृत हुईं

The following Supplementary demands for Grants in respect of Gujarat were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रूपये
14	आर्थिक सलाह और सांख्यकी	38,000	
15	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा अग्रिम		3,33,000
31	वित्त बिभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम		22,95,000
38	कानून विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम		13,87,000
44	खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम	..	8,50,000
46	गुजरात विधान मंडल सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम	..	50,000
50	सहायता कार्य	43,08,000	
53	सहकारिता	1,000	..
55	कृषि	3,55,000	40,00,000
56	लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास	4,38,000	
59	मत्स्य उद्योग	1,000	..
60	वन	52,000	50,00,000

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
62	कृषि, वन और सहकारिता विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम . .		48,70,000
69	आवास . . .	..	10,00,000
71	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	74,50,000	
73	शिक्षा और श्रम विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम .	..	42,00,000
77	पुलिस . .	20,82,000	..
85	गृह विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम	..	1,09,29,000
91	निर्यात प्रोत्साहन .	3,00,000	
94	उद्योग . . .		83,000
95	ग्राम और लघु उद्योग	8,70,000	
102	उद्योग, खान और बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम . .		20,00,000
109	लोक स्वास्थ्य, सफ़ाई और जलपूर्ति . .		7,00,000
116	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम . .		77,31,000
118	गैर-रिहायशी इमारतें . . .	6,00,000	
124	सिंचाई	20,84,000	1,30,000
131	लोक निर्माण विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम		68,00,000
146	राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारियों को कर्जे और अग्रिम		30,00,000

गुजरात विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1974

GUJARAT APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार आरंभ करते है । खंड 2 और 3 तथा अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,--

"(No. 5)"["(संख्या 5)"] शब्द के स्थान पर

"(No. 4)"["(संख्या 4)"] शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 1)

(श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।
The enacting formula and long Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (पांडिचेरी), 1974-75
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1974-75

सभापति महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) पर विचार करते हैं श्री नुरूल हुडा।

***श्री नुरूल हुडा** (कछार) : इस वर्ष के मार्च में पांडिचेरी विधान सभा निलम्बित की गई और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तब से लेकर अब तक नौ महिने व्यतीत हो

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

गये हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि वह पांडिचेरी में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिये अमुक कार्यवाही कर रही है। पिछले महीनों में सभा में इस मामले पर अनेक बार चर्चा हुई। पांडिचेरी में चुनाव कराने में सरकार अभी तक कोई निश्चित समय नहीं बता सकी है और अभी तक यह भी निश्चित नहीं है कि अगले मार्च के बाद भी चुनाव कराये जायेंगे या नहीं।

हमने देखा है कि जब कभी सत्तारूढ़ दल का बहुमत नहीं होता है, जसा कि मनीपुर और पांडिचेरी में था, तो वह विरोधी पक्षों को सरकार बनाने नहीं देता है। यदि विरोधी पक्षों ने सरकार बना भी ली हो तो सत्तारूढ़ दल ने उस सरकार को गिराने की कोशिश की है। पांडिचेरी में कपडा श्रमिकों और अन्य उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों को अपनी बकाया राशि नहीं मिल रही है जबकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। सड़कों के निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कल्याणकारी गतिविधियों जैसे मामलों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के लिये दिल्ली से पांडिचेरी का शासन चलाया संभव नहीं है। अतः मैं अपने दल की ओर से अनुरोध करता हूं कि फरवरी–मार्च में चुनाव कराये जायें और पांडिचेरी में लोकप्रिय सरकार बनाई जाये। वित्त मंत्री और अन्य राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि वे स्पष्ट रूप से बतायें कि अमुक समय पर पांडिचेरी में चुनाव कराये जायेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): जहां तक पांडिचेरी की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, मैंने कल यह प्रश्न उठाया था कि हम पांडिचेरी की स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं यह मामला इसलिये नहीं उठाना चाहती हूं कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु इसलिये उठाना चाहती हूं कि सत्तारूढ़ दल ने मिले-जुले विरोधी पक्षों के साथ मिलकर सिद्धान्तहीन ढंग से पांडिचेरी में प्रगतिशील मिली-जुली सरकार को गिराया। इसीलिये यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

जब कभी भी सरकार ने देश की जनता के विरुद्ध कार्य किया है तो हम उसका विरोध करने से कभी नहीं चूकते हैं।

पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन के परिणामस्वरूप आज क्या स्थिति है? हमें तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये अनुदानों पर मतदान करने को कहा गया है। मैं कहना चाहती हूं कि यह धन पर्याप्त नहीं है क्योंकि पांडिचेरी राज्य में तृतीय वेतन आयोग की अनेक सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिये सिफारिशों की क्रियान्विती के निर्णय के बाद सरकारी प्रेस के कर्मचारियों को अभी तक बकाया राशि नहीं मिली है। इसी प्रकार पांडिचेरी के अध्यापकों को भी बकाया राशी नहीं मिल रही है।

पांडिचेरी में इस समय चूंकि कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है इसलिये वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। पांडिचेरी में अब तक "फ्रेंच म्युनिसिपल एक्ट आफ 1880" लागू था। इस वर्ष जनवरी में नया म्युनिसिपल एक्ट पास किया गया। जब इसे लागू किया गया तो महापौर (मेयर) का पद समाप्त कर दिया गया अतः म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन का चुनाव कराना आवश्यक हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अभ्यावेदन देने के बाद भी चैयरमैन का चुनाव भी नहीं कराया गया है। म्युनिसिपैलिटी का कमीश्नर म्युनिसिपैलिटी के धन और कार्यों का दुरुपयोग कर रहा है।

राष्ट्रपति शासन की यह देन है। मंत्री महादय यह आश्वासन दें कि पांडिचेरी में नगर पालिका चुनाव तुरत कराये जायेंगे।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

मैं एक और बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं कि पांडिचेरी में सहकारी दुग्ध डेरी फार्म में बहुतायत में दूध होता था परन्तु लेफ्टिनेंट गवर्नर की कार्यवाही से वहां दूध की वितरण व्यवस्था बदल गई है और अब वहां कदाचार होने लगे है। डेरी में दूध का उत्पादन भी 15000 लिटर से कम होकर 8000 लिटर रह गया है। राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान सहकारी डेरी फार्म को 8 लाख रूपये की हानि भी हुई है। क्या मंत्री महोदय वहां कदाचार की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही कर रहे है? परन्तु उन्होंने इस बारे में कुछ कहने के बजाय अनुदानों पर मतदान करने को कहा है।

स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम ने पांडिचेरी के औद्योगिक विकास हेतु एक आश्वासन दिया था।

सरकार को चाहिये कि किसी भी मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन वह पूरा करे। वे आश्वासन पांडिचेरी में मध्यम आकार के इस्पात रोलिंग मिल और ताप बिजली घर के विस्तार के बारे में थे। मैं पूछती हूं कि उन आश्वासनों का क्या हुआ?

अन्त में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान पांडिचेरी की बिगड़ी हुई खाद्य स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वर्तमान "लेवी" व्यवस्था इस प्रकार की है कि चावल केवल जमाखोरों के पास जा रहा है। वहां उचित लेवी प्रणाली लागू की जानी चाहिये और प्रति 300 परिवारों के लिये चावल और खाद्यान्न उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये। चूंकि पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन है इसलिये यह मांग तुरंत पूरी की जानी चाहिये।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : पांडिचेरी एक सुन्दर राज्य है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सुन्दर राज्य को इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है।

हमारे देश में यह विचार प्रचलित हो रहा है कि जितना छोटा राज्य हो उतना ही अच्छा है। पंजाब, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों में हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ने सिद्ध कर दिया है कि उचित नेतृत्व और उचित ध्यान दिये जाने से छोटे राज्यों को भी आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, पांडिचेरी राज्य इस मामले में उपेक्षित है। वहां की सांस्कृतिक देन के बावजूद गरीब लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि राज्य में गंदी बस्तियां हटाने के लिये तत्काल कार्यवाही करें और मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये धन देने का प्रयास करें।

मैंने एक अन्य कारण से भी इस वाद-विवाद के बीच में बोलना चाहा है। पांडिचेरी का एक भाग केरल राज्य में पड़ता है। यह एक विषमता है। माहे में केवल एक ही उद्योग है, जो माही स्पिनिंग मिल है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है, अतः केन्द्रीय सरकार को इस संयंत्र का विस्तार करना चाहिये ताकि अधिक लोगों को कार्य मिल सके। माहे की ओर, वहां के मत्स्य उद्योग के विकास के सम्बन्ध में, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है।

मेरा नम्र निवेदन है कि जब सरकार पांडिचेरी के बजट पर विचार करे तो वह लेफ्टिनेंट गवर्नर को उचित निदेश दे कि वह इस क्षेत्र को शेष पांडिचेरी राज्य के स्तर तक लाने के लिये आवश्यक धन आवंटित करें।

श्री इराज्मुद सेंकेरा (मारमागोआ) : मैं आपकी अनुमति से अपने आपको पांडिचेरी की मांगों के सन्दर्भ में सभी संघ-राज्य क्षेत्रों का प्रवक्ता नियुक्त करता हूं। पांडिचेरी में सरकार गिराने का जो खेल हुआ है उसे निरुत्साहित किया जाना चाहिये। पांडिचेरी में जो कुछ हो रहा है वह अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। उदाहरण के लिये, गोआ में जहां विरोधी पक्ष नगरपालिकाओं का शासन चला रहे है वहां स्थानीय सरकार नगरपालिकाओं को अपर्याप्त अनुदान देकर वित्तीय रुप में समाप्त कर रही है। केन्द्रीय सरकार इन समस्याओं की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। गृह मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ करना चाहिये।

अभी तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, हम धैर्यवान व्यक्ति हैं परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि गोआ, पांडिचेरी और अन्य स्थानों में सरकारी कर्मचारियों को देय राशि उन्हें अदा की जाये।

संघ राज्य क्षेत्रों के विचित्र ढांचे के रहते उनका विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। अत: सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिये।

पांडिचेरी और गोआ इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में अत्यधिक कुप्रशासन है। उदाहरणार्थ, गोआ में भ्रष्टाचार इस स्थिति में पहुंच गया है कि बम्बई-गोआ लाइन पर जहां बस परमिट दिया जाता है वह स्पष्ट शर्त, जो लिखित नहीं होती है, पर दिया जाता है कि सभी टिकटें उस ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से बेची जायेंगी जिसका स्थानीय सरकार की साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री के० मायातेवार (डिंडिगुल) : मैं अन्ना द्रमुक की ओर से कुछ कहना चाहूंगा।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उसका स्वागत है परन्तु पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन स्वागत योग्य नहीं है क्योंकि वहां श्री एम० जी० रामचन्द्रन के नेतृत्व वाली ईमानदार सरकार को गिराया गया जो देश से तथा पांडिचेरी से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती थी। तमिलनाडु की अत्याधिक भ्रष्ट सरकार गिराने के बजाय पांडिचेरी में अन्ना द्रमुक की सरकार गिराई गई।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार और सत्तारूढ़ दल से कहता हूं कि यदि आपको लोकतंत्र में विश्वास है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त करते हुए पांडिचेरी में तत्काल चुनाव करायें।

जहां तक पांडिचेरी की समस्याएं हैं, वहां एक भी गाडी नहीं चलती है।

मैंने तथा पांडिचेरी के अन्य संसद सदस्यों ने यात्रि रेलगाड़ी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये रेल मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार, संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति, तथा दक्षिण जोन के जनरल मैनेजर से अनुरोध किया है। परन्तु भारत सरकार ने, उस पर सहानुभूति-पूर्ण ढंग से विचार नहीं किया है जबकि वहां बस सुविधाएं भी नहीं है।

चावल का मूल्य इतना अधिक है कि पांडिचेरी में चावल का इतना मूल्य इससे पहले कभी नहीं था। मजदूर, किसान खुले बाजार से चावल नहीं खरीद सकते। वहां लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर बार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तमिलनाडु में चावल की अत्यधिक कमी है।

पांडिचेरी में बिजली की सप्लाई में भी बहुत कटौती कर दी गई है। सरकार कहती है कि वे तमिलनाडु से बिजली लेंगे। परन्तु तमिलनाडु में भी बिजली 40 प्रतिशत की पहले से ही कटौती चल रही है अत: वहां से बिजली किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगी? सरकार को पांडिचेरी में बिजली उत्पादन की योजनायें आरम्भ कर देना चाहिये। सभी

[श्री के० मायातवार]

सदस्यों को पता है कि पांडिचेरी में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अत: सर्व प्रथम पांडिचेरी सरकार को समाप्त किया जाना चाहिये ... **(व्यवधान)** भ्रष्टाचार तमिलनाडु से पांडिचेरी में आ रहा है। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार को भी भंग कर देना चाहिये। और यदि आगे निर्वाचन हुआ तो हम तमिलनाडु और पांडिचेरी में सरकार बनायेंगे। अन्नाद्रमुक मत णित करेगी कि यही जनता का दल है... **(व्यवधान)**

पांडिचेरी में निर्वाचन स्थगित करने के लिये केन्द्रीय सरकार दोषी है। तमिलनाडु में नगर निर्वाचन, पंचायत तथा निगम के निर्वाचनों में क्या हो रहा है? केन्द्रीय सरकार को अनावश्यक संकेत है कि पांडिचेरी में कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। उन्हें जय और पराजय की इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। अत: केन्द्रीय सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त करके निर्वाचन कराने चाहियें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : अद्रमुक के सदस्योंने तमिलनाडु सरकार को हटाने की मांग की है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार को गोआ की गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिये। कुछ अन्य बातें भी उठायी गयी हैं। गत सत्र में भी ये मांगे सभा के समक्ष रखी गयी थीं, परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से इन पर विचार नहीं किया जा सका।

यह कहा गया है कि भारत सरकार पांडिचेरी के आर्थिक विकास की ओर ध्यान नही दे रही है। यह ठीक नहीं है। विकास कार्य और योजनाक्रम केन्द्र के सहायता से ही सम्पन्न होता है। गैर योजनाक्रम में भी बहुत बड़ी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है।

चालू वर्ष के योजना नियतन पर ध्यान दिया जाये तो पता चलता है कि 4 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त राजस्व वसूल होगा उस से पांडिचेरी के विकास के लिये 35 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

पूछा गया है कि पांडिचेरी में नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं। वर्ष 1973 में नये कानून पारित हुये हैं और उनसे सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक कार्य किये जाने हैं। जब तक ये कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक निर्वाचित प्रतिनिधि अपना कार्य भलिभांति नहीं कर सकेंगे। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राधिकारियों ने प्रारम्भिक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये कहा है ताकि अविलम्ब नये कानून को कार्यरूप दिया जा सके।

जहां तक अध्यक्ष और आयुक्तों के निर्वाचन का प्रश्न है, यह सुझाव दिया गया है कि आयुक्तों का कार्यकाल अगले वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में, मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के वेतनमान संशोधित किये गये हैं। वर्तमान अनुपूरक मांगों में मांग संख्या 14 के अन्तर्गत इसके लिये 187 लाख रुपये की राशि (1 जनवरी, 1973 से बकाया के भुगतान सहित) नियत की गई है।

जहां तक विकास परियोजनाओं का सम्बन्ध है जैसाकि माननीय सदस्या ने कहा है, इन परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि इन परियोजनाओं को मंजूर किया गया और आर्थिक रूप से लाभप्रद पाया गया तो ये केन्द्र परिचालित योजनाएं होंगी और इन पर पूरी धन राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा लगायी जायेगी।

जहां तक राष्ट्रपति शासन लागू रखने की बात है, सभी को पता है कि वहां राष्ट्रपति शासन असाधारण परिस्थितियों में लागू किया गया और जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आता तब ऐसी कार्यवाही आवश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुयीं

The following supplementary demands in respect of the Union Territory of Pondicherry were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
4	न्याय प्रशासन	5,12,000	. .
5	चुनाव . .	60,000	. .
6	राजस्व	9,75,000	. .
7	बिक्री कर .	1,95,000	
8	गाड़ियों पर कर .	50,000	
9	सचिवालय . . .	4,31,000	. .
10	जिला प्रशासन . .	99,000	. .
11	राजकोष और लेखा प्रशासन .	5,11,000	. .
12	पुलिस . .	24,83,000	. .
13	जलें . .	1,48,000	. .
14	लेखन सामग्री और मुद्रण .	1,62,000	. .
15	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवाएं	2,55,000	. .
16	सेवानिवृत्ति लाभ . . .	36,000	. .
17	लोक निर्माण .	35,99,000	18,66,000
18	शिक्षा . . .	70,55,000	. .
19	चिकित्सा .	38,05,000	. .
20	सूचना और प्रचार . .	1,43,000	. .
21	श्रम और नियोजन .	2,13,000	. .
22	समाज कल्याण . .	10,89,000	. .
23	सहकारिता . .	2,18,000	11,49,000
24	विविध सामान्य आर्थिक सेवाए	51,000	
25	कृषि . .	8,62,000	. .
26	पशुपालन	1,45,000	. .

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
27	मछली विभाग	2,68,000	..
30	खाद्य और पोषाहार . .	59,000	..
31	बिजली . . .	45,33,000	20,31,000
32	बन्दरगाह और नौ-चालन . . .	91,000	1,72,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	..	4,00,000

पांडिचेरी विनियोग संख्या (3) विधेयक, 1974
PONDICHERRY APPROPRIATION NO. (3) BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि में स कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 को सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक का पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 को सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 को सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरंभ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 और अनुसूचि विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड I

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 :—

"(No. 3)" "(संख्या 3)" के स्थान पर "No. 2" "(संख्या 2)" रख दिया जाये (संख्या 1)

(श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause I, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The enacting formula, and the Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

14—46 LSS/74

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति सदस्यों की सुविधाओं के बारे में विचार किया है। सरकार ने उनपर विचार किया है और आज की आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों के संदर्भ में सभी सुझावों को स्वीकार कर लेना संभव नहीं है। परन्तु सरकार ने इनमें से तीन सुविधाओं को स्वीकार कर लिया है ।

पहली सुविधा टेलिफोन कालों को 10,800 से बढ़ाकर 15,000 करने की है। इसको नियम द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा अतः इसे सभा के समक्ष नहीं लाया गया है।

दूसरी सिफारिश सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वीकार कर ली है। इस मामले में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ताकि संसद सदस्य अपने घरों पर ही चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकें। इसे कार्यकारी आदेश द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

तीसरी सिफारिश मील भत्ते को 32 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया करने की है।

संक्षेप में विधेयक की यही विषय वस्तु है ।

श्री इराज्मुद सेकेरा (मारमागोआ) : आज वित्त मंत्री ने सभा को बताया है कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की किश्तें, जो उनको देय हैं, देने की स्थिति में नहीं है। बाद में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार गुजरात को सूखा राहत कार्यों के लिये आवश्यक धन राशि देने की स्थिति में भी नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में सरकार यह विधेयक लायी है जिसमें हमारे भत्तों में वृद्धि करने की व्यवस्था है। समिति के विचारों के अनुसार इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि संसद सदस्यों को और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें।

सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबन्ध के कारण आज देश में मुद्रास्फीति का भयानक संकट है। प्रत्येक व्यक्ति की, विशेषतया सरकारी कर्मचारियों की, आय घट गई है। जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जाता तब तक हमें सुविधायें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

इसी कारण मैं भारतीय लोक दल की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार अन्य सिफारिशों को स्थगित कर दिया गया है इन सिफारिशों को भी स्थगित किया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज जब देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त है सभी संसद सदस्यों की सुविधाओं में वृद्धि करना उचित है ?

केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की देय चार किश्तों के बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वित्त मंत्री कर्मचारियों से स्थिति का सामना करने के लिये कहते हैं। वह कर्मचारियों से मुद्रास्फीति का समाधान खोजने के लिए कहते हैं ।

मील भत्ता बढ़ाने से, सरकार के विचार से, 1,50,000 रुपये का व्यय होगा। हमारे घरों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये डाक्टर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है परन्तु अस्पतालों के सरकारी कर्मचारियों को रोगी शैया प्राप्त करने के लिये कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है . . . **(व्यवधान)** मितव्ययता के नाम में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, उन्हें मंहगाई भत्ते की अदायगी नहीं की जा रही है, परन्तु हम अपनी सुविधाओं के विस्तार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

जब समिति ने ये सिफारिशें की थी तब उन्होंने यह सोचा था कि सरकार कर्मचारियों के लिये कुछ करेगी। परन्तु कर्मचारियों को कुछ देने के बजाय उनसे लिया जा रहा है। अतः मेरा यही अनुरोध है कि मंत्री महोदय समाज के दलित वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : केन्द्रीय कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किश्तों के बारे में मैंने वित्त मंत्री का भाषण बड़ी रूचि तथा ध्यान से सुना है। आश्चर्य की बात है कि सरकार ने मंहगाई भत्ते को एक, अथवा दो किश्त अथवा कोई किश्त न देने का अभी तक निर्णय नहीं किया है। इन परिस्थितियों में इस विधेयक को लाया गया है। क्या यह न्यायोचित है?

सरकार पहले ही वेतन जाम नीती बना चुकी है। 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में भी कटौती करने की व्यवस्था कर दी गई है। एक ओर वेतन जाम किये जा रहे है दूसरी ओर मूल्य स्थिर करने के लिये कोई पग नहीं उठाया जाता। जनता का विचार बनयेगी। संसद सदस्यों को पहले ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों का व्यवहार किया जाता है। इस पर भी सुविधाओं में और वृद्धि करने के लिये विधेयक लाया गया है। यह विधेयक पेश करने का यह उपयुक्त अवसर नहीं है।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : May I know whether the member opposing this bill here appended a note of dissent to the recommendations of the Committee ? Secondly, I would like to point out that there may be substantial difference in the economic conditions of the members.

I would like to request the hon. Minister to make a provision in this bill to the effect that those who are pained at heart may not draw or avail the additional amount or the facilities or create a fund where this additional amount may be deposited which is to be incurred on those who are more needy.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : संसद सदस्य कई लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। यदि वह अपना कार्य भली प्रकार नहीं कर पाता तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा नहीं कर सकेगा। संसद सदस्य का पद लाभकर नहीं होना चाहिये, मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु हमें अपना कार्यकुशलता पूर्वक करने के लिये ये सुविधायें आवश्यक हैं।

केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान करने के मार्ग में यह विधेयक किस प्रकार बाधक है? दोनों अलग-अलग चीजें हैं। हमें कार्यकुशल होना है, हमें निरोगी रहना है तभी हम जनसेवा सार्थक रूप से कर सकेंगें। अतः मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे अनावश्यक विरोध वापस ले लें।

मैं इस विधेयक का पूर्णतया स्वागत करता हूं।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : I am fully in agreement with Shri Sequeria, Shri Banerjee and Shri Dinen Bhattacharya so far as the issue of Dearness Allowance to Central Government Employees is concerned. I want that the Government decision in this regard be published at the earliest and that should be in the favour of Government Employees . But at the same time my submission is that the issue of Dearness Allowance of Central Government Employees should not be mixed with this issue. Their can only be politically motivated.

Shri Banerjee, has also referred the issue of heavy telephone Bills of Members and in this context, I may also submit that this is a common problem of all the Members of Parliament and we may do away with our direct trunklines for cutting down the Bills.

The Motions, which are before the House, were unanimously passed by the Committee and it can be well verified from the proceedings. Government has just acceeded to three minor suggestions thereof. Therefore, my submission is that my friends should not indulge in cheap publicity. On the other hand, they should support the motion which is ultimately in the interest of efficiency.

Shri S. M. Banerjee : We are not opposing the Concessions but our only submission is that it is only to-day afternoon that we turned down the demand of Central Government employees and at the same time we are seeking the same facilities for ourselves through this Bill.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसके साथ ही मैं एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं । संसद-सदस्यों को मोटर-यात्रा के लिए दिये जाने वाले भत्ते की दर 32 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति किलोमीटर कर दी गई है । मेरा सुझाव यही है कि बढती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये, संसद सदस्यों का भत्ता यदि अमरीका के संसद-सदस्यों के अनुरूप 25,000 से 30,000 रुपये तक नहीं बढाया जा सकता तो उसे कम से कम राष्ट्र मंडलीय देशों के सदस्यों के अनुरूप अर्थात् 15,000 रुपये कर दिया जाये । ऐसा करने से जहां देश के गौरव में वृद्धि होगी वहां भ्रष्टाचार भी खत्म हो जायेगा जैसे कभी कभी सदस्यों पर आरोप लगा दिया जाता है। यदि संसद-सदस्यों का वेतन बढ़ाकर 2,000 रुपये मासिक भी कर दिया जाये तथा उन्हें यात्रा आदि सम्बन्धी कुछ अन्य सुविधायें उपलब्ध करवायी जाय, तो संसद-सदस्यों के नैतिक स्तर में वृद्धि होगी तथा वह अपने चुनाव क्षेत्रों का भ्रमण अच्छी तरह कर सकेंगे ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडिह) : मैं एक मजदूर नेता के रूप में गत 34 वर्ष से कार्य करता आ रहा है और जब कभी भी मैं अपने चुनाव क्षेत्रों का भ्रमण करता हूं (मुझे आज वहां 90 रुपये टैक्सी वाले को देने पड़ते है जहां कि पहले मैं केवल 30 रुपये ही देता था ।) एक मजदूर नेता होने के नाते मैं केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वृद्धि की समस्या को अच्छी तरह समझता हूं तथा उन्हें इस महंगाई से राहत उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें भत्ता दिया ही जाना चाहिये परन्तु उनके भत्ते के प्रश्न को इस प्रश्न के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये । इस प्रश्न को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी ।

श्री वसन्त साठे : नियम 362 के अन्तर्गत मैं "इस विषय पर चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं ।" हमने इस पर काफी चर्चा कर ली है ।

श्री क० रघुरामैया : मैंने जवाब भी देना है ।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : जब श्री साठे खड़े है तो क्या मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं। जब सभापति द्वारा श्री रामगोपाल रेड्डी को बुलाया जा चुका है, और वह खड़े हो गये है तो उन्हें अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहिये था।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गड़वाल) : श्री साठे के प्रस्ताव के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इसके बारे में संशोधन का नोटिस दिया है।

Mr. Chairman : The amendment is not lost with the movement of closure movement. It will be taken up with the motion. Although House is interested in closing down the debate but I do not want to debars Members of their right by accepting the 'closure move'. Only four Members are there and they will not take more than a minute or so.

श्री बसंत साठे : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) **:** The Members of the opposition who oppose any increase in the salary or allowances of the Members in the House, are first to claim the increase in their salary bills. They should not have double standards. With those words I, support the Bill.

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीन दीवी) : जब श्री साठे ने चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर दिया है तो फिर वह इसे बिना सदन की अनुमती के वापिस किस प्रकार ले सकते है? यह मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा निवेदन यह है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः किसी भी सदस्य को अपने विचार प्रकट करने से रोका नहीं जाना चाहिये। सभापति महोदय ने ठीक ही कहा है कि बोलने वाले सदस्य एक-आध मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

फिर, श्री साठे का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना, प्रस्तुत किया हुआ भी तो नही माना जा सकता। इसलिए उन्होंने सभापति की प्रार्थना पर ही उसे वापिस ले लिया है।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) **:** Shri Banerjee should not all the time go on harping on his idealism, the shallowness of which is proved when he is first to claim the additional facilities, which he opposes here for the sake of opposition only. It is just a publicity stunt. I am of the opinion that Members of Parliament should be given some more facilities such as free 'A' type residential flat, free local telephone calls, and instead of one first and one third class free Railway Ticket, both the passes should be that of first class so that we can go alongwith our wife. Such facilities should be given to the Members in the present circumstances.

Dr. Kailas : Had my friends Sarvashri Sequeria, Banerjee and Dinen Bhattacharya not opposed, the Bill, it would have been passed within five minutes. They have crossed the limits of hypocracy. My submission to these Members is that if they are not interested in extra allowances, they should give the same to class IV Employees.

श्री ज० बासुमतारी (कोकराझार) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इतना ही नही मैं श्री बारुपाल द्वारा दिये गये सुझावों का भी समर्थन करता हूं।

श्री के० गोपाल (करूर) : संसद सदस्य को जो सुविधायें उपलब्ध है वह ईमनादारी से कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः अगले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री को संसद सदस्यों की और अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने वाला विधेयक लाना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जिस संयुक्त समिति ने एकमत होकर यह सिफारिशें की है उसमें भारतीय साम्यवादी दल तथा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) दोनों ही के सदस्य थे। यह ठीक है कि सरकार ने वर्तमान आर्थिक संकट के समय अन्य मार्गों की अपेक्षा अभी केवल, वास्तव में खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करने वाली मांग को ही लिया है। वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में जब कि पेट्रोल के दामों में काफी वृद्धि हो गई है। हमें वास्तव में खर्च किये हुये धन की प्रतिपूर्ति की मांग करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये। यदि हमें अच्छी सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है तो हम अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक कुशल ढंग से कर पायेंगे।

आज के समाचार पत्रों में संसद सदस्यों के भत्तों में की जा रही वृद्धि का समाचार बहुत बढ चढा कर छापा गया है। पत्रकारों को भी यह बात समझ लेनी चाहिये की हमने जो भी मांग की है वह परवर्तित परिस्थितियों की वास्तविकता के सन्दर्भ में न्यायोचित ही है।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I am one with the views expressed by Shri Pannalal Beruhal and Shri P. G. Mavalankar, Members of Parliament have to maintain three establishments i.e. one in Delhi, the other in constituency and one at home place. So in view of this some more facilities should be provided to them.

Shrimati Sahodarabai Rai (Sagar) : With a request to my friends in the apposition not to oppose the Bill just for the sake of opposition, I support the Bill.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं सदन के दोनों ओर के सदस्यों, जिन्होंने, इस चर्चा में भाग लिया, का धन्यवाद करता हूं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त समिति का गठन दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर किया गया था तथा उनमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि सदस्यों को 'ए' टाईप आवास निशुल्क दिया जाना चाहिये। उनके पानी तथा बिजली सम्बन्धी खर्च का 600 रुपये तक का बिल सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये ...

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय दस्तावेज के ऐसे खण्डों से उद्धरण दे रहे है जिन्हें सभी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं था। ... (व्यवधान) ... हमने आशुलिपियों की मांग की थी जब कि कांग्रेस के सदस्यों ने नकद धनराशि की मांग की थी ...
मैं इसे चुनोती देता हूं.......

श्री के० रघुरामैया : वास्तविकता यह है कि समिति ने यह सिफारिश भी की कि संसद सदस्यों को 50 रुपये प्रतिमाह सर्विस स्टैम्प के रूप में दिया जाना चाहिये, उन्हें चुनाव क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए यात्रा सुविधायें उपलब्ध करवाई जानी चाहिये ....

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय एक ऐसे दस्तावेज का उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है जो उस समय बना जब श्री रामावतारशास्त्री तथा मैं इस सदन के सदस्य नहीं थे। उस समय की संयुक्त समति का गठन ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। अतः मंत्री महोदय को ऐसे दस्तावेजों से उद्धरण नहीं देने चाहिये जिससे कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो।

Shri Ramavatar Shastri (Patana) : At that time no C.P.I. Members wa : associated with the Joint Committee. We opposed all the proposals. Hon. Minister should not mix the two things.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि यह संयुक्त समिति की सिफारिशें है जबकि श्री रामावतार शास्त्री कह रहे है कि उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था ? क्या उसमें कोई विमति टिप्पण है ?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री के० रघुरामैया : सभी सदस्यों ने यह बात स्वीकार की है कि पेट्रोल की कीमत में हुई वृद्धि के कारण, उनकी टैक्सी यात्रा पर होने वाले खर्चे में काफी वृद्धि हो गई है। यह हर्ष की बात है कि विधेयक को सभी का समर्थन प्राप्त हुआ है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : इस खण्ड से सम्बद्ध कोई संशोधन नहीं है अतः मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है : 'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली (टिहरी गढवाल) : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं।

I have come forward with this amendment because I knew the intentions of my friends on the opposite side. They try to politicaise everything. But people are fully aware of the double standard which they are adopting. This bill is likely to cost our Exchequor rupees 1 lakh and 50 thousand only which is very nominal as compared to the D. A. to be paid to Central Government Employees. So these issues should not be intermingled.

My other submission to hon. Member is that our morale should be of such a high and ideal standard, that the common-man should follow it as an example. We should have direct involvement in public life. This has been preached in Gita also. Our deeds and words should have complete harmony with each other. This was taught by Lord Budha also. So my submission is that mere speeches and shallow sermans will not be of much use. Members should have a practical and realistic approach to problems. The personal character of a person can be well verified from his constituency, which according to me is of real importance. With these words, I move my amendment.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इनके संशोधन में कहा गया है कि विधेयक आर्थिक संकट दूर होने के बाद लागू होगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह आर्थिक संकट कब दूर होगा ?

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : आर्थिक संकट दूर होने पर सरकार इसे अधिसूचित करेगी।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आर्थिक संकट दूर होने पर तो इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं इनसे अपील करता हूं कि अपने संशोधन पर वह अधिक बल न दें।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा ने अनुमति दी है ?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : मैं श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली के संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 1 was added to the Bill

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Enacting Formula was added to the Bill.

विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Title was added to the Bill.

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस सम्बन्ध में अनावश्यक आलोचना नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि किन-किन कारणों से यह स्थिति पैदा हुई है **(व्यवधान)** :

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ये सुविधायें लोगों की सेवा करने के लिये जरूरी हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्री बसु तीसरे वाचन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मैं तो केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निशुल्क कालों की संख्या बढ़ाने से हम अपने निर्वाचन क्षत्रो की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं ? क्योंकि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

निशुल्क सर्विस स्टैम्प का प्रश्न विचारणीय है। इसके द्वारा निश्चय ही हम लोगों की सेवा कर सकते है। मैं मंत्री महोदय से अनेक बार कह चुका हूं कि अपने निवासस्थान से इधर उधर ले जाने के लिये हमें मीनि-बसें उपलब्ध करें। मैंने यह भी कहा था कि अपनी बसे नार्थ एवन्यू से चलायें। इस तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं। इसलिये इस प्रकार की सुविधायें हमें दी जायें।

Shri S. M. Banerjee : I never said that we are not supporting these recommendations we only said that being last day of the session, it should not have been taken up today.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : This Bill has been brought today i.e. last day of the session. I think it will not deliver any benefits.

श्री के० रघुरामैया : इस विधेयक के फलस्वरुप सरकार पर 1.50 लाख रुपये का भार पड़ेगा। निशुल्क स्थानीय टेलीफोन कालों की संख्या 10,800 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में अन्य पहलुओ पर चर्चा नहीं करूंगा। अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करने योग्य नहीं समझी गयी। मैं इस सभा से विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF THE COMMISSION OF ENQUIRY INTO THE DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

Shri Darbara Singh (Hoshiaspur) : The House may be adjourned after the motion is moved so that it could be taken during the next session.

Mr. Chairman : Let him speak.

Shri S. M. Banerjee : The House may be adjoι rned immediately after the motion is moved, otherwise it will give rise to countrywide misunderstanding regarding the whereabouts of Netaji Subhash Chandra Bose.

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के सम्बन्ध में जांच आयोग के प्रतिवेदन (1974) पर, जो 3 सितम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने मुझ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी मांगी थी। इस बारे में प्रधान मंत्री मुझ से अधिक जानकारी रखती हैं। नेताजी जांच आयोग के साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि 1950 तथा 1962 तक सरकार ने नेताजी की खोज करने के लिये विभिन्न स्थानों पर लोग भेजे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री द्वारा नेताजी के बारे पूछताछ से काफी लाभ हुआ है।

श्री देवकांत बरुआ ने मुझे कहा है कि इस वर्ष कांग्रेस ने देश भर में नेताजी का जन्मदिवस मनाने सम्बन्धी परिपत्र जारी किया है। अतः प्रधान मंत्री की पूछताछ से यह लाभ अवश्य हुआ है कि इस वर्ष नेताजी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है।

श्री खोसला ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुये यह दस्तावेज, तैयार किया है। रिपोर्ट के साक्ष्यों में इस बात का जिक्र है कि महात्मा गांधी नेताजी की कथित मृत्यु पर विश्वास नहीं करते थे।

इसके बाद पं० नेहरू ने भी 13-12-45 को दिये गये एक वक्तव्य में नेताजी की कथित मृत्यु के बारे संदेह प्रकट किया था।

श्री शरत चन्द्र बोस ने कई बार कहा है कि उनके पास नेताजी के जीवित होने के बारे ठोस सूचना है।

8,000 पृष्ठ की इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये 4 वर्ष लगे। मैं नहीं समझता कि विधि मंत्री तथा मंत्री मंडल ने स्वीकार करने से पहले इस प्रतिवेदन का अध्ययन किया हो। सारी रिपोर्ट नहीं तो कम से कम जापान के साक्षियों के साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता कि नेताजी की मृत्यु पर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं आज अपने भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि यह रिपोर्ट कितनी निराधार तथा तथ्यों से दूर है। श्री खोसला ने अपनी रिपोर्ट में उन बातों का भी उल्लेख किया है, जो निदेश-पदों में शामिल नहीं है।

यह एक राजनैतिक मामला नहीं है। नेताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सब से बड़े राष्ट्रनायक हैं। उनके बारे में जांच तथा पूछताछ करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। खोसला आयोग का प्रतिवेदन शुरू से आखीर तक विरोधाभासों से भरपूर है। वे किसी साक्ष्य और दस्तावेज की गहरायी तक नहीं गये।

18 अगस्त, 1945 की विमान दुर्घटना की कहानी के अनुसार नेताजी के साथ उस दिन 13 अथवा 14 अन्य व्यक्ति थे। जनरल शिडेयी भी नेताजी के साथ उस विमान में यात्रा कर

रहे थे। उन्होंने नेताजी के साथ मांचूरिया जाना था। इस विमान दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गयी। यह कैसे हो सकता है कि उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में नेताजी तथा जनरल शिडेयी जैसे प्रमुख व्यक्ति ही मारे जायें तथा शेष लोगों को मामूली जखम आए और वे बच गये।

रिपोर्ट के अनुसार विमान दुर्घटना 18 अगस्त, 1945 को हुई। 23 अगस्त को घोषणा की गयी कि दुर्घटना के बाद नेताजी को इलाज के लिये टोकियो को लाया गया और वे वहां आधी रात को मर गये। पांच दिन के बाद 23 अगस्त को यह घोषणा रेडियो द्वारा श्री आयर ने टोकियो से की। प्रसारण में गलती थी क्योंकि नेताजी की कथित देह को टोकियो लाया गया लेकिन वास्तव में कुछ भी टोकियो नहीं लाया गया। फारमोसा के सैनिक मुख्य कार्यालय ने तुरंत गलती को ठीक कर लिया।

जापान सरकार के पास पेश किये जाने के लिये चार दस्तावेज थ। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना सम्बन्धी शेष सभी दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। इन दस्तावेजों को नष्ट न किये जाने के आखिर क्या कारण थे जबकि अन्य सिर्फ दस्तावेज़ नष्ट किये गये। उन्होंने नेताजी के बारे केवल 4 सिगनल सम्बन्धी दस्तावेज क्यों रहने दिये ? ब्रिटिश सेना के एक खुफिया अधिकारी ने कहा है कि माउंटबैटन डायरी के अनुसार नेताजी इस विमान में नही थे।

ये चार सिगनल ब्रिटिश खुफिया विभाग के उन लोगों को गुमराह करने के लिये भेजे गये थे जो नेताजी का पीछा कर रहे थे। उस सिगनल में एक ऐसा निदेश था कि नेताजी के फोटो को रखा जाये। शाहनवाज समिति और खोसला समिति ने अनेक चित्र पेश किये है। इनमें एक ऐसी संदुकची का चित्र भी था जिसमें नेताजी की कथित अस्थियां भी थी। जापानी हर किस्म के चित्र ले सकते थे। क्या आप इसे पहचानते हैं ? क्या वे चित्र लेना नहीं जानते ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुयें
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जापानी हर चीज के फोटो ले सकते थे लेकिन नेताजी की कथित मृत देह का क्यो नहीं ले सके। उन्होंने वह विशेष फोटो क्यों नहीं लिया ? जापान की सरकार दुनिया को सिद्ध करना चाहती थी कि नेताजी सचमुच मर गये हैं। इस लिए उनके लिए ऐसा करना जरुरी था। कर्नल हबिबुर रहमान ने वक्तव्य दिया था कि नेताजी का दाहसंस्कार 20 अगस्त, 1945 को हुआ था। लेकिन जापानियों की घोषणा के अनुसार उनका दाहसंस्कार 22 अगस्त को हुआ था। दाहसंस्कार की तिथियो के बीच इस प्रकार का अंतर संदेहजनक है।

1956 में जापान सरकार ने नेताजी सम्बन्धी दाहसंस्कार और मृत्यु प्रमाणपत्रों की प्रतियां शाहनवाज जांच समिति के सामने पेश की। इसके बाद इन्हें नेताजी जांच आयोग के सामने पेश किया गया। यह बात आश्चर्यजनक है कि ये चित्र नेताजी सम्बन्धी नहीं थे बल्कि जापान के 44 वर्षीय सैनिक के सम्बन्ध में थे। जापान यह सिद्ध करना चाहता था कि नेताजी सचमुच मर गये हैं। यदि उनकी सचमुच मृत्यु हुई तो उनके सम्बन्ध में वास्तविक चित्र क्यों नही पेश किये गये ?

जापान के जनरल फजयाटा ने नेताजी की तलवार पेश करते हुये नेताजी के जीवित होने सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में एक बार कहा था कि 'हा वे जीवित हैं' और इस सम्बन्ध में हम भारत के लोगों को अनेक संकेत दे चुके हैं।

[श्री समर गुह]

यदि सरकार खोसला आयोग के प्रतिवेदन को सर्वोच्च न्यायालय के बैंच के सामने पेश करे तो मैं निश्चय से कह सकता हूं कि इस प्रतिवेदन को एक कपोल कल्पना ही घोषित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री श्यामनंदन मिश्र का संकल्प है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम इसे आगामी सत्र के दौरान ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा इसे आगामी सत्र के दौरान लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक कठिन तथा घटनापूर्ण सत्र रहा है, जो अब समाप्त हो रहा है।

देश की समस्यायें लोगों की समस्यायें हैं और लोगों की समस्याएं माननीय सदस्यों की समस्याएं बन जाती हैं। जब माननीय सदस्य बाहर मतदाताओं से मिलते है तो वे इन समस्याओं से बहुत चिंतित होते हैं और इस सदन में आकर पूरे उत्साह से बोलते हैं।

जिस प्रजातंत्र के लोग तथा प्रतिनिधि ऐसे जागरुक हो, वह प्रजातंत्र निश्चय ही रहेगा। संसदीय प्रजातंत्र से अच्छी प्रणाली और कोई नहीं है। नये वर्ष के लिये मैं शुभ कामनायें देता हूं।

इसके बाद लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned ***sine die.***

भा० स० मु० ना०—वि० 3—46 लोक सभा/74—21-4-75—200.